किताब को पढ़ने से पहले
इस किताब को स्कैन करने वाले
और इस काम मे हिस्सा लेने वालो के हक़ के

हुआ फरमाएं
अल्लाह अजज़वज़ल हमारे तमाम
सणीश व क़बीरा घुनाहीं को मुआफ़ फरमाए
और ईमान पर इस्तेफ़ामत अला फरमाएँ
आमीन

PDF BY:
WASEEM AHMED RAZA KHAN
AZHARI & TEAM
+91-8109613336
भहारे शारीअत (३०५, हिस्सा)

सदरशरीआँ मौलाना अमजद अली आज़मी रजवी अलैहिर्रहमह

मौलाना मुहम्मद अमीनुल कादरी बरेलवी

मौलाना मुहम्मद शाफीकुल हक रजवी

कीमत जिल्द अब्बल

500 /

ताआद

1000

इशाउत

2010 ई.

मिलने के पते

1. मकतबा नईंमिया ,मटिया महल, दिल्ली।
2. फारुक्किया बुक डिपो ,मटिया महल ,दिल्ली।
3. नाज़ बुक डिपो ,मोहम्मद अली रोड मुम्बई
4. अलकुर्शाह नवाबी कम्पनी, कमानी गेट, अजमेर।
5. निम्रितिया बुक डिपो दरगाह शरीफ, अजमेर।
6. कादरी दारुल इशाउत, मुस्तफा मस्जिद वैलकम दिल्ली–53 मो:–01132106346
7. मकतबा शहामानिया रजविया दरगाह अला इजरात बरेली शरीफ

नोट:– बगैर इजाजते नाशिर व मुत्तजिम कोई साहब अक्स न ले
| 1. वित्र का बयान वित्र के फजाईल       | 5  |
| 2. सुनन व नवाफिल का बयान       | 9  |
| 3. नफ़्ल की फजीलत           | 9  |
| 4. मुअक्कदा सुनन्तो का ज़िकर  | 9  |
| 5. नवाफिल का ज़िकर           | 16 |
| 6. नफ़्ल नमाज़ शुरूः करने तौढ़ने के मसाइल | 16 |
| 7. मन्त्र मान कर नमाज़ पढने के मसाइल | 19 |
| 8. नमाज़े इस्तिक्लाल व दीगर मस्ल्यूस नफ़्ल नमाज़े  | 19 |
| 9. तरावीह का बयान           | 28 |
| 10. इमाम की मुखलिफत करने और जमाउत में शामिल होने के मसाइल | 35 |
| 11. कज़ा नमाज़ का बयान       | 36 |
| 12. नमाज़ कज़ा करने के उज़र   | 36 |
| 13. मुन्नफ़िद का फर्ज़ की जमाउत का पाना | 33 |
| 14. कज़ाए उज़री का बयान       | 40 |
| 15. नमाज़ के फिदिये के मसाइल | 41 |
| 16. सजदावे सहव का बयान       | 42 |
| 17. नमाज़े मशीज़ का बयान       | 50 |
| 18. सजदावे तिलावत का बयान     | 54 |
| 19. नमाज़े मुसाफ़िर का बयान       | 62 |
| 20. मुसाफ़िर के अहकाम         | 68 |
| 21. वतने असली व वतने इकामत के मसाइल | 70 |
| 22. जुमे का बयान               | 71 |
| 23. फजाईले नमाज़े जुमा       | 74 |
| 24. जुमा छोड़ने पर वर्द़ीदे     | 75 |
| 25. जुमे के दिन नहाने और खुशाबू लगाने के फजाईल | 76 |
26. जुमे के दिन अवेल वक्त में जाने के फजाइल
27. जुमा पढ़ने के शारीर
28. ईदैन का बयान
29. तकबीरे तशरीक़ के मसाइल
30. नमाज़े ईद का तरीक़ा
31. गहन की नमाज़ का बयान
32. नमाज़े इश्तिस्स़का का बयान
33. नमाज़े ख़ॉफ़ का बयान
34. किताबुल जनाइज़ (बीमारी का बयान)
35. अयादत के फजाइल
36. मौत आने का बयान
37. मस्तत के नहलाने का बयान
38. कफ़ून का बयान
39. जनाज़ा ले चलने का बयान
40. नमाज़े जनाज़ा का बयान
41. जनाज़ा की चौदह दुआँवे
42. नमाज़े जनाज़ा का तरीक़ा
43. कब्बर व दफ़न का बयान
44. कब्बरों की ज्यारत
45. ताबूज़ियत का बयान
46. सोंग और नोहा का बयान
47. शहीद का बयान
48. कब्बर अवस्था में नमाज़ पढ़ने का बयान
हदीस नं.1: — सही मुस्लिम शरीफ में है अबुद्दल्लाह इन्हें अब्बास रद्दीयल्लाहु तकाला अलहुमा कहते हैं समूललाह सल्लल्लाहु तबाला अलेहि वसल्लाम के यहाँ मैं सोया था। हुजुर बेदार हुए मिलवाक की और वुजुड किया और इसी हाल में आयता उनके सामने सूरत तक पड़ी फिर खड़े होकर दो रक्खते पड़ी जिनमें कियाम, रुस्तुं और वुजुड की तवील (तम्बा) किया। फिर पड़कर आराम फरमाया यहाँ तक कि सोस खाने आये, जूही तीन बार में छ: रक्खते पड़ी हर बार मिलवाक और वुजुड करते और उन आयतों की तिलकताक फरमाते फिर वितर की तीन रक्खते पड़ी।

हदीस नं.2: — नौज उसी में अबुद्दल्लाह इन्हें उमर रद्दीयल्लाहु तबाला अलहुमा से मर बाला है कि फरमाते हैं समूललाह सल्लल्लाहु तबाला अलेहि वसल्लाम रत की नमाजों के आखिर में वितर पढ़े और फरमाते हैं सुबह से पेट्स (पहले)वितर पढ़े।

हदीस नं.3: — मुहम्मद और तिम्रिजी जिन्हें माजा ब्लैकजुंड जाबिर रद्दीयल्लाहु तबाला अलहुमा से राह कि फरमाते हैं समूललाह सल्लल्लाहु तबाला अलेहि वसल्लाम जिसे अदेशा हो कि पिछली रत में न उठेगा वह अवलक बाल में पढ़े और जिसे उम्मीद है कि पिछली रत में पढ़े कि आखिर शब ने नमाज मशहूद है (यानी उसमें मलामक रहते हाफिज होते हैं) और यह अफजल है।

हदीस नं.4:— अबू दाउद और तिम्रिजी और मिलाई और इन्हें माजा मौला अली रद्दीयल्लाहु तबाला अलहुमा से राह कि फरमाते हैं समूललाह सल्लल्लाहु तबाला अलेहि वसल्लाम ने फरमाया अलहुवित्त (बेज़ा) है वित्र को महाबुब रक्खता है। तहाई ऐ कुई लालो! वितर पढ़ो और उसी के मिल्ट जाबिर और अबू हुयास रद्दीयल्लाहु तबाला अलहुमा से मरबी।

हदीस नं.11: — अबू दाउद और तिम्रिजी और इन्हें माजा खानिज इन्हें जुल्मा रद्दीयल्लाहु तबाला अलहुमा से राह कि फरमाते हैं समूललाह सल्लल्लाहु तबाला अलेहि वसल्लाम अलहुवित्त तबाला ने एक नमाज से तुम्हारी मंदिर फरमाते कि वह सुरद के से भेड़ता है। अलहुवित्त तबाला ने उसे इम्तिमाल और वुजुड फ़िज़ के दरसनियाम में रखा है। यह हदीस दोहार सहाबा रद्दीयल्लाहु तबाला अलहुमा से भी हरबी है मसलन शही इन्हें जबल और अबुद्दल्लाह इन्हें उमर और इन्हें अब्बास और उक्तवा इन्हें आमरा जुहनी रद्दीयल्लाहु तबाला अलहुमा।

हदीस नं.12: — तिम्रिजी जैसे इन्हें असलम से राह कि समूललाह सल्लल्लाहु तबाला अलेहि वसल्लाम ने फरमाया जो वित्र से ठी जाने वह सुबह को पढ़े।

हदीस नं.13:— इमाम अहमद उसी इन्हें कवसर और दार्शी इन्हें अब्बास से और अबू दाउद और तिम्रिजी उम्मुल मोहीलिन सिदीका से और नसीर अहदुहमान इन्हें अबजे रद्दीयल्लाहु अलहुमा से कि समूललाह सल्लल्लाहु तबाला अलेहि वसल्लाम वित्र के पहली रक्खते में नम्बर ऐंबल और दूसरी में एक्स और टीवी में एक्स और तीनों में एक्स के बारे में पढ़े।

हदीस नं.17: — अहंद और अबू दाऊद और हकिम बनीद रद्दीयल्लाहु तबाला अलहुमा से राख कि समूललाह सल्लल्लाहु तबाला अलेहि वसल्लाम ने फरमाया वित्र इस्कहै जो वित्र न ठी तह ्ह बाल में से नहीं।
हदीस नं.18 :- अबु दालद और तिरिक्ती और इन्है गोजा अबू साईद खुदरी कदियल्लाहु तालाला अनुष्ठा से रायी कि हुजूर ने फरमाया जो रूर से सो जाये या भूल जाये तो जब बदाय हो या याद आये पढ़ ले रायी कि हुजूरै ने फरमाया जो दिखा से सो जाये या भूल जाये तो जब बदाय हो या याद आये पढ़ ले।

हदीस नं.19, 20 :- अहमद और नसीर और दारौ मुत्ती बरीवायर कदियल्लाहु तालाला अनुष्ठा से "रायी कि हुजूरै आकर शोष मल्लालु तालाला अलौकिक वसल्लाला जब राया में सलाम फरैते तीन बार "मुहलाल मलिकल कुस्त" कहते और तीनी बार बलन्द आवाज़ से कहते।

मसाईले फळहिरया

अन्तर्वल वाजिब है अगर सहवान (मुलकर) या कदियल्लाहु (जानबुझ कर) न पढ़ा तो कुरा वाजिब है और सहवान तस्वीर (जिसे के जिम्मे कुरा नहीं अगर हो तो छ्यः से कम होते) के लिए भार यह याद है कि नमाजें वित्र न पढ़ी है और अबू में गुमनाम भी है या फर्से की नमाज फसिद है शुक्र से पढ़ते हो या दरमियान में याद आ जाये। (इज्जुक्कार और रुखुक्कार)

मसाईला :- राया की नमाज बार कर या सुवारी पर भग्गै उठा नहीं हो सकती। (इज्जुक्कार यह)

मसाईला :- नमाजें वित्र तीन समूह हैं और इसके कादर अंतर्वल वाजिब है और कदियल्लाला में सिफरा अत्महत्या पढ़कर राया हो जाये न दुरुश पढ़े न सलाम पढ़े जैसे मगरिब में करते हैं उसी तरह करे और अंतर्वल अंतर्वल में मुहलाल खुदा हो गया तो लोटने की इजाजत नहीं पड़ीक सहवान करे। (इज्जुक्कार और रुखुक्कार)

मसाईला :- वित्र की तीन समूह में मुलकन किरात फर्से है और हर एक में बारे फातिमा सूतु वाजिब और उदयत हुआ है कि पहली में "दुम्मुल मोबारेमा" या "अन्तर्वल नामैच" हूसी में पढ़े और किमी-किमी और सुरतै भी पढ़ ले। तीसरी राया में फिक़ार्त से फारियां होकर राया से पढ़ते होने तक हाट उठा कर अंतर्वल अंकित करे जैसे तीसरी तहीस में कहते हैं "फिर हाट बांट ले और दुआएं कुस्त पढ़े। दुआएं कुस्त का पढ़ना वाजिब है और उसमें किसी खास दुआ का। खास उसी नहीं भेलत हर दुआई है जो नहीं सलाम करी तालाला अत्महत्या वसल्लाला से साहित है और उसके अलावा कोई और दुआ पढ़े बच भी हरज़ नहीं। सब में ज्यादा मशहूर दुआ यह है।

अस्लाहमा इन्ना नज़मीलायो और नस्ताद फिलु के नवुमुशी विका और नतकलबु अले-क़-व नवुमी अलेकैल खैरी कुस्तुहु और नस्थुहुक बला नकफ़र-क़- और नक्फ़र और नतकलबु मंज़फ़्जुलु-क़ अत्महत्या इयाका नवुमुशी और नस्थुहु और नस्ताद और नहकितु और नज़रु रहमत-क़ और नज़ारा अज़ा-क़ इन्ना अज़ा बक बिल कुस्तुहु मुलमिक"।

त्यंमा :- "इहारी हम तुम्हारे मदद तलब करते हैं और मस्तिध्यात चाहते हैं और दुआ पर इमानलाते हैं और दुआ पर तालाला करते हैं और हम भर बलाई के साथ तेरी सन्न करते हैं और हम तेरी खुश करते हैं नायकी नहीं करते और हम
उपरोक्त प्रवचन के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के बाद यह पद्धति थी कि उसे उपरोक्त ग्रंथ के
मसूला: दुआएं कुरूतः आहिष्टा पदेइ इमाम हो या मुन्फ़िरिच या मुकत्तारः अदाहो हो या कजार मजजान में हो या और दिनों में। (हृदयाचार)

मसूला: जो दुआएं कुरूतः न पढ़ सके यह पढ़े:

तर्कमा: “ऐ हमारे परवर्तिगार तु हमको दुनिया में मनाई हुई दे और आर्कियर भलाई हुई दे और हम को जहाँन म अजाब से बना।” या तीन बार हमारे आल्लाहु (अल्लाहुम्माफ़िर लह) कहें (आलमगीर)

मसूला: अगर दुआएं कुरूतः पढ़ना छूट गया और रकृत में चला गया तो न कियाम की तरफ लौटे न रकृत में पढ़े और अगर कियाम की तरफ लौट आया और कुरूतः पढ़ा और रकृत न किया तो नमाजः फासिद न होगी मगर गुणहागार होगा और अगर सिर्फः अल्लाहु प्रभुर कुरूतः में चला गया था तो लौटे और सूरत वै कुरूतः पढ़े फिर रकृत करे और आखिर में सजदे सहव करे। यूही अगर अल्लाहु मूल गया और सूरत पढ़ ती थी तो लौटे और फासिद व सूरत वै कुरूतः पढ़कर फिर रकृत करे। (आलमगीर)

मसूला: इमाम को रकृत में यदि आया कि दुआएं कुरूतः नहीं पढ़ी तो कियाम की तरफ न लौटे फिर भी अगर ख़ड़ा हो गया और दुआ पढ़ी तो रकृतः का इमाम न चाहिए यानी रकृत लोटाना नहीं चाहिए और अगर इमाम कर लिया और मुकत्तारों ने थोड़े रकृतः में इमाम का साथ न दिया और दूसरा इमाम के साथ किया या पढ़ा रकृतः इमाम के साथ किया दूसरा न किया तो दोनों हाल में नमाजः फासिद न होगी। (आलमगीर)

मसूला: कुरूतः व विषय मुकत्तारः इमाम की मुताबङ्गः (विषय) करे अगर मुकत्तारः कुरूतः से फारिया न हुआ था कि इमाम रकृतः में चला गया तो मुकत्तारः इमाम का साथ दे और अगर इमाम ने वे कुरूतः पढ़े रकृतः कर दिया और मुकत्तारः ने अभी कुरूतः न पढ़ा था तो मुकत्तारः को अगर रकृतः फूट होने का अनदेशा हो जब तो रकृतः कर दे वन्ना कुरूतः पढ़ कर रकृत में जायें और उस खास दुआ की हाज़म नहीं जो दुआएं कुरूतः के नाम से मस्कूर है बल्कि मुलकँक तो कई दुआ जिसे कुरूतः कह सके पढ़े ले। (आलमगीर व शुल मुकतार)

मसूला: अगर शिक कह कि यह रकृतः पढ़नी है या दूसरी या तीसरी तो उसमें भी कुरूतः पढ़े और कारा करे फिर और दो रकृतः पढ़े और हर रकृतः में कुरूतः भी पढ़े करुदा करे यूही दूसरी और तीसरी होने में शिक कह तो दोनों में कुरूतः भी पढ़े। (हृदयाचार,आलमगीर)

मसूला: मसूफ़्तः (जिसकी कुरूतः छूट गई हो) इमाम के साथ कुरूतः पढ़े बाद को न पढ़े और अगर इमाम के साथ तीसरी रकृतः के रकृत में मिला है तो बाद को जो पढ़ेगा उसमें कुरूतः न पढ़े। (आलमगीर)

मसूला: विषय की नमाजः शाफ़ीईः मजहबः के इमामः के पीछे पढ़ सकता है बसकि यह दूसरी रकृतः के बाद सलाम न फरे वन्ना सही नहीं और इस सूरत में कुरूतः इमाम के साथ पढ़े यानी तीसरी रकृतः के रकृत से खड़े होने के बाद जब वह शाफ़ीईः इमामः पढ़े। (उमारः कुल)

मसूला: फज़ में अगर शाफ़ीईः मजहबः वाले की इकतालः की और उसने अपने मजहबः के तुलबाबिक कुरूतः पढ़ा तो यह न पढ़े, बल्कि हाथ लटकाये हुए उतने देर चुप खड़ा रहें। (हृदयाचार)

मसूला: विषय के सिवा और किसी नमाजः में कुरूतः न पढ़े ही अगर कोई बड़ा हादसा वाक्यें हो
सुनन व नवाफिल का बयान

वली से अदावत अल्लाह तखाला से लड़ाई लेना है

हदीस स. 1 :- यही बुराज शरीफ में अबु हूरैया रशिद्दल्लहुत तखाला अन्तु से मरवी हुजूरे अकडस सल्लल्लहु तखाला अल्लाह में वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तखाला ने फरमाया जो मेरे किसी वली से दुरमनी करे उसे मेरी लड़ाई का युद्ध दे दिया और मेरा बना किसी शर्य से उस कद तकर्फर (नजीदीकी) हासिल नहीं करता जिनसा फरास्ता होता है और नवाफिल के जरिए से हमेशा कुँब (नजीदीकी) हासिल करता रहता है यही तक कि उसे मैं महबूब बना लेता हूँ और अगर वह मुझ से सवाल करे तो उसे दूल्गा और पनाह मंगे तो पनाह शूगा। (आलमगीरी)

मुआक्कदा सूरनों का जिक

हदीस स. 2 व 3 :- मुसलिम व अबु दाजजद व तिर्मिजी व नसाई उम्मुल मोमिनीन उम्ये बहीमा रशिद्दल्लहु तखाला अन्तु से रावी हुजूरे अकडस सल्लल्लहु तखाला अल्लाह में वसल्लम फरमाते हैं जो मुसलमान बना अल्लाह के लिए हर रोज़ पर्दा के अल्लाह तत्कुटूँ यानी नपल की बारह रक्ष्यर पड़े अल्लाह तखाला उसके के लिए जन्मत में एक मक्का बनायेगा, चार जोहर से पहले और दो जोहर के बाद और दो मगरिब और दो बाद इस और दो कब्ज़ा नमाज़े पर्दा और रक्ष्य की तफसील सिर्फ़ तिर्मिजी में है। तिर्मिजी व 'नसाई व इसे माज़ा की रिहायत उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका रशिद्दल्लहु तखाला अन्तु से यह है कि जो इन पर मुहाफिज़ करेगा यानी हमेशा पढ़ेगा, जन्मत में दाखिल होगा।

हदीस स. 5 :- मुसलिम व तिर्मिजी उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका रशिद्दल्लहु तखाला अन्तु से रावी फरमाते है सल्लल्लहु तखाला अल्लाह में वसल्लम पर्दा की दो रक्ष्यर दुनिया व माफीह यानी जो कूँ दुनिया में है उस से बेहतर है।
ह्यदीसे न.6 :- बुखारी व मुस्लिम व अबू दाओज व नसाई उनहीं से रावी कहती है हजुर सल्लालहु
तालाला अल्पतिह वस्ललम इसकी किताब मुहाफजत फरमाते किसी और नफल नमाज की नही करते।
ह्यदीसे न. 7 :- तबरानी अबुडुलला इबने उमर रद्दियल्लहु तालाला अनुमाना से रावी कि एक साहब ने
अर्ज कराया या रसूललाला ! कोई ऐसा अमल इरादा फरमाईे कि अललाह तालाला मुझे उससे नफल
दे। फरमाता फज़ की दोनों रक्षानों को लांचिम कर ली कि उनमें बड़ी फज़ीलत है।
ह्यदीसे न.8 :- अबू यज्जुला इन्हे से रावी कि फरमाते है सल्लालहु तालाला अल्पतिह वस्ललम
तलहारु कुर्दान के बराबर है सल्लालहु तालाला मुझे नफल दे। यह फरमाते कि इनमे जमाने की परम्पराएँ है।
ह्यदीसे न.9 :- अबू दाओज अबु हुसैन रद्दियल्लहु तालाला अन्य से रिवायत की चुनने न छोड़ो अगरे
पुरा पर दुर्गमों के घोड़े आ पड़े।
जुहार की सुनना के फज़ाइल
ह्यदीसे न.10 :- अहमद व अबू दाओज व तिनिज़ी व नसाई व इने माजा उम्मुल मौमिनान उमे हबीबा
रद्दियल्लहु तालाला अन्तः से रावी कि फरमाते है सल्लालहु तालाला अल्पतिह वस्ललम जो शक्ल जोहर से
पहले चार और बाद में चार रक्षांतो पर मुहाफजत करे अललाह तालाला उस को आग पर हरम फरमा देगा। (तिनिज़ी ने इस ह्यदीसे को हसन सहीह गुरीब कहा)
ह्यदीसे न.11 :- अबू दाओज व इने माजा अबु अयूब अंसारी रद्दियल्लहु तालाला अन्य से रावी कि
फरमाते है सल्लालहु तालाला अल्पतिह वस्ललम जोहर से पहले चार रक्षांतो जिनके दरमियान मे
सलाम न फरा जाये उनके लिए आसाम के दरवाजे खोले जाते हैं।
ह्यदीसे न.12 :- अहमद व तिनिज़ी अबुडुलला इबनेसे साइब रद्दियल्लहु तालाला अन्य से रावी “हजुरे
अक्दस सल्लालहु तालाला अल्पतिह वस्ललम आफतबाब दलने के बाद नमाजें जोहर से पहले चार
रक्षानों पढ़ते और फरमाते यह ऐसी साहब है कि इससे आसाम के दरवाजे खोले जाते हैं।
लिहाज़ा मैं महबूब रखता हूँ कि इसमे मेरे कोई अच्छा अमल बनने किया जाये।
ह्यदीसे न.13 :- बजज़ ने सौबान रद्दियल्लहु तालाला अन्य से रिवायत की कि दोपहर के बाद चार
रक्षानों पढ़ने को हजुर सल्लालहु तालाला अल्पतिह वस्ललम महबूब रखते। उम्मुल मौमिनान सिल्दिका
रद्दियल्लहु तालाला अनुमाना अन्तः की या सल्लालहु! मैं देखती हूं कि इस वक्त मैं हजुर सल्लालहु
तालाला अल्पतिह वस्ललम नमाजें महबूब रखते हैं। फरमाता इस वक्त आसाम के दरवाजे खोले जाते हैं
और आसाम तालाला महुआ की तरफ नज़रे रहमत फरमाता है और इस नमाज पर आम व
नूह इब्राहीम व मूसा व ईसा अल्पतिहुसललु वस्ललम मुहाफजत करते यानी हमेशा पढ़ते थे।
ह्यदीसे न.14 व.15 :- तबरानी बर्ष इबने अजिज रद्दियल्लहु तालाला अन्य से रावी कि फरमाते है
सल्लालहु तालाला अल्पतिह वस्ललम जिसने जोहर की नमाजें के पहले चार रक्षानों पढ़ी गया उसने
तहजुजुद की चार रक्षानों पढ़ी और जिसने इसा के बाद चार पढ़ी तो यह शबेकृम में चार के मिसल
है। हजरते उमर फारूकु के आजम व बाजू दीर्घ सहाबे करिम रद्दियल्लहु तालाला अनुमान
से भी इसी के मिसल मरवी है।
अब्ब की सुन्नत के फजाईल

हदीस न.16 :– अहमद व अबु युसूफ व तिम्रजी अबुद्दलाह इन्होंने उमर रदीयल्लाहु तालीमा अह्मदुर्रा से राष्ट्रीयता हैं सल्लूल्लाहु तालीमा अर्थात वसल्लाम “उस शाक्षा पर रहम करें जिसने अब्ब से पहले चार रक्तमूर्ति पढ़ी”।

हदीस न.17 :– तिम्रजी गौला अली रदीयल्लाहु तालीमा अह्मदुर्रा से राष्ट्रीयता हैं सल्लूल्लाहु तालीमा अर्थात वसल्लाम अब्ब से पहले चार रक्तमूर्ति पढ़ा करें और अबु दाउद की रिवायत में है कि दो पढ़ते थे।

हदीस न.18 व 19 :– तबरानी कबीर में उममुल मोमिनन उममा सल्लूल्लाहु तालीमा अह्मदुर्रा से राष्ट्रीयता हैं सल्लूल्लाहु तालीमा अर्थात वसल्लाम फरमात्ते हैं जो अब्ब से पहले चार रक्तमूर्ति पढ़े अल्लाह तालीमा उसके बदन को आप पर इराम फरमा देंगा। दूसरी रिवायत तबरानी की अह्मदुर्रा इन्हें आसा रदीयल्लाहु तालीमा अह्मदुर्रा से है कि इसमें सल्लूल्लाहु तालीमा अर्थात वसल्लाम ने सहाबा के मजबूत में जिस में अमृतल मोमिनन उममा इन्हें कलाब रदीयल्लाहु तालीमा अह्मदुर्रा थे फरमात्ते जो अब्ब से पहले चार रक्तमूर्ति पढ़े उसे आप न छुएगी।

मगरिब की सुन्नत के फजाईल

हदीस न.20 व 21 :– रजीने ने मक्कूल से रिवायत कि फरमात्ते हैं जो शाक्स बादे मगरिब कलाम करने से पहले दो रक्तमूर्ति पढ़े उसकी नमाज इद्दीयों में उठाई जाती है और एक रिवायत में चार रक्तमूर्ति हैं। नीज़ उममी की रिवायत इन्हें रदीयल्लाहु तालीमा अह्मदुर्रा से है कि इसमें इतनी बात ज्ञाता है कि फरमात्ते हैं मगरिब के बाद की दो रक्तमूर्ति जल्द पढ़े कि बहुरंग्ज में साधा रही होती है।

हदीस न.22 :– तिम्रजी व इन्हें माजा अबु दाउद रदीयल्लाहु तालीमा अह्मदुर्रा से राष्ट्रीयता कि फरमात्ते हैं जो शाक्स मगरिब के बाद छः रक्तमूर्ति पढ़े और उनके दरमियान में कोई बुरी बात न कहे तो बारह बार बात की इबादत के बराबर की जायेगी।

हदीस न.23 :– तबरानी की रिवायत अमर इन्हें यासिर रदीयल्लाहु तालीमा अह्मदुर्रा से है कि फरमात्ते हैं जो मगरिब के बाद छः रक्तमूर्ति पढ़े उसके गुनाह बड़ा दिये जायेंगे अगर शरीफ समुद्र के ज्ञान के बराबर हो।

हदीस न.24 :– तिम्रजी की रिवायत उममुल मोमिनन सहीका रदीयल्लाहु तालीमा अह्मदुर्रा से है कि मगरिब के बाद बीस रक्तमूर्ति पढ़े अल्लाह तालीमा उसके लिए जनता में एक मक्का बनायेगा।

इशा की सुन्नत व नफल के मसाईल

हदीस न.25 :– अबु दाउद की रिवायत उममी से है फरमात्ते हैं इशा की नमाज पढ़ कर ननदी सल्लूल्लाहु तालीमा अर्थात वसल्लाम मेरे मकान में ताशीफ लाते तो चार या छ रक्तमूर्ति पढ़े।

मसाईले फिनियत्या

सुन्नते बाजू मुभककद हैं कि शरीफात में उस पर ताकीद आई बिला उज्ज एक बार भी तरफ करे तो मस्तहक़के मलामत हैं और तरफ़ की आदत करे तो फसिक, मस्तुदसख्तदत (जिसकी गवाह कबूल न हो) मस्तहक़के नार (दोजख़ में जाने का हकदार) हैं और बाजू अह्मदा ने फरमात्ते कि वह मुभराह कादरी फाकल इशामा.
बहारे शरीरानि आराम। और वह गुप्ताहार है अगर उसका गुमान वाजिक के तर्क से कम है। तलवी में है कि उसका तर्क कशीब हरम के है उसका तारिक (छोड़ने वाला) मुस्लिम (हकदार) है कि मिसाज्जल्लह शाफात से महलम हो जाये कि हुजूरे अकदस सल्लम्लाहू तालाला अल्लाह वस्लिम ने फर्माया जो मेरी सुनने को तर्क करेगा उसे मेरी शाफात न मिलेगी। सुनने मुस्लिमा को सुनने हुदा भी कहते हैं।

दूसरी किस्म गैर मुस्लिमा हैं जिसको सुनने ज्ञानबद्ध भी कहते हैं। इस पर शरीरानि में ताकीद नहीं आई कभी इसकी मुस्लिम और मनजू (बेहतर) भी कहते हैं।

नपल आम है कि सुनने पर भी इसका इताका आया है याँयी सुननों को भी नपल बोला जाता है और इसके गैर को भी नपल कहते हैं। यही वज़ह है कि फुकहे वरिया बाबू नवाफ़िल में सुनन का भी ज़िक्क करते हैं कि नपल इसको भी शामिल है। (वनुल मुहार) लिहाजा नपल के जितने अहकाम हैं बयान होंगे वह सुननों को भी शामिल होंगे। अबलताला अगर सुननों के लिए कोई खास बात होगी तो उसे मुलक हुकूम से इसकी आलग किया जायेगा जहाँ हैं इस्तिक्साना न हो याँयी अलग न किया न हो सुसी मुलक हुकूम नपल में शामिल होंगे।

मसजिला :- सुनने मुस्लिमा यह है :- 1 दो रक्षात नमज़ाज़ फ़ज़ से पहले। 2. चार जोहर से पहले। 3. दो जोहर के बाद 4. दो मगरिब के बाद 5. दो इशा के बाद। 6. और चार जुमे से पहले। 7. चार जुमे के बाद याँयी जुमे के दिन जुमा पढ़ने वाले पर चौदह रक्षात हैं और अलवा जुमे के बाकी दिनों में हर दो बार रक्षात। (मस्तूर) यह है कि जुमे के बाद चार पढ़े फिर दो कि दोनों हदीसों पर अमल हो जाये। (मुस्लिमा)

मसजिला :- जो सुनने चार रक्षात हैं मसलन जुमे व जोहर की तो चारों एक सलाम से पढ़ी जायेगी। याँयी चारों पढ़कर चौथी के बाद सलाम करे यह नहीं कि दौड़े रक्षात पर सलाम करे और अगर किसी ने ऐसा किया तो सुननों अदा न हुई अगर चार रक्षात की मनत मानी और दौड़े रक्षात करके चार पढ़े तो मनत पूरी न हुई बल्कि जुमा है कि एक सलाम के साथ चारों पढ़े। (उल्लुर) मसजिला - सब सुननों में कवी तर (तमाम सुननों में सब से बढ़कर) सुनने फ़ज़ है यहाँ तक कि बाज इसको वाजिक कहते हैं और इसके जाइज होने का इन्कार करने तो अगर जुबह के तौर पर या जिहलत के तौर पर हो तो कहीं कचू है और अगर दानिस्ता हुईं बिला जुबह हो तो उसकी तकफीर की जायेगी। लिहाजा यह सुनने बिला जुबह न बैठ कर हो सकती है, न सवारी पर, न चाटी गाढ़ी पर इनका हुकूम इन बातों में मिलिए विच्छ है। इनके बाद फिर मगरिब की सुनने, फिर जोहर से पहले की चार सुननें और असह (ज्यादा सही) यह है कि सुनने फ़ज़ के बाद जोहर की पहली सुननों का मतलब है कि हदीस में खास इनके बारे में फर्माया कि जो इन्हें तर्क करेंगा उससे मेरी शाफात न पहुँचेगी। (वनुल मुहार)

मसजिला :- अगर कोई अलिम मरज़ा फतवाहा हो कि फतवा देने में उसे सुनने पढ़ने का मोका नहीं मिलता (याँयी फतवे के काम में बहुत ज्यादा मसरूफ रहता है) तो फ़ज़ के अलवा बाकी सुनने तर्क कर सकता है कि उस वक़त अगर मौका नहीं है तो मौक़ूफ़ रखे अगर वक़त के अन्दर मौका
मिले पढ़ ले वर्ना माफ हैं और फज्र की सुनन्ते इस हालत में भी तर्क नहीं कर सकता। (कुल मुकाया)
गसाहला: - फज्र की नमाज कजा हो गई और जजवल से पहले पढ़ ली तो सुनन्ते भी पढ़े वर्ना नहीं अलावा फज्र के और सुनन्ते कजा हो गई तो उनकी कजा नहीं। (सल्मान)
गसाहला: - दो रक्खत नफल पढ़े और यह गुमान था कि फज्र दुलू म हुई बाद को मादू म हुआ कि दुलू हो जुकी थी तो यह रक्खत फज्र की सुनन्ते के काइम मकाम हो जायेंगी और चार रक्खत की नियत स्थैरी और इसमें दो घिसली तुलूए फज्र के बाद वाक़ि़ हुई तो यह सब सुनन्ते फज्र के काइम मकाम न होंगी। (सल्मान)
गसाहला: - तुलूए फज्र से पहले फज्र की सुनन्ते जाईज नहीं और दुलू म शक हो जब भी नाजाज़ और दुलू के साथ शुरु की तो जाईज है। (अलमानी)
गसाहला: - जोहर या जुमे के पहले सुनन्ते पृथ्वी हो गई और फज्र पढ़ लिए तो अगर बक्त बाकी है फज्र के बाद पढ़े और अफजल यह कि घिसली सुनन्ते पढ़कर इनको पढ़े। (बख्तसर कोटी)
गसाहला: - फज्र की सुनन्त कजा हो गई और फज्र पढ़ लिए तो अब सुनन्ती की कजा नहीं अलावता इमाम मुहम्मद रहमुग़लाहित तद्दोला अलैंढ़ हफरमात है कि तुलूए आफताब के बाद पढ़ ले तो बेहतर है। (मुलिमा) और दुलू से फेशर बिल इतिफाक भीरा बुध है। (सल्मान) आज़ल अक्सर अवाम फज्र के फौरन बाद पढ़ लिया करते हैं यह नाजाज़ है। पढ़ना हो तो आफताब बलन्द होने के बाद और जजवल से पढ़े पढ़े।
गसाहला: - तुलूए आफताब से पहले सुनन्ते फज्र कजा पढ़ने के लिए यह हीता करता कि शुरू कर के टीड़े दे फिर इजाज़ करने यह नाजाज़ है। सुनन्ते फज्र पढ़ ली और फज्र कजा हो गये तो कजा पढ़ने में सुनन्त को न लीटाये। (मुलिमा)
गसाहला: - फज्र तहा पढ़े जब भी सुनन्तों का तर्क जाईज नहीं है। (अलमानी) सुनन्ते फज्र की पहली रक्खत में सुरूह फातिहा के बाद थुए फाफ़िशन और दूसरी में फ़्ल मुसलमान पढ़ना सुनन्त है। (मुलिमा कोटी)
गसाहला: - जमात काइशु होने के बाद किसी नफल का शुरू करना जाईज नहीं सिवा सुनन्ते फज्र के कि अगर यह जाने कि सुनन्त पढ़ने के बाद जमात मिल जायेंगी अगर सफ़ हो तो यह नसिम होगा तो सुनन्त पढ़ ले मगर सफ़ के बराबर पढ़ना जाईज नहीं बल्कि अपने घर पढ़े या बैठने मसिजद (यानी मसिजद के बाहर) कोई जगह नमाज के काबिल हो तो वहाँ पढ़े और यह मुमकिन न हो तो अगर अन्दर के हिस्से में जमात होती है तो बाहर के हिस्से में पढ़े। बाहर के हिस्से में हो तो अन्दर और अगर उस मसिजद में अन्दर बाहर दो दृश्य न हों तो सुनूं या पढ़ की आड़ में पढ़े कि इसमें और सफ़ में हाइल हो जायें यानी आड़ हो जायें और सफ़ के पीछे पढ़ना भी मना है अगर सफ़ में पढ़ना ज्यादा बुरा है। आज़ल अक्सर अवाम इसका बिकुल खाली नहीं करते और उसी सफ़ में घुस कर शुरू कर देते हैं यह नाजाज़ है और अभी जमात न हुई तो जहाँ चाहे सुनन्ते शुरू करें खाली कोई सुनन्त हो। (मुलिमा) मगर जानता है कि जमात जसद काइम होने वाली है और यह उस बक्त तक सुनन्तों से फारिग न होगा तो ऐसी जगह न पढ़े कि उसके सबब सफ़ कता (हुल्ले) हो।
मसाजिला : इमाम को रूख में पाया और यह नहीं मानूं कि पहली रक्खत है का रक्खत है या
दृसेरी का तो सुनते तरक्क करे और मिल जाये। (अल्लामी)
मसाजिला : अगर वलत में गुजाईश हों और उस वलत नवाफिल मकरन ह न हों तो जितने नवाफिल
चाहे पड़े और अगर नमाजें फर्ज़ या जमाकुट जाती रहेंगी तो नवाफिल में मसाजिला होना नज़ारता है
मसाजिला : सुनन व फर्ज़ के दरमियान में कलाम करने से असह (ज्यादा सही) यह है कि सुनन
बालित नहीं होती अलबाहा लवब कम हो जाता है यही हुक्म हर उस काम का है जो मनाफ़ी
तहरीमा यानी तकबीरी तहरीमा के खिलाफ है। (तनवीर) अगर ख़रीद व फरोख़ या खाने में मसाजिला
हुआ तो इज़ादा करे ही बाद लाल सुनन में अगर खाना लाया गया और बदमज़ा हो जाने का
अंदेशा हो तो खाना खा ले फिर सुनन पड़े अगर वलत जाने का अंदेशा हो तो पढ़ने के बाद खाये
और बिला ज़म बाद लाल चुननों में भी देर करना मकरन है। अगर्व अदा हो जाएगी। (जुलूलक़ा)
मसाजिला : इशा व अंड के पहले और इशा के बाद चार-चार रक्खतें एक सलाम से पढ़ना
मसाजिला इशा और यह भी इश्कीयार है कि इशा के बाद दो ही पढ़े मुस्तफाब अदा हो जायेगा। उँही जोहर के
बाद चार रक्खत सुनन पढ़ना मुस्ताफ है कि इदीस में फरमाया कि जिसने जोहर ने
पढ़े चार और बाद में चार पर मुहाफ़ज़ात की अल्लाह तख़ाला उस पर आग हरम फरमा देगा।
अल्लाह सब तहतावी फरमाते हैं कि सिरे से आग में दाखिल ही न होगा और उसके गुनाह मिटा
दिए जायेगा और जो इस पर मुतालबत हैं अल्लाह तख़ाला उसके फरीक को राजी कर देगा या यह
मतलब है कि उसे ऐसे कामों की तफ़ीक देगा जिन पर सज़ा न हो और अल्लाह शामी फरमाते हैं
कि उसके लिए नशात है कि सतः उसका खात्मा होगा और दोज़ख में न जायेगा।
मसाजिला : सुनन की मनान मानी और पढ़ी अदा हो गई तो उँही अगर शुरू करे के तोड़ दी
कि पढ़ी जब भी सुनन अदा हो गई। (उँही नुमा,सुलुक़ग़ा)
मसाजिला : नफ़ल नमाज मनान मान कर पढ़ना बग़ैर मनान के पढ़ने से बेहतर है जबकि मनान
किसी शर्त के साथ न हो मसलन फर्ज़ बीमार सही हो जायेगा तो इतनी नमाज पढ़ूँगा और सुननों
में मनान न मानना अफ़ज़ल है। (सुलुक़ग़ा)
मसाजिला : बादे मँगरिब छ: रक्खतें मुस्तफ है उनको सलातुन अवबीन कहते है ख़बाएक
सलाम से सब पढ़े या दो से या तीन से और तीन सलाम से यानी हर दो रक्खत पर सलाम फरमा
अफ़ज़ल है। (उँही मुक़ार,सुलुक़ग़ा)
मसाजिला : जोहर व मँगरिब व इशा के बाद जो मुस्तफ है उसमें सुननते मुआक़दा दाखिल है
मसलन जोहर के बाद चार पढ़ी तो मुआक़दा व मुस्तफ दोनों अदा हो गये और उँही भी हो सकता
है कि मुआक़दा व मुस्तफ दोनों का एक सलाम के साथ अदा करे यानी चार रक्खत पर सलाम
फरेर। (फ़ाहिल कहीर)
मसाजिला : इशा के कबल (पहरे)की सुननते जाती रहे हो उनकी कज़ा नहीं फिर भी अगर बाद में
पढ़ा गया हो नफ़ले मुस्तफ है यह सुननते मुआक़दा जो फोट हुई अदा न हुई। (उँही मुक़ार,सुलुक़ग़ा)
मसाजिला : दिन के नफ़ल में एक सलाम के साथ चार रक्खत से ज्यादा और रात में आठ रक्खत
से ज्यादा पढ़ना मकरन है और अफ़ज़ल यह है कि दिन हो या रात हो चार-चार रक्खत पर
सलाम फरेर। (उँही मुक़ार)
मसला: - जो सूरत मुख्यमंडल चार रक्षा है उसके कब्जे का ऊला में गिरी 'अत्यित्याग' पढ़े अगर भूल कर दुरुत शरीर न लिया तो सजदा सहाय करे और इन सुनन्तों में जब तीसरी रक्षास्त के लिए खड़ा हो तो 'सुप्नता' और 'अरुजु' न मिले और नामकरण और चार रक्षास्त वाले नवाफिल के कब्जे का ऊला में भी दुरुत शरीर पढ़े और तीसरी रक्षास्त में 'सुप्नता' और 'अरुजु' निम्बू है। मनन की प्रभाव अंग के भी कब्जे का ऊला में दुरुत पढ़े और तीसरी में साना (सुप्नता) व ताप्लुङ (अरुजु)। (उर गुमरा)

मसला: - चार रक्षास्त नपल पढ़े और कब्जे का ऊला फूट हो गया बलिक कस्तन (जानून्न) कर भी तरक कर दिया तो नमजा वातिल न हुई और भूल कर तीसरी रक्षास्त के लिए खड़ा हो गया तो न लोटे और सजदा सहाय करते नमजा पूरी हो जायेंगी। अगर दीन नक्सात पढ़ी और दूसरी पर न हो तो नमजा फासिद हो गई। और अगर दो रक्षास्त की नियत बड़ी थी और बारह कब्जा किये तीसरी के लिए खड़ा हो गया तो लोटे बनी फासिद हो जायेंगी। (आलमगीर)

मसला: - नमजा में किया को लबा करना ज्यादा रक्षास्त पढ़ने से अफजल है यानी जबकि किसी वक्त मुक्त और नमजा पढ़ा चाहे मसलान दो रक्षास्त में उतना भला सर्फ कर देना चाहे रक्षास्त पढ़ने से अफजल है। (उर गुमरा)

मसला: - नफल नमजा घर में पढ़ा अफजल है गगर 1.तारीख, 2.पहिरोत मशजिद और 3.सफर से वापसी के बाद दो नफल के इनको मशजिद में पढ़ा बेहतर है। और 4. उद्दार की दो रक्षास्त के मीकात के नफल को मशजिद हो तो उसमें पढ़ा बेहतर है,और 5. तवाफ की दो रक्षास्त के मा को इब्राहीम के फस्ट पढ़े और 6. भूलत नफल के नवाफिल 7. और सुरज गहन की नमजा के मसलान में पढ़े 8. और अगर यह ख़ूब माने कि दो जाकर काम के मशगुलता के सबन नवाफिल फूट हो जायेंगे या पानी में जी लगेंगा और ख़ुशुं करे हो जायेंगे तो मशजिद ही में पढ़े। (उर मुमताज)

मसला: - नफल के हर रक्षास्त में इजाम व मुफरिदियर पर किरािा फर्ज है और अगर मुक्तलखी हो अगर्दर्फर्ज पढ़ने वाले के छिपी इज़तिदा की हो तो इजाम की फिरािा उसके लिए भी काफी है उस पर ख़ुब पढ़ना नहीं। (उर मुमताज)

मसला: - नफल नमजाद शुरू करने से वाजिब होता है कि अगर तोड़ देगा तो नफल पढ़ा होगी और अगर कस्तन शुरू करने की शी मसलान मुक्त था कि फर्ज पढ़ा है और फर्ज की नियत से शुरू की फिर याद आया कि फर्ज पढ़ वुका है तो इस्म पन्न है और तोड़ देने से कज़ा वाजिब नहीं बशर्त कि याद आते ही तोड़ दे और याद आने पर इस नमजाद का पढ़ना इज़तिदा किया तो तोड़ दें से कज़ा वाजिब होगी। (उर मुमताज)

मसला: - अगर बिलाकस्तर नमजाद फासिद हो गई जब भी कज़ा वाजिब है मसलान तय्याम में पढ़ा रहा था और नमजाद के दर्शन में घानी पर कादिर हुआ, शूरू हुई नफल पढ़ते में औरत को हैज़ आ गया तो कज़ा वाजिब हो गई तहालत के बाद कज़ा पढ़े। (उर मुमताज)

मसला: - शुरू करने की दो दृश्य हैं एक यह अंतिम बार बूझी यह तीसरी रक्षास्त के लिए खड़ा हो गया बशर्त कि शुरूत सही हो और अगर शुरूत भी न हो मसला उम्मी या औरत के पीछे इज़तिदा की या ये-वूज़ या नपाक कपड़े में शुरू कर दी तो कज़ा वाजिब न होगी। (उर मुमताज)
मसाज्ज़ा: फर्ज्ज़ पढ़ने वाले के पीछे नफ़्ल की नियत से शुरूआत की फिर याद आया कि यह फर्ज्ज़ मुझे पढ़ना है और तोड़ कर उसी फर्ज्ज़ की नियत से इकताला की जो वह पढ़ रहा था या तोड़ कर दूसरे नफ़्ल की नियत करके शामिल हुआ तो इस नफ़्ल की कजा वाजिब नहीं। (उर्दू)

मसाज्ज़ा: तुलू व गुजब व निसफ़्तुनहार के बक्त करके नमाज़ नफ़्ल शुरूआत की तो वाजिब है कि तोड़ रखे और मकरत बक्त के अलावा में कजा पढ़े और दूसरे वस्त्र में मकरत में कजा पढ़े जब भी हो गई मगर गुनाह हुआ और पूरी कर ली तो हो गई मगर बक्त मकरत में पढ़ने का गुनाह हुआ बिला वजहे सारे नफ़्ल शुरूआत कर के तोड़ देना हरम है। (उर्दू)

मसाज्ज़ा: नफ़्ल नमाज़ शुरूआत की अगर चार की नियत बांधी जब भी दो बी हो करके शुरूआत करने वाला करार दिया जायेगा कि नफ़्ल का हर शुरूआत (मानवी हर दो रक्खत) अलग-अलग नमाज़ है। (अल-फाही)

मसाज्ज़ा: चार रक्खत नफ़्ल की नियत बांधी और शुरूआत अवल (पहली दो रक्खत) या सानी (बाद की) दो रक्खतों में तोड़ दी तो दो रक्खत कजा वाजिब होगी मगर शुरूआत सानी तोड़ने से दो रक्खत कजा वाजिब होने की यह शार्त है कि दूसरी रक्खत पर कजा कर चुका हो वरना चार कजा करनी होगी। (उर्दू)

मसाज्ज़ा: सूनते मुककदमा और मन्त्र की नमाज़ अगर चार रक्खती हो तो तोड़ने से चार की कजा करे यूँ (अगर चार रक्खती फर्ज्ज़ पढ़ने वाले के पीछे नफ़्ल की नियत बांधी और तोड़ दी तो चार की कजा वाजिब है पहले शुरूआत में तोड़ी या दूसरे में। (उर्दू)

मसाज्ज़ा: चार रक्खत की नियत बांधी और 1. चारों में विश्राम न की या 2. पहली दो में या 3. पिछली दो में न की या 4. पहली दो में एक रक्खत में न की या 5. पिछली दो में एक रक्खत में न की या 6. पहली दो में एक रक्खत चोड़ दी तो इन छः सूरतों में दो रक्खत कजा वाजिब है। और अगर 1. पहली दो में एक या पिछली दो में एक 2. या पहली दो में एक और पिछली की दोनों में विश्राम चोड़ दी तो इन सूरतों में चार रक्खत कजा वाजिब है। (अल-फाही)

मसाज्ज़ा: अगर दो रक्खत पर बक्द़े तशह्हुद बैठा फिर तोड़ दी तो इस सूरत में बिलकुल अवल नहीं बताते कि तीसरी के लिए खड़ा न हुआ हो और पहली दोनों में विश्राम कर चुका हो। (उर्दू)

मसाज्ज़ा: नफ़्ल पढ़ने वाले ने नफ़्ल पढ़ने वाले की इक्तिदार की अगर टक्कर तशह्हुद (अंतर्यात्मक) में तो जो हाल इमाम का है वही मुक्तादी का है यानी जितनी की कजा इमाम पर वाजिब होगी मुक्तादी पर भी वाजिब। (उर्दू)

ख़ड़े हो कर बैठकर लेटकर नफ़्ल पढ़ने के मसाईल

मसाज्ज़ा: ख़ड़े होकर पढ़ने की कुदरत हो जब भी बैठ कर नफ़्ल पढ़ सकते हैं मगर ख़ड़े हो कर पढ़ना अफज़ल है किंतु दीदेस में फरमाया बैठ कर पढ़ने वाले की नमाज़ ख़ड़े होकर पढ़ने वाले की निसफ़्त है और दो भूज्ज की वजह से बैठ कर पढ़े तो सवाल में कभी न होगी। यह जो आजकल नमाज़ रिवाज़ पढ़ गया है कि नफ़्ल बैठ कर पढ़ा बैठने की अफज़ल समझते हैं ऐसा है तो उनका ख़्याल गलत है। विद्रोह के बाद जो दो रक्खत नफ़्ल
बहारे शरीअत
चीथा हिस्सा

पढ़ते हैं उनका भी यही हुआ है कि ख़ड़े हो कर पढ़ना अफ़ज़ल है और उस में इस हदीस से दलील लाना कि हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु ताआला अलाहिं वस्तम्म ने विशेष के बाद बैठ कर नप़ल पढ़े सही नहीं कि यह हुजूर के मख़्स़सूसात में से है। कुशने सही मुस्लिम शरीफ़ की हदीस अबुद्दल्लह इसे उगर रहिाल्लाहु ताआला अनुमा से है फरामैते हैं मुझे ख़बर पहुँची कि हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु ताआला अलाहिं वस्तम्म ने फरामाया कि बैठ कर पढ़ने वाले की नमाज़ ख़ड़े हो कर पढ़ने वाले की नमाज़ से आँख है। उसके बाद में हुजूर सल्लल्लाहु ताआला अलाहिं वस्तम्म की बारगाह में हँजिर हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु ताआला अलाहिं वस्तम्म का बैठकर नमाज़ पढ़ते हुए पाया। सारे अक्दस पर मैंने हाथ रखा (कि बीमार तो नहीं) इससे फरामाया क्या है ऐ अबुद्दल्लह! अर्ज़ की या सल्लल्लाहु ! हुजूर ने तो ऐसा फरामाया है और हुजूर बैठ कर नमाज़ पढ़ते हैं। हँस लेकिन में तुम ज़ैसा नहीं। इमाम इब्राइहीम हलबी व साहिब दुर्र मुहानाव व साहिब सुल्तानतार (रहम्तुल्लाहि ताआला अलेिहन) ने फरामाया कि यह हुकम हुजूर सल्लल्लाहु ताआला अलाहिं वस्तम्म के ख़िस्सास से है और इस हदीस से इस्तिनाद किया जाना इसी हदीस से सनद लाये।

सज़ोला : अगर रङूँ की हद तक शुक़ कर नफ़ल का तहरीमा यानी नमाज़ शुरू कर के हाथ बंधा तो नमाज़ न होगी। (सुल्तानतार) लेत कर नफ़ल नमाज़ जाइज़ नहीं जबकि उदः न हो और उदः की वजह से हो तो जाईज़ है। (भूलमान)

सज़ोला : नफ़ल नमाज़ ख़ड़े होकर शुरूः की थी फिर बैठ गया या बैठ कर शुरूः की थी फिर ख़ड़ा हो गया दोनों सूरतें जाइज़ हैं ख़ड़ा एक रक़मूः ख़ड़े होकर पढ़ी एक बैठ कर या एक ही रक़मूः के एक हिस्से को ख़ड़े होकर पढ़ा और क़ुँ क्षिस्सा बैठकर। (दुर्र मुहानाव, सुल्तानतार) मगर दुस़री सूरता यानी ख़ड़े होकर शुरूः की फिर बैठ गया इसमें इस्क़िलाफ़ है लिहज़ा बचना बेहतर।

सज़ोला : ख़ड़ा होकर नफ़ल पढ़ता था और ख़ड़ा हो तो असा (लाइला) या सुरा तक लगा कर बैठने में कोई हङ्ग नहीं (अलमगीरी) और बग़र थके भी ऐसा करे तो कराहत है नमाज़ हो जायेगी।

सज़ोला : नफ़ल बैठ कर पढ़े तो इस तरह बैठे जैसे तशहुद (अताहीयत) में बैठा करते हैं मगर फिरत की हालत में कि नफ़ल के नीचे हाथ बैठे रहे जैसे किस्म में बैठें हैं। (दुर्र मुहानाव, सुल्तानतार)

सज़ोला : बैठने शहर यानी शहर के बाहर सावरी पर भी नफ़ल पढ़ सकता है और इस सूरत में इस्तिमाल किया शर्त नहीं बल्क ताबरीज़ सूरह जो जा रही हो उधर ही शुरू हो और अगर उधर शुरू न हो तो नमाज़ जाइज़ नहीं और शुरूः करना वक़त भी किस्बे की तरफ़ शुरू होना शर्त नहीं बल्क सावरी जियर जा रही है तफ़ तरफ़ हो और शुरूः व पुज़ुज़ इशारे से करे और सज़ोले के इशारे में रङूः से ज़ियादा शुक़े। (दुर्र मुहानाव, सुल्तानतार)

सज़ोला : सावरी पर नफ़ल पढ़ने में अगर हङ्गने की ज़रूरत हो और अमल कलील (यानी बहुत धोखा सा अमल ऐसा कि जिससे करने पर नमाज़ ही में मालूम हो) से होका मसलन एक पौँच सें एड लगाई या हाथ में चाबूक है उससे धर्म से हो ज़रूर ही कि ज़रूरत जाइज़ नहीं (कुँल मुहानाव)

सज़ोला : सावरी पर नमाज़ शुरूः की फिर अमल कलील के साथ उतर आया तो उसी पर बिना कर सकता है ख़ड़ा होकर पढ़े या बैठ कर मगर अब किले को शुरू करना ज़रूरी है और ज़मीन पर शुरूः की थी फिर सावरी हुआ तो बिना नहीं कर सकता नमाज़ जारी रही। (दुर्र मुहानाव)

कादरी दालल इशाखा  
337
गाँव या खेमे का रहने ताला जब गाँव या खेमे से बाहर हुआ तो सवारी पर नामाज पढ़ सकता है (उल्लेखनीय)

गाँव या खेमे से बाहर हुआ तो उसे नहीं लेकिन जब जागरूक हो गया तो जब तक ध्यान न देते सवारी पर पूरी कर सकता है। (उर्दू मुखप्र)

नोट: — यहां बैठने शहर से तत्काल वह जंगल हो जाने से मुसाफिर पर कस्ट वाजिब होती है।

गांव या खेमे से बाहर हुआ तो उसे नहीं लेकिन कभी जागरूक हो गया तो उसे नहीं लेकिन कभी जागरूक हो गया। यहां से जाने से मुसाफिर पर कस्ट वाजिब होती है। (उर्दू मुखप्र)

गांव या खेमे से बाहर हुआ तो उसे नहीं लेकिन कभी जागरूक हो गया तो उसे नहीं लेकिन कभी जागरूक हो गया। (उर्दू मुखप्र)

गांव या खेमे से बाहर हुआ तो उसे नहीं लेकिन कभी जागरूक हो गया तो उसे नहीं लेकिन कभी जागरूक हो गया। (उर्दू मुखप्र)

गांव या खेमे से बाहर हुआ तो उसे नहीं लेकिन कभी जागरूक हो गया तो उसे नहीं लेकिन कभी जागरूक हो गया। (उर्दू मुखप्र)

गांव या खेमे से बाहर हुआ तो उसे नहीं लेकिन कभी जागरूक हो गया तो उसे नहीं लेकिन कभी जागरूक हो गया। (उर्दू मुखप्र)

गांव या खेमे से बाहर हुआ तो उसे नहीं लेकिन कभी जागरूक हो गया तो उसे नहीं लेकिन कभी जागरूक हो गया। (उर्दू मुखप्र)

गांव या खेमे से बाहर हुआ तो उसे नहीं लेकिन कभी जागरूक हो गया तो उसे नहीं लेकिन कभी जागरूक हो गया। (उर्दू मुखप्र)

गांव या खेमे से बाहर हुआ तो उसे नहीं लेकिन कभी जागरूक हो गया तो उसे नहीं लेकिन कभी जागरूक हो गया। (उर्दू मुखप्र)

गांव या खेमे से बाहर हुआ तो उसे नहीं लेकिन कभी जागरूक हो गया तो उसे नहीं लेकिन कभी जागरूक हो गया। (उर्दू मुखप्र)

गांव या खेमे से बाहर हुआ तो उसे नहीं लेकिन कभी जागरूक हो गया तो उसे नहीं लेकिन कभी जागरूक हो गया। (उर्दू मुखप्र)

गांव या खेमे से बाहर हुआ तो उसे नहीं लेकिन कभी जागरूक हो गया तो उसे नहीं लेकिन कभी जागरूक हो गया। (उर्दू मुखप्र)

गांव या खेमे से बाहर हुआ तो उसे नहीं लेकिन कभी जागरूक हो गया तो उसे नहीं लेकिन कभी जागरूक हो गया। (उर्दू मुखप्र)
एक तरफ खुद सवार है दूसरी तरफ उसकी माँ या जोता या और कोई महाराणी में से है जो खुद सवार नहीं हो सकती और यह खुद उतर चढ़ सकता है मगर इसके उतरने में महमिल गिर जाने का अंदेशा है तो इसे भी उसी पर पढ़ने का हुक्म है। (दुर्गापुराण)

मस्जिद: — जानवर और चलती गाड़ी पर और उस गाड़ी पर जिसका ज्वा जानवर पर हो बिला उसे शराब फज्ज व सुनना फज्ज व तमाम वाजिबत जैसे वित्र व नजर और नफुल जिसको तोड़ दिया हो और सजदए तिलावत जबकि आयते सजदा जमीन पर तिलावत की हो अदा नहीं कर सकता और अगर ऊपर की वजह से हो तो इन सब में शर्त यह है कि अगर मुमकिन हो तो किसी की खड़ा करके अदा करे वर्ना जैसे भी मुमकिन हो। (हरि गुरु)

मन्नत मानकर नमाज पढ़ने के मसाइल

मस्जिद: — किसी ने मन्नत मानी कि दो रक्षक्ते बगरी तहारत पढ़ना या उनमें किरात न करेगा या नंगा पढ़ेगा या एक या अभी रक्षक्त की मन्नत मानी तो इन सब सूरतों में उस पर दो रक्षकत तहारत व सत्र व किरात के साथ वाजिब हो गई और तीन की मानी तो चार वाजिब हो गईं। (हरि गुरु.तुल.गुरु)

मस्जिद: — मन्नत मानी कि फलों मकाम पर नमाज पढ़ेगा और उससे कम की जाने के मकाम पर अदा की हो गई मसलन मसिज्दे हरम में पढ़ने की मन्नत मानी और मसिज्दे कुसुम या घर की मसिज्द में अदा की। समारंभ में मन्नत मानी कि कल नमाज पढ़ने या रोजा रखने दूसरे दिन उसे हज़ार आ गया तो कजा करे और अगर यह मन्नत मानी कि हालात है में दो रक्षकत पढ़े गया तो बहुत नहीं। (हरि गुरु)

मस्जिद: — मन्नत मानी कि अज दो रक्षकत पढ़ेगा और आज न पढ़ी तो इसकी कजा नहीं बतिक कफ्फारा देना होगा। (अलमगीरी)

नोट: — इसका कफ्फारा वही है जो कसम तोड़ने का है यानी एक गुलाम आजजाद करना या दस गिस्कियों को दोनों अंत रुपरे भर कर खाना किलाना या कफ्फारा देना या तीन रोजे रखना।

मस्जिद: — मानी कि नमाज की मन्नत मानी तो एक मानी के फज्ज व वित्र व मसिज्द के उस पर अदा है सुनना की मिस्ल नहीं मगर वित्र व मसिज्द की जगह चार रक्षकत पढ़े यानी हर रोज बाईस रक्षकत। (अलमगीरी)

मस्जिद: — अज खड़े होकर पढ़ने की मन्नत मानी तो खड़े होकर पढ़ना वाजिब है और मुतलक नमाज के मन्नत है तो इश्मायाल है। (अलमगीरी. हार्दिक गुरु)

तम्बी: — नवाफिल तो ताकत कसी है। औकात मसनाद (जिन वक्तों में नमाज मना है) के सिवा आदमी जिन्होंने चाहे वे ताकत में से बाज जो हजूर सयदुल्लू मुसलीम सल्लाल्हु ताआला है अल्लाह वस्तलम व अइस्माए दीन रिद्विलाहु ताआला अनुम से मर्दी है व्याख्या करने दें।

तहियतुल मसिज्द: — जो शाफस मसिज्द में आये उसे दो रक्षकत नमाज पढ़ना सुनना है बतिक बेहतर यह है कि चार पढ़े बुख़ारी व मसिज्द, सबवे आलम सल्लाल्हु ताआला है अल्लाह वस्तलम करते हैं जो शाफस मसिज्द में दाखिल हो बैठने से पहले दो रक्षकत पढ़े ले।

मस्जिद: — ऐसे वक्त मसिज्द में आये जिसमें नफल नमाज मक़फ़्फ़ है मसलन बाद तुलूएँ फज्ज या बाद नमाज अब वह तहियतुल मसिज्द न पढ़े बतिक तम्बी व दुरूद शरीफ में मसाइल हो मसिज्द का हक अदा हो जायेगा।

मस्जिद: — फज्ज या सुनना या कोई नमाज मसिज्द में पढ़ ली तहियतुल मसिज्द अदा हो गई
मसाजिद की नियत न की हो। इस नमाज़ का हुक्म उस के लिए है जो नमाज़ की नियत से न गया हो बल्कि दस्त व जिक वैगा के लिए गया हो अगर फर्म या इकःता की नियत से मसाजिद में गया तो यही तहियातुल मसाजिद के कायम मकाम है बसते कि दाख़िल होने के बाद ही पढ़े और अगर अर्ध के बाद पढ़ना तो तहियातुल मसाजिद पढ़े। (ख़ुल मुहान)

मसाजिद: - बेहतर यह है कि बैठने से पहले तहियातुल मसाजिद पढ़े ले और बैगार पढ़े बैठ गया तो साफ कर न हुई अब पढ़े। (शुमौक वैगा)

मसाजिद: - हर रोज़ एक बार तहियातुल मसाजिद काफी है हर बार जुहरत नहीं और अगर कोई शाफ़्स ने-वूजू मसाजिद में गया और कोई बज़ह है कि तहियातुल मसाजिद नहीं पढ़ सकता। तो चाहे बार यह पढ़े।

तहियातुल वूजू: - वूजू के बाद अज़ुआ खुशक होने से पहले दो रक्खत नमाज़ पढ़ना मुश्त़हब है। सही मुर्तिम में है नबी सल्लाल्हु तालाला अलाहि वस्ल़लम ने फरमाया जो शाफ़्स वूजू करे और अज़ुआ वूजू करे और जाहिर व बालिन के साथ मुताबज़ोह होकर दो रक्खत पढ़े उसके लिए जननत वाजिब हो जाती है।

मसाजिद: - गुस्त के बाद भी दो रक्खत नमाज़ मुश्त़हब है वूजू के बाद फर्म वैगा पढ़े तो तहियातुल वूजू की जगह हो जायेगी। (ख़ुल मुहान)

नमाज़ इशार: - तिर्थिजी अनस रज़ियाल़हु. तालाला अन्दु से रावी कि फरमाते है सल्लाल्हु तालाला अल्लाहि वस्ल़लम जो फर्म ने नमाज़ जमात शरीफ़ में पढ़कर जिके खुदा करता रहा यहाँ तक कि अफ़ताब बलदद हो गया फिर दो रक्खत पढ़े तो उसे पूरे हुज्ज़ व उमरा का स्वाभाविक हो।

नमाज़ चार: - नमाज़ चार गुस्त है क्या अज़ुआ कम दो और ज्ञाना से ज्ञाना चार के बारे में रक्खत हैं और अफ़ताब बारत है कि हदीस है जिसने बारा के बारे रक्खते पढ़ी अल्लाह तालाला उसके लिए जननत में सोने का महल बनायेगा। इस हदीस को तिर्थिजी व इब्राहीम माज़ ने अनस रज़ियाल़हु तालाला अन्दु से रिवायत किया सही मुर्तिम शरीफ़ में अबू ज़र रज़ियाल़हु तालाला अन्दु से रही कि फरमाते है सल्लाल्हु तालाला अल्लाहि वस्ल़लम आदमी पर उसके हर जोड़ के बदले भार कहा है (और ख़ुल तीन सूत सात जोड़ है) हर दशक भार कहा है और हर हृद सुधकर है और बाल़लला इल्लालला कहा भार कहा है और ‘अल्लाहु अकबर’ कहा भार कहा है और अच्छी बात का वृक्क करना सुधकर है और बुद्धी बात से मना करना सुधकर है और इतन सब को तरफ से दो रक्खते चार की किफायत करती है।

तिर्थिजी अबू दरदा व अबू ज़र से और अबू दाज़द व इब्राहीम इब्राहीम इब्राहीम माज़ ने हुमार से और अहमद इन सब से रावी रज़ियाल़हु तालाला अन्दु से जिके फरमातें हैं सल्लाल्हु तालाला अल्लाहि वस्ल़लम अल्लाह तालाला फरमाता है इसे आदम शुफु़ क़िद में शेर लिए चार रक्खतें पढ़े ले आच्छाद किया दिन तक में तेरी किफायत फ़रमायेंगा। तबरानी अबू दरदा रज़ियाल़हु तालाला अन्दु से रावी कि फरमाते हैं सल्लाल्हु तालाला अल्लाहि वस्ल़लम जिके दो रक्खतें चार की पढ़ी गाफ़िल़ खानी नेक काम से गाफ़िल़ रहने वालों में नहीं लिखा जायेगा और जो छ पढ़े उस दिन उसकी किफायत की गई और जो आत पढ़े अल्लाह तालाला उसके कानिनी (फरमाबदरार) में लिखेगा और जो बारह पढ़े अल्लाह तालाला उसके लिए जननत में एक महल
बनाना और कोई दिन या रात नहीं जिसमें अल्लाह ताजाला बन्दों पर इहसान व सहना न करे और उस बन्दे से बढ़कर किसी पर इहसान न किया जिसे अपना जिक इत्तम किया। आहमद व तिमरी व इस्ने माजा अबु हुराई रिद्यलाहु ताजाला अबु से रात कि फरमाते हैं सल्लाल्हु ताजाला अल्लाह वसल्लम जो चाहत की दो रक्खुएं पर मुहाफिज़त करे यानी हमेशा पढ़ता रहे तो उसके 
गुलाम बद्ध दिये जायेंगे अंग्रेज समुद्र के खान बरह रहे।

मसचुला :- इसका वक्त आफ़ताब बलन्द होने से ज्वालायाम निस्फुननह्ये शारीर तक है और बेहतर यह है कि चीथाई दिन चढ़े पड़े। (अल्लाहुअल्लाह)

नमज़े सफ़र :- सफ़र में जाते वक्त दो रक्खुएं अपने घर पर पढ़कर जाये। तबरानी की हदीस में है कि किसी ने अपने अहल (पर वालों) के पास उन दो रक्खुएं से बेहतर न छोड़ा जो सफ़र के 
इरादे के वक्त उन के पास पड़ी।

नमज़े वापसीए सफ़र :- सफ़र से वापस आये अरबुद दो रक्खुएँ मसजिद में अदा करे। सही मुस्लिम में 
काबु इने मलिक कन्दियलाहु ताजाला अबु से मराब कि रसुल्लाल्हु सल्लाल्हु महराला अल्लाह 
वसल्लम सफ़र से दिन में चाहत के वक्त तहारीफ़ लाये और पहले मसजिद में जाते और दो रक्खुएं 
उसमें नमज़ लाये फिर हर मसजिद में तहारीफ़ रखने।

मसचुला :- मुहाफिज़ को चाहिए कि हर मसजिद में बैठने से पहले दो रक्खुएँ नफ़ाल पड़े जैसे हुज्जूरे 
अक्दस सल्लाल्हु ताजाला अल्लाह वसल्लम किया करते थे। (हुज्जूर)

सल्लाल्हु तैल :- रात में बाद नमज़े इश्यो जो नवाफिल पड़े जाये उनको सल्लाल्हु तैल कहते हैं 
और रात के नवाफिल दिन के नवाफिल से अफ़ज़ल हैं कि सही मुस्लिम शरीफ़ में हैं फर्ज़ के बाद 
अफ़ज़ल नमज़ रात की नमज़ है और तबरानी ने रिवाज़त की है कि रात में कुछ नमज़ जहारी है 
एरब इत्नी ही देर जितनी देर में बकसी दुहे लेते हैं और इश्यो के फर्ज़ के बाद जो नमज़ पड़ी वह 
सल्लाल्हु तैल है।

मसचुला :- इसी सल्लाल्हु तैल की एक किस्म तहज्जुद है कि इश्यो के बाद रात में सो कर उठें 
और नवाफिल पड़े सोने से पहले जो कुछ पड़ी वह तहज्जुद नहीं। (हुज्जूर)

मसचुला :- कम से कम तहज्जुद की दो रक्खुएं हैं और हुज्जूरे अक्दस सल्लाल्हु ताजाला अल्लाह वसल्लम से आठ तक साबित है। 
नबी सल्लाल्हु ताजाला अल्लाह वसल्लम ने फरमाया जो शक्त 
रात में बेदार हो और अपने अहल को जगाये फिर दोनों दो दो रक्खुएं पड़े तो कसरत से यादे खुदा 
करने वालों में लिखे जायेंगे इस हदीस को नसीह व इसे माजा अपनी सुनन में और इसके हबाब 
अपनी सही में और हाफ़म ने मुस्तदर में रिवाज़त किया है और मुहाफिज़े ने कहा कि यह हदीस 
रैदेन की देवी पर सही है। (हुज्जूर)

मसचुला :- जो शक्त दो तिहाई रात सोना चाहे और एक तिहाई इबादत करना चाहे उसे अफ़ज़ल 
है कि पहली और पिछली तिहाई में सोने और बीच की तिहाई में इबादत करे और अगर निस्फ 
(अधी)शब में सोना चाहता है और निस्फ में जागना तो पिछली निस्फ में इबादत अफ़ज़ल है कि 
सही बुख़ारी व मुस्लिम में अबु हुराई रिदियलाहु ताजाला अबु से मराब हुज्जूरे सल्लाल्हु ताजाला 
अल्लाह वसल्लम ने इरादा फरमाया कि रब ताजाला हर रात में जब पिछली तिहाई बाकी रहती है
आसमाने दुनिया पर तजलीए खास फरमाता है और फरमाता है, है कोई दुरा करने वाला कि उसकी दुआ कबूल करें है कोई मांगने वाला कि उसको दूं है कोई मुगफिरत चाहने वाला कि उसकी बिरखाश करें और सब से बढ़ कर तो यह है कि यह नमाज नमाजें दाख़द है कि बुखारी व मुस्लिम अबुद्ला इन्हें उमर रदियल्लाहु ताबाला अहुआ से रावी कि हुजुर सल्लल्लाहु ताबाला अल्लाहु वस्तलम ने फरमाया सब नमाजों में अल्लाहु ताबाला को ज्यादा महबूब नमाजें दाख़द है कि आधी रात चौटे और तिलाहें रात इबादत करते फिर छठे हिस्से में चौटे।

मसाजिला: - जो शरीफ़ तहज़ुज़ुद का आदी हों बिला उज्र उसे छोड़ना मकरुह है कि सभी बुखारी व मुस्लिम की हदीस में है हुजुर सल्लल्लाहु ताबाला अल्लाहु वस्तलम ने अबुद्ला इने उमर रदियल्लाहु ताबाला अहुआ से इशारद फरमाया ऐ अबुद्ला वू पुली की तरह न होना कि रात में उठा करना था फिर छोड़ दिया। नीज़ बुखारी व मुस्लिम वर्गीय़ुदा में है फरमाया कि अमाल में ज्यादा पसंद अल्लाहु ताबाला को वह हो जो हमेशा हो अगर चोर हो।

मसाजिला: - इदैन और पद्धतिवश शाहाब की रातों और रमजान की आखिरी दस रातों और जिलालह़ज़ा की पहली दस रातों में शब वेदारी पूर्वतह है आकाश हिस्से में जागना भी शब वेदारी है (दूरे मुख्तार) इदैन की रातों में शब वेदारी यह है कि इशा व मुबह दोनों जमातें ऊला से हो कि साही हदीस में फरमाया जिसने इशा की नमाज जमात थे पढ़ी उसने आधी रात इबादत की और जिसने महाजे मजाक थे पढ़ी उसने सारी रात इबादत की और इन रातों में अगर जागेंगा तो महाजे इदैन व कुबानी वैरा में विकल्प होगी। लिहाज़ा इसी पर इक्टुफा करे और अगर इन कामों में फर्क न आये तो जागना बहुत बेहतर हो।

मसाजिला: - इन रातों में तथा नफ़ल नमाज़ पढ़ना और तिलाहें और कुराउन मज़ीद और हदीस पढ़ना और सना और कुरदर शरीफ़ पढ़ना शब वेदारी हैं न कि खाली जागना। (खुल्कुल)

सलातुल तैल के मुतालिफ़ आद हदीसे बीच-बीच में अभी जिक हुई उसके फजाहल की बाज हदीसे और सुने।

हदीस: - तिर्मिज़ी व इब्राइम अबुदल्लाह इन्हें सलाम रदियल्लाहु ताबाला अहुआ से रावी कहते हैं रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु ताबाला अल्लाहु वस्तलम जब मदीने में तशरीफ़ लाये तो कसरत से लोग हाजिरे खिड़कत हुए मैं बहुत हुआ। जब माँ इन हुजुर सल्लल्लाहु ताबाला अल्लाहु वस्तलम के चेहरे को गीर से देखा पहचान दिया कि यह मुह हूटो का गीर नहीं। कहते हैं पहली बात जो माँ हुजुर सल्लल्लाहु ताबाला अल्लाहु वस्तलम से सुनी यह है फरमाया ऐ लोगों। सलाम शायर करे यानी खूब सलाम किया करो, और खाना खिलाओ, और रस्तेदरों से नेक सुलूक करो, और रात में नमाज़ पढ़ो, जब लोग सोते हों, सलामाती के साथ जनता में दाखिल होगे।

हदीस: - हाकिम ने रिवायत की कि अबु हृदेश रदियल्लाहु ताबाला अहुआ से सवाल किया था कि कोई तैयारी हृदेश हो कि उस पर अमल करें तो जनता में दाखिल होऊँ। इस पर उस बची जबाब रहाँगा हुआ।

हदीस: - तबरानी कबीर में और हाकिम अबुदल्लाह इने उमर रदियल्लाहु ताबाला अहुआ से रावी हुजुर सल्लल्लाहु ताबाला अल्लाहु वस्तलम फरमाते हैं जनता में एक बालाखाना है कि बाहर का अन्दर से दिखाई़
देता है और अंदर का बाहर से। अबू मालिक अशारी ने अर्ज की या रसुल्लाह! वह किस के लिए हैं? फरमाया उसकी लिए कि अब्रही बात करे और खाना खिलाये और रात में कियाम करे जब लोग सोते हों और इसी के मिल्ल अबू मालिक अशारी रिद्वियल्लाहु ताजाला अन्धु से वह मरवी है।

हदीस: --बहकी की एक रिवायत असमा बिनो यजीद रिद्वियल्लाहु ताजाला अंधु से है कि फरमाते हैं कियामत के दिन लोग एक मेदान में जमा किए जायेंगे उस वक्त मुदादी पुकारेगा कहाँ है वह जिनकी करवटे खबर गाहों से जुदा होती थी। वह लोग खड़े होंगे और धीरे होने वह जन्तु में बगैर हिसाब दाखिल होंगे फिर और लोगों के लिए हिसाब का हुकम होगा।

हदीस: --सही मुसलम में जाहर रिद्वियल्लाहु ताजाला अन्धु से मरवी कि इब्नू सल्लाहु ताजाला अलैही वसल्लम इरासद फरमाते हैं रात में एक ऐसी साजिस है कि मरह मुसलमन उस साजिस में अल्लाह ताजाला से दुनिया व आकाश की जो भलाई मिहंगेक वह उसे देगा और यह हर रात में है।

हदीस: --तिरमजी अबू उममा बाबली रिद्वियल्लाहु ताजाला अन्धु से रावी कि फरमाते हैं कियामुल टैल को अपने ऊपर लालमक कर लो कि यह अगले नए अलुगों का तरीका है और तुम्हारे सब की तरफ कूट (नजीदी) का जरिया,सय्यददिल (गुनाह) मिराने बाला और गुनाह से रोकने बाला और सल्लाम फासी रिद्वियल्लाहु ताजाला अन्धु की रिवायत में यह भी है कि बदन से बीमारी दफा करने बाला है।

रात में पढ़ने की कुछ दुआएँ

हदीस: --सही बुखारी में उबाद इन सामित रिद्वियल्लाहु ताजाला अन्धु से मरवी फरमाते हैं सल्लाहु ताजाला अलैही वसल्लम जो रात में उठे और यह दुआ पढ़े --


तरजमा: --“अल्लाह के सिवा कोई महूद नहीं, वह तंक है उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए मुल्क है और उसी के लिए हम्द है और वह हर शय पर क्रादिक है और पाक है अल्लाह हर हम्द है अल्लाह के लिए और अल्लाह के सिवा कोई मारूद नहीं और अल्लाह बड़ा है और नहीं है गुनाह से फिरना और न नेवी की ताकत मगर अल्लाह के साथ, ऐ एंजे परवरगार! तू मुडो बखशी दे”।

फिर जो दुआ करे मकबूल होंगी और अंगे पुकारके नमाज पढ़े तो उसकी नमाज मकबूल होगी।

हदीस: --सही बुखारी व मुसलम में अब्दुल्लाह इने अब्बास रिद्वियल्लाहु ताजाला अन्धु से मरवी है कि नबी सल्लाहु ताजाला अलैही वसल्लम रात को तहजुद के लिए उठते तो यह दुआ पढ़े।


तरजमा: --“इलाही तेरे ही लिए हम्द है आसमान व जमीन और जो कुछ इनमें है सबका तू कादम रखने बाला है और तेरे ही,लिए हम्द है। आसमान व जमीन और जो कुछ इनमें है सब का तू नूर है और तेरे ही लिए हम्द है। आसमान व जमीन और जो कुछ इनमें है सब का तू बादशाह है और
तेरे ही लिए हमें हूँ तू हक है और तेरा कबूत्र इलाका है और तेरा कौल हक है और दुःख से मिलना (कियामत में) है और जननत हक है और दोजखा हक है और अभिया हक है और मुस्लिम सल्लाल्हु तालिका अर्थात कस्लम हक है और कियामत हक है रह अल्लाह। तेरे लिए मे मुक्तमद सल्लाल्हु तालिका अर्थात वस्त्र अदालत है और कियामत हक है रह अल्लाह। तेरे लिए मे इसलिए लाया और दुःख पर ईमान लाया और दुःख ही पर तबक्किल किया और तेरी तरफ रूढ़ किया और तेरी ही मदद से खुशाल (झगड़ा) की और तेरी ही तरफ फैसला लाया, पस तू बाह्य दे मे लिए वह गुमान जो मैंने पहले किया और पीछे किया और चिपा कर किया और एलानिया किया और वह गुमान जिसको तू मुख से ज़्यादा जानता हूँ तू ही आगे बढ़ाने वाला है और तू ही पीछे हटाने वाला है तेरे सिया कोई मकबूल नहीं।

यह एक दुआ और चंद हदीसे जिक कर दी गयी और इसके अलावा इसे नमजज के फज़ाइल मे बक्सर महादीव वारद है जिसे अल्लाह तालिका तौर पर अट्ठा फज़ाइल उसके लिए यहीं बस है नमजज़ इस्तिक्याबा: हदीसे सही जिसके दुसरे खुस्तेम के सिया जामाते मुहमद सिद्दीकि ने जारिये इन्हें अबु बुल रद्दीयल्हु तालिका अनुसार से रिवायत किया फरमाते है कि एसूलुल्लाह सल्लाल्हु तालिका अर्थात वस्त्र हाय को तमाम उमूर (कामों) मे इस्तिक्याबा की तालुकीम फरमाते जैसे कुरा दीन की दीन तालुकीम फरमाते थे। फरमाते हैं जब कोई किसी आई (काम) का इशारा करे तो दो रक्खत नए पढ़े।

ताज़ा: - "ऐ अल्लाह! मे दुःख से इस्तिक्याबा करता हूँ तेरे इलम से साथ और तेरे कृपालु दुःख से साथ तबले कृपालु करता हूँ और दुःख से तेरे फैले अजीम का सवाल करता हूँ। इसलिए कि तू कदम तू कदम और मैं कदम नहीं और तू जानता है और मैं नहीं जानता और तू गैरू का जानने वाला है। ऐ अल्लाह! अगर तेरे इलम मे यह है कि यह काम मेरे लिए बेहतर है मेरे दीन व महिला (जिन्दी) और अन्य इलाके मे या फरमाता इस वक्त और इलाके मे तो इसके मे लिए मुकदम बने और अगर तेरे इलम मे यह काम मेरे लिए दीन व महिला और अन्य इलाके मे या फरमाता इस वक्त और इलाके मे तो इसके मुख से फेरे दे और मुख को इससे फेरे और मेरे लिए खुश का मुकदम फरमाता जहाँ भी हो। किर मुख उस से राजी करूँ। और अपनी हातर जिक कर देने के खाते जाए! इसका हाता का नाम ले या उसके बाद (छुल मुल्तान) तो मेरी को शक है कि दुजु हाथ मे दोनों मे से क्या फरमाता। फुकड़ा फरमाते हैं जमा करे यानी दुःख कहे। इस्तिक्याबा नहीं हो सकता है। ताज मुकदम के लिए कर सकते हैं।

मसब्बुलामा: - मुखस्त है कि ऐसे दुआ के अभिया आयर सूरए फातिमा और दुजु दसरे पढ़े।

कादी दाराल इशाबाइ
और पहली रक्षा में "फ़िल बाहार-अंतर" और दूसरी में "फ़िल बाहर-केरून" और "बाज मशाइख" फरमाते हैं कि पहली में "फ़िल बाहर-अंतर" और "बाज मशाइख" फरमाते हैं कि पहली में "फ़िल बाहर-केरून" और "बाज मशाइख" फरमाते हैं कि पहली में "फ़िल बाहर-अंतर" और दूसरी में "फ़िल बाहर-केरून" और दूसरी में "बाज मशाइख" फरमाते हैं कि पहली में "फ़िल बाहर-अंतर" और दूसरी में "फ़िल बाहर-केरून" और दूसरी में "बाज मशाइख" फरमाते हैं कि पहली में "फ़िल बाहर-अंतर" और दूसरी में "फ़िल बाहर-केरून" और दूसरी में "बाज मशाइख"

बहारे शहीदत

चौथा हिस्सा

वह यह है कि सात बार इस्तिक्षार करे कि एक हदीस में है ऐ अनस जब तू किसी काम का कर्म करे तो अपने रब से उसमें सात बार इस्तिक्षार कर फिर नज़र कर कि तेरे दिल में क्या ज़ुल्म कि बेशक इस में खैर है और बाज मशाइख से मनकूल है कि ऊपर वाली दुआ पढ़ कर बार-तहारा किब्रा-रू-यानी पाकी के साथ किसे की तरफ रूख करके सो रहे अगर ख़ुबाव में सफ़रद या हरी चीज़ देखे तो वह काम बेहतर है और काली व लाल चीज़ देखे तो बुद्धि है उस से बचे। (हुलु गुल्लार) इस्तिक्षार का वक्ता हम वक्ता तक है कि एक तरफ रात भूरी न जम चुकी हो।

सलात नस्ताह :— इस नमाज में बेहतरीन सबूत है। बाज मुहरिक्क़ीन(बद्र-बद्र इलमा)फरमाते हैं इस नमाज की बढ़ई सुन कर तरक न करेगा मगर दीन में सृजनी चर्चा करेगा। नबी सल्लल्लाहु ताज़ाला आलाह वस्तुते हैं अब्बास रजियाल्ला ताज़ाला अनुदुहु से फरमाया ऐ चाहै। क्या में लुकको अना न करूँ; क्या में चुप को न दें; क्या तुझारे साथ ऐसा न करूँ; दस खुलते हैं कि जब तुम करे तो अल्लाहु ताज़ाला तुहारा गुणार बाज़ देगा अगला, भिलाला, पुराना, नया, जो मैथ कर किया और जो कहने किया छोटा और बड़ा पोशाक और जाहिर इस के बाद सलात नस्ताह की तकरीब तर्कवाली फरमाई फिर फरमाया अगर दुमसे हो सके कि हर रोज़ एक बार पढ़ो तो करो और अगर रोज़ न करो तो हर जुमे में एक बार और यह भी न करो तो हर महीने में एक बार और यह भी न करो तो उम्र में एक बार और इसकी तरकीब हमारे तौर पर वह है कि जुने तिम्मिज़ी नशीफ़ में अदुल्लाह इने बुराक़ रजियाल्ला ताज़ाला अनुदुहु की रायदा से स्थित किया गया है।

फरमाते हैं कि अल्लाहु अक्षर कह कर :

मबहिन्निनु ल़िहूम व बु़ट्टा व नाबार अस्सक़ व तुलायुल जाल़िल और लिया ल़ोल "ल़िहूम बु़ट्टा आलाहु और ल़ोल"

पढ़े फिर यह यह पढ़े —

मबहिन्निनु ल़िहूम विल्हूदु व नाबार अस्सक़ व तुलायुल "ल़िहूम बु़ट्टा आलाहु और ल़ोल"

पढ़ वाला फिर अल्लाहु और बिस्मिल्लाह और सूय़ेफ़ फातिहा और सूय़त पढ़कर दस बार यही तस्वीर करे एक वाला फिर रखूँ करे और रखूँ में दस बार यही तस्वीर पढ़े फिर रखूँ से सर उठाये और "समिअल्लाहु लिनन हमिद" और "अल्लाहु म-म रव्या व-लक्ल हमस" के बाद दस बार कहे फिर सजदे को याद और उसमें रखे वाले कहे फिर सजदे से सर उठाये बार कहे फिर सजदे को याद और उसमें रखें। कुँदी का रक्षा में पढ़े हर रक्षा में 75 बार तस्वीर और एडी में तीन सुई और रखूँ और सुझातू में "ल़िहूम राइलुण्णु" कह के बाद तस्वीर करे। (हुलु गुल्लार)

मसबिला :— इने अब्बास रजियाल्ला ताज़ाला अनुदुहु से पूछा यहाँ कि आग न मलतम हैं इस नमाज में कौन सूय़त पढ़ी जाये। फरमाया सूय़त तकासुर और सूय़त अस्सक़ और नववुलुहुल्ला और बाज़ ने कहा सूय़त हदीद और हस्स और सूफ और तगभून। (हुलु गुल्लार)

मसबिला :— अगर सजदाद सहव वाजिब हो और सजदा करे तो हर दोनों में तस्वीर न पढ़ी जायें और अगर किसी जगह भूल कर दस बार से कम पढ़ी है तो दूसरी जगह पढ़ से कि वह मिकादर
पूरी हो जाये और बेहतर यह है कि उसके बाद जो दूसरा मौका तरसीह का आवे वही पढ़ ले मसलन कौन की सजदें में कहे और कुछ में भूला तो उसे भी सजदा ही में कहे न कौन में कि कोई की मिकदार शोधी होती है और पहले सजदे में भूला तो दूसरी में कहे जलसे में नहीं। (सुल्तन मुहम्मद)

ग़ामज़ा और बवाबु रिज़ाल्लाहु तवाला अनुमा से मरबी कि इस नमाज में सलाम से पहले यह दुआ पढ़े:

"कल्लहं तो अस्त्युः तोहफ़े अफ़ल लहदः औ अहमाल अहल लहदः औ अनुबोध अहल लहदः औ अनुबोध अहल लहदः औ अनुबोध अहल लहदः औ अनुबोध अहल लहदः औ अनुबोध अहल लहदः औ अनुबोध अहल लहदः औ अनुबोध अहल लहदः औ अनुबोध अहल लहदः औ अनुबोध अहल लहदः औ अनुबोध अहल लहदः औ अनुबोध अहल लहदः औ अनुबोध अहल लहदः

ये अनुति में तुहार जमा करता हूँ हिदायत वालों की तीरीक और यकौन वालों

के अलावा और अहले तीव्र की खेमवाही और अहले सब का अमल और ख़ूफ़ वालों की कौशिक

और सच्चा वालों का संघ की बादाश्त और अहले इमन की अनुक्रिकतान का रूप में दर्ज़े। ऐ अल्लाह।

मै तेरी इतावत के साथ ऐसा अमल कर्ने जिसकी वजह से तेरी रजा का

मुश्ताह़क हो जाओं और तकि तेरे ख़ूफ़ से ख़लिस तीव्र कर्ने और तकि तेरी महबुब की वजह से

खेमवाही को तेरे लिए कर्ने और तकि तनाम कामों में तुरू पर तबकुल कर्ने तुरू पर नेक गुमान

करते हुए, पाक है नूर का पीज़ करने वाला।

नमज़ी हाफ़ज़िः -- अबु दाउद हुज़ाफ़ा रजिय़िल्लाहु तवाला अन्दुः से रावी कहते हैं जब हुज़ूर अकबर

सल्लाल्लाहु तवाला अल्लाह को कोई अहम काम पेश आता तो नमज़ पढ़ते। इसके लिए दो

रक्तशु कार चार रक्तशु पढ़े। हद़ीसः मै है पहली रक्तशु में सूरुए फातिहा और तीन बार आयताल,

कुस़ गई बाकी तीन रक्तशु में सूरुए फातिहा और 0 और 0

फ़ि ग़ुज़्र ज़िः हिज़्ज़ 0 0

एक एक बार पढ़े तो यह ऐसी हैं जैसे शब्द क्रम में चार रक्तशु पढ़ी।

मसाह़िख़ा फर्माते हैं कि हमने यह नमज़ पढ़ी और हमारी हाज़रत पूरी हुई। एक हद़ीसः मै है जिसको

तिर्मज़ी व इल्ले माज़ा ने अबुल्लाह इब्ने अशी ख़ूफ़ रजिय़िल्लाहु तवाला अन्दुः से रिवायत किया कि

हुज़ूर अकबर सल्लाल्लाहु तवाला अल्लाह को वसलम फर्माते हैं जिसकी कोई हाफ़ज़िः अल्लाह की

तरफ हो या किसी बनी आदम की तरफ़ तो अच्छी तरह बुझू करें फिर दो रक्तशु नमज़ पढ़कर

अल्लाह तवाला की सना करे नबी सल्लाल्लाहु तवाला अल्लाह को वसलम पर दुरूद भेजे

फिर यह पढ़े:

लालीः इलाल्लाह इलाल्लाह करिमः सब्बैहुः रबः इलाल्लाहः हक़ः इलाल्लाहः। अस्त्युः मोज़बः
तर्जमा: "अल्लाह के सिवा कोई मातृदुर्गा नहीं जो हलीम व करीम है पाक है अल्लाह मालिक है अर्थात् अजीम का। हम्द है अल्लाह के लिए जो रब है तमाम जहान का में दुःख से तेहर रहस्य के असबब मार्गता हूं और तबल करता हूं तेसी बैसीक्षा के जरिए और हर तेकी से गतिमान और हर गुनाह से सलामती को मेरे लिए कोई गुनाह बंगर मगफिरत न छोड़ और हर गम को दूर कर दे और जो हाजात तेसी रचा के मुवाफिक है उसे पूरा कर दे ऐ सब महरवानों से ज्यादा मेरहबान।"

तिमिज पर इसका माया व तबरानी महरुहम उस्मान इसे हजार रहियल्लाहु तालाला अन्धु से रखी कि एक साहब नाखा फर बिठटे अक्सर उन्हें और अंजन की अल्लाह से दुआ कीजिए कि मुझे आफिरत दे। इसराश फ़रमाया आप तू चाहें तो दुआ करें और चाहें सब कर यह तरह लिए बेहतर है। उन्होंने अंजन की दुआ (सल्लाल्लाहु ताज़ाला अल्लाहु) दुआ करें। उन्हें हक़ फ़रमाया कि दुआ करो और अंजन दुआ करो और दो रक्षात नमज़ पढ़ कर यह दुआ पढ़े।

अल्ल्हु अल्ल्हु अज्जादी व अज्ज़ि सलातु व आज्ज़ि ईल्लाहु बियक्क़ महमदी बुकर्मा न परोलु ईसा ईलिस्महीत बदू ईलिहुमु फ़ि है।

उस्मान इसे हजार रहियल्लाहु तालाला अन्धु फ़रमाते है खुदा की कसम हम उठने भी न पाये थे, बात ही कर रहे थे कि वह हमारे पास आये गोया कभी अंदे ही नहीं। नीज़ कहाते हाजात के लिए एक मुजर्रब नमज़ जो उस्मा हमेशा पढ़ते आये यह है कि इमाम आज्ज़ रहियल्लाहु तालाला अन्धु के मज़ेर मुबारक पर जाकर दो रक्षात नमज़ पढ़ और इमाम के वसीले से अल्लाह तालाला से सबकर इमाम शाफ़ी मुसल्लाहु रहियल्लाहु तालाला अल्लाहु फ़रमाते है कि मैं ऐसा करता हूं तो बहुत ज़द मेरी हाजात पूरी हो जाती है। (शेखुल्लाहु हिसान) नीज़ इसके लिए एक मुजर्रब (तज़रबा की हुई) और नमज़ सलातुल असरार (यानी नमज़ मौसिमा) द्वारा इमाम अबुबकर नूरुद्दीन अली इसे तबरानी लखी शाफ़ी मुबारक बहज़ुल असरार (कितब का नाम) में और मुल्ला अली कारी व शैख अबुबकर हक़ रहियल्लाहु तालाला अन्धु दुज़ुर सहित दो आज्ज़ रहियल्लाहु तालाला अन्धु से रिवाज़ करते है।

इसकी तरफ़ी यह है कि बादे नमज़ मुजर्रब सुनाने पद कर दो रक्षात नमज़ नपल पढ़े और बेहतर यह है कि सूरें फ़ातिहा के बाद हर रक्षात में ग्यारह-ग्यारह बार 'नल्लुल्लाहु अक्सर दुसरे सलाम के बाद अल्लाह तालाला की हम्द व सना करे फिर नबी सल्लाल्लाहु तालाला अल्लाहु वसल्लाम पर ग्यारह-ग्यारह बार दुसरे व सलाम अंजन करे और ग्यारह-ग्यारह बार यह कहे।

तर्जमा: ऐ अल्लाह के रसूल ऐ अल्लाह के नबी मेरी फ़रियाद को पहुँचिए और मेरी मदद कहिए और मेरी हाजात पूरी होने में ऐ तमाम हाजातों के पूरा करने वाले।
तरावीह का बयान

सामन्दिकः-- तरावीह गद्दी व औरत सब के लिए बिल इजमा यानी सब के नज़दीक सुनने युक्तकरण है इसका तरह जाने नहीं (दुरुष मुखार कोरेआ) इस पर खुलाफ़े राष्ट्रीय रदियिल्लहु तथाकां आचार ने मुदावमत फरमाइ यानी हमेशा पद्ध और नबी सल्लल्लाहु ताबाहु आलाहिए वस्तस्लम का इरादाद है कि मेरी सुनना और सुनने खुलाफ़े राष्ट्रीय को अपने उपर लाजिम समझी और खुद हज़ूर सल्लल्लाहु ताबाहु आलेहिए वस्तस्लम ने भी तरावीह पढ़ी और उसे बहुत पसंद फरमाया। सही मुस्लिम्म में अबु हुसैन रदियिल्लहु ताबाहु आचार ने चर्ची इरादाद करते हैं जो रज़माज़ा में कियाम करे ईमान की वजह से और साबू तलब करने के लिए उसके अगले सब गुनाह बर्खाश दिये जायेंगे यानी संगाइर (छोटे-छोटे गुनाह) फिर हज़ूर सल्लल्लाहु ताबाहु आलेहिए वस्तस्लम ने इस अन्देशे से कि उमात पर फर्ज़ न हो जाये तरफ फरमाई फिर फास्कों आचार मेरी रदियिल्लहु ताबाहु आचार ने एक रात मस्ज़िद में तरारीफ़ ले जाये और लोगों को भौतिक तौर पर नमाज़ पढ़ते पाया, कोई तना पढ़ रहा है किसी के साथ कुछ लोग पढ़ रहे हैं। फरमाया में गुनाहपत्र जानता हूँ कि इस सब को एक इमाम के साथ जमा कर दूँ तो बेहतर हो। सब को एक इमाम उबई इने क़बूब रदियिल्लहु ताबाहु आचार ने साथ इकट्ठा कर दिया फिर दूसरे दिन तरारीफ़ ले जाये तो मुलाहिज़ा फरमाया कि लोग अपने इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं फर्माया की उस्का नबुदा है -- यह अच्छी विदाह है। (सयाद अस्सुद्दुस सुन)
भारे शरीरत

मसूला: जमलुर यानी अकसर उल्लमा किराम का मजहब यह है कि तरवारी की बीस रक्षुत हैं और यही अहादीत से साबित है। बैढ़की ने साईब इने यजीद रदियल्लाहु ताभाला अन्दु से शही सन्द के साथ रियावत की कि लोग फारुक अज्जेंब रदियल्लाहु ताभाला अन्दु के जमाने में बीस रक्षुत पढ़ करते थे। और हजरत उस्मान व अली रदियल्लाहु ताभाला अन्दु के अहेन में भी तू है और मुअब्बता में यजीद इने रमान से रियावत है कि उमर रदियल्लाहु ताभाला अन्दु के जमाने में लोग मजहब में तेंदुस (23) रक्षुत पढ़े। बैढ़की ने कहा इसके तीन रक्षुत वित्र की है और मौला अली रदियल्लाहु ताभाला अन्दु ने एक शाखा की हुमा फरामाया कि रमान में लोगों को बीस रक्षुत पढ़ गया। इसके बीस रक्षुत होने में यह हििक्षत है कि फाराज व वाजिबत की इससे तकसील होती है और कुल फाराज व वाजिब की हर रोज़ बीस रक्षुत है। तिहाजा मुजाहिद है कि यह भी बीस हों कि मकमल (पूरा किया हुआ) व मुकमबल (पूरा करने वाला) बराबर हों।

मसूला: इसका बहत इश्क के फूजों के बाद से तूलुए पँछि तक है व वित्र से पहले भी हो सकती है और बाद में भी तो अगर कुछ रक्षुत हैं इसकी बाकी रह गई कि इमाम वित्र को खड़ा हो गया तो इमाम के साथ वित्र नाम फ़िर भी आदा करें जबकि फ़िर जमात से पढ़े हों और यह अफ़जल है, और अगर तरवारी पूरी करने के वित्र तहत पढ़े तो भी जावज और अगर बाद में मख्बूम हुआ कि नमाज इश्क बिनाग़ तहत हो भी और तरवारी वित्र तहत के साथ तो इश्क व तरवारी फ़िर पढ़े वित्र हो गया। (इउ मुक़ाबरा, सुल्तन मुहाराब)

मसूला: मुस्तफ़ा यह है कि तिहाई रात तक तालीकर करे और आधी रात के बाद पढ़े तो मी कराहत नहीं। (इउ मुक़ाबरा)

मसूला: अगर तरवारी पूरी हो जाये तो इनकी क़ज़ा नहीं यानी छोटे गई कि बहत जाला रहा और अगर क़ज़ा तहत पढ़े तो तरवारी नहीं बल्कि नपले मुस्तफ़ा है जैसे मगरिब व इश्क की सुनने। (इउ मुक़ाबरा, सुल्तन मुहाराब)

मसूला: तरवारी की बीस रक्षुत्हें दस सलाम से पढ़े यज़ीदी हर दो रक्षुत पर सलाम फेरे और अगर किसी ने बीसों रक्षुत्हें पढ़ कर आकिर में सलाम फेरा तो अगर हर दो रक्षुत पर क़बुदा करता रहा तो हो जायेगी मगर कराहत के साथ और अगर क़बुदा न किया था तो दो रक्षुत के काइम मकाम हुई यज़ीदी सिरफ़ दो रक्षुत तरवारी हुई। (इउ मुक़ाबरा)

मसूला: उत्तियात है कि जब दो रक्षुत पर सलाम फेरे तो हर दो रक्षुत पर अलम-अलग पर नियत करे और अगर एक साथ बीसों रक्षुत की नियत कर तो भी जाज़ है (क़ज़ मुहाराब)

मसूला: तरवारी में एक बार क़ुरान मजहब ख़त्म करना चुनने मुआक्कदा है और दो मतभ़ा क्सीलत और तीन मतभ़ा अफ़ज़ल लोगों की सुस्ती की वजह से क़ुरान शरीफ़ के ख़त्म करने को तकर न करे। (इउ मुक़ाबरा)

मसूला: इमाम व मुक़तब्दी हर दो रक्षुत पर सना पढ़े और तशहहद के बाद दुआ भी हैं अगर मुक़तदियों पर गिरानी हो तो तशहहद के बाद सिरफ़ पलक कर सलाम फेरे। (इउ मुक़ाबरा)

मसूला: अगर एक क़ुरान पाक ख़त्म करना हो तो बेहतर यह है कि सलाईसवी शाम में ख़त्म करना।
हो फिर अगर इस रात में या इसके पहले ख़त्म हो तो तरवीह आशिर्वाद रमज़ान तक बराबर पढ़ते रहें कि सुननें मुअक़िमः है। (अल्लामीजी)

मसजिदा — अफज़ल यह है कि तमाम शुक्ल में किरात बराबर हो और अगर ऐसा न किया जब भी हरज़ नहीं। यूं ही हर शुक्ला यानी दोनों रक्षातों की पहली रक्षात और दूसरी रक्षात को किरात मसाई (बराबर) हो दूसरी की किरात पहली से ज्यादा न होना चाहिए। (अल्लामीजी)

मसजिदा — किरात और अर्कान की न्याय में ज़रूरी करना मकरक्ष है और जितनी तरलत ज्यादा हो बेहतर है। यूंकी अफ़ज़ल व बिरसिल्लाह व तमामनयत (इल्लीनाव) तस्वीर का छोड़ देना भी मकरक्ष है। (अल्लामीजी, दी मुक़ाद)

मसजिदा — हर चार रक्षात एक तरवीह है। इस तरह बीस रक्षात में पॉँच तरवीह है।

मसजिदा — हर चार रक्षात पर इतनी देर तक बैठना मुश्तहव है जितनी देर में चार रक्षाते पढ़े पॉँची तरवीहों और बित्र के वर्षमियान अगर बैठना लोगों पर गिरों हो तो न बैठें (अल्लामीजी, बागर)

मसजिदा — इस बैठने में उसे इज्ज़तियार है कि चुपके बैठा रहे या कलिमा पढ़े या तिलावत करे या दुरुद शरीफ़ पढ़े या चार रक्षातों तनह नापल पढ़े जमायत से मकरक्ष है या यह तस्वीर पढ़े :-

— बिरसिल्लाह इल्लीनाव तस्वीर उत्तम ज्यादा सही है।

तर्ज़मा — पाक है मुलक व मललूत वाला पाक है इज़ज़त व बुज़ुर्गी और हैवत व कुरान वाला बड़ई और जबरुद (ताक़त) वाला पाक है बदशाह जो ज़िम्मा है जो न सोता है न मरता है। पाक मुक़ाद है फरसितों और रूह का मालिक। अल्लाह के सिवा कोई मशूबूद नहीं। अल्लाह से हम मगफिन चाहते हैं, तुझ से ज़रूर का सावल करते हैं और जहन्नम से तेशी पनाह मांगते हैं।

मसजिदा — हर दो रक्षात के बाद दो रक्षात पढ़ना मकरक्ष है यूं ही दस रक्षात के बाद बैठना हर्ने है। (है मुक़ाद, अल्लामीजी)

मसजिदा — तरवीह में जमायत चुननें किफ़ाया है कि अगर मसिज़द के सब लोग छोड़ देंगे तो सब गुनाहगार होंगे और अगर किसी एक ने घर में तनहा पढ़ी तो गुनाहगार नहीं मान जो शाफ़्त मुक़तदा(जिसकी पैरबी की जाने जैसे मज़हबी पेशवा) हो कि उससे होने से जमायत बदही होती है और छोड़ देगा तो लोग कम हो जायेंगे उसे बिला उज्ज जमायत छोड़ने की इज़ज़त नहीं। (अल्लामीजी)

मसजिदा — तरवीह मसिज़द में बा-जमायत पढ़ना अफ़ज़ल है अगर घर में जमायत से पढ़ी तो जमायत के तरक का गुनाह न हुआ मार वह सवाल न मिलेगा जो मसिज़द में पढ़ने का था। (अल्लामीजी)

मसजिदा — अगर आलिम हाफ़िज़ भी हो तो अफ़ज़ल यह है कि छूट पढ़े दूसरे की इज़ज़त न करे और अगर इमाम गुलत पढ़ता हॉ तो मसिज़द में मुहल्ला छोड़ कर दूसरी मसिज़द में जाने में हरज नहीं यूं ही अगर दूसरी ज़माह का इमाम ख़ूश आवाज़ हो या हक़ की किरात पढ़ता हो या मसिज़द मुहल्ला में ख़ुश न होगा तो दूसरी मसिज़द में जाना जाइए। (अल्लामीजी)

मसजिदा — ख़ुशालः यानी अच्छी आवाज़ से पढ़ने वाले को इमाम बनाना न चाहिये बल्कि दुरुस्तः यानी सही कुँआन पढ़ने वाले को इमाम बनाये। (अल्लामीजी)

अक्सर सदा अक्सर कि इस जमात में हाफ़िज़ों की हालत निहयातः ख़राब है अक्सर लोग तो ऐसा पढ़ते हैं कि इमाम बनने
जो अच्छा पढ़ने वाले कहे जाते हैं उन्हें देखिये तो हुफफ़ सही आदा नहीं करते।(अलमगीरी)

मसूदा : एक महमदवी दो मस्जिदों में तराबीह पढ़ता है अगर दोनों में पूरी पूरी गायब नहीं हो जाता और मुकताब ने दो मस्जिदों में पूरी पूरी गायब नहीं हो जाता तो तराबीह बढ़ता है।(अलमगीरी)

मसूदा : यह जाप्त है कि एक महमदवी दो मस्जिदों में तराबीह पढ़ता है अगर दोनों में पूरी पूरी गायब नहीं हो जाता और मुकताब ने दो मस्जिदों में पूरी पूरी गायब नहीं हो जाता तो तराबीह बढ़ता है।(अलमगीरी)

मसूदा : यह जाप्त है कि एक महमदवी दो मस्जिदों में तराबीह पढ़ता है अगर दोनों में पूरी पूरी गायब नहीं हो जाता और मुकताब ने दो मस्जिदों में पूरी पूरी गायब नहीं हो जाता तो तराबीह बढ़ता है।(अलमगीरी)

मसूदा : यह जाप्त है कि एक महमदवी दो मस्जिदों में तराबीह पढ़ता है अगर दोनों में पूरी पूरी गायब नहीं हो जाता और मुकताब ने दो मस्जिदों में पूरी पूरी गायब नहीं हो जाता तो तराबीह बढ़ता है।(अलमगीरी)

मसूदा : यह जाप्त है कि एक महमदवी दो मस्जिदों में तराबीह पढ़ता है अगर दोनों में पूरी पूरी गायब नहीं हो जाता और मुकताब ने दो मस्जिदों में पूरी पूरी गायब नहीं हो जाता तो तराबीह बढ़ता है।(अलमगीरी)

मसूदा : यह जाप्त है कि एक महमदवी दो मस्जिदों में तराबीह पढ़ता है अगर दोनों में पूरी पूरी गायब नहीं हो जाता और मुकताब ने दो मस्जिदों में पूरी पूरी गायब नहीं हो जाता तो तराबीह बढ़ता है।(अलमगीरी)

मसूदा : यह जाप्त है कि एक महमदवी दो मस्जिदों में तराबीह पढ़ता है अगर दोनों में पूरी पूरी गायब नहीं हो जाता और मुकताब ने दो मस्जिदों में पूरी पूरी गायब नहीं हो जाता तो तराबीह बढ़ता है।(अलमगीरी)

मसूदा : यह जाप्त है कि एक महमदवी दो मस्जिदों में तराबीह पढ़ता है अगर दोनों में पूरी पूरी गायब नहीं हो जाता और मुकताब ने दो मस्जिदों में पूरी पूरी गायब नहीं हो जाता तो तराबीह बढ़ता है।(अलमगीरी)

मसूदा : यह जाप्त है कि एक महमदवी दो मस्जिदों में तराबीह पढ़ता है अगर दोनों में पूरी पूरी गायब नहीं हो जाता और मुकताब ने दो मस्जिदों में पूरी पूरी गायब नहीं हो जाता तो तराबीह बढ़ता है।(अलमगीरी)

मसूदा : यह जाप्त है कि एक महमदवी दो मस्जिदों में तराबीह पढ़ता है अगर दोनों में पूरी पूरी गायब नहीं हो जाता और मुकताब ने दो मस्जिदों में पूरी पूरी गायब नहीं हो जाता तो तराबीह बढ़ता है।(अलमगीरी)
हमे बड़ी मुसरत हो रही है कि अल्लाह तः'आला और उसके हबीब सल्ल्लाल्लाहु तः'आला अलैहि वसल्लम के हकम फ़ज़ल-ओ-करम से और बुजुर्गी दीन सिल्सिला-ए-क़ादिरिया बिलख़्सूस पिराने पीर दसगीर हुजुर गौस-ए-आज़म शहीद अब्दुल क़ादिर जीलानी रादिअल्लाहु तः'आला अन्नू के फ़ैज़ से किताब बहार-ए-शरीयत (हिस्सा 01 से 10) हिंदी में पीडीएफ [PDF] में आप की ख़िदमत में पेश की जा रही है।

ज़माना-ए- क़दीम से अवमुक्तास की इस्लाम हाल और हिदायते उखरवी व दुनयवी के लिए हक़ सदाक़त के जाम की फ़रामही की जाती रही है और ये इलैटज़ाम ख़लिक़-ए-क़ायमत ज़ल्ला ज़लालहु ने ब अहसान अपनी मख़्लुक़ के लिए फ़रमाया है। अम्बिया व मूर्सलीन के बेहतरीन दौर के बाद उसने यह ख़िदमत अपने मुक़र्रब़ौन रिज़वानुल्लाह तः'आला अलैहिम अज़मईन के सुपुर्द की और यह सिल्सिला अला हालही जारी व सारी है।

मज़हब-ए-इस्लाम अल्लाह तः'आला का पसंदीदा दीन है।
ज़िदगी का कोई ऐसा शोबा नहीं जिसके लिए इस्लाम ने हमे क़ानून न दिया हो।

आज जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं हमारा मुस्लिम तबका उर्दू की तरफ़ ध्यान नहीं दे रहा है और नई नई ती सबकुल ही उर्दू से नावाक़ीफ़ होती जा रही है। नतीजे के तौर पर दौनी और मज़हबी दिलचस्पियों कम हो रही है और हम अपने हाल को गौर मुज़बिद़ तरीके पे छोड़े रहते हैं।

लिहाज़ा ये किताब हिंदी में लिखी गई है और आप सब की आसानी के लिए हम ने इस किताब को पीडीएफ फ़ाइल में आप की ख़िदमत में पेश किया है।
आप सब से हमारी गुज़ारिश है कि अपनी मसूरफ़ ज़िदगी में से रोज़ाना वक़त निकाल कर बुजुर्गों की तस्लीफ़ करना किताबी को मुताला में रखें, इंशा अल्लाह तः'आला दीन और दुनिया दोनों में मंक़बूल होंगे।

दुआओं के तलवागार
वसीम अहमद रज़ा खान और साथी
+91-8109613336
मसाला :- मुकतादी को यह जान्य नहीं कि बेटा रहे जब इमाम रक्ख रहे करने को हो तो खड़ा हो जाये कि यह मुनाफिकों से मुशामहत है यानी मुनाफिकों का तरीका है। अल्लाह तख़ाल इस्लाम फरमान हैः

إِذَا قَامَواَلَى الصُّلَاةِ قَامَوْاْ كَسَّنُنَ ۚ

तर्कमा :- "मुनाफिक जब नमाज़ को खड़े होते हैं तो ठहरे जो जी से।" (युनिया पवें)

मसाला :- इमाम से गुलती हुई कोई सूत्र या आयत छूट गई तो मुस्तक़बद यह है कि उसे पहले पढ़कर फिर आगे पढ़े। (अल्लामी)।

मसाला :- दो रक्ख तर बेटा भूल गया और खड़ा हो गया तो जब तक तीसरी का सज्दा न किया हो बेटा जाये और सज्दा कर लिया हो तो चार पूरी करे मगर यह दो शुमार की जायेगी और जो दो पर बेटा चुका है तो चार हुई। (अल्लामी)

मसाला :- तीन रक्ख तर सलाम फेरा अगर दूसरी पर बेटा न था तो न हुई इनके बदले की दो रक्ख फिर पढ़े।

मसाला :- काफ़े में मुकतादी सो गया इमाम सलाम फेरकर और दो रक्ख तर पढ़कर काफ़े में आया अब यह बेदार हुआ तो अगर मालूम हो गया तो सलाम फेर कर शाहिम हो जाये और इमाम के सलाम फेरने के बाद जल्द पूरी कर के इमाम के साथ हो जाये। (अल्लामी)

मसाला :- वितर पढ़ने के बाद लोगों को याद आया कि दो रक्ख तर रह गयीं तो जमाखूँ से पढ़े और अज याद आया कि कल दो रक्ख तर रह गई थीं तो जमाखूँ से पढ़ना मकरूह है। (अल्लामी)

मसाला :- सलाम फेरने के बाद कोई कहता है दो हुई कोई कहता है तीन तो इमाम के इल्म में जो हो उसका एहसास है और इमाम को किसी बात का यकीन न हो तो जिस को सच्चा जानता हो कि उसके कोई का एहसास नहीं और अगर इसमें लोगों का शक हो कि बीस हुई या अद्वारस्त तो दो रक्ख तर तंत्र-तंत्र पढ़े। (अल्लामी)

मसाला :- अगर किसी वजह से नमाज़े तराबी फसिद हो जाये तो जितना कुआौं मजीद इन रक्खों में पढ़ा है उसे दोबारा पढ़े ताकि खत्म में नुक्सान न रहे। (अल्लामी)

मसाला :- अगर किसी वजह से खत्म न हो तो सूरतों की तराबी पढ़े और इसके लिए बाज़ों ने यह तरीका रखा है कि प्रेम तेरे आखर तक दो बार पढ़ने में बीस रक्ख तर हो जायेगी। (अल्लामी)

मसाला :- एक बार शरीफ जहां यानी आवज़से पढ़ना सुनना आवश्यक और हर सूरत की इकितिया में आहिस्ता पढ़ना मुस्तक़बद और यह जो आज़कल बब्बु मजहिलों ने निकाला है कि एक सी चौदह बार हिजहर से पढ़ी जाये वन्ना खत्म न होगा मुखबर हिजहर में बेगास्ता है।

मसाला :- मुताबिंठियाईः(बाद बाद बाद) पढ़ने खत्म तराबी यहूदी में तीन बार उल्लामा उल्लामा चुनत में पढ़ा।

मसाला :- शब्दना कि एक बात की तराबी में पूरा कुआौं पढ़ा जाता है यह तरह आज़कल रियाज है कि कोई बेटा बातें कर रहा है, कुछ लोग चाकुर पीने में मसाला है, कुछ लोग मस्नज़द से बाहर हुकुमानी कर रहे हैं और जब जी में आया एक आद रक्ख तर में शामिल बी हुए यह नाज़ाज़ है।

फायदा :- हमारे इमामे आज़म रिद्यालहु तख़ाल अन्दर समाज शरीफ में इकस्त खत्म किया करते थे तीस दिन में और तीस रात में और एक तराबी में और पैक्यूलिस बरस इश्क के वुजू से नमाज़े फज़ पढ़ी है।
मुनफ़रिद का फर्ज़ों की जमात पाना

इसामे मालिक व नस्रई रिवायत करते हैं कि एक सहाइ गहन नामी रद्दियल्लाहु तालिला अन्हुँ हुजुरै अकबर सल्लाल्लाहु तालिला अल्लाहु वससल्लम के साथ एक मजिस्त्र में हाफिज़ थे अजान हुई हुजुरै खड़े हुए और नमाज़ खड़ी वह बैठे रह गये। इर्साद फरायाया जमात के साथ नमाज़ पढ़ने से किस दीवार ने रोका, क्या तुम्हारे मुसलमान नहीं हो? अर्ज़ की या रसूलल्लाह, हूँ तो मगर मैं घर पर पढ़ ली थी। इर्साद फरायाया जब नमाज़ पढ़कर मजिस्त्र में आए और नमाज़ काम की जाये तो लोगों के साथ पढ़ लो अगर ये पढ़ चुके हो। इसी के पश्चात् मजीद इने आवेदन रद्दियल्लाहु तालिला अन्हुँ का बाकी है जो अबू दाबोद में मर्वी है। इसामे मालिक ने रिवायत की अबूदुल्लाह इने उमर रद्दियल्लाहु तालिला अन्हुँ मुलाम़ते है जो मजारिब या सुबह ने नमाज़ पढ़ चुका है फिर जब इहाम के साथ पारे हो आदा न करे।

मसाूला :- तन्हा फरूज़ नमाज़ शुरू ही की थी यहूदी अभी पहली रक्खुत का सजादा न किया था कि जमात काइम हुई तो तोड़ कर जमात में शामिल हो जाये। (इदु मुख़ात)

मसाूला :- फरूज़ या मजरिब की नमाज़ एक रक्खुत पढ़ चुका था कि जमात काइम हुई फौरन नमाज तोड़ कर जमात में शामिल हो जाये। आगे दूसरी रक्खुत पढ़ रहा हो अलबतात दूसरी रक्खुत का सजादा कर लेता तो अब इस दो नमाज़ों में तोड़ने की इजाज़त नहीं और नमाज़ पूरी करने के बाद नफ़ल की नियत से भी इनमे शारीरिक नहीं हो सकता कि तीन रक्खुतें नफ़ल की नहीं और मजरिब में अगर शामिल हो गया तो बुरा किया। इहाम फर्सँे के बाद एक रक्खुत और मिलाकर चार करे और अगर इहाम के साथ सलाम फर दिया तो नमाज़ फासिद हो गई चार रक्खुत करा करे। (अल्लम्ह़ी मैच)

मसाूला :- मजरिब पढ़ने वाले के पीछे नफ़ल की नियत से शामिल हो गया। इहाम ने चौली रक्खुत को तीसरी गुमान किया और खड़ा हो गया। इस मुकाबले ने उसका इतिहास किया। इसकी नमाज़ फासिद हो गई तीसरी पर इहाम ने कहा किया हो या नहीं। (अल्लम्ह़ी)

मसाूला :- चार रक्खुत चौली नमाज़ शुरू करे के एक रक्खुत पढ़ ली यहूदी पहली रक्खुत का सजादा कर लिया तो वाजिख है कि एक रक्खुत और पढ़कर तोड़ दे कि यह दो रक्खुतें नफ़ल हो जाये और दो पढ़ ली है तो अभी तोड़ दे यानी तशहुद पढ़ कर सलाम फर दे और तीन पढ़ ली हैं तो वाजिख है कि न तोड़ें। तोड़ने के गुमाहगार होगा बलि हुआ है कि पूरी करे के नफ़ल की नियत से जमात में शामिल हो जमात का सवाब पा लेगा। मगर अबू इनमें शामिल नहीं हो सकता कि अबू के बाद नफ़ल जाइज़ नहीं। (इदु मुखारखुल मुखार)

मसाूला :- जमात काइम होने से मुआजिज़ का तकबीर कहना मुराद नहीं बलि जमात शुरू हो जाना मुराद है। मुआजिज़ के तकबीर कहने से कता न करेगा यानी नमाज़ न तोड़ेंगा अगर पहली रक्खुत का अभी सजादा न किया हो। (कल मुखार)

मसाूला :- जमात काइम होने से नमाज़ कता करना उस वक्त है कि जिस मकाम पर यह नमाज़ पढ़ता हो वहीं जमात काइम हुई या एक मजिस्त्र में यह पढ़ता है दूसरी मजिस्त्र में जमात
कायम हुई तो तोड़ने का हुक्म नहीं अगर च ऋतवली रक्षात्मक का सजदा न किया हो। (शुल गुरुमात्र)

मसबूला — नफ्त शुरू किये थे और जमात कायम हुई तो कला न करे (यानी न तोड़े) बलि को रक्षात्मक पूरी करे अगर च ऋतवली का सजदा भी न किया हो और तीसरी पढ़ता हो तो चार पूरी करे।

(दुरु मुहार, जुलीमात्र)

मसबूला — जुमे और जोहर की सुनने पढ़ने में खुददार या जमात शुरु क हुई तो चार पूरी करे।

मसबूला — सुनने या कला नमज शुरु की और जमात कायम हुई तो पूरी कर के शामिल हो।

हो जो कला शुरु की अगर बिल्कुल उसी कला के लिए जमात कायम हुई तोड़ कर शामिल हो जाये। (जुलीमात्र)

मसबूला — नमज तोड़ना बैठे उठे हो तो इराम है और माल के तलफ यानी नुकसान या चोरी हो जाने का अंदेशा हों तो मुबार और कामल करने के लिए हों तो मुस्तहब और जान बचाने के लिए हों तो वाजिब।

मसबूला — नमज तोड़ने के लिए बैठने की हाजिर नहीं खेड़ा-खेड़ा एक तरफ सलाम फेरकर तोड़ दे।

मसबूला — जिस शाक्स ने नमज न पढ़ी हो उसे मसजिद से अजान के बाद निकलना मकरह तहती है। इसे मजा उसमन रदियल्लाहु तआला अन्हू से राखे कि हुएहुए सल्लल्लाहु तआला अर्जि के बाद जो मसजिद से चला गया और किसी हाजिर के लिए नहीं गया और न वापस होने का इरादा है वह मुनाफ़ीक है। इसम मुहारे के अलावा जमात के मुहूर्तदानी ने रिवाजत की कि अब शाक्स चली है वह अब हुएहुए रदियल्लाहु तआला अन्हू के साथ मसजिद ने बैठे जब मुहाजिन ने अब की अजान कहीं उस बैठे एक शाक्स चला गया उस पर फरमाया कि उस ने अबुल कासिम सल्लल्लाहु तआला अर्जि के बाद वस्त्र की नफरत की कि (जुलीमात्र)

अजान के बाद मसजिद से चाहे जाने के मसहल

मसबूला — अजान से मुश्त नमज का बैठा हो जाना है स्वाह अभी अजान हुई हो या नहीं।

मसबूला — जो शाक्स किसी दूसरी मसजिद की जमात का मुताजिम हो मसलन इसम या मुहाजिन हों कि उसके होने से अब लोग होते हैं वर्ण मुतफरिक (अलग-अलग) होते हैं ऐसे शाक्स को इजाजत है कि वहां से अपनी मसजिद चला जाये अगर वहीं इकामत भी शुरू हो गई हो तो मगर जिस मसजिद का मुहाजिन है अगर वहीं जमात हो चुकी हो तो अब यहां से जाने की इजाजत नहीं। (जुलीमात्र)

मसबूला — सबक याद है तो यहां से अपने उस्ताद की मसजिद का जा सकता है या कोई जजरत हो और वापस होने का इरादा हो तो भी जाने की इजाजत है जब कि जाने गालिब हो यानी ज्ञाया झख्खार हो कि जमात से पहले वापस आ जायेगा। (जुलीमात्र)

मसबूला — जिसने जोहर या इशा की नमज तहा पढ़ी हो उसे मसजिद से चले जाने की मनाही उस वक्त है कि इकामत शुरू हो गई तो हुक्म है कि जमात में नफ्त की नियत से शरीक हो जाये और माफ़िव व फर्ज़ व अख़बार में उसे हुक्म है कि मसजिद से बाहर चला जाये जबकि पढ़ ली हो। (जुलीमात्र)
मसाजिला: मुक्तदी ने दो सजदे किये और इमाम अपनी पहले ही में था तो दूसरा सजदा न हुआ।
मसाजिला: चार रक्खत वाली नमाज़ जिसे एक रक्खत इमाम के साथ मिली तो उसने जमाजत न पाई, हाँ जमाजत का सवाब मिलेगा अगर कारण अर्कीश ने माना हुआ हो तो जिसे तीन रक्खते मिली उसने भी जमाजत न पाई जमाजत का सवाब मिलेगा मगर जिस कोई रक्खत जाती रही उसे इतना सवाब न मिलेगा जितना अबतल से शरीक रहे वलें का है। इस मसाजिला का हालिल यह है कि किसी ने कसम खाई फलिंग नमाज़ जमाजत से पड़ेगा और रक्खत जाती रही तो कसम दूट गई खुफकार देना होगा तीन और दो रक्खत वाली नमाज़ में भी एक रक्खत न मिली तो जमाजत न मिली और लाहिक (जिसकी बीच की एक या ज्यादा रक्खत छुटी हो) का हुआ पुरी जमाजत पाने वाले का है। (हुए गुमान रहन मुहाफ़ार)
मसाजिला: इमाम रक्खूँ में था किसी ने उसकी इश्किया की और खड़ा रहा यहाँ तक कि इमाम ने सर उठा लिया तो वह रक्खत नहीं मिली। लिहाजा इमाम के फारिग होने के बढ़त उस रक्खत को पढ़ ले और अगर इमाम के कियाम में पया और उसके साथ रक्खूँ में शरीक न हुआ तो पहले रक्खूँ कर ले फिर और आफ़ाल यानी और सारे काम इमाम के साथ कर और अगर पहले रक्खूँ न किया बल्कि इमाम के साथ ही लिया फिर इमाम के फारिग होने के बढ़त रक्खूँ किया तो भी हो जायेगी मगर वाजिब के तर्क का गुनाह हुआ। (हुए गुमान)
मसाजिला: इसके रक्खूँ करने से पहले इमाम ने सर उठा लिया कि इसे रक्खत न मिली तो इस सूरत में नमाज़ तोड़ भी देना जाप्प नहीं जैसा-कि बाज़ जाहिल करते हैं बल्कि इस पर वाजिब है यदि सजदे में इमाम की मुलाबाद पैसी देने अगर यह सजदे रक्खत में सुनाया न होंगे। उधी अगर सजदे में मिला जब भी साथ दे फिर भी अगर सजदे न किये तो नमाज़ फासिद न होगी यहाँ तक कि अगर इमाम के सलाम के बढ़त इसने अपनी रक्खत पढ़ ली नमाज़ हो गई मगर तक़ वाजिब का गुनाह हुआ।
मसाजिला: इमाम से पहले रक्खूँ किया मगर उस के सर उठाने से पहले इमाम ने भी रक्खूँ किया तो रक्खूँ हो गया बस्तों कि इसने उस बढ़त रक्खूँ किया हो कि इमाम बक्के फर्ज़ किरात कर चुका हो वर्तना रक्खूँ न हुआ और इस सूरत में इमाम के साथ या बढ़त अगर दोबारा रक्खूँ करेगा हो जायेगी वर्तना नमाज़ जाती रही और इमाम से पहले रक्खूँ ख़िदाह कोई रक्खूँ अदा करने में था और यह तकबीर कह कर जुका था कि इमाम ख़िदाह हो गया तो अगर हद्देरे रक्खूँ में शरीक हो गया अगर कलील (सोड़ा ही) तो रक्खत मिल गई। (आलमगीरी) मुक्तदी ने तमाम रक्खूँ में रक्खूँ और सुजूद इमाम से पहले किया तो सलाम के बाद जंजरी है कि एक रक्खत बगैर किरात पढ़े और न रखी तो नमाज़ न हुई और अगर इमाम के बाद रक्खूँ और सुजूद किया तो नमाज़ हो गई और अगर रक्खूँ पहले किया और सजदा साथ-साथ तो चारों रक्खते बगैर किरात पढ़े और अगर रक्खूँ साथ किया और सजदा पहले तो दो रक्खत बाद में पढ़े। (आलमगीरी)
कजा नामजज का बयान

हदीस नः1 : - गजवे खण्डक में हुजूर अकबर सल्ल्लाल्लाहु तहाला अल्लाह वस्तूल की चार नमाज़ें मुल्लारीकिन विजय हस तो रात का कुछ हिस्सा चला गया। बिलाल रदियल्लाहु तहाला अल्लाह अकबर को हुकम फरमाया, उन्होंने अजम व इकामत कहनी। हुजूर सल्ल्लाल्लाहु तहाला अल्लाह वस्तूल ने जोहर की नमाज़ खड़ी फिर इकामत कहनी तो अजम की पढ़ी फिर इकामत कहनी तो मगरिक की पढ़ी फिर इकामत कहनी तो इशा की पढ़ी।

हदीस नः2 : - इमाम अहमद ने अब्रु जमाह इब्राहिम इब्न साभासु से रिवायत की कि गजवे अहजाब में मगरिक की नमाज़ पढ़ कर हारी हुए तो फरमाया किसी के मझूल दिन है जैने अजम की नमाज़ पढ़ी?

हुजूर सल्ल्लाल्लाहु तहाला अल्लाह वस्तूल ने अजम की नमाज़ पढ़ी फिर मगरिक का इशा क पढ़ी।

तबारानी व बेहदी इब्न सुरवदियल्लाहु तहाला अनुसार से राही फरमाया जो शाखे किसी नमाज़ को भूल जाये और याद उस वक़्त आये कि इमाम के साथ होता हो तो पूरी करे फिर भूल जाये और याद आये पढ़े तो बही उसका वक़्त है।

हुजूर सल्ल्लाल्लाहु तहाला अल्लाह वस्तूल ये अनुसार जो नमाज़ से सो जाये जैने भूल जाये तो जब याद आये पढ़े तो वही उसका वक़्त है।

मसलना : - बिला उद्घे सर्दः नमाज़ कजा कर देना बहुत सुख गुनाह है उस पर फर्ज है कि उसकी कजा पढ़े और सब्दः दिन से तौबः करे। तीबा या हजः मकबरा से गुनाह मफ़ रहा हो जायेगा।

मसलना : - तौबः जब ही साह है कि कजा पढ़ ले उसको तो अदा न करे तौबः किये जाये यह तौबः नहीं कि वह नमाज़ जो उसके जिम्मे तो उसका का मदः तो अब भी बाधा है और जब गुनाह से बाजः न आया तौबः कहल हुई। (दुरौखः) हदीस में फरमाया गुनाह पर काद्र रहकर इस्तिल्फ़ार करने बाला उसके मिलत है जो अपने रब से ढूँढः करता है।

नमाज़ कजा करने के उद्देश्य

मसलना : - दुशंस का खौफः नमाज़ कजा कर देने के लिए उद्देश्य है। मसलन मुसाॅर को चोर और डाकः का साही अदेश है तो इसी की अतिर कजा कर सकता है बसः कि अतिर तरह नमाज़ पढ़ने पर कादिर न हो और अगर सवार है और सवारी पर पढ़ सकता है अगरे चलने ही की हालत में या बेटः पढः पढः सकता है तो उद्देश्य न हुआ, उॅल ही अगर किसी को मुंह करता है तो दुशंस का सामना होता है तो जिस रूढः बन पढः पढः ले हो जायेगी वहनः नमाज़ कजा करने का गुनाह हुआ। (दुरौखः)

मसलना : - जनाई (दाई) नमाज़ पढ़नी की बाब्बे के मर जाने का अंदेशा है नमाज़ कजा करने के लिए यह उद्देश्य है। बब्बे का सर बाहर आ गया और निफास से पहिले बकः खल्म हो जायेगा तो इस हालत में भी गैः पर नमाज़ पढ़ना फर्जः है न पढः गुनाहः गाहै होनी। किसी भरतः में बब्बे का सर खः कर जिससे उसको सदमा न पहुँचे नमाज़ पढ़े मगर इस तरफी शे पढः में भी बब्बे के मर जाने का अंदेशा हो तो ताकःर (देर) मुआफः है निफास खल्म हो जाने के बाद इस नमाज़ की कजा पढ़े (दुरौखः)
मसाज़ाः — जिस चीज़ का बन्दरो पर हुआ है उसे वक्त पर बजा लाने का अदा कहते हैं और वक्त के बाद अमल में लाना कज़ा है और उस हुक्म में बजा लाने में कोई खराबी पैदा हो जाये तो दोबारा वह खराबी दफा करने के लिए करना इआआ है। (दुर्भुक्ता)

मसाज़ाः — वक्त में अगर तहसीला बाँध लिया नमाज़ कज़ा न हुई बलिक अदा है (दुर्भुक्ता) मगर नमाज़े फज़ व जुमा व ईदैन की इमने सलाम से पहले भी अगर वक्त निकल गया नमाज़ जाती रही मसाज़ाः — सोते में या भूल से नमाज़ कज़ा हो गई तो उसकी कज़ा पढ़नी फर्ज़ है अलबत्ता कज़ा का गुणह उस पर नहीं मगर बदाया होने और याद आने पर अगर वक्ते मकरूह न हो तो उस वक्त पढ़ ले ताकि (देर करना) मकरूह है कि हदीस में इर्दगद फस्माया नमाज़ से भूल जाये या सो जाये तो याद आने पर पढ़ ले कि वही उसका वक्त है। (आलमगीरी वरीग़ा) मगर दुर्भुले वक्ते के बाद (यानी वक्ते शुक्र होने के बाद) सो गया फिर वक्ते निकल गया तो कतान गुनहगार हुआ जबकि जागने पर सही एस्तुमाद न हो या जागने वाला गीज़ूद न हो बलिक फज़ में दुर्भुले वक्ते से पहले भी सोते की इजाजत नहीं हो सकती जबकि अक्सर हिस्सा रात का जागने में गुज़रा और जन है (यानी गालिब गुणहान है) कि अब सो गया तो वक्त में आँख न खुलेगी तो भी सोते की इजाजत नहीं।

मसाज़ाः — कोई सो रहा है या नमाज़ पढ़ना भूल गया तो जिसे मालूम हो उस पर वाजिब है कि सोते को जगा दे और भूल ले हुए को याद दिला दे। (दुर्भुक्ता)

मसाज़ाः — जब यह अंदेशा हो कि सुबह की नमाज़ जाती रहेगी तो बिना जरूरत शरदःया उसे रात देर तक जागना मना है। (दुर्भुक्ता)

मसाज़ाः — फर्ज़ की कज़ा फर्ज़ है और वाजिब की कज़ा वाजिब और सुनन की कज़ा सनन यानी वह सुनने जिनकी कज़ा है मसाज़ा फज़ की सनने जबकि फज़ भी फोट हो गया हो और जोहर की पहली सनने जबकि जोहर का वक्त बाकी हो। (दुर्भुक्ता)

मसाज़ाः — कज़ा के लिए कोई वक्त मुआयना (मुकर्सर) नहीं। उम में जब भी पढ़ेगा बरौजजिम्मा हो जा ये।।। दुर्भुल और जवाल के वक्त कि इन तीन वक्तों में नमाज़ जाइज नहीं। यानी इन तीन वक्तों के अलावा उम में किसी भी नमाज़ की कज़ा किसी भी वक्त पढ़ सकता है (आलमगीरी)

मसाज़ाः — मजुनू (पागल) की हालते जुनून (पागल) में जो नमाज़े पौट हुई अच्छे होने के बाद उनकी कज़ा वाजिब नहीं जबकि जुनून नमाज़ के छह वक्ते कमिल तक (यानी पूरे 4 वक्त) जुनून बराबर रहा हो। (आलमगीरी)

मसाज़ाः — जो राजस्थ आज़लताह मुरंद हो गया फिर इस्लाम लाया तो जमानए इर्दद है (इस्लाम से फिर जाने के जमानए) की नमाज़ों की कज़ा नहीं और मुर्दव होने से पहले जमानए इस्लाम में जो नमाज़े जाती रही थी उनकी कज़ा वाजिब है। (दुर्भुक्ता)

मसाज़ाः — दारुलहरम में कोई राजस्थी मुसलमान हुआ और अहकामे शरीफत यानी नमाज़, रोजा जजाक मौरी की उसकी इस्तीफ़ाह मु हुई तो जब तक वहीं रहा उन दिनों की कज़ा उस पर वाजिब नहीं और जब दारुल इस्लाम में आ गया तो अब जो नमाज़ कज़ा होगी उसे पढ़ना फर्ज़ है कि दारुलइस्लाम में अहकाम का न जानना उड़ नहीं और किसी एक राजस्थ ने भी उसे नमाज़ फर्ज़
होने की इतिलाम दे दी अगर फासिक या कच्चा या ओरता या गुलाम ने तो अब जिनी न पड़ेगा उनकी क्रजा वाजिब है। दारुल इस्लाम में मुसल्मान हुआ तो जो नमाजें पूजा हुई उसकी क्रजा वाजिब है अगर कहे कि मुझे इसका इल्म न था (जुल मुलाख)

मसावला : - ऐसा मार्जिय कि इशारे से भी नमाज नहीं पढ़ सकता अगर यह हालत पूरे के वक्त तक रही तो इस हालत में जो नमाजें पूजा हुई उनकी क्रजा वाजिब नहीं। (आलमगीर)

मसावला : - जो नमाज जैसी पूजा हुई उसकी क्रजा वैसी ही पढ़ी जायेगी मसलन सफर में नमाज क्रजा हुई तो चार रक़मान वाली दो ही पढ़ी जायेगी अगर इकामत की हालत में पढ़े और हालते इकामत में पूजा हुई तो चार रक़मान वाली की क्रजा चार रक़मान हैं अगर सफर में पढ़े। अलबता क्रजा पढ़ने के वक्त कोई उद्भव है तो उसका अपरिवार किया जायेगा मसलन जिस वक्त पूजा हुई थी उस वक्त खड़ा होकर पढ़ सकता था और अब किया नहीं कर सकता तो बैठ कर पढ़े या इस वक्त इशारे ही से पढ़ सकता है तो इशारे से पढ़े और सेहत के बाद उसका इआदा नहीं। (आलमगीर)

मसावला : - जो इशारे की नमाज पढ़ कर या बे पढ़े सोई और खुली तो मसावला हुआ कि पहला हैज आया तो उस पर वह इशारा नहीं और इसलिए में बालिग हुई तो उसका हुआ वह है जो लड़का का है पी फटने ने पहले और खुली तो उस वक्त की नमाज फर्ज है अगर पढ़ कर सोई और फिर फटने ने बाद और खुली तो इशारा की नमाज लोटाये और उम्र से बालिग हुईं यानी उसकी उम्र पूरी पद्ध साल की हो गई तो जिस वक्त पूरे पद्ध साल की हुई उस वक्त की नमाज उस पर फर्ज है अगर पढ़े पढ़े छुकी हो। (आलमगीर)

क्रजा नमाजों में तर्क़बत बाकिब है

मसावला : - पौंचे फर्जों में बाहम (यानी आपस में) और फर्ज व वित्र में तर्क़बत जरूरी है कि पहले फर्ज फिर जोहर फिर अच्छा फिर मगरिब फिर। इशारा फिर वित्र पढ़े खड़ा यह सब क्रजा हों या बशुधु (कुछ) अदा बाज़ क्रजा मसलन जोहर की क्रजा हों गई तो फर्ज है कि इसे पढ़कर अच्छा पढ़े या वित्र क्रजा हो गया तो उसे पढ़कर फर्ज पढ़े अगर याद होते हुए अच्छा या फर्ज की पढ़ ली तो नाजाज़ा है। (आलमगीर)

मसावला : - अगर वक्त में इतनी गुज़ारिश नहीं कि वक्ती और क्रजायें सब पढ़े ले तो वक्ती और क्रजा नमाजों में जिसी की गुज़ारिश हो पढ़े बाकी में तर्क़बत साकित है मसलन इशारा व वित्र क्रजा हो गये और फर्ज के वक्त में पौंच रक़मान की गुज़ारिश है तो वित्र व फर्ज पढ़े और छह रक़मान की वस्तुत है तो इशारा व फर्ज पढ़े। (शरफ कब्रा)

मसावला : - तर्क़बत के लिए मुलाक कव्त में एथिलिया है मुसलमान कव्त होने की जरूरत नहीं तो जिसकी जोहर की नमाज क्रजा हो गई और आफ़ताब जरूर नहीं हो सकता मगर आफ़ताब दुबूने से पहले दोनों पढ़ सकता है तो जोहर पढ़े फिर अच्छा। (इल्म मुहलाक)

मसावला : - अगर वक्त में इतनी गुज़ारिश है कि मुख़सर तौर पर पढ़े तो दोनों पढ़ सकता है और उम्रदार तर्किये से पढ़े तो दोनों नमाजों की गुज़ारिश नहीं तो इस सूत्र में भी तर्क़बत फर्ज है और बकदे जवाज जाएं तक इखितास कर सकता है करे। (आलमगीर)

मसावला : - वक्त की तंगी से तर्क़बत साकित होना उस वक्त है कि फूफ़ा करते वक्त, वक्त तंग
हो अगर शुरूआत करते ब्रक्व गुन्जाइश हो और यह याद था इस वक्त से पहले की नामज़ याद हो गई है और नमज़ में तूल दिया (बढ़ाया) कि अब वक्त तंग हो गया तो यह नामज़ न होगी ही अगर तोड़ कर फिर से पड़े तो हो जायगी और अगर कुछ नमाज याद न थी और वक्त की नमाज़ में तूल दिया कि वक्त तंग हो गया अब याद आ गई तो हो गई,कृत्य न करे यानी तोड़े नहीं। (अल्हमदी)

मसाजिला : वक्त तंग होने न होने में इसके गुणात्मक का अप्रतिवार नहीं बल्कि यह देखा जायेगा कि हकीकत वक्त तंग था या नहीं मसलन जिसकी नमाज़े इत्यादि का हो गई और फज्ज का वक्त तंग होना गुमान कर के फज्ज की पढ़ ली फिर यह मसाजिला हुआ कि वक्त तंग न था तो नमाज़ फज्ज न हुई अब अगर दोनों की गुजाइश हो तो इसा पड़कर फिर फज्ज पड़े वर्ना फज्ज पड़े ले। अगर दो बार फिर गलती मालूम हुई तो वही हुआ यानी दोनों पढ़ सकता है तो दोनों पढ़े वर्ना सिफ्फ फज्ज पड़े और अगर फज्ज को न लोटा यह फज्ज पड़ने लगा और बक़िरे तशहुद बैठे न पाया था कि अफताब निकल आया तो फज्ज की नमाज़ जो पढ़ी थी हो गई। यूँ ही अगर फज्ज की नमाज़ क्षण हो गई और जोहर के वक्त में दोनों नामाजों की गुजाइश उसके गुमान में नहीं है और जोहर पढ़ ली फिर मसाजिला हुआ कि गुजाइश है तो जोहर न हुई फज्ज पढ़ कर जोहर पढ़े यहाँ तक कि अगर फज्ज पढ़ कर जोहर की एक रक्षा पढ़ सकता है तो फज्ज पड़कर जोहर शुरूआत करे। (अल्हमदी)

मसाजिला : जुमे के दिन फज्ज की नमाज़ क्षण हो गई अगर फज्ज पढ़ कर जुमे में शरीक हो सकता है तो फज्ज है कि पहले फज्ज पढ़े अगर खुदा होता हो और अगर जुमा न मिलेगा मगर जोहर का वक्त बाकी रहेगा जब भी फज्ज पढ़ कर जोहर पढ़े और अगर ऐसा है कि फज्ज पढ़ने में जुमा ही जाता रहेगा। और जुमे के साथ वक्त बी खुद हो जायेगा तो जुमा पढ़ ले फिर फज्ज पढ़े इस सूरत में तर्कीब सङ्केतित है यानी अब तर्कीब की जरूरत नहीं। (अल्हमदी)

मसाजिला : अगर वक्त की तंगी के सबब तर्कीब सङ्केतित हो गई और वक्ती नमाज़ पढ़ रहा था कि इसी बीच नमाज़ ही में वक्त खुद हो गया तो तर्कीब और न करेंगी यानी वक्ती नमाज़ हो गई। (अल्हमदी) मगर फज्ज व जुमे में कि वक्ता निकल जाने से यह खुद ही नहीं हुई।

मसाजिला : क्षण नमाज याद न रही और वक्तिया (यानी जिस नमाज़ का वक्ता था) पढ़ लो। पढ़ने के बाद याद आई तो वक्तिया हो गई और पढ़ने में याद आई तो गई।

मसाजिला : अपने को या बुझू गुमान कर के जोहर पढ़ी फिर बुझू करके अब पढ़ी फिर मसाजिला हुआ कि जोहर में बुझू न था तो अब की हो गई सिफ्फ जोहर को लोटाये। (अल्हमदी)

मसाजिला : फज्ज की नमाज़ क्षण हो गई और याद होते हुए जोहर की पढ़ ली फिर फज्ज की पढ़ ली तो जोहर की न हुई। अब पढ़ते वक्त जोहर की याद थी मगर अपने गुमान में जोहर को जातिया समझा था तो अब की हो गई। फज्ज यह है कि फज्ज की तर्कीब से जो नाबालिका है उसका अभाव बूझू कर आमी की मिस्ल है कि उसकी नमाज़ हो जायेगी। (दुंपूरअल)

मसाजिला : - छ : नमाज़ी जबकि क्षण हो गई कि छटी का वक्त खुद हो गया उस पर तर्कीब फज्ज नहीं। अब अगर बाझू बुझू वक्ता की गुजाइश और याद के वक्ती पढ़ना हो जायेगी खाली अब सब एक साथ जुमे ही मसलन एक दम से छ। वक्तों की न पढ़ी या मुफ्तफर्द तीर और क्षण हुई (यानी अलग -अलग दिनों या वक्तों में) मसलन छह दिन फज्ज की नमाज़ न पढ़ी और बाकी नमाज़े पढ़ता रहा
कजा——उप्री——के मसाइल

कजा——उप्री——के मसाइल

कजा——उप्री——के मसाइल

कजा——उप्री——के मसाइल

कजा——उप्री——के मसाइल

कजा——उप्री——के मसाइल

कजा——उप्री——के मसाइल

कजा——उप्री——के मसाइल

कजा——उप्री——के मसाइल

कजा——उप्री——के मसाइल

कजा——उप्री——के मसाइल

कजा——उप्री——के मसाइल

कजा——उप्री——के मसाइल

कजा——उप्री——के मसाइल

कजा——उप्री——के मसाइल
जपता तो जो चाहिए पहले पढ़े दुर्सी पढ़ने के बाद जो पहले पढ़ी है फरे और बेहतर यह है कि पहले जोहर पढ़े फिर अंग फिर जोहर का इआदा करे यानी लोटांगे और अगर पहले अंग पढ़ी फिर जोहर फिर अंग का इआदा किया तो भी हरज नहीं। (आलमगीर)

मसूला :- अंग की नमाज़ पढ़ने में याद आया कि नमाज़ का एक सजदा रह गया माल यह याद नहीं कि इसी नमाज़ का रह गया या जोहर का यो जिध दिल जमे उस पर अलम करे और किसी तरफ़ दिल न जमे तो अंग पूरी कर के आखिर में एक सजदा सहव करे फिर जोहर का इआदा करे फिर अंग का और इआदा न किया तो भी हरज नहीं (आलमगीर)

नमाज़ के फिदया के मसूल

मसूला :- जिसकी नमाज़ें कुला हो गई और इतिकाल हो गया तो अंग वसीयत कर गया और माल भी छोड़ा तो उसकी तिहाई से हर फर्ज़ व वित्र के बदले निक्फ़ सालूः गेहूँ या एक सालू जो तसदुक़ (सदक़) करे। और माल न छोड़ा और वुरसा फिदया देना चाहिए तो कुछ माल अपने पास से या कुछ लेकर निक्फ़ पर तसदुक़ करके उसके क़ब्रों में दे और मिस्किन अपनी तरफ़ से उसे हिमा कर दे और यह क़ब्रा भी कर ले फिर यह मिस्किन को दे, यूही लाट फर करते रहें यहाँ तक कि सबका फिदया अदा हो,जायें और अगर माल छोड़ा माल वह नाकफ़ी है जब भी यही करें और अगर वसीयत न की और वली अपनी तरफ़ से बताए एहसान फिदया देना चाहिए तो दे और अगर माल की तिहाई बक़दे लाक़ी है और वसीयत यह की कि इसमें से थोड़ा लेकर लाट फर करके फिदया पूरा कर दे और बाक़ी को वुरसा या और कोई ले ले तो गुज़हार हुआ। (उर्दूक़ इब्बुलुक़ा)

मसूला :- मन्त्र ने वली को अपने बदले नमाज़ पढ़ने की वसीयत की और वली ने पढ़ भी ली तो यह नाकफ़ी है। यूही अगर मरज़ की हालत में नमाज़ का फिदया दिया तो अदा न हुआ। (उर्दूक़)

मसूला :- बशुर नाकफ़य़ मूर्फ़ फिदया देंगे है नमाज़ों के फिदय की कीमत तमाक़र सबके बदले में कुलाँ मज़दूर दे देंगे हैं। इस तरह कुल फिदया अदा नहीं होता यह सिफ़ वे-आस्त बात है बल्कि सिफ़ उत्तरा ही अदा होगा जिस कीमत का मुसहफ़ शरीफ़ है।

मसूला :- शाफ़ीई मज़हब की नमाज़ कुला है उसके बाद हनफ़ी हो गया तो हनफियों के तौर पर क़ुला पढ़े। (आलमगीर)

मसूला :- जिसकी नमाज़ों में नुक़सान व कराहत हो वह तमाम उँग की नमाज़ें फरे तो अच्छी बात है और कोई खराबी न हो तो न चाहिए और करे तो फज़ अंग के बाद न पढ़े और तमाम रक़क़तें भरी पढ़े और वित्र में कुनूल पढ़े तीसरी के बाद क़ब़ूदा करे फिर एक और मिलाएं कि चार हो जायें। यह इसलिए है कि अब जो नामाज़ पढ़ रहा है वह नफ़ल की तरह है लिहाज़ा नफ़ल के अहकाम लागू हो और नफ़ल नमाज़ में हर दो रक़क़ा के बाद क़ब़ूदा ज़रूरी है लिहाज़ा तीन रक़क़ा को चार बना लेना चाहिए। (आलमगीर)

मसूला :- क़ज़ैए उम़री कि शाबे कद या रमज़ान के आख़िरी जुमा में जमात्त से पढ़ते हैं और यह समझते हैं कि उपर भर की क़ज़ैए इसी एक नमाज़ से अदा हो गई यह सिफ़ गलत अक़ीदा है।
सजदए सहव का बयान

हदीस में है कि एक बार हुजूर सल्ल्लाल्हु ताबाला अलैहि कवस्तम दो रक्खत पढ़ कर खड़े हो गये बैठे 
नहीं फिर सलाम के बाद सजदए सहव किया उस हदीस का तिर्मीजी ने मुगीरह इने शोनावा 
रदियल्लाहु ताबाला अन्दु से रिवायत किया और फरमाया कि यह हदीस हसन सही है।

मसअला :— वाजिबाते नमज में जब कोई वाजिब भूले से रह जाये तो उसकी तलाफी यानी कभी 
को पूरा करने के लिए सजदए सहव वाजिब है और उसका तरीका यह है कि अतिहायत के बाद 
दाहिनी तरफ सलाम पेश कर दो सजदे करे फिर ताशहूद वगैरा पढ़कर सलाम पारे। (अलमबुद्वह)

मसअला :— अगर बौरी सलाम पारे सजदे कर लिये काफी है मगर ऐसा करना मकरहे तनज्जूही है 
मसअला :— कुछदन वाजिब तरक किया तो सजदए सहव से वह नुकसान दफ़ू न होगा बलि 
इआदा वाजिब है। यूही अगर सहवन (मूल कर) वाजिब तरक हुआ और सजदए सहव न किया जब 
भी लोटाना वाजिब है। (उदुलमुहनत वॉए)

मसअला :— कोई ऐसा वाजिब तरक हो जो वाजिबाते नमज से नहीं बलि उसका चुइब अमरे 
खारिज से हो (यानी नमज के बाहर वह चीज वाजिब हो) तो सजदए सहव वाजिब नहीं मसलन 
खिलाफे तरीब कुरान मरीज पढ़ना तरक वाजिब है मगर तरीब के मुराफ़िक पढ़ना वाजिबाते 
तिलावन से है वाजिबाते नमज से नहीं। लिहाजा सजदए सहव नहीं। (उदुल मुहर)

मसअला :— फर्ज़ तरक हो जाने से नमज जाती रहती है सजदए सहव से उसकी तलाफी नहीं हो 
सकती। लिहाजा फिर पढ़े और सुनन व मुसहूबात मसलन तअजुबुह(अउजुबिल्लाह),तसमिया, 
(बिस्मिल्लाह),सना (सुहाना),आमीन तकबीराते इन्तीकालात (तकबीरे),तसबीहात के तरक 
से भी सजदए सहव नहीं बलि नमज हो गई। (उदुलमुहतार गुनिया)मगर लोटाना मुसह़ब है सहवन 
तरक किया हो या कुछदन।

मसअला :— सजदए सहव उस कुड़त वाजिब है कि कुड़त में गुज़ादश हो और अगर न हो मसलन 
नमज के फर्ज़ जैसे की सहव वाके थु आया और पहला सलाम पेश और सजदा अभी न किया कि आफ्ताब 
तुलूहू कर आया तो सजदए सहव साकित हो गया। यूही अगर कड़ा पढ़ता था और 
सजदी से पहले कुछ आफ्ताब (सूफ़ जरद (पीला) हो गया सजदए सहव साकित हो गया। जुमा या 
ईदन का कुड़त जाता रहेगा जब भी यही हुआ है। (उदुल मुहर)

मसअला :— जो चीज़ मानें बिना है (बिना का बयान तीसरे हिस्से में गुज़ाए) यानी उसके बाद बिना 
नहीं हो सकती मसलन कलाम वगैरा मुनाफ़ीए नमज अगर सलाम के बाद पाई तो अब सजदए 
सहव नहीं हो सकता। (आलमीरी,उदुल मुहतार)

मसअला :— सजदए सहव का साकित होना अगर इसके फेस्चूल से है तो लोटाना वाजिब है वरना 
नहीं। (उदुल मुहतार)

नोट :— यह अलमा शामी की बहस है और आलाइजरत रहियल्लाहु ताबाला अन्दु ने हाशिया रहिय 
मुहतार में यह साबित किया कि बहर हाल इआदा (लोटाना) है।

मसअला :— फर्ज़ के नपल होनों का एक हुकुम है यानी नवाफ़िल में भी वाजिब तरक होने से सजदए 
सहव वाजिब है। (अलमीरी)

मसअला :— नपल की दो रक्खत पढ़ी और इनमें सहव (मूल) हुआ फिर इसी पर बिना कर के दो
रक्षित हैं और पढ़ी तो सज्जन शहव करे और फर्ज़ में सहव हुआ था और इस पर कस्तन नप्ल की बिना की तो सज्जन शहव नहीं किया फर्ज़ का जवाद करे और अगर इस फर्ज़ के साथ सहवन नप्ल मिलाया हो सज्जन चार रक्षित पर कबाद कर के खड़ा हो गया और पौंची का सज्जन कर लिया तो एक रक्षित और मिलाये कि यह दो हो जाये और इनमें सज्जन शहव करे। (छुँ दुरार) मसजिदः — सज्जन शहव के बाद भी अत्तेहियत पढ़ना वाजिब है अत्तेहियत पढ़ कर सलाम फर्ज़ और बेहतर यह है कि दोनों कबादों में दुरार शरीफ़ भी पढ़े। (अल्मानी) और यह भी इक्कियाद है कि पहले कबाद में अत्तेहियत व दुरार पढ़े और दूसरे में सिर्फ अत्तेहियत।

मसजिदः — सज्जन शहव से वह पहले कबादा बालिन न हुआ मगर फिर कबाद करना वाजिब है और अगर नमाज का कोई सज्जन बाकी रह गया था कबाद के बाद उसको किया या सज्जन तिलावत किया तो वह कबादा जाता रहा अब फिर कबादा फर्ज़ है कि बसीर कबादा नमाज खत्म कर दी तो न हुई और पहली सूरत में हो जारीय नमाज वाजिनुल इज़हाद यानी उसका लोटाना वाजिब है। (छुँ मुकाब लगत)

मसजिदः — एक नमाज में दच्च वाजिब तरक हुए तो वही दो सज्जन सब के लिए कपी हैं। (छुँ मुकाब लगत)वाजिनुल नमाज का मुसल्लाल बयान पहले (करने हिस्से में) हो चुका मगर तफसीली अहकाम के लिए इज़हाद बेहतर। वाजिब की ताकीद,चुन की तकदीम यानी सज्जन पहले करना फिर सूरत करना वाजिब या ताकीद (देश) या उसको मुकाब करना (दो बार करना)या वाजिब में तारीफ़ (बदल) यह सब भी तफसील वाजिब है।

मसजिदः — फर्ज़ की पहली दो रक्षितों में और नप्ल व वितर की किसी रक्षित में सूरए फातिहा शरीफ़ की एक आयत भी रह गई या सूरत से पहले दो बार फातिहा शरीफ़ पढ़ी या सूरत मिलाना मूल गया या सूरत को फातिहा पर मुकदस्म किया (यानी पहले सूरत फिर फातिहा पढ़ी)या सूरए फातिहा के बाद एक या दो छोटी आयतों पढ़ कर रक्षित में शुरू कर गया फिर याद आया और लोटा और गाँव आयतों पढ़ कर रक्षित किया तो इन सब सूरतों में सज्जन शहव वाजिब है। (छुँ मुकाब लगत)

मसजिदः — सूरए फातिहा शरीफ़ के बाद सूरत पढ़ी उसके बाद फिर अल्हम्दू पढ़ी तो सज्जन—ए—सहव वाजिब नहीं यहीं फर्ज़ की पिछली रक्षितों में फातिहा की तकदीर से मुख्तकन सज्जन सहव वाजिब नहीं और अगर पहली रक्षितों में सूरए फातिहा का ज्ञादा हिस्सा पढ़ लिया था तो फिर इज़हाद किया तो सज्जन सहव वाजिब है। (अल्मानी)

मसजिदः — सूरए फातिहा शरीफ़ के बाद सूरत पढ़ी और सूरत शुक्ल पढ़ कर दी और एक आयत के बाद बढ़ो सूरत पढ़े वायु आया तो अल्हम्दू पढ़ कर सूरत पढ़े और सज्जन सहव वाजिब है। युहूँ अगर सूरत पढ़ने के बाद या रक्षित में या रक्षित से खड़े होने के बाद याद आया तो फिर सूरए फातिहा पढ़कर सूरत पढ़े और रक्षित का इज़हाद करे और सज्जन सहव करे। (अल्मानी)

मसजिदः — फर्ज़ की पिछली रक्षितों में सूरत मिलाई तो सज्जन सहव नहीं और कस्तन मिलाई जब भी हरज़ नहीं मगर इज़हाद को न चाहिए। युहूँ अगर पिछली में सूरए फातिहा न पढ़ी जब भी सज्जन सहव नहीं और रक्षित व सूरत व कबाद में कुआँ दादा तो सज्जन—सहव वाजिब है। (अल्मानी)

मसजिदः — आयते सज्जन पढ़ी और सज्जन करना मूल गया तो सज्जन तिलावत अदा करे और सज्जन सहव करे। (अल्मानी)
मसाजिदा :-- जो फेंडल नामजाज में मुकर्स (बार-बार) है उनमें तस्तीव वाजिब है। लिहाजा खिलाफ तद्तत्त्वीय फेंडल वाकेघु हो तो सजदादेव सहव करे मसालन किरात से पहले फर्ज तक कर दिया और फर्ज के बाद किरात के की तो नामजाज फासिद हो गई कि फर्ज तर्क हो गया और फर्ज के बाद किरात की मगर फिर फर्ज न किया तो फिर फासिद हो गई कि किरात की वजह से फर्ज जाता रहा और अगर बकदेव फर्ज किरात करके फर्ज किया मगर वाजिबे किरात अदा न हुआ मसालन सूरूप फारिहा न पड़ी या सूरूप न मिलाई तो। हुकम यही है कि लौटे और सूरूप फारिहा व सूरूप पदकर फर्ज करे और सजदादेव सहव करे और अगर दोबारा फर्ज न किया तो नामजाज जाती रही कि पहला फर्ज जाता रहा। (हुकम)

मसाजिदा :-- कसी रक्कात का कोई सजदा रह गया आखिर में सात आया तो सजदा करे फिर अता याया पदकर सजदादेव सहव करे और सजदादेव सहव के पहले जो अफळाले नामजाज अदा किये बास्ति न होंगे। हो अगर कश्याद दे बाद वह नामजाज बाला सजदा किया तो भर्क हवा कश्याद जाता रहा। (अल्मस्ती, हुकम)

मसाजिदा :-- तात्तीले अकान (रुकन अंदा करने में अंदल करना) से नामजा अदा कर्ना मूल गाया सजदादेव सहव वाजिब है। (अल्मस्ती)।

मसाजिदा :-- फर्ज में कश्यादु ऊला मूल गाया तो जब तक सीधा ख़दा न हुआ लौट आये और सजदादेव सहव नहीं और अगर सीधा खंडा हो गया तो लौटे और आखिर में सजदादेव सहव करे और अगर सीधा ख़दा होकर लौटे तो सजदादेव सहव करे और सही मजबूत में नामजाज हो जायेगी मगर गुनाहगार हुआ। लिहाजा हुकम है कि अगर लौटे तो फारिहा खड़ा हो जाये। (ईबु मख्तार गुनिया)

मसाजिदा :-- अगर मुकतादी मूल कर ख़दा हो गया तो ज़कूर है कि लौट आये तात्ती मुम्मा की जुम्मालकत न हो। (ईबु मख्तार)

मसाजिदा :-- कबदू अखिर भूल गाया तो जब तक उस रक्कात का सजदा न किया हो लौट आये और सजदादेव सहव करे और अगर कश्यादु अखिर में बैठा था माना बकदे तशहुद न हुआ था कि ख़दा हो गया तो लौट आये और वह जो पहले कुछ देर तक बैठा था महसूब (झुमरा) होगा यानी लौटने के बाद जितनी देर तक बैठा था यह और पहले का कश्याद दोनों मिलकर बकदे तशहुद हो गये फर्ज अदा हो गया मगर सजदादेव सहव इस सूरत में भी वाजिब है और अगर इस रक्कात का सजदा कर लिया तो सजदे से सर उठाने ही वह फर्ज नफल हो गया। लिहाजा अगर चाहे तो अलादा मन्दिर के और नामजाज में एक और मिलाये शुक्का। (दो रक्कात को मिला कर एक शुक्का कहते हैं) पूरा हो जाये और तात्त्र (विश्वास) रक्कात न रहे अगर वह नामजाज फर्ज या अदा हो मन्दिर के और न मिलाये के चार पूरी हो गई। (ईबु मख्तार शहू मुख्तार)

मसाजिदा :-- नफल का हर कबदू काबदू अखिरा है यानी फर्ज है अगर कश्यादु न किया और भूल कर खड़ा हो गया तो जब तक उस रक्कात का सजदा न करे लौट आये और सजदादेव सहव करे और वाजिबे नामजाज मसालन वित्तरज फर्ज के हुकम में है लिहाजा वित्त का कबदू ऊला मूल जाये तो बही हुकम है जो फर्ज के कबदू ऊला मूल जाने का है (ईबु मख्तार)

मसाजिदा :-- अगर बकदे तशहुद कबदू अखिरा कर चुका है और भूल कर खड़ा हो गया तो जब कदरी ठाकुर इशाअल
तक उस रक्षात का सजदा न किया हो लोट, आये और सजदे सहव करके सलाम फेरे दे और अगर कियाम ही की हालत में सलाम फेर दिया तो भी नमाज हो जाती। यदि उसका साथ न दे बल्कि बैठे हुए इन्तजार करें अगर लौट आया साथ हो ले और न लौटा और सजदा कर दिया तो मुक्तता सलाम फेर दे और इमाम एक रक्षात और मिलायें कि यह दो नफ़्त हो जाये और सजदे सहव कर के सलाम फेरे और यह दो रक्षात सुनते जोहर या इसे के काइमा मकाम न होगी और अगर इन दो रक्षातों में किसी ने इमाम की इक़तिदा की यानी अब शामिल हुआ तो यह मुक्तता भी छह पढ़े और अगर उस ने तोड़ दी तो दो रक्षात की कजा पढ़े और अगर इमाम चींथी पर न बैठा था तो यह मुक्तता छ: रक्षात की कजा पढ़े और अगर इमाम ने इन रक्षातों को फासिद कर दिया तो मुक्तता पर मुलाक़ात कजा नहीं। (उद्दु मुहाब्ब मुहब्बत)

मसज़ाला: चींथी पर कजार करके ख़बर हो गया और किसी फर्ज़ पढ़ने वाले ने उसकी इक़तिदा की तो इक़तिदा सही नहीं अगर लौट आया और कजार न किया था तो जब तक पौंचार का सजदा न किया इक़तिदा कर सकता है कि अगर तक फर्ज़ ही में है। (उद्दु मुहाब्बत)

मसज़ाला: दो रक्षात की नियत थी और उनमें सहव हुआ और दूसरी के कजार में सजदे सहव कर दिया तो इस पर नफ़्त की बिना मकरते हैं। (उद्दु मुहाब्बत)

मसज़ाला: गुसाफ़र ने सजदे सहव के बाद इक़मत के नियत की तो चार पढ़ना फर्ज़ है और आजोर में सजदे सहव का इआदा करे। (उद्दु मुहाब्बत)

मसज़ाला: कजार के ख़िलाफ़ में तशहरुद के बाद इतना पढ़ा “अल्लाहु मस्तिल अला मुहम्मद” सजदे सहव वाजिब है। इस वजह से नहीं कि दुरुश शरीफ़ पढ़ा बल्कि इस वजह से कि तीसरी के कियाम में तादीर हुई तो अगर इतनी देर तक मुक़्त किया जब भी सजदे सहव वाजिब है जैसे कजार ने दूसरे सहव में कुरान चिठ्ठी से सजदे सहव वाजिब है हालाँकि वह कलामे इलाही है। इमामे अशुभ रद्दियल्लाहु तालाला अँसु से नहीं सल्लल्लाहु तालाला अल्लाह वस्तलम को ख़बर में देखा हुज़ूर सल्लल्लाहु तालाला अल्लाह वस्तलम ने इशाद फर्माया दुरुश पढ़ने वाले पर जूँ कूँ वाजिब बताया। अर्ज़ के इसलिए कि उसने भूल कर पढ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु तालाला अल्लाह वस्तलम ने तहसीन फर्माई। (उद्दु मुहाब्बत मुहब्बत बोकें)

मसज़ाला: किसी कजार में अगर तशहरुद में से कुछ रह गया सजदा सहव वाजिब है नमाज़े नफ़्त हो या फर्ज़। (अल्मगिरी)

मसज़ाला: पहली दो रक्षातों के कियाम में सूरा फातिहा के बाद तशहरुद पढ़ा सजदे सहव वाजिब है और सूरा फातिहा से पहले पढ़ा तो नहीं। (अल्मगिरी)

मसज़ाला: पिछले रक्षातों के कियाम में तशहरुद पढ़ा तो वाजिब न हुआ और अगर कजार के संबंध में बदल बार तशहरुद पढ़ा सजदा सहव वाजिब हो गया। (अल्मगिरी)

मसज़ाला: तशहरुद पढ़ना भूल गया और सलाम फेर दिया फिर याद आया तो लौट आये तशहरुद पढ़े और सजदे सहव कर। यूँ ही अगर तशहरुद की जगह सूरा फातिहा पढ़ी सजदे सहव वाजिब हो गया। (अल्मगिरी)
बहारे शाहीत

मस्तुला: रक्खुश की जगह सजादा किया या सजादे की जगह रक्खुश या किसी ऐसे रक्ख को दो बार किया जो नमाज में मुक्तरं मशाूँथ यानी शाहीत में दो बार का हुआ न तथा किसी रक्ख को मुक्तरं या मुअखरं किया यानी आरंभ या पीछे किया तो इन सब सूरतों में सजादे सहव वाजिज है। (अलामगिरी)

मस्तुला: कुनूंत या तकबीरे कुनूंत यानी किरात के बाद कुनूंत के लिए जो तकबीर कही जाती है भूल गया सजादे सहव करे। (अलामगिरी)

मस्तुला: ईदें तंब तकबीरे या बख्तूं भूल गया या ज्यादा कहीं या गौर महल में कहीं(यादी जहाँ कहला हो वाण के बजरे दूसरी जगह कहीं) इन सब सूरतों में सजादे सहव वाजिज है। (अलामगिरी)

मस्तुला: ईमान तकबीरे ईदें भूल गया और रक्खुश में चला गया तो उदार आये और मस्तुलक रक्खुश में शामिल हुआ तो रक्खुश ही में तकबीर कह ले। (यादी बिना हाथ उठाए रक्खु ही में अलामहु अक्कर-अलामहु अक्कर कह ले) (अलामगिरी) ईदें में दूसरी रक्खुत की तकबीरे रक्खुश भूल गया तो सजादे सहव वाजिज है और पहली रक्खुत की तकबीरे रक्खुश भूल तो नहीं। (अलामगिरी)

मस्तुला: जुमा तथा ईदें में भाव वाकेश हूआ और जमाू अथर करौं। (ज्यादा) हो से बेहतर यह है कि सजादे सहव न करे। (अलाम गौरी रुपु मुक्ता)

मस्तुला: ईमान ने जहाँ नमाज (जिसे में पिराबल दलढ आवाज से होती है) में बक्दर जवाजे नमाज यानी एक आवाज़ आहिरता पदी या सिरी (आहिरता किरात की रक्खुत) में जहर से तो सजादे सहव वाजिज है और एक कहीं आहिरता या जहर से पढ़ तो माफ है। (अलाम गौरी दूसरे मुक्ता रुपु मुक्ता गुणमा)

मस्तुला: मुक्तकिन (तनहा नमाज भरने वाले)ने सिरी नमाज में जहर से पढ़ तो सजादे सहव वाजिज है और जहरी में आहिरता तो नहीं (दूसरे मुक्ता)

मस्तुला: सना तथा दुआ तथा सहबाता बलट्ट आवाज से पढ़ तो खिलाक चुन्नत हुआ मगर सजादे सहव वाजिज नहीं। (रुपु मुक्ता)

मस्तुला: किरात वराई किसी मोक्ष पर सोच तो कादके एक रक्ख यानी तीन बार सभानालाइ कहने के बलक आउ तो सजादे सहव वाजिज है। (रुपु मुक्ता)

मस्तुला: ईमान से सहव भूल और सजादे सहव किया तो मुक्तादी पर भी सजादे सहव वाजिज है अगर मुक्तादी सहव वाकेश होने के बाद जमाू अथर में शामिल हो और अगर ईमान से सजादे सहव सबूत हो गया तो मुक्तादी से भी सबूत हो गया फिर अगर ईमान से सबूत होना उसके किसी फेल के सबूत हो तो मुक्तादी पर भी नमाज का लौटाना वाजिज है वरन माफ। (रुपु मुक्ता)

मस्तुला: अगर मुक्तादी से ब-हालते इक्किता सहव वाकेश हुआ तो मुक्तादी पर सजादे सहव वाजिज नहीं और ऐसी नमाज का लौटाना भी जरूरी नहीं। (अर्मा कुकु शाही)

मस्तुला: मस्तुलक ईमान के साथ सजादे सहव करे अगर उसके शरीक होने से पहले सहव हुआ हो और ईमान के साथ सजादे न किया माफकिया (यानी जो छूट गई थी)पढ़ने खड़ा हो गया तो आखिर में सजादे सहव करे,और अगर इस मस्तुलक से अपनी नमाज में सहव हुआ तो आखिर के यही सजादे उस सहवे ईमान के लिए भी काफी है। (अलामगिरी,रुपु मुक्ता)

मस्तुला: मस्तुलक ने अपनी नमाज बढ़ाने के लिए ईमान के साथ सजादे सहव न किया यानी जाता है कि अगर सजादा सहव करेगा तो नमाज जाती रहेगी मस्तुलक नमाजे फल में आफ़िचाब

काली प्रकाश इशारत
बहारे शरीअत  

गुलूसी हो जायेगा या जुमे में बक्ते असर आ जायेगा या मोजे पर सहव की मुहत गुजर जायेगी तो

इन सूतरों में इमाम के साथ सजदाए सहव न करने में कराहट नहीं बल्कि बक्ते तशहुद बैठने के बाद खड़ा हो जाये। (एवं)

मसबूता : मसबूत ने इमाम के सहव में इमाम के साथ सजदाए सहव किया फिर जब अपनी पढ़ने खड़ा हुआ और इससे भी सहव हुआ तो इससे भी सजदाए सहव करे। (इसे मुकाबत करो)

मसबूता : मसबूत को इमाम के साथ सलाम फेरना जाना नहीं अगर क्सदन फेरना नमाज जाती रहेगी और अगर सहवन फेरा और सलाम इमाम के साथ बिना बख़्क़ा किये फौरन ही सलाम फेरा था तो इस पर सजदाए सहव वालज़ नहीं और अगर सलाम इमाम के कुछ भी बाद फेरा तो खड़ा हो जाये अपनी नमाज पूरी करके सजदाए सहव करे। (इसे मुकाबत करो)

मसबूता : इमाम के एक सजदाए सहव करने के बाद शरीक हुआ तो दूसरा सजदा इमाम के साथ करे और पहले की कुछ नहीं और अगर दोनों सजदों के बाद शरीक हुआ तो इमाम के सहव का इसके जिमने कोई सजदा नही। (फूल मुहला)

मसबूता : इमाम ने सलाम फेरे दिया और मसबूत अपनी पूरी करने खड़ा हुआ अब इमाम ने सजदाए सहव किया तो जब तक मसबूत ने उस रक्षक्त का सजदा न किया हो लौट आए और इमाम के साथ सजदा करे जब इमाम सलाम फेरे तो अब अपनी पढ़े और पढ़े जैसा किया व फारव व रक्षक्त कर चुका है उसका शुमार न होगा बतव्व फिर से वह अफमाल करे और अगर न लौटा और अपनी पढ़ तो आखिर में सजदाए सहव करे और अगर उस रक्षक्त का सजदा कर चुका है तो न लौटे। लौटा तो नमाज फासिद हो जायेगी। (अलमगोरी)

मसबूता : इमाम के सहव से लाहिक (जिसकी बीच की कुछ रक्षक्तें छूटी हों) पर भी सजदाए सहव वालज़ है मगर लाहिक अपनी आखिर नमाज में सजदाए सहव करेगा और इमाम के साथ अगर सजदा किया हो तो आखिर में इमादा करे। (इसे मुकाबत)

मसबूता : अगर तीन रक्षक्त में मसबूत खुदा और एक रक्षक्त में-लाहिक तो एक रक्षक्त बिना किया व पढ़कर बैठे और तशहुद पढ़ कर सजदाए सहव करे फिर एक रक्षक्त भरी पढ़ कर बैठे कि यह इसकी दूसरी रक्षक्त है फिर एक भरी और एक खाली पढ़ कर सलाम फेरे दे और अगर एक में मसबूत है और तीन में लाहिक तो तीन पढ़ कर सजदाए सहव करे फिर एक भरी पढ़ कर सलाम फेरे दे। (फूल मुहला)

मसबूता : मुकिम ने मुसाफिर की इशिता की और इमाम से सहव हुआ तो इमाम के साथ सजदाए सहव करे फिर अपनी दो पढ़े और इससे भी सहव हुआ तो आखिर में फिर सजदा करे। (फूल मुहला)

मसबूता : इमाम से सलातुल खुफ में (जिस का बयान और तरीका इन्सा अल्लाह ताबाला आये

आयेगा) सहव हुआ तो इमाम के साथ दूसरा गिरोह सजदाए सहव करे और पहला गिरोह उस बक्त

cरे करे जब अपनी नमाज खुल कर चुके। (अलमगोरी)

मसबूता : इमाम को इदभ खुदा और इससे पढ़े सहव भी दाक्क़ी हो चुका है और उसने खलीफा

बनाया तो खलीफा सजदाए सहव करे और अगर खलीफा को भी हालते खिलाफ़त में सहव हुआ तो रही सजदे काफ़ी है, और अगर इमाम से तो सहव न हुआ मगर खलीफा से इस हालत में सहव
बहारे शरीरम
48
चीता हिस्सा

कादर दाशल इस्लाम
(368)
मसज़ुला — जिस को रक्षुतः के शुमार में शक हो मसलन... तीन हुई या चार और बुलू (बालिक होने) के बढ़ाये यह पहला वाक्य आ तू सलाम फेर कर या कोई अमल नमाज़ के खिलाफ करके तोड़ दे या गालिबे गुमान के मुराजिक़ पढ़ ले मगर हर सूरत में इस नमाज़ को सिरे से पढ़े महज़ तोड़ने की नियत काफी नहीं और अगर यह शक पहली बार नहीं बलिक पहले भी हो चुका है तो अगर गालिब गुमान किसी तरफ़ हो तो उस पर अमल करना कम की जानिब को इज्जतीय करें यानी तीन और चार में शक हो तो तीन करार दें, वो और तीन में शक हो तो दो और तीसरी चौथी दोनों में कब्दा करे कि तीसरी रक्षुतः का चौथी होने का बहिर्लाल है और चौथी में कब्दा के बढ़ा सजदए सहव न करे के सलाम फेरे और गुमाने गालिब की सूरत में सजदए सहव नहीं मगर सोचने में सबसे एक रूकन पर बक्का किया हो तो सजदए सहव वाजिब हो गई (बिदाया बैंस) मसज़ुला — नमाज़ पूरी करने के बाद शक हुआ तो इस का कुछ एस्बुतिबार नहीं और अगर नमाज़ के बढ़ा यक्षिण है कि कोई फ़र्ज़ रह गया मगर इस में शक है कि वह क्या है तो फिर से पढ़ना फर्ज़ है। (क़हा नसहा मुज़ार) मसज़ुला — जोहर पढ़ने के बाद एक आदिल शक्स ने खबर दी कि तीन रक्षुतः पढ़ी तो फिर से पढ़े अगर ऐसे इसके ख्याल में यह खबर गलत हो और अगर कहने वाला आदिल न हो तो उसकी खबर का एस्बुतिबार नहीं और अगर मुसल्ली को शक हो और दो आदिलों ने खबर दी तो उनकी खबर पर अमल करना ज़रूरी है। (आलमगीरी बैंस) मसज़ुला — अगर तात्त्वजने रक्षुतः में शक न हुआ मगर खुद इस नमाज़ की निस्बत शक है मसलन जोहर की दूसरी रक्षुतः में शक हुआ कि यह अच्छी की नमाज़ पढ़ता हूँ और तीसरी में नपल का खुद नहीं हुआ और चौथी में जोहर का तो जोहर ही है। (उलु क़ब्दा) मसज़ुला — तत्त्वजने के बाद यह शक हुआ कि तीन हुई या चार और रूकन की कद्र ख़मोश रहा और सोचता रहा फिर यक्षिण हुआ कि चार हो गई तो सजदए सहव वाजिब है और अगर एक तरफ़ सलाम फेरने के बाद ऐसा हुआ तो कुछ नहीं और अगर उसे हदस हुआ और बुज़ू करने गया था कि यह शक वाकेश्वु हुआ और सोचने में बुज़ू से कुछ देर तक रूका रहा तो सजदए सहव वाजिब है। (आलमगीरी) मसज़ुला — यह शक वाकेश्वु हुआ कि इस वक़्त की नमाज़ पढ़ी या नहीं अगर वक़्त बाक़ी है लोटाये दर्द़ा नहीं। (आलमगीरी) मसज़ुला — शक के सब सूरतों में सजदए सहव वाजिब है और गलबर जन (गालिब गुमान) में नहीं मगर जबकि सोचने में एक रूकन का वक़्ता हो गया हो तो वाजिब हो गया। (उलु क़ब्दा) मसज़ुला — बे—बुज़ू होने या मसह न करने का यक्षिण हुआ और इसी दहल में एक रूकन अदा कर लिया तो फिर से नमाज़ पढ़े अगर ऐसे फिर यक्षिण हुआ कि बुज़ू हो और मसह किया था। (आलमगीरी) मसज़ुला — नमाज़ में शक हुआ कि मुक्तिम है या मुसाफिर तो चार पढ़े और दूसरी के बाद कब्दा ज़रूरी है। (आलमगीरी) मसज़ुला — वित्त में शक हुआ कि दूसरी है या तीसरी तो इस में कृनू त पढ़ कर कब्दा के बाद एक और पढ़े और इसमें भी कृनू त पढ़े और सजदए सहव करें। (आलमगीरी बैंस)
मसัยला : — इमाम नमाज़ पढ़ रहा है दूसरी में शक हुआ कि पहली है या दूसरी, या चौथी और तीसरी में शक हुआ और मुक्तिनियों की तरफ़ नज़र की कि यह खड़े हों तो खड़ा हो जाए बैठे तो बैठ जाओ तो इनमें हरस्न नहीं। और सजदा सहव सवजी न हुआ। (आलमगीर)

नमाज़ मिसिज़ का बयान

हदीस में है इमरान इब्ने हसीन रहियल्लहु ताताला अन्नु बीमार थे, हुनुरु अक्सर सल्लाल्लहु ताताला अलेह वस्त्तल्ल से नमाज़ के बारे में सवाल किया। फरमाया खड़े हो कर पढ़ो आगर इर्दितातुत (ताकत) न हो तो बैठ कर इसकी भी इर्दितातुत न हो तो लेट कर अल्लाह तातिला किसी नफ्त को तकलीफ़ नहीं देता मगर उत्तरन िि कि सहकी वस्त्तत हो। इस हदीस को मुस्लिम के निम्नागि पुस्तकीयाँ ने रिवा याह किया। कल्काल मुक्तदिन में और बैठी मफ़्तिका में जाबिर रहियल्लहु ताताला अन्नु से बताया कि नबी सल्लाल्लहु ताताला अलेह वस्त्तल्ल एक मिसिज़ की इवादत को तस्वीर में गेबे देखा कि तकिये पर नमाज़ पढ़ा ये यानी सजदा करता है उसे फेंक दिया। उसने एक बैठी ली कि इस पर नमाज़ पढ़े उसे भी बैठे फेंक दिया। और फरमाया जमीन पर नमाज़ पढ़े आगर इर्दितातुत हो वरन इशारा करे और सजदे को रक्खे से पसत करे यानी सजदा करते बैठने रक्खे से, ज्यादा खुफ़्ते।

मसัยला : — जो शाख़ बीमारी की वजह से खड़े होकर नमाज़ पढ़ने पर बहादिर नहीं कि खड़े होकर पढ़ने से मरज़ में नुकसान या तकलीफ़ होगी या मरज़ बढ़ जायेगा या देर में अच्छा होगा या वक्कर आता है या खड़े होकर पढ़ने से कतरा आण्या बहुत शादीद दर्द नाकाबिले बदरशत हो जायेगा तो इन सब अवस्था में बैठ कर रक्खे व वथुदु के साथ नमाज़ पढ़े। (दुरु मुक्तासर) इसके मुताबिल बहुत मसाइल मनज़र फरमाविय के बयान में जिक जिके गये।

मसअला : — अगर अपने आप बैठ भी नहीं सकता मगर लड़का या गुलाम या खालिम या कोई अजनबी शाख़ वहाँ है कि बैठादे तो बैठकर पढ़ना जुरी है और अगर बैठा नहीं रह सकता तो तकिया या दीवार या किसी शाख़ पर टूकलो कर खड़े। यह भी न हो सके तो लेट कर पढ़े और बैठ कर पढ़ना मुमकिन हो तो लेट कर मनज़र न होगी। (आलमगीर, दुरु मुक्तासर, सुलु मुक्तासर)

मसअला : — बैठ कर पढ़ने में किसी खस्तात दीर्घ पर पढ़ना जरूरी नहीं बल्कि मिसिज़ पर जिस तरह आसानी है उस तरह बैठे हों जो जानू बैठना आसान हो या दूसरी तरह बैठने के बराबर हो तो दो जानू बेहतर है जो आसान हो इर्दितातुत करे। (आलमगीर कॉर)

मसअला : — नफ़्स मनज़र में थक गया तो दीवार या असा (लाली या डंडा) पर टूकलो में हरज़ नहीं वरन मकरह है और बैठ कर पढ़ने में कुछ हरज़ नहीं। (दुरु मुक्तासर)

मसअला : — चार रक्खु वाली मनज़र बैठ कर पढ़े कक्स्तात अख़ीरा के मौके पर तशह्हुद पढ़ने से पहले किसी वाली दीर्घ कर दी और रक्खु भी किया तो इसका छिप वहाँ है कि खड़ा होकर पढ़ने वाला चौथी के बन्दुख खड़ा हो जाता। तत्काल उसने जब तक पौंचि की सजदा न किया हो तशह्हुद पढ़े और सजदे सहव करे और पौंचि की सजदा कर लिया तो मनज़र जाती रही। (आलमगीर)

मसअला : — बैठ कर पढ़ने वाला दूसरी के सजदे से उठा और कियाम की नियत की मगर किरात से पहले याद आ गया तो तशह्हुद पढ़े और मनज़र हो गई और सजदे सहव भी नहीं। (आलमगीर)
ब्रह्म ने बैठ कर नमाज़ पढ़ी चौथी के सजदे से उठा तो यह गुमान करके कि तीसरी है, किरात की और इशारे से रुकू व सज्जूद किया नमाज़ जाती रही और दूसरी के सजदे के बाद यह गुमान करके कि दूसरी है, किरात शुरू की फिर याद आया तो तराह हुए तरफ न लौटे बलिक पूरी करे और आखिर में सजदा सहब करे। (अलगावी)

मस्जिदः — खड़ी हो सकता है अगर रुकू व सज्जूद नहीं कर सकता या सिर्फ सजदा नहीं कर सकता मस्तन हलक वगैरा में फोड़ा है कि सजदा करने से बेहतर तो बैठ कर इशारे से पढ़ सकता है बलिक यहीं बेहतर है और इस सूरत में यह भी कर सकता है कि खड़े होकर पढ़े और रुकू के लिए इशारा करे या रुकू पर कादिर हो तो रुकू करे फिर बैठ कर सजदे के लिए इशारा करे। (अलगावी)

मस्जिदः — इशारे की सूरत में सजदे का इशारा रुकू से पसस होना जरूरी है यानी सजदे में रुकू की बनिसबत ज्यादा झुका हुआ इशारा हो मगर यह जरूरी नहीं कि सर को बिक्सुल जमीन से करीब कर दे। सजदे के लिए तकिया वगैरा कोई चीज़ पेशानी के करीब उठा कर उस पर सजदा करना मकरदों तहरीमी है खबाह खड़े उसी ने वह चीज़ उठाई हो या दूसरे ने। (जून मुखर का)

मस्जिदः — अगर कोई चीज़ उठाकर उस पर सजदा किया और सजदे में बनिसबत रुकू के ज्यादा सर झुकाया जब भी सजदा हो गया अगर गुनाहगार हुआ और सजदे के लिए ज्यादा सर न झुकाया तो हुआ ही नहीं। (जून मुखर का)

मस्जिदः — अगर कोई ऊपरी चीज़ जमीन पर रखी हुई है उस पर सजदा किया और रुकू के लिए सिर्फ इशारा न हुआ बलिक पूरी भी झुकी है तो सही है बसाये कि सजदे के शराह्त पाये जाने मस्तन ऊपर चीज़ का स्थल होना जिस पर सजदा किया कि इस कदर पेशानी दब गई हो कि फिर नहीं कर सकता है न दर्जे और उसकी ऊपरी बायर उंगली से ज्यादा न हो इन शराह्त के पाये जाने के बाद हक्कीकत रुकू व सज्जूद पाये गये। इशारे से पढ़ने वाला इसे न कहे और खड़े होकर पढ़ने वाला इसकी इक्तिदार कर सकता है और यह शक्स जब इस तरह रुकू व सज्जूद कर सकता है और कियाम पर कादिर है तो इस पर कियाम फर्ज़ है या नमाज़ पढ़ने के बीच में कियाम पर कादिर हो गया तो जो बाकी है उसे खड़े हो कर पढ़ना फर्ज़ है। लिहाज़ा जो शक्स जमीन पर सजदा नहीं कर सकता मगर ऊपर दी हुई शराह्त के साथ कोई चीज़ जमीन पर रख कर सजदा कर सकता है तो उस पर फर्ज़ है कि उसी तरह सजदा करे इशारा जाइज़ नहीं और अगर वह चीज़ जिस पर सजदा किया ऐसी नहीं तो हक्कीकत सज्जूद न पाया गया बलिक सजदे के लिए इशारा हुआ। लिहाज़ा खड़ा होने वाला इसकी इक्तिदार नहीं कर सकता और अगर यह शक्स नमाज़ पढ़ने के बीच में कियाम पर कादिर हुआ तो सिरे से पड़े। (खुलनाही)

मस्जिदः — पेशानी में झुका है कि सजदे के लिए माथा नहीं लगा सकता तो नाक पर सजदा करे और ऐसा न किया बलिक इशारा किया तो नमाज़ न हुई। (अलगावी)

मस्जिदः — अगर मरीज़ बैठने पर भी कादिर नहीं यानी बैठ नहीं सकता तो लेत कर इशारे से पढ़े खबाह दाहिनी या बायरी करवट पर लेत कर किब्ले को मुँह करे खड़े डिला लेत कर किब्ले को पूंछ करे मगर पूंछ न फेलाये कि किब्ला को पूंछ फैलाना मकरदों है बलिक घुटने खड़े रखे और सर के नीचे तकिया वगैरा रख कर चुंचा कर ले तो कि मुँह किब्ला को हो जाये और यह झूठ यानी डिला
लेट कर पढ़ना अफजाल है। (दृ. मुक्कार कौश)
मसजिदा: अगर सर से इशारा भी न कर सके तो नमाज़ साफ़ित है इसकी ज़करत नहीं कि आख़िर या भी या दिल के इशारे से पढ़े फिर अगर छः वक़्त इसी हालत में गुज़र गये तो उनकी कज़ा भी साफ़ित फिदया की भी हाज़िर नहीं वर्ना सेहत होने के बाद इन नमाज़ों की कज़ा लाज़िम है अगर चित्ती ही सेहत हो कि सर के इशारे से पढ़ सके। (दृ. मुक्कार कौश)
मसजिदा: मरीज़ अगर किसी की तरफ न अपने आप गुँह कर सकता है न दूसरे के ज़िरिया से तो वैसे ही पढ़ ले और सेहत के बाद इस नमाज़ को दोहराने की ज़करत नहीं और अगर कोई शाक्त मौजूद है कि इसके कहने से किला-रू कर देगा मगर इस ने उस से न कहा तो न हुई। इशारे से जो नमाज़े पढ़े हैं सेहत के बाद उनका लोटाना भी ज़रूरी नहीं। दूही अगर ज़बान बन गई और गुँहे की तरह नमाज़ पढ़ी फिर ज़बान खुल गई तो इन नमाज़ों को भी दोहराने की ज़करत नहीं। (दृ. मुक्कार, हुल मुक्कार)
मसजिदा: मरीज़ इस हालत को पढ़ेंगे गये कि रुख़ूँ व सुजूद की त़ूनदाद याद नहीं रख सकता तो उस पर अदा ज़रूरी नहीं। (दृ. मुक्कार)
मसजिदा: तन्दरस्त शायद नमाज़ पढ़ रहा था, नमाज़ के बीच में ऐसा मज़ल पैदा हो गया कि अर्कान अदा पर कुदसत न रही। तो जिस तरह मुमकिन हो बैठ कर लेत कर नमाज़ पूरी करे सिरे से पढ़ने की हाज़िरत नहीं। (दृ. मुक्कार, आलमगीरी)
मसजिदा: बैठ कर रुखूँ व सुजूद से नमाज़ पढ़ रहा था नमाज़ पढ़ते ही में किया म पर कादिर हो गया तो जो बाक़ी है खड़ा होकर पढ़े और इशारे से पढ़ता था और नमाज़ ही में रुखूँ व सुजूद पर कादिर हो गया तो सिरे से पढ़े। (दृ. मुक्कार, आलमगीरी)
मसजिदा: रुखूँ व सुजूद पर कादिर न था खड़े या बैठे नमाज़ शुरूः की रुखूँ व सुजूद के इशारे की केरुत न आई थी कि अच्छा हो गया तो उसी नमाज़ को पूरा करे सिरे से पढ़ने की हाज़िरत नहीं और अगर लेत कर नमाज़ शुरूः की थी और इशारे से पहले खड़े या बैठकर रुखूँ व सुजूद पर कादिर हो गया तो सिरे से पढ़े। (हुल मुक्कार)
मसजिदा: चलती हुई कस्ती या जहाज़ में बिला ऊँच बैठ कर नमाज़ सही नहीं बसाते कि उत्तर कर खुशी में पढ़ सके और ज़मीन पर बैठ गई हो तो उत्तर की हाज़िरत नहीं और किनारे पर बँधी हो और उत्तर सकती हो तो उत्तर कर खुशी में पढ़े वर्ना कस्ती ही में खड़े होकर और बीच दरिया में लगर डाले हुए हैं तो बैठ कर पढ़ सकता है अगर हवा के तेज झूमके लगते हों कि खड़े होने में चकड़ का गालिब गुमान हो। और अगर हवा से ज्यादा हसकत न हो तो बैठ कर नहीं पढ़ सकते और कस्ती पर नमाज़ पढ़ने में किसी को गुँह कर ले और अगर इतनी तेज़ गर्दन हो कि किसी को गुँह करने से आज़िज़ (मजबूर) है तो इस वक़्त मुलातिम रखे, हैं अगर वक़्त जाता देखे तो पढ़ ले। (दृ. मुक्कार, हुल मुक्कार गुरूघ्र)
मसजिदा: जुनून या बेहोशी अगर पूरे छः वक़्त को घेर ले तो इन नमाज़ों की कज़ा भी नहीं अगर बेहोशी आदमी या दरिये के ख़ीफ़ से हो और इस से कम हो तो कज़ा वाजिज़ है। (दृ. मुक्कार)
मसजिदा: अगर किसी-किसी वक़्त होश हो जाता हो तो उसका वक़्त मुकरर है या नहीं अगर
बहारे शरीरात्

वक्त मुक्तारिण है और इस से पहले पूरे ४: वक्त न गुजरे तो कजा वाजिब और वक्त मुक्तारिण न हो बल्कि दफाबलन (अधानक) होश हो जाता है फिर वही हालत पैदा हो जाती है तो इस फक्रकौ का एकतिबार नहीं यानी सब बेहोशियां मुतुसिल (मिली हुई) समझी जायेगी. (उद मुक्तार आलमगीरी)

मसाृला:- शराब या भोंग पी अगर्थ दवा की गरज से और अकल जाती रही तो कजा वाजिब है अगरसे अबख़ाली कितने ही ज्यादा जमाने तक हो। ईश्वी अगर दुसरे ने मजबूर कर के शराब पिला ती जब भी कजा मुल्लकन वाजिब है। (उद मुक्तार आलमगीरी)

मसाृला:- सोता रहा जिसकी बजाज से नमाज जाती रही तो कजा फर्ज है अगरचे नीद पूरे ४: वक्त को देरे। (उद मुक्तार)

मसाृला:- अगर यह हालत हो कि रोज़ा रखता है तो खेड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता और न रखे तो खेड़े हो कर पढ़ सकेगा तो रोज़ा रखै और नमाज बैठ कर पढ़े। (आलमगीरी)

मसाृला:- मरीज ने वक्त से पहले नमाज पढ़ तो इस घोषणों से कि वक्त में न पढ़ सकेगा तो नमाज न है, और बैरिक किरात भी न होगी मंगर जबकि किरात से आजिज हो यानी किरात कर ही न सकेको तो हो जायेगी। (आलमगीरी)

मसाृला:- औरत्स बीमार हो तो शौर्य पर फर्ज नहीं कि उसे वुझू करा दे और गुलाम बीमार हो तो वुझू करा देना मौला के जिम्मे है। (आलमगीरी)

मसाृला:- छोटे हो यानी नहीं हो सकता और बाहर निकलता है तो में और सीखूँ है तो बैठ कर पढ़े। (आलमगीरी)

मसाृला:- बीमार की नमाजें कजा हो गई अब आकर होकर उन्हें पढ़ना चाहता है तो वैसे पढ़े जैसे तन्दृस से पढ़ते हैं उस तरह नहीं पढ़ सकता जैसे बीमारी में पढ़ना मसलन बैठ कर या इशारे से अगर उसी तरह पढ़ी तो न है। और सेहत की हालत में कजा है बीमारी में उन्हें पढ़ना चाहता है तो जिस तरह पढ़ सकता है पढ़े हो जायेगी सेहत की सी पढ़ना इस वक्त वाजिब नहीं। (आलमगीरी)

मसाृला:- पानी में दब रहा है अगर इस वक्त भी बैरिक अमल हो कोई इशारे से पढ़ सकता है मसलन तैराक है या लक्ष्य बैरिक का सहारा भावा जाये तो पढ़ना फर्ज है वरना मधुरू है बच जाये तो कजा पढ़े। (उद मुक्तार कूल नुरउद्दीन)

मसाृला:- ओरब बनवाई अर तबीज हजिल्लिक मसलमान महसुन (महबिब मसलमान हकीम, डॉक्टर) मस्तूर (यानी जिसकी हालत मालूम न हो कि प्ररहजार या फासिस) ने लेटे रहने का हुकम दिया तो लेट कर इशारे से पढ़े। (उद मुक्तार कूल नुरउद्दीन)

मसाृला:- मरीज के मौत नमस्तिस बिल्लिया बिल्लिया है और हालत यह हो कि बदला भी जाये तो नमाज पढ़ने - पढ़ने नमाज न होने की मिलकर बिल्लिया नामानुषाया हो जाये तो उसी पर नमाज पढ़े। ईश्वी अगर बदला जाये तो इस कद जल्द नमस्तिस न होगा मंगर बदलने में उसे शादीद तकलीफ होगी तो उसी नमस्तिस बिल्लिया ही पर पढ़ ले। (आलमगीरी, उद मुक्तार कूल नुरउद्दीन)
सजदा तिलावत का बयान

सही मुरलिम में अबु हूसैन दियालु हताला अन्धु से बतवी हुजूरू अकबाद सतलाहу तालाला अपैस वस्सल्लम इस्काद फरमाते हैं जब इने आदन आयते सजदा पद कर सजदा करता है शीतलन हट जाता है और रो कर कहता है हाय बबरदी मेरी,इने आदम को सजदा के हुक्म हुआ उस ने सजदा किया उसके लिए जनन है और मुशु हुक्म हुआ मेरे इनकार किया मेरे लिए दोजख है।

मसबलाला :— सजदे की चोदह आयते हैं वह यह हैं।

1. सुरौ अलराफ की आखिर आयतः—

2. सुरौ रब्बु की यह आयतः—

3. सुरौ नल्ह की यह आयतः—

4. सुरौ बनी इस्लाइल में यह आयतः—

5. सुरौ मस्तम में यह आयतः—

6. सुरौ हज में पहली जगह जहाँ सजदे का जिक है यह आयत
7. सुर ५४ में यह आयतः

8. सुर ५४ में यह आयतः

9. सुर ५४ में यह आयतः

10. सुर ५४ में यह आयतः

11. सुर ५४ में यह आयतः

12. सुर ५४ में यह आयतः

13. सुर ५४ में यह आयतः

14. सुर ५४ में यह आयतः

सिद्धांत — आयत सज्दा पढ़ने या सुनने से सज्दा वाजिब हो जाता है पढ़ने में यह शरीर कि इतनी आवज से हो कि अगर कोई उपर न लगे हो तो खुद सुन सके। सुनने वाले के लिए यह जरूरी नहीं कि बिलकुल (जानबूझ कर) सुनी हो, बिला काला (अनजान ने) सुनने से भी सज्दा वाजिब हो जाता है। (हिदायतः कुरान कायकुर) सिद्धांत — सज्दा वाजिब होने के लिए पूरी आयत पढ़ना जरूरी नहीं बल्कि वह लफज़ जिसमें सज्दे का माधा पाया जाता है और उसके साथ कलाय या बाद का कोई लफज़ भिला कर पढ़ना काफी है। (सुल्तन मुहल्ला) सिद्धांत — अगर इतनी आवज से आयत पढ़ी कि सुन सकता था मगर शोर गुल होने की वजह से न सुनी तो सज्दा वाजिब हो गया और अगर महज (सिफ़ी) होते हिले आवज पैडा न हुई तो वाजिब न हुआ। (अलमगीरी बेशर) सिद्धांत — कारी ने आयत पढ़ी मगर दूसरे ने न सुनी तो अगर उसी मजलिस में हो उस पर सज्दा वाजिब न हुआ अलबत्ता नमज में इमाम ने आयत पढ़ी तो नुक्तादियों पर वाजिब हो गया अगर न सुनी हो बल्कि अगर आयत पढ़े वक्त वह मौजूद भी न था बाद पढ़ने के सज्दे से पहले शामिल हुआ और अगर इमाम से आयत सुनी मगर इमाम के सज्दा करने के बाद उसी रक्षत में शामिल हुआ तो इमाम का सज्दा उस के लिए भी काफी है और दूसरी रक्षत से शामिल हुआ तो नमज के बाद सज्दा करे। यहूदी अगर शामिल ही न हुआ जब भी सज्दा करे। (अलमगीरी बेशर) सिद्धांत — सुर ५४ हज़ की आखिर आयत जिस में सज्दे का जिक्र है उसके पढ़ने या सुनने से
सजदा वाजिब नहीं कि उसमें सजदे से मुराद नमाज का सजदा है अलबता अगर शाफीई मजहब के इमाम की इक़तिदा की और उसने इस मौके पर सजदा किया तो उसकी मुताबात (पैरी) में मुक़दम़ अब भी वाजिब है। (रुहुल मुहाना)

मसाज़िला :— इमाम ने आयाते सजदा पढ़ी और सजदा किया तो मुक़दम़ भी उसकी मुताबात में सजदा करेगा अगर आयात न सुनी हो। (फरीद)

मसाज़िला :— मुक़दम़ ने आयाते सजदा पढ़ी तो न खुद उस पर सजदा वाजिब है न इमाम पर न और मुक़दम़ ने न माज़ में न बाद में अलबता अगर दूसरे नमज़ी ने कि उसके साथ नमज़ में शरीक न था आयात सुनी ख़बर वह मुक़दम़ दी हो या दूसरे इमाम का मुक़दम़ या दूसरा इमाम, उन पर बादें नमज़ सजदा वाजिब है। भूली उस पर भी वाजिब है जो नमज़ में न हो। (अल्लामा ख़ुशायरुल मुहाना)

मसाज़िला :— जो शाफी नमज़ में नहीं और आयाते सजदा पढ़ी और नमज़ी ने सुनी तो नमज़ के बाद सजदा करे नमज़ में न करे और नमज़ ही में कर लिया तो काफ़ी न होगा नमज़ के बाद फिर करना होगा नगर नमज़ फासिद न होगी। हौं अंगर तिलाबत करने वाले के साथ सजदा किया और इज़तिबा का इसादा भी किया तो नमज़ जाती रहेगी। (फरीद, अल्लामा)

मसाज़िला :— जो शाफी नमज़ में न था आयाते सजदा पढ़ कर नमज़ में शामिल हो गया तो सजदा साफ़ित हो गया। (उद्दुल मुहाना)

मसाज़िला :— रुक़्स़ या सुझूद में आयाते सजदा पढ़ी तो सजदा वाजिब हो गया और उसी रुक़्स़ या सुझूद से अदा भी हो गया और तशहहुद में पढ़ी तो सजदा वाजिब हो गया। लिहाज़ा सजदा करेंगे। फिर क़ब्र मसाज़िला :— आयाते सजदा पढ़ने वाले पर उसे वक़्त सजदा वाजिब होता है कि वह सुझूद नमज़ का अहल हो याद दा या क़ज़ा का उसे हुक़म़ न हो, लिहाज़ा अगर काफ़ी या मज़नून या नाबालिग़ या हैज़ व निकाफ़ वाली औरत ने आयात पढ़ी तो इन पर सजदा वाजिब नहीं और मुसलमान अकिल वालिक़ अहले नमज़ में इनसे सुनी तो इस पर वाजिब हो गया, और सुझूद अगर एक दिन रात से ज़्यादा न हो तो मज़नून पर पढ़ने या सुनने से वाजिब है। फे—बुज़ुब ज़ुबुब ने आयात पढ़ी या सुनी तो सजदा वाजिब है। नये वाले ने आयात पढ़ी या सुनी तो सजदा वाजिब है। भूली सोते तो सुझूद वाली बबुड़े के बबुड़े उसे रोने ने ख़बर दी तो सजदा करे। नये वाले या सोने वाले ने आयात पढ़ी तो सुनने वाले पर सजदा वाजिब हो गया। (अल्लामा ख़ुशायरुल मुहाना)

मसाज़िला :— औरत ने नमज़ में आयाते सजदा पढ़ी और सजदा न किया यहाँ तक कि हैज़ आ गया तो सजदा साफ़ित हो गया। (अल्लामा)

मसाज़िला :— नफ़ल पढ़ने वाले ने आयात पढ़ी और सजदा भी कर लिया किर मज़नून फासिद हो गई तो इसकी क़ज़ा में सजदे का इज़तिदा नहीं और न किया था तो नमज़ के बबुड़ अलग से करे। (अल्लामा)

मसाज़िला :— सजदा फासिद या किसी और ज़मान में आयात का तर्ज़मा पढ़ा तो पढ़ने वाले और सुनने वाले पर सजदा वाजिब हो गया। सुनने वाले ने यह समझा हो या नहीं कि आयाते सजदा का तर्ज़मा है। अलबता यह ज़रूर है कि उसे न मज़नून हो तो बता दिया गया हो कि वह आयाते सजदा का तर्ज़मा है और आयात पढ़ी गई हो तो इसकी ज़करत नहीं कि सुनने वाले को आयाते सजदा होने बताया गया हो। (अल्लामा)
भारत के बाहर शारीरिक हिस्सा

मसजिदः — चंद शून्यों न एक—एक हर्ष पदा कि सबका मज़मूल आयते सजदा हो गया तो किसी पर वाजिब न होगा। 'यूं ही परिदो से आयते सजदा सुनी या जंगल या पहाड़ वैगी या आवाज गूँंजी और बिज़िन्सेही आयत की आवाज कान में आई तो सजदा वाजिब नहीं। (अलम्यही इदु मुकाबार)

मसजिदः — आयते सजदा पढ़ने के बाद मस्जिदः तुर्ग था गया कि मुसलमान हुआ तो सजदा वाजिब न रहा। (अलम्यही)

मसजिदः — आयते सजदा लिखने या उसकी तरफ नज़र करने से सजदा वाजिब नहीं। (अलम्यही, फुजीया)

मसजिदः — सजदए तिलावत के लिए त्यहीमा के सिया वह तमाम शारीर है जो नमाज के लिए है। मस्जिदः तहारी, इस्तीफ़बाले किखा, नियत, पवित्र उस मश्वोन पर कि आगे आता है। सत्रे औरत लिखाज़ा अगर पानी पर कादिर है तयम Guru के सजदा करना आज्ञा नहीं। (इदु मुकाबार-वैरां)

मसजिदः — इसके नियत में यह शर्त नहीं कि फुली आयत का सजदा है बल्कि मुलबनक सजदए—तिलावत की नियत काफी है। (इदु मुकाबार युतु मुहल्ला)

मसजिदः — जो चीज़ नमाज़ को फासिद करती है उसके सजदा भी फासिद हो जायेगा मस्जिदः इसके अमद यानी जान बढ़ा कर सजदा करने में जुड़ी तोड़ना व कलाम (बाल करना) व कहकहा (जोर से हंसना) सब बातों से सजदा भी फासिद हो जायेगा यानी फिर से सजदा करना वाजिब होगा। (इदु मुकाबार वैरी)

मसजिदः — सजदे का मस्टान तरीक़ा यह है कि खड़ा होकर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदा में जाये और कम से कम तीन बार सबक कहने के बाद सबक़नात और खड़े होकर सजदे में जाना और सजदे के बाद खड़ा होना यह दोनों किया मुस्तहब। (अलम्यही, इदु मुकाबार-वैरी)

मसजिदः — मुस्तहब यह है कि तिलावत करने वाला अगर और सुनने वाले उसके पीछे सफ़ होने कर सजदा करें और यह भी मुस्तहब है कि सुनने वाले उससे पहले सर न उठाये और अगर इसके खिलाफ़ दिखाया मस्जिदः अपनी—अपनी जगह पर सजदा किया अगर तिलावत करने वाले के आगे या उससे पहले सजदा किया या सर उठा दिखाया या तिलावत करने वाले ने इस वक़्त सजदा न किया और सुनने वाले ने कर दिखाया या हज़ारा नहीं और तिलावत करने वाले का सजदा फासिद हो जाये तो उनके सजदों पर इस का कुछ असर नहीं कि यह हरीकल्त इक्किद़ा नहीं हिलाज़ा औरत ने अगर तिलावत की तो मदद की अमान यख्नी सजदे में आगे ही सकती है और औरत मर्द के मुहाज़ी (बराबर) हो जाये तो फासिद न होगा। (अलम्यही, इदु मुकाबार-वैरी)

मसजिदः — अगर सजदे से पहले या बाद में खड़ा न हुआ या अल्लाहु अकबर न कहा या सुनना न पड़ा तो ही जायेगा मगर तक्क़ीर छोड़ना न चाहिए कि सत्र (बुज़ुम) के खिलाफ़ है। (अलम्यही)

मसजिदः — अगर तन्वा सजदा करें तो सुनना यह है कि तक्क़ीर इतनी आवाज से कहे कि खुद सुन ले और दूसरे लोग भी उसके साथ हो तो मुस्तहब यह है कि इतनी आवाज से कहे कि दूसरे भी सुने। (इदु मुकाबार)

मसजिदः — यह जो कहा गया कि सजदा तिलावत में 'सबक़नात रस्तिया अल्लाहु' पढ़े यह फर्ज़ नमाज़ में है और नपल नमाज़ में सजदा किया तो चाहे यह पढ़े या और दुसरे जो अहादीस में वादिए है वह पढ़े
सज्जा और ज्योति लिये ज्ञान और सुन्दर, और स्मरण और
बुद्धि और ध्यान के लिये ज्ञान और सुन्दर के लिये ज्ञान और स्मरण.

तर्जमा :- "मेरे चेहरे ने सज्जा किया उसके लिये जिस ने उसे पैदा किया और उसकी सृष्टि बनाई
और अपनी ताकत व कुश्त से कान और आँख की जगह फाढ़ी बरकत वाला है अल्लाह जो अच्छा
पैदा करने वाला है।"

या यह पढ़े :-

अल्लाहु ० सज्जा बना दिया है और उसकी आँखों में भांगी सबोई और अच्छी जमीन दी
सज्जा दिया है। यदि अल्लाह ! इस सज्जा की वजह से तू मेरे लिये अपने नजदीक सवार लिख और इसकी
वजह से मुझसे गुनाह को दूर कर और इसे तू मेरे लिए अपने पास जड़कर ना बना और उसको तू मुझा
से कबूल कर जैसा तूने अपने बदने दादा अल्लाहसलाम से कबूल किया।

या यह कहे :-

सुन्दर रूप से कहा और ज्योति से ज्ञान उपलब्ध।

तर्जमा :- " पाक है हमारा रब बेशक हमारे परवर्तको का कबूल होकर रहेगा।"

और अगर बैठने नमाज (नमाज से बाहर) होते तो यह पढ़े या सहाबा व ताबीज़ से जो
आता रहती है वह पढ़े मस्तन इने उमर रहियलहु तालाला अहुदा में मर्जी है वह कहते थे:-

अल्लाहु ० सज्जा सवार और ज्योति से ज्ञान
अल्लाहु ० ज्ञान से सज्जा और ज्ञान से सज्जा

तर्जमा :- " ऐं अल्लाह ! मेरे जिस ने तुझे सज्जा किया और मेरा दिल तुझ पर ईमान हुआ। ऐ
अल्लाह ! तू मुझा को इसे नाकेसू और अमले नाकेसू रोजी कर।" (पुष्पिकाण मुहर्राम)

मस्तना :- सज्जा के स्वावर अल्लाह अकबर कहते उसके लिये हाय उदाहाना न है न इसमें
तशहाद है न सलाम। (तवीफल अब्बास)

मस्तना :- आयतो सज्जा बैठने नमाज (नमाज के बाहर) पड़ते तो फौरन सज्जा कर लेना बाजिब
नहीं, हृदें विषम है कि फौरन करे और वुजू हो तो ताकीर मुक़द्र हसंकी हृदें। (इह मुहर्राम)

मस्तना :- उस वक़्त अगर किसी वजह से सज्जा न कर सके तो सज्जा करने वाले और
सामें (मुखने वाले) को यह कह लेना मुत्तमब है :-

सुन्दर और ज्योति देखने ज्ञान रूप से और ज्ञान के उपलब्ध।

तर्जमा :- "हमने सुना और देखा माना तरी सत्संदेह का स्वाप्न करते हैं ऐ परवर्तको ! और तेही ही परवर्तक करते हैं।"

मस्तना :- सज्जा के स्वावर नमाज में फौरन करना बाजिब है, ताकीर करेगा गुनहगार होगा और
sजजह जाना भूल गया तो जब तक दुर्गांवते नमाज में है, कर ले (यानी कोई ऐसा काम न किया हो
जो नमाज को तोड़ना वाला है तो सज्जा करे) आगे सलाम केर चुका हो और सज्जा सहव करे।
(इह मुहर्राम, इह मुहर्राम) ताकीर से मुराद तीन आवाज़ से ज्ञान पढ़ लेना है कम में ताकीर नहीं मारे।

कादरी दादाल इशारा
आख़िर सूरत में अगर सजदा वाक़्य है मसलन इशाराक (यहुदी सूरत इस्लामक) तो सूरत पूरी करके सजदा करेगा जब भी हरज नहीं। (हुलू मुहारर)

मसाख़ा:— नन्दाज में आयत के सजदा पढ़ी उसका सजदा नमाज ही में वजिब है बैठने नमाज नहीं हो सकता और कसदन न किया तो गुनाहगार हुआ तो जिम्मे है बशर्त कि आयत सजदा पढ़ी और सजदा न किया तो नमाज तो यह दो नमाज धार्मिक हो गई या कसदन फासिद की तो बैठने नमाज सजदा कर ले और सजदा कर कर किया तो हाजिम नहीं। (हुलू मुहारर)

मसाख़ा:— अगर आयत पढ़ने के बाद फॉर्म नमाज का सजदा कर लिया यानी आयत सजदा के बाद तीन आयत ज्यादा न पढ़ा और रक्कू खर के सजदा किया तो आयत सजदा तिलावत की नियत न हो अदा हो जायेगा। (अलमगीरी,हुलू मुहारर)

मसाख़ा:— नमाज का सजदा तिलावत नमाज के सजदे से भी अदा हो जाता है और रक्कू खर से भी। मगर रक्कू खर से जब अदा होगा कि फॉर्म के फॉर्म के अदा तो सजदा करना ज़रूरी है और जिस रक्कू खर से सजदा तिलावत अदा किया ख्राना वह रक्कू —ए— नमाज हो या उसके अलावा अगर रक्कू —ए— नमाज है तो उस में अदाए सजदा की नियत कर ले और अगर ख़ास सजदे हो के लिए यह रक्कू खर किया तो इस रक्कू खर से उतने के बाद गुस्तखब यह है कि दो तीन आयते जा ज्यादा पढ़कर रक्कू —ए— नमाज के फॉर्म न करे और अगर आयत सजदा पर तीन सजदा न है और सजदे के लिए रक्कू खर किया तो दूसरी सूरत की आयत के पढ़ कर रक्कू खर करे। (गुलिया,अलमगीरी,हुलू मुहारर,हुलू मुहारर)

मसाख़ा:— आयत सजदा बीच सूरत में है तो अफज़ल यह है कि उसे पढ़ कर सजदा करे विन खर और आयत पढ़ कर रक्कू खर के अगर सजदा न किया और रक्कू खर कर लिया और इस रक्कू खर में अदाए सजदा की नियत कर लै बैठी है कि अगर जो न सजदा किया न रक्कू खर किया बल्कि दूसरी सूरत खर के रक्कू खर किया तो आयत नियत करे नाकाफ़ी है और जब तक नमाज में है सजदे की कहाँ करा सकता है। (अलमगीरी)

मसाख़ा:— सजदे पर सूरत खर है और आयत सजदा पढ़ कर सजदा किया तो सजदे से उतने के बाद दूसरी सूरत की कुछ आयते पढ़ कर रक्कू खर करे और बैठे पढे रक्कू खर कर दिया तो भी जज़ी है। (अलमगीरी)

मसाख़ा:— अगर आयत सजदा के बाद ख़तर सूरत में दो तीन आयते बाक़ी हैं तो आयत सजदा रक्कू खर के पढ़ कर सूरत खर करने के बाद या फॉर्म सजदा करे फिर बाक़ी आयते पढ़ कर रक्कू खर में जाये या सूरत खर कर के सजदे में जाये सब तरह प्रायोगिक है मगर इस सूरत अख़्यात में सजदे से उतने का कुछ आयते दूसरी सूरत की पढ़ कर रक्कू खर करे। (गुलिया,अलमगीरी)

मसाख़ा:— रक्कू खर में जाये तक सजदे की नियत नहीं की बल्कि रक्कू खर में या उतने के बाद की तो यह नियत काफ़ी नहीं। (अलमगीरी)

मसाख़ा:— तिलावत के बाद इमाम रक्कू खर में गया और सजदे की नियत कर ली मगर युक्तियों ने न की तो इनका सजदा अदा न हुआ। इमाम जब सलाम फ़ेरे ले मुक्तती सजदा कर के कबाद करे और सलाम फ़ेरे इस कबाद में तशहूद वाजिब है अगर कबाद न किया तो नमाज फासिद हो गई कि कबाद जाता रहा। यह दुर्भ कहनी मुज़हब का है सिर्फ़ में दूँकी मुक्तती की
इल्म नहीं लिहाजा माजुर है। अगर इमाम ने रुफूस से सजदा तिलावत की नियत न की तो इसी 
सजदे में सजदा अदा हो गया अपरन नियत न हो। लिहाजा 
इमाम को चाहिए कि रुफूस में सजदे की नियत न करे, मुकदमियों ने अगर नियत न की तो उनका 
सजदा अदा न होगा और रुफूस के बदल जब इमाम सजदा करेगा तो उससे सजदे तिलावत बहर 
हाल अदा हो जायेगा नियत करे या न करे फिर नियत की क्या हाजिम। (आलमनीरी, इल्मुखा, इल्मुखा) 
मसाजिलाeva, ज्ञान नमज्द में इमाम ने आयते सजदा पद्धी तो सजदा करना और लिया (behatar) है और 
सीसी में रुफूस करना कि मुकदमियों को धोका न लगे। (इल्मुखा) 
मसाजिलाeva, इमाम ने सजदे तिलावत किया था मुकदमियों को रुफूस का गुमान हुआ और रुफूस में 
गये तो रुफूस तोड़कर सजदा करें और जिसने रुफूस और एक सजदा किया जब भी हो गया और 
अगर रुफूस करके तो सजदे कर लिये तो उसकी नमज्द गई। (इल्मुखा) 
मसाजिलाeva, मुसलमङ्गली(नमजङ्गली) सजदे तिलावत भूल गया रुफूस या सजदा या क़ब्दा में याद आया 
तो उसी बदल सजदा कर फिर जिस रुफूस में था उसकी तरफ़ सौंद आये यथार्थ रुफूस में था तो 
सजदा करके रुफूस में बापस हो और अगर उस रुफूस का इज़ादा न किया यथार्थ लीगा नहीं जब 
भी नमज्द हो गई। (आलमनीरी) मगर क़बद मुजङ्गलेकी का इज़ादा (लीगा)फर्ज है कि सजदे से 
क़बदा बाहिल हो जाता है। 

एक मज़िलास या आयते सजदा पद्धी या सुनने के मसाजिला 
मसाजिलाeva, एक मज़िलास में सजदे की एक आयत को बार-बार पद्धी या सुनने तो एक ही सजदा 
वाज़जिब होगा अगर चंद शाखाओं से सुनना हो। और अगर आयत पद्धी और अगर आयत दूसरे से चुनी 
जब भी एक ही सजदा वाज़जिब होगा। (इल्मुखा, इल्मुखा) 
मसाजिलाeva, पढ़ने वाले ने कई मज़िलासों में एक आयत बार-बार पद्धी और सुनने वाले की मज़िलास 
न बदलती तो पढ़ने वाला जितनी मज़िलास में पढ़ा उस पर उतने ही सजदे वाज़जिब होगे और सुनने 
वाले पर एक और अगर इसका उलटा है यथार्थ पढ़ने वाला एक मज़िलास में बार-बार पढ़ता रहा 
और सुनने वाले की मज़िलास बदलती रही तो पढ़ने वाले पर एक सजदा वाज़जिब होगा सुनने वाले 
पर उतने जितनी मज़िलासों में सुना। (आलमनीरी) 

मसाजिलाeva, मज़िलास में वही आयत पद्धी या सुनी और सजदा कर लिया फिर उसी मज़िलास में 
वही आयत पद्धी या सुनी तो वही पढ़ता सजदा काफी है। (इल्मुखा) 

मसाजिलाeva, एक मज़िलास में चंद बार आयत और सुनी और आख़िर में इतनी ही बार सजदा 
करना चाहे तो यह भी खिलाफ़ मुसाजिल है बल्कि एक ही बार करे चिलाफ दुरुस्त शरीफ के कि 
नाम अक्षरस लिया सुना तो एक बार दुरुस्त शरीफ वाज़जिब और हर बार मुसाजिल। (इल्मुखा) 

मज़िलास बदलने और न बदलने की सुँगला 

मसाजिलाeva, दो एक लुकमी खाने, दो एक घूंट पीने, खदे हो जाने, दो एक कदम चलने, सलाम का 
जवाब देने, दो एक बात करने, मक़ान के एक गोशे से दूसरे गोशे की तरफ़ चले जाने ने मज़िलास 
न बदलने। वेद अगर मक़ान बड़ा है जैसे शाही महल तो ऐसे मक़ान में एक गोशे से दूसरे में जाने 
से मज़िलास बदल जाते है। कठोरी में है और कठोरी चल रही है मज़िलास न बदलने।
यही हुक्का होता नहीं। जानकर पर सवार है और वह चल रहा है तो मजलिस बदल रही है। हीं अगर सवारी पर नमाज पढ़ रहा है तो न बदलेगी। तीन लुक्के खाने, तीन छुट्टी पीने, तीन कलमों बोलने, तीन कदम मैदान में चलने, निकाह या खरीद द फरोज़ा, करने लेत कर सो जाने से मजलिस बदल जायेगी। (आलमनीरी, गुनिया, दुर्र मुखदार वरेत)

मसजिदा : सवारी पर नमाज पढ़ता है और कोई शाखा साथ चल रहा है या वह भी सवार है मगर नमाज में नहीं, ऐसी हालत में अगर आयत बार-बार पढ़ी तो इस पर एक सजदा वाजिब है और साथ वाले पर उतने जितनी बार सुना। (दुर्र मुखदार, रुकुल मुखदार)

मसजिदा : ताना ताना (कपड़ा बुनते बक्ता कपड़ा बुनने के लिए ताना ताना जाना) नहर या हौज में तैसरा दरख़ा की एक शाखा से दूसरी शाखा पर जाना, हल जोतना दाये चलाना, चक्कर के बैल के पीछे फिरना, और का बच्चा को दूध पिलाना इन सब सूरतों में मजलिस बदल जाती है जितनी बार पढ़ेगा या सुनेगा उतने सजदे वाजिब होगे। (गुनिया, दुर्र मुखदार, गंजिहुमा) यही हुक्का केल्ले के बैल के पीछे चलने का होता नहीं।

मसजिदा : एक जागह बैठे-बैठे ताना तन रहा है तो मजलिस बदल रही है अगर फतहफूल कदर में इसके खिलाफ़ लिया इसलिये कि यह अमले कसी है। (रुकुल मुखदार)

मसजिदा : किसी मजलिस में देर तक बैठना, फिर उत्तर, त्सबीह व तहलील दर्श, अजून में मशाकुल होना मजलिस को नहीं बदलेगा और अगर दोनों बार पढ़ने के दरमियान कोई दुनिया का काम किया मसलन कपड़ा सीना वग़ा तो मजलिस बदल जायेगी। (दुर्र मुखदार)

मसजिदा : आयत सजदा नमाज के बाहर तिलावत की और सजदा करके फिर नमाज शुरू की और नमाज में फिर वही आयत पढ़ी तो उस के लिए दोवारा सजदा करे और अगर पहले न किया था तो यही उसके भी काइम मकाम हो गया बशर्त कि आयत पढ़ने और नमाज के दरमियान कोई अजनबी फेल फासिल न हो और अगर न पहले सजदा किया न मनाज में तो दोनों साखित हो गये और गुरुहार उज्जा तीबा करे। (दुर्र मुखदार, रुकुल मुखदार)

मसजिदा : एक रक़शात में बार-बार वही आयत पढ़ी तो एक ही सजदा है ख्यात चन्द बार पढ़ कर सजदा किया या एक बार पढ़ कर सजदा किया फिर दोवारा, ऐसी बार आयत पढ़ी यूही अगर एक नमाज की सब रक़शातों में या दे-दीन में वही आयत पढ़ी तो सब के लिए एक सजदा काफ़ी है। (आलमनीरी)

मसजिदा : नमाज में आयत सजदा पढ़ी और सजदा कर लिया, फिर सलाम के बाद उसी मजलिस में वही आयत पढ़ी तो अगर कलम न किया था तो वही नमाज वाला सजदा इसके भी काइम मकाम है और कलम कर लिया था तो दोवारा सजदा करे और अगर नमाज में सजदा न किया था फिर सलाम फरेने के बाद वही आयत पढ़ी तो एक सजदा कर ले नमाज वाला साखित हो गया। (नविया, आलमनीरी गुनिया, रुकुल मुखदार)

मसजिदा : नमाज में आयत सजदा पढ़ी और सजदा किया फिर बे-कुजू हुआ और कुजू करके बिना की फिर वही आयत पढ़ी तो दूसरा सजदा वाजिब न हुआ और अगर बिना के बख़्त्र दूसरे से वही आयत सुनी तो दूसरा वाजिब है और यह दूसरा सजदा नमाज के बाद करे। (आलमनीरी)
मसाजिला : एक मजलिस में सज्जे की चन्द आयेर पढ़ी तो उतने ही सज्जे करे एक काफी नहीं।
(मसाजिला : दीर्घ सूरत पढ़ना और आयेर सज्जा छोड़ देना मकरने तहरीरी है और फिर आयेर सज्जा पढ़ने में करार नहीं मगर बेहतर यह है कि एक आयत पढ़े या बाद की मिला ले।) उद्द खुलकर
मसाजिला : सुनने वालों ने सज्जा का टहाया किया हो और सज्जा करने के लिए तैयार हों और सज्जा उन पर मारी न हो तो आयत बलन्द आयाज से पढ़ा आयाला है वरना आहिस्ता, और सुनने वालों का हाल मानूस न हो कि इसलगा है कि नहीं है जब भी आहिस्ता पढ़ा बेहतर होना चाहिए। (खुल खुलकर)
मसाजिला : आयते सज्जा पढ़ी गई मगर कम में मरापुरू के सब न सुनी तो सही यह कि सज्जा वाजिब नहीं मगर बहुत से उलमा कहें है कि आगर न सुनी सज्जा वाजिब हो गया।) उद्द खुलकर
जुरूँरी फाइदा : जिस मकसद के लिए एक मजलिस में सज्जे की सब आयत पढ़ कर सब सज्जे करे अल्लाह तआला उसका मकसद पूरा फरभाला देगा। ख्वाह एक-एक आयत पढ़ कर उसका सज्जा करता जाये या सब को पढ़ कर आखिर में चौहाँ सज्जे करे। (घुनिया, खुरें मुक्तार,खुल मुहतार)
मसाजिला : जमीन पर आयते सज्जा पढ़ी तो यह सज्जा सवारी पर नहीं कर सकता मगर ख़ूफ़ की हालत में हो तो हो सकता है और सवारी पर आयत पढ़ी तो सफर की हालत में सवारी पर नी सज्जा कर सकता है। (आलमगीरी)
मसाजिला : मरज की हालत में इशारे से ही सज्जा अदा हो जायेगा। बूढ़ी सफर में सवारी पर इशारे से हो जायेगा। (आलमगीरी,गौर)
मसाजिला : जुमा व ईदेन व दूसरी नमाजों में और जिस नमाज में मारी जमात हो आयते सज्जा हगाम को पढ़ना मकरने है। ह्या आगर आयत के बाद पौरािन खुक्सु क व सुनीड कर दे और खुक्सु में नियत न करे तो कराहत नहीं। (घुनिया, खुरें मुक्तार,खुल मुहतार)
सज्जे शुक के कुछ मौके
मसाजिला : सज्जा शुक मंसल मालाद सैदा हुई या माल पाया या गुमी हुई चीज मिल गई या मरजा ने शिफा पाई या मुसाफर वापस आया गरज किसी नेसबत पर सज्जा करना अनुश्रुत है और इसका तरीका वही है जो सज्जे तिलावत का है। (आलमगीरी,खुल मुहतार)
मसाजिला : सज्जा बे-सवार या अक्सर अवाम करते हैं न सवार न मकरना।

नमाजे मुसाफिर का बयान

अल्लाह तआला फरभाला है:

अनुभवहरू के अनुसार, यह उद्देश्य नहीं है कि संज्ञा में केस करे अगर खुफ़ करे तो काफिर उसे क्यों फितने में बालेंगे?

हदीस N.1 : सही मुसलिम शरीफ में है यद्यता इनके उमया दिल्लि-हारा तआला अन्तु कहतें हैं अधिकतम मोहम्मदजी के रूपांतर दिल्लि-हारा तआला अन्तु। से में अभी की कि अल्लाह, तआला ने तो यह फरभाला।

कदरी दरभंग इसायत
बहारे शरीफ़

इसका मुझे भी तताज्जुब हुआ था मैंने रसुलल्लाह ﷺ सल्लल्लाहु ताआला अलैहि वसल्लम से सवाल किया। इरादाद फरमाया एक सदका है कि अल्लाह ताआला ने तुम पर तस्विर फरमाया उसका सदका कबूल करो।

हदीस नं.2 :- सही बुखारी व सही मुस्लिम में मर्वी कि हारिसा इने बहब खुजाराई रिद्यिल्लाहु ताआला अहनु कहते हैं रसुलल्लाह ﷺ सल्लल्लाहु ताआला अलैहि वसल्लम ने मिना में दो रक्खत नामाज़ पढ़ी हालाँकि न हमारी इतनी ज्यादा तालाब कभी थी न इस कद का अमन।

हदीस नं.3 :- सहीह में अब रिद्यिल्लाहु ताआला अहनु से मर्वी कि रसुलल्लाह ﷺ सल्लल्लाहु ताआला अलैहि वसल्लम ने मदीने में जोहर की चार रक्खते पढ़ी और जुलहलैफा में अर्श की दो रक्खते। (मदीने मुखरजा से तीन मील के फासीले पर एक मकाम का नाम है यह अर्नहै) (फरक्कलय)

हदीस नं.4 :- तिरिजी शाहीफ में अबुल्ला इने बहब रिद्यिल्लाहु ताआला अहनु से मर्वी कहते हैं मैंने नभी सल्लल्लाहु ताआला अलैहि वसल्लम के साथ हज़र (जहाँ पर अदमी का असली मकाम हो या ऐसी जगह जहॉन पड़ह दिन ठहरने का इरादा हो) सफर दोनों में नमाज़े पढ़ी। हज़र में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताआला अलैहि वसल्लम के साथ जोहर की चार रक्खते पढ़ी और इसके बाद दो रक्खत और सफर में जोहर की दो और इस के बाद दो रक्खत और अश्र की दो और इसके बाद कुछ नहीं और मगरिब के हज़र व सफर में बर्बार तीन रक्खते सफर व हज़र किसी में नमाज़े मगरिब की कब्श न फरमाते और इसके बाद दो रक्खत।

हदीस नं.5 :- सहीह में अमूल मोमिनन सिद्दीका रिद्यिल्लाहु ताआला अहनु से मर्वी फरमाती है नमाज़ दो रक्खत फर्ज़ की गई जब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताआला अलैहि वसल्लम ने हिज़रत फरमाई तो चार फर्ज़ कर दी गई और सफर की नमाज़ उसी पहले फर्ज़ पर छोड़ी गई।

हदीस नं.6 :- सही मुस्लिम शाहीफ में अबुल्ला इने अबजस रिद्यिल्लाहु ताआला अहनु से मर्वी कहते हैं कि अल्लाह ताआला ने नभी सल्लल्लाहु ताआला अलैहि वसल्लम की जबानी हज़र में चार रक्खते फर्ज़ की और सफर में दो और ख़ौफ़ में एक यानी इमाम के साथ।

हदीस नं.7 :- इने. मजाज़ ने अबुल्ला इने बहब रिद्यिल्लाहु ताआला अहनु से रिवायत की कि रसुलल्लाह ﷺ सल्लल्लाहु ताआला अलैहि वसल्लम ने नमाज़े सफर की दो रक्खते मुक्त़ार फरमाई और यह पूरा है कम नहीं यातनी अगर बज़ाहिर दो रक्खते कम हो गई मगर सवाण में यह दो ही चार के बराबर हैं।

गताइले फ़िक़ियत

शराब मुसाफ़िर वह शर्म है जो तीन दिन की राह में जाने के इरादे से बस्ती से बाहर हुआ।

मसाला :- दिन से मुराद साल का सब में छोटा दिन और तीन दिन की राह से यह मुराद नहीं कि सुबह से शाम तक चले कि खाने, गोदे, नमाज और दीघर तक रात्रियात के लिए ठहरना जरूरी है बल्कि मुराद दिन का अक्सर हिस्सा है मसाला शुरुआत सुबह से बाहर झुकने तक चला फिर ठहर गया फिर दूसरे और दूसरे दिन शुरू हो तो इतनी दूर तक की राह को मुसाफ़िटे सफर(सफर की
मसाला:— साल का छोटा दिन उस जगह मोक्षतबर है जहाँ रात दिन मोक्षतबर(बराबर)हो यानी छोटे दिन के अक्षर हिस्से में मैंजिल तय कर सकते हैं। लिहाजा जिन शहरों में बहुत छोटा दिन होता है जैसे बुलगारिया कि वहाँ बहुत छोटा दिन होता है। लिहाजा वहाँ के दिन का अधिकार नहीं।

मसाला:— कोस का प्रेमलिपि नहीं कि कोस कहीं छोटे होते हैं कहीं बड़े होते हैं। बल्कि एक निकटवर्ती तीन मंजिलों का है और खुशकिया में मैं जिस हिसाब से इसकी भारतीय 575 मील है।

मसाला:— किसी जगह जाने के दो रास्ते हैं एक से मसाले सफर है दूसरे से नहीं तो जिस रास्ते से तह जाएगा उस का अधिकार या नजदीक वाले रास्ते से गाया है तो मुसाफिर नहीं और दूर वाले से गया है तो अगर उस रास्ते को वर्किया करने में उसकी कोई सही गरज न हो।

मसाला:— किसी जगह जाने के दो रास्ते हैं एक दिन का दूसरा खुशकिया का। इनमें एक दो दिन का है दूसरा तीन दिन का। तीन दिन वाले से जाये तो मुसाफिर है बनी नहीं।

मसाला:— तीन दिन की राह को लें सबसे पहले दो दिन या कम में तय करे तो मुसाफिर है और तीन दिन से कम के समय में ज्यादा दिनों में तय किया तो मुसाफिर नहीं।

मसाला:— तीन दिन की राह को किसी बारी ने अपनी वर्तमान से बहुत ढेरों जमाने में तय किया तो जाहिर यही है कि मुसाफिर के अड़काम उसके लिए सत्सनाग हो गए। इसमें इसमें हमारे ने उसका मुसाफिर होना मुसलिम फ़रंदाया यानी उसे मुसाफिर नहीं माना।

मसाला:— बहुत सफर की नियंत्रण कर लेने से मुसाफिर न होना। बल्कि मुसाफिर का हक़कं उस वक्त से है कि इसकी आबादी से बाहर हो। जाने शहर में है तो शहर से गाँव में हैं तो गाँव से और शहर वाले के लिए यह भी ज़रुरी है कि शहर के आस-पास जो आबादी शहर से मुसलिम (मिली हुई) है उससे भी बाहर हो जाये।

मसाला:— फ़नाए शहर से जो गाँव मुसलिम हैं शहर वाले के लिए उस गाँव से बाहर हो जाना ज़रुरी नहीं। बृहत वाले से मिले हुए बाग हो अगर उनके निगमवाले और काम करने वाले उनमें रहते हो उन बागों से निकल जाना ज़रुरी नहीं।

मसाला:— फ़नाए शहर यानी शहर से बाहर की वह जगह जो शहर के कामों के लिए हो मसलन क़ब्रिस्तान पुड़किया का मैदान क़ूदा क़ूदा करने की जगह अगर यह शहर से मुसलिम हों तो इससे बाहर हो जाना ज़रुरी है और अगर शहर के फ़ना के दरमियान फासिला हो तो नहीं।

मसाला:— आबादी से बाहर होने से मुसलमान यह है कि जिस जा रहा है उस तरफ आबादी ख़ुल को जाये अगर उनकी मुहाजित (मुकाबिल) में दूसरी तरफ ख़ुल न हुई हों।

मसाला:— कोई मुहल्ला पहले शहर से मिला हुआ था मगर अब जुड़ा हो गया तो उसके बाहर
होना भी जरूरी है और जो मुल्ला वीरान हो गया क्या शहर से पहले मुत्तसिल था या अब भी मुत्तसिल है उस से बाहर होना शर्त नहीं (मुनिया खूल मुकरार)

मसभुला :- स्तेशन जहाँ आबादी से बाहर हो तो स्तेशन पर पहुँचने से मुसाफिर हो जायेगा जबकि मसाफते सफर तक जाने का इरादा हो।

मसभुला :- 'सफर के लिए' यह भी जरूरी है कि जहाँ से चले वहाँ से तीन दिन की राह का इरादा हो और अगर दो दिन की राह के इरादे से निकला और वहाँ पहुँच कर दूसरी जगह का इरादा हुआ कि वह भी तीन दिन से कम का रास्ता है अंधी सारी दुनिया धूम आये मुसाफिर नहीं। (मुनिया खूल मुकरार)

मसभुला :- यह भी जरूर है कि तीन दिन का इरादा मुत्तसिल सफर (यानी एक साथ लगातार सफर) का हो अगर यूं इरादा किया कि मसाफते दो दिन की राह पर पहुँच कर कुछ काम करना है वह कर के फिर एक दिन की राह जाई तो तीन दिन की राह का मुत्तसिल इरादा न हुआ, मुसाफिर न हुआ। (फराही रजविया)

मसभुला :- मुसाफिर पर वाजिब है कि नमाज में क्रम करे यथार्थ चार रक्षत वाले फर्ज को दो पढ़े। उसके अक में दो ही रक्षतें पूरी नमाज है और कसूर चार पढ़ी और दो पक्षुदा किया तो फर्ज अदा हो गयी और पिछली दो रक्षतें नफ्त हुई मगर गुनाहगर व मुत्तसिलके नार हुआ कि वाजिब छोड़ा लिहाज़ा तीबा करे और दो रक्षत पर कथुदा न किया तो फर्ज अदा न हुए और वह नमाज नफ्त हो गई। हैं अगर तीसरी रक्षत का सजदा करने से पहले इकाओत की नियत कर ली तो फर्ज बातिल न होंगे मगर किया द रक्षत का इरादा (लोटाना) करना होगा और अगर तीसरी के सजदे में नियत की तो अद फर्ज जाते रहें। अंधी अगर पहली दोनों या एक में किरात न की नमाज फासिद हो गई। (हिदायात, आलमगीरी, सुरुनख़ाल फ़तेहाबाद)

मसभुला :- यह रख्सत कि मुसाफिर के लिए है मुल्लक है उसका सफर जाइज़ काम के लिए हो या नाजाइज़ के लिए बहरहाल मुसाफिर के अहकाम उसके लिए सरक्षत होंगे। (शहीद खुड़ा)

मसभुला :- कसूर तीन दिन की राह के इरादे से निकला दो दिन के बढ़ मुसलमान हो गया तो उसके लिए क्रूर है और नफ्तालिक तीन दिन की राह के इरादे से निकला और रात में बालिग हो गया, अब से जहाँ जाना है तीन दिन की राह न हो तो पूरी पढ़े। हैज़ा बाली पक्ष हुई और अब से तीन दिन की राह न हो तो पूरी पढ़े। (दर मुखरार)

मसभुला :- बादशाह ने रिशाया का हाल जानने के लिए मुक्त में सफर किया तो क्रूर न करे जबकि पहला इरादा मुत्तसिल तीन मज़िल का न हो और अगर किसी और गुरुज के लिए हो और मसाफते सफर हो तो क्रूर करे। (दर मुखरार फ़ातिमा)

मसभुला :- सुननी में क्रूर नहीं बल्कि पूरी पढ़ी जायेगी अलबता खूफ़ी और रवासी (जल्दी) की हालत में माफ है और अमन की हालत में पढ़ी जायें। (आलमगीरी)

मसभुला :- मुसाफिर उस वक़्त तक मुसाफिर है जब तक अपनी बस्ती में पहुँच न जाये या आबादी में पूरे पत्थर दिन ठहरने की नियत न करे। यह उस वक़्त है जब तीन दिन की राह चल मुका हो और अगर तीन मज़िल पहुँचने से पहले वापसी का इरादा कर लिया तो मुसाफिर न रहा अगर जंगल में हो। (आलमगीरी सुरु मुखरार)
मसाजिदा :— नियते इकामत (ठहरने की नियत) सही होने के लिए छापत हैं—
1. चलना तर्क करे अगर चलने की हालत में इकामत की नियत की तो मुकीम नहीं।
2. वह जगह इकामत की सलाहियत रखती है। जंगल या दरिया या गौरे आबाद ठापू में इकामत की नियत की मुकीम न हुआ।
3. पन्द्रह दिन ठहरने की नियत हो इससे कम ठहरने की नियत से मुकीम न होगा।
4. यह नियत एक ही जगह ठहरने की हो अगर दो मीजों में पन्द्रह दिन ठहरने का इरादा हो मसलन एक में दस दिन दूसरे में चाँद दिन तो मुकीम न होगा।
5. अपना इरादा मुस्तकिल रखता हो यहूदी किसी का ताबेज़ू न हो।
6. उसकी हालत उसके इरादे के मुख्य (खिलाफ़) न हो। (अल्मिरा, रुल मुहतार)

मसाजिदा :— मुशफिक जा रहा है और अमी शहर या गाँव में पहुँचा नहीं और इकामत की नियत कर तो मुकीम न हुआ और पहुँचने के बाद नियत की तो हो गया अगर अभी मकान वैरा की तलाश में कर रहा हो। (अल्मिरा)

मसाजिदा :— मुस्लिमानों का लक्षर किसी जंगल में पड़ा डाले दें और देस खेमा नसब कर के पन्द्रह दिन ठहरने की नियत करे तो मुकीम न हुआ और जो लोग जंगल में खेमों में रहते हैं वह अगर जंगल में खेमा डाल कर पन्द्रह दिन की नियत से ठहरे मुकीम हो जायेंगे बशर्त कि वहाँ पानी और धारा वैरा दरत्याब हो कि उनके लिये जंगल बैसा ही है जैसा हमारे लिए शहर और गाँव। (दूरे मुहतार)

मसाजिदा :— दो जगह पन्द्रह दिन ठहरने की नियत की और दोनों मुस्तकिल (अलग-अलग) हों जैसे जगह मकस्ता तो मुकीम न हुआ और एक दूसरे की ताबेज़ू हों जैसे शहर और उसकी फैला यानी शहर से बाहर की वह जगह जो शहर के काम के लिए हो मसलन कम्बलतान, फुड्डौफ्र का तैयार, खूप पंकज की जगह तो मुकीम हो गया। (अल्मिरा)

मसाजिदा :— यह नियत की कि इन दो बस्तियों में पन्द्रह रोज ठहरेगा। एक जगह दिन में रहे और दूसरी जगह रात में तो अगर फहले वहाँ गया जहाँ दिन में ठहरने का इरादा है तो मुकीम न हुआ और अगर पहले वहाँ गया जहाँ रात में रहने का इरादा है तो मुकीम हो गया फिर यहाँ से दूसरी बस्ती में गया जब भी मुकीम है। (अल्मिरा रुल मुहतार)

मसाजिदा :— मुस्फिक अगर अपने इरादे में मुस्तकिल न हो तो पन्द्रह दिन की नियत से मुकीम न होगा मसलन औरत जिसका महर वैज्ञानिक शौर्म से जिम्मी बाकी न हो कि यह शौर्म की ताबेज़ू है उसकी अपनी नियत बेकार है और गुलाम गैर मुकालिब (गैर मुकालिब उस गुलाम को कहते हैं जिससे यह न कहा है कि इतना रुपया कमा कर दे दो तो तुम आजाद हो) कि अपने मालिक का ताबेज़ू है और लश्करी जिसका बैलुमाल या बादशाह की तरफ से खुलासा मिलता है कि अपने सरदार का ताबेज़ू है और नौकर कि यह अपने आका का ताबेज़ू है और कदी कि यह कदी करने वाला का ताबेज़ू है और जिस मालदार पर तावान लाफिम आया और शांगिर्ज़ जिन के उत्तर के यहाँ से खाना मिलता है कि यह अपने उत्तरदार का ताबेज़ू है और नक बेटा अपने बाप का ताबेज़ू है, इन सबकी अपनी नियत बेकार है बल्कि जिसके ताबेज़ू है उनकी नियतों का एज्जिबार है उसकी नियत इकामत की है तो ताबेज़ू भी मुकीम है उनकी नियत इकामत की नहीं हो यह भी मुस्फिक हैं। (दूरे मुहतार रुल मुहतार अल्मिरा)

कादरी दलले इशावत
मसाजिला :- औरंग का महरें मुआज्जल बाकी है तो उसे इत्िपात हैं कि अपने नफ्स को रोक ले। लिहाजा इस वकता तबेस्त नहीं यौूहि मुकाबिब गुलाम को बर्स मालिक की इजाजत के सफर का इतिहास है। लिहाजा तबेस्त नहीं और जो सिपाही बादशाह या बेतुलमल से खुराक नहीं लेता वह तबेस्त नहीं और अहम्र(नौकर)जो माहिना या साल पर नौकर नहीं बख़्त रोजाना उसका मुकरर है वह दिन भर काम करने के बाद इजाजा फस्क कर सकता है लिहाजा तबेस्त नहीं और जिस मुसलमान को दुआ ने कैद किया और अगर मशूलूम न हो तो उससे दरसात करे जो बताये उसके मुताबिक अमल करने और अगर न बताये तो अगर मशूलूम है कि वह दुआ मुकीम है तो पूरी पढ़े और मुसाफिर है तो क़भ़ करे और यह भी मशूलूम न हो सके तो जब तक तीन दिन की राह तय न करे पूरी पढ़े और जिस पर ताबान लाजिम आया वह सफर में था और पकड़ गया अगर नादार (गरीब) है तो क़भ़ करे और मालदार है और पन्द्रह दिन के अन्दर देने का इरादा है या क़ुछ इरादा नहीं जब भी क़भ़ करे और यह इरादा है कि नहीं देगा तो पूरी पढ़े। (तुलू मुहारर क़सर)

मसाजिला :- तबेस्त ने चाहिए कि मशूलूम (वह शाक्तिजिसके तवे है उसे मशूलूम कहते हैं) से सवाल करे जो जो कहे उसके मुताबिक अमल कर और अगर उसने क़ुछ न बताया तो देखे कि मुकीम है या मुसाफिर,अगर मुकीम है तो अपने को मुकीम समझे और मुसाफिर है तो मुसाफिर और यह भी न मशूलूम हो तो तीन दिन की राह तय करने के बाद क़भ़ करे।

मसाजिला:- अब्बे के साथ कोई हाथ पकड़ कर ते जाने वाला है अगर वह उसका नौकर है तो नाबीना(अंडाज़)की अपनी नियत का एक्सूटिबर है और अगर महज एहसान के तीर ते उसके साथ है तो इसकी नियत का एक्सूटिबर है। (तुलू मुहारर)

मसाजिला :- जो सिपाही सरदार का तबेस्त था और लस्कर को शिकस्त हुई और सब मुत्ताफिक (अलग-अलग) हो गये तो अब तबेस्त नहीं बख़्त इक़ामत और सफर में खुद इसकी अपनी नियत का लिहाजा है। (तुलू मुहारर)

मसाजिला :- गुलाम अपने मालिक के साथ सफर में था मालिक ने किसी मुकीम के तौर पर चाव दला अगर नमाज में उसे इसका इल्म था और दो पढ़ी तो फिर पढ़े यूहि अगर गुलाम नमाज में था और मालिक ने इकामत की नियत कर ती अगर जानकर दो पढ़ी तो फिर पढ़े। (तुलू मुहारर)

मसाजिला :- गुलाम दो शक्सों में गुलाम (शहीद) हैं और वह दोनों सफर में हैं एक ने इकामत की नियत की दूसरे ने नहीं तो अगर उस गुलाम से खिदमत लेने में बारी मुकेरे है तो मुकीम की बारी के दिन चार अरब पढ़े और मुसाफिर की बारी के दिन दो और बारी मुकेरे न हो तो हर रोज़ चार पढ़े और दो सफर पर क़श्ती फर्ज है (अलग-अलग)।

मसाजिला :- जिसने इकामत की मगर उसकी हालत बताते हैं कि पन्द्रह दिन न ठहरेगा तो नियत सही नहीं मसलन हज़र करने गया और शुरुआत जिम्मेबाज़ में पन्द्रह दिन मक्का मुआज्जमा में ठहरने का इरादा किया तो यह नियत बेकार है कि जब हज़ा का इरादा है तो अफ़ज़ल और मिना को ज़कर जायेगा फिर इसने दिनों में मक्का मुआज्जमा में कभी कर ठहर सकता है और मिना से वापस हो कर नियत करे तो सही है। (अलग-अलगके दूर मुहारर)

मसाजिला :- जो शक्ति कही गया और वह्न पन्द्रह दिन ठहरने का इरादा नहीं मगर काफ़िले के
साथ जाने का इरादा है और यह मसूल है कि काफ़िला पन्द्रह दिन के बाद जायेगा तो यह मुकीम है अगर्वर इकामत की नियत नहीं। (इसे मुकर्ता)

मसूला: मुसाफिर किसी काम के लिए या साधियों के इंतजाम में दो-चार रोज या तेरह-तीन दिन की नियत से ठहरा या यह इरादा है कि काम हो जायेगा तो चला जायेगा और दोनों सूरतों में अगर आजकल-आजकल करते बरसन गुजर जायें जब भी मुसाफिर ही है नमाज़ कर दे। (अलमगीरी, ख़ाना)

मसूला: मुसलमानों का लशकर दाललहरब को गया या दाललहरब में किसी किले का मुहाशर (धिराव) किया तो मुसाफिर ही है अगर्वर पन्द्रह दिन की नियत कर ली हो अगर्वर जायें गहरा हो, पूर्वी अगर दालल इस्लाम में बागीयों का मुहाशर किया हो तो मुकीम नहीं और जो शख्स दाललहरब में अमान लेकर गया और पन्द्रह दिन की इकामत की नियत की तो चार पढ़े। (इसे मुकर्ता)

मसूला: दाललहरब का रहने वाला वही मुसलमान हो गया और कुफराफ उसके मार डालने की फिक में हुए वह वो से तीन दिन की राह का इरादा करके भागा तो नमाज़ कसर करे और कहीं दो-एक माह के इरादे से चला गया जब भी कसर पड़े और अगर उसी शहर में छुआ तो पूरी पढ़े और अगर मुसलमान दाललहरब में केंद्र था वहीं से भाग कर किसी गारे में छुआ तो कसर पड़े अगर पन्द्रह दिन का इरादा हो, और अगर दाललहरब के किसी शहर के तमाम रहने वाले मुसलमान हो जायें और हबिबों ने उनसे लड़ना चाहा तो यह सब मुकीम ही हैं। पूर्वी अगर कुफराफ उनके शहर पर गालिब आये और यह लोग शहर छोड़ कर एक दिन की राह के इरादे से चले गये जब भी मुकीम हैं और तीन दिन की राह का इरादा हो तो मुसाफिर फिर अगर वापस आये और कुफराफ ने उनके शहर पर कब्जा न किया हो तो मुकीम हो गये और अगर मुफ़्तियों का शहर पर कब्जा हो गया और वहाँ रहे भी मगर, मुसलमानों के वापस आने पर छोड़ दिया तो अगर यह लोग वहाँ रहने चाहे तो दालल इस्लाम हो गया, नमाज़ पूरी करें और अगर वहाँ रहने का इरादा नहीं बल्कि सिर्फ़ एक-आध महीना रह कर दालल इस्लाम को चले जायें तो कसर करें। (अलमगीरी)

मसूला: मुसलमानों का लशकर दाललहरब में गया और गालिब आये और उस शहर को दालल इस्लाम बनाया तो कसर न करे और अगर महज़ दो-एक माह रहने का इरादा है तो करें। (अलमगीरी)

मसूला: मुसाफिर ने नमाज़ के अन्दर इकामत की नियत की तो यह नमाज़ भी पूरी पढ़े और अगर यह सुरम हुई, कि एक रक्षात्मक पढ़ी थी कि वक्त खत्म हो गया और दूसरी में इकामत की नियत की तो यह नमाज़ दो ही रक्षात्मक पढ़े इसके बाद की चार पढ़े। पूर्वी अगर मुसाफिर लालिक था और इमाम भी मुसाफिर था इमाम के सलाम के बाद नियत इकामत की तो दो ही पढ़े और इमाम के सलाम से पहले इकामत की नियत की तो चार पढ़े। (इसे मुकर्ता, ख़ाना)

मुसाफिर और मुकीम की इक़्लिदास के मसूल

मसूला: आदि व क़ज़ा दोनों में मुकीम, मुसाफिर की इक़्लिदास कर सकता है और इमाम के सलाम के बाद अपनी बाकी दो रक्षात्मक पढ़े और इन रक्षात्मकों में किरात बिल्कुल न करे बल्कि बक़दे फातिहा चुप ख़ड़ा रहे। (इसे मुकर्ता, ख़ाना)

मसूला: इमाम मुसाफिर है और मुक्तदी मुकीम, इमाम के सलाम से पहले मुक्तदी ख़ड़ा हो गया
गया और सलाम से पहले इमाम ने इकामत की नियत कर ली तो अगर मुक्ताद्वी ने तीसरी का सजदा न किया हो तो इमाम के साथ हो ले वरना नमाज़ जाती रही और तीसरी के सजदे के बाद इमाम ने इकामत की नियत की तो मुताबक न करे मुताबक करेगा तो नमाज़ जाती रहेगी। (युनुस मुहम्मद)

मसबुला : यह पहले मालूम हो चुका है कि नमाज़ के सही होना का हुकम इस्किताद के लिए शर्त है कि इमाम मुफ्तियम या मुसाफिर का होना मसूलुम हो ख़ाब नमाज शुरु होते मालूम हुआ हो या बाद में।

मसबुला : लिहाज़ा इमाम को चाहिए कि शुरु होते वक़्त अपना मुसाफिर होना जाहिर कर दे और शुरु में न कहा तो बादे नमाज़ कह दे कि अपनी नमाज़ पूरी कर लो में मुसाफिर हूँ। (इब्राहीम)

मर्घीँ में कह-दिया है जब भी बाद में कह दे कि जो लोग उस वक़्त मीजूद न थे उन्हें भी मसूलुम हो जाये।

मसबुला : वक़्त ख़ाब होने के बाद मुसाफिर मुक्ती की इस्किताद नहीं कर सकता वक़्त में कर सकता है और इस सूरत में मुसाफिर के फर्ज भी तो वक़्त हो गया यह हुकम चार सक्षम है नमाज़ का है और जिन नमाजों में कह नहीं उनमें वक़्त व बादेवेल दोनों सूरतों में इस्किताद कर सकता है वक़्त में इस्किताद की भी नमाज़ पूरी करने से पहले वक़्त ख़ाब हो गया जब भी इस्किताद सही है। (युनुस मुहम्मद)

मसबुला : मुसाफिर ने मुक्ती की इस्किताद की और इमाम के मजहब के मुवाफिक वह नमाज़ कहा है और मुक्ताद्वी के मजहब पर अदा मसूलुम इमाम शाफ़ीई मजहब का है और मुक्ताद्वी हनफी और एक मिश्र के बाद जोहर की नमाज़ उसने उसके पीछे पड़ी तो इस्किताद सही है। (युनुस मुहम्मद)

मसबुला : मुसाफिर ने मुक्ती के पीछे शुरु होते कर के उसे कर दी तो अब दो ही पढ़ते यानी जबकि तन्हा पढ़े या किसी मुसाफिर की इस्किताद करे और फिर मुक्ती की तो चाह पड़े। (युनुस मुहम्मद)

मसबुला : मुसाफिर ने मुक्ती की इस्किताद की तो मुक्ताद्वी पर भी कहा ऊला वाजिब हो गया।फर्ज़ न रहा। तो अगर इमाम ने कहा न किया नमाज़ फासिद न हुई और मुक्ती ने मुसाफिर की इस्किताद की तो मुक्ताद्वी पर भी कहा ऊला फर्ज़ हो गया। (युनुस मुहम्मद)

मसबुला : कह और पूरी पढ़ने में आखिर वक़्त का प्रस्तुतिकर है कि कहने के प्राथमिक हो वक़्त इतना बाक़ी रह गया है कि अंतर्गत अकबर कह ले अब मुसाफिर हो गया तो कह करे और मुसाफिर था इस वक़्त इकामत की नियत की तो चाह पड़े। (युनुस मुहम्मद)

मसबुला : जोहर की नमाज़ वक़्त में पढ़ने के बाद सफ़र किया और अगर की दो पढ़ी फिर किसी जल्दा में नकाल पर पाप सही और अगर अगर का अस्फ़ित बाक़ी है अब मसूलुम हुआ कि दोनों नमाज़ें आपके पढ़े और अगर की दो पढ़े और जोहर की चार चाह सही और अल्लाह की दो। (युनुस मुहम्मद, अल्लामा)

मसबुला : मुसाफिर को सहव हुआ और दो रक्षशत पर सलाम करने के बाद नियते इकामत की, इस नमाज़ के हक़ में मुफ्तियम न हुआ और सजदे सहव साकित हो गया और सजदा करने के बाद नियत की तो सही है और चार वक़्त पढ़ना फर्ज़, अगर एक ही सजदे के बाद मुताबक हुआ। (अल्लामा)

मसबुला : मुसाफिर ने मुसाफियों की इमामत की नमाज़ के बीच में इमाम बे-युजू हुआ और
असली वतन और वतने इकामत के मसाइल

मसाइल :- वतने दो किस्म के हैं असली और वतने इकामत। वतने असली वह जगह है जहाँ उसकी पैदावश है या उसके घर के लोग वहाँ रहते हैं या वहाँ मुकूनत कर ली और यह इरादा है कि यहाँ से न जायेगा। वतने इकामत वह जगह है कि मुसाफिर ने पन्द्रह दिन या इससे ज्यादा ठहरने का वहाँ इरादा किया है। (अल्लामी) नसीहत)

मसाइल :- मुसाफिर ने कहीं शादी कर ली अगर वहाँ पन्द्रह दिन ठहरने का इरादा न हो। मुकीम हो गया और दो शहरों में इसकी दो ओरतें रहती हों तो दोनों जगह पहुँचते ही मुकीम हो जायेगा।

मसाइल :- एक जगह आदमी का वतने असली है अब उसने दूसरी जगह वतने असली बनाया अगर पहली जगह बाल-बच्चे मौजूद हों तो दोनों असली हैं वरना पहला असली न रहा खाब इन दोनों जगहों के दरमियान मसाफत सफर (सफर की दूरी) हो या न हो (दुल मुहराब का तर)

मसाइल :- वतने इकामत दूसरे वतने इकामत को बातिल कर देता है यानी एक जगह पन्द्रह दिन के इरादे से ठहरा फिर दूसरी जगह इतने ही दिन के इरादे से ठहरा तो पहली जगह अब वतन न रही दोनों के दरमियान मसाफत सफर हो या न हो दूसरी वतने इकामत, वतने असली व सफर से बातिल हो जाता है। (दुल मुहराब का तर)

मसाइल :- अगर अपने घर के लोगों को लेकर दूसरी जगह चला गया और पहली जगह मकान व असली (सामान)गैरा बाकी है तो वह भी वतने असली है। (अल्लामी)

मसाइल :- वतने इकामत के लिए यह जश्न नहीं कि तीन दिन के सफर के बाद वहाँ इकामत की हो बल्कि अगर मुकीम सफर तय करने से पहले इकामत कर ली वतने इकामत हो गया। (अल्लामी)

मसाइल :- बालिग के बालिकों की शहर में रहते हैं और वह शहर इसकी पैदावश की जगह नहीं न इसके घर बाले वहाँ ही तो वह जगह इसके लिए वतन नहीं (दुल मुहराब)

मसाइल :- मुसाफिर जब वतने असली में पहुँच गया सफर खत्म हो गया अगर इकामत की नियत न की हो। (दुल मुहराब)

मसाइल :- औरत बियाह कर सुसारल गई और वहीं रहने-सहने लगी तो मयका उसके लिए वतने असली न रहा यानी अगर सुसारल तीन मन्नत पर है वहाँ से मयका आई और पन्द्रह दिन ठहरने की नियत न की हो तो क्या पड़े और अगर मयका रहना नहीं छोड़ा बल्कि सुसारल आरिजी तौर पर गई तो मयका आती ही सफर खत्म हो गया नमज़ फूट पड़े।

मसाइल :- औरत को बगीए महरम के तीन दिन या ज्यादा राह जाना नाजाज़ नहीं बल्कि एक दिन की राह जाना भी नाजाज़ बनते या कम अकल के साथ भी सफर नहीं कर सकती, साथ में बालिग महरम या शौर राह का होना जश्न है। (अल्लामी)

मसाइल :- महरम के लिए जस्ता है कि संकट फासिक, बेबाक, गैर मामून यानी बेहया या गलत कादरी दरफत इकामत
जुमे का बयान

अल्लाह तख्ता फरमाता है--

यात्रियों अल्लाह का नोब्रा ज्ञान है उसे देखकर इमाम महमद अल्लाहु अकबर ने इसे उजागर करने के लिए इमाम महमद अल्लाहु अकबर ने इसे उजागर करने के लिए भेजा है।

तर्कमा :- "ऐ ईमाम वालो! जब नमाज के लिए जुमे के दिन अजाज दी जाये तो जिसे खुदा की तरफ दौड़ो और खरीद व फरोख्त छोड़ दो यह तुर्करे लिए भेदवतर है अगर तुम जानने हो।"

फाजाइले रोजे जुमा

हदीस नं.1 व 2 :- सहीहु इब्राहिम में अबु हूरैर रजियालु हु तख्ता अन्दू से मरबी हजूर उकसद सल्लाल्लाहु तख्ता अल्लाह अल्लाह वस्तलम फरमाते हैं हम पछले हैं (यानी दुनिया में आने के सिहाज से) और कियामत के दिन पहले, सिवा इसके कि उन्हें हम दे पहले किताब मिली और हमे उसके बाद यही जुमा वह दिन है कि उन पर पर्व किया गया यानी यह कि इसकी ताजीम करने वह इस से खिलाए हो गये और हम को अल्लाह तख्ता ने बता दिया दूसरे लोग हमारे ताबेजु हैं यहूद ने दूसरे दिन को यह दिन मुकर्म किया यानी होते को और नसरा ने दूसरे दिन को यानी इतिवाद को। और मुस्लिम की दूसरी रिवाजत उसी से है और हजूर रजियालु हु तख्ता अन्दू से यह है फरमाते हैं हम दुनिया वालों से पीछे हैं और कियामत के दिन पहले कि तानाम महजूलूक से पहले हमारे लिए फाजाइला हो जायेगा।

हदीस नं. 3 :- मुस्लिम व अबु दाजूद म तिमिज त व सयई अबु हूरैर रजियालु तख्ता अन्दू से रायी फरमाते हैं सल्लाल्लाहु तख्ता अल्लाह अल्लाह वस्तलम बेहतर दिन (अच्छा दिन) कि आफताब ने उस पर तुलूशु किया जुमे का दिन है। इसी में आदम अल्लाहु हिस्सालु वस्तलाम पेशा किये गये और इसी में जजन में दाखिल किये गये और इसी में जजन से उतरने का उन्हें हुआ हुआ और कियामत जुमे ही के दिन काम होगी।

हदीस नं.4 व 5 :- अबु दाजूद व नसई व इन्ने माजा व वैहकी ओस इन्नेओ औस रजियालु हु तख्ता अन्दू से रायी कि फरमाते हैं सल्लाल्लाहु तख्ता अल्लाह अल्लाह वस्तलम तुर्करे अफजाल दिनों से जुमे का दिन है इसी में आदम अल्लाहु हिस्सालु वस्तलाम पेशा किये गये और इसी में इतिकाल किया और इसी में नक्खा है (यानी दूसरी बार सूर पुंका जाना) इसी में सखूका है (यानी पहली बार सूर पुंका जाना) इस दिन मुझ पर दुर्दृष्ट दिन के कारण कि तुर्करे दुर्दृष्ट मुझ पर पेश किया जाता है। लोगों ने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लाल्लाहु तख्ता अल्लाह अल्लाह वस्तलम उस वक्त हजूर पर हमारा दुर्दृष्ट कर देते हैं जब हजूर इतिकाल फरमा चुके होते। फाजाइला अल्लाह तख्ता ने जमीन पर अवधि के जिसं खाना हराम कर दिया है और इन्ने माजा की रिवाजत में है कि फरमाते हैं जुमे के दिन मुझ पर दुर्दृष्ट के कारण कि यह दिन मशहूद (घाती दिया हुआ
हदीस नं 6 व 7 :- इन्हें माजा अबु लिबाबा इन्हें अबुदुल मुनिजर और अहमद सबूद इन्हें मशा रदियल्लाहु तत्ताला अन्युं कहते हैं कि फरमाये हैं सल्लल्लाहु तत्ताला अल्लाह अल्लाह वस्तल्म जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार है अल्लाह के नजरीक सब से बड़ा दिन है और वह अल्लाह के नजरीक ईदे अजहार और ईदुल फित्र से बड़ा है। उसमें पौंछ खोलते हैं 1.अल्लाह तत्ताला ने उसी में आदम अल्लाहिस्सलाम को पैदा किया 2. उसी में जमीन पर उन्हें उतारा। 3. उसी में उन्हें बड़ा दिन। 4. उसी में सात दिन भी है कि बन्दा उस बड़ा जिस चीज का सवाल कर वह उसे देगा जब तक हरम का सवाल न करे। 5. उसी पर किया काइम मोही, कोई मुकरब फरिसात आदम व जमीन और हवा और पहाड़ और दरिया ऐसी नहीं कि जुमे के दिन से उसा न हो।

जुमे के दिन एक ऐसे सात (वक्त) है कि उस में दुआ कब्जू होती है

हदीस नं 8 व 10 :- बुखारी और मुस्लिम अबु हुरैर रदियल्लाहु तत्ताला अन्युं से रायी फरमाये हैं सल्लल्लाहु तत्ताला अल्लाह वस्तल्म जुमे एक ऐसे सात है कि मुसलमान बन्दा अगर उसे भी ले और उस बड़ा जिस चीज का सवाल कर तो वह उसे देगा और मुस्लिम की रिहावत में यह भी है कि वह बड़ा बहुत ठोड़ा है। रहा यह कि वह कौन सा वक्त है इसमें रिवायत बहुत है उनमें दो कवी हैं एक जिसके से इमाम के बुधबे के लिए बैठने से खरेमें नमाज तक है। इस हीदा को मुस्लिम अबु हुरैर इद्दे अबी मूसा से वह अपने वालिद से वह दुहारा सल्लल्लाहु तत्ताला अल्लाह अल्लाहिस्सलाम से रिवायत करते हैं और दूसरी कह कि जूजे की पीछी सात है मुहम्मद दाउद और तिरिमजी और नसाइ और अहमद अबु हुरैर रदियल्लाहु तत्ताला अन्युं से रायी जहाँ कहते हैं में कोई तौत के नपक गया और कभी अहबार से मिला उन के पास बैठा। उन्हें उसी में बैठा और में उसी से सल्लल्लाहु तत्ताला और अल्लाहिस्सलाम की हैदी में बयान की। उन में एक हैदी कह भी बस कि सल्लल्लाहु तत्ताला अल्लाह अल्लाहिस्सलाम ने फरमाया बेहतर दिन कि आफ्ताब ने उस पर दुआ किया जुमे का दिन है उसी में आदम अल्लाहिस्सलाम पैदा किये गये और उसी में उन्हें उतारा तो हमा हुआ और उसी में उनकी तीबा कबूल हुई और उसी में उनका इतिहास हुआ और उसी में रिहावत का दिन है और कौन नाबद नहीं कि जूजे के दिन दुहारा के बैठा। आफ्ताब ने तौत के लिए निकले तक किया के दूर से चीखता है। हो सकता आदम और जिन के और इसमें एक ऐसा वक्त है कि मुसलमान बन्दा नमाज पढ़ते में उसे पा लेता अल्लाह तत्ताला से जिस शय (चीज) का सवाल (कबूल) किया और कभी ने कहा था यह हर साल में एक दिन है।
अबुल्लाह इसने सलाम ने कहा क़बूल ने ग़लत कहा। मैंने कहा फिर क़बूल ने तौरत पढ़कर कहा बतौर वह साध्य हर जुमे मे है। कहा क़बूल ने सच कहा फिर अबुल्लाह इसने सलाम ने कहा तुम्हें मालूम है यह कौन सी साज़ित है। मैंने कहा युक्त मताओ और बुख़िल (कुशुरी) न करो। कहा जुमे के दिन की पिछली साज़ित है मैंने कहा पिछली साज़ित कैसे हो सकती है, हुज़ूर ने तो फरमाया है मुसलमान बन्दा नमाज़ पढ़कर उसे पाये और वह नमाज़ का क़ब्त नहीं अबुल्लाह बिन सलाम ने कहा क्या हुज़ूर सल्लल्हु त़हाला अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया है कि जो किसी मजलिस में नमाज़ के इन्सिज़ार में बैठे वह नमाज़ में है। मैंने कहा हैं फरमाया तो है कहा तो वह यही है यानी नमाज़ पढ़ने से नमाज़ का इन्सिज़ार गुरू है।

हैदर न.11 :- तिममनी ने अनस रहियल्लाहु त़हाला अनुक्र से राखी कि फरमाते हैं सल्लल्हु त़हाला अलैहि वसल्लम जुमे के दिन जिस साज़ित की बारहिस़ा की जाती है उसे अस्व बाद से गुरूबे आफ़ताब तक तलाश करो।

हैदर न.12 :- तबग़री औरत में अनस इन्ने मलिक रहियल्लाहु त़हाला अनुक्र से राखी कि फरमाते हैं सल्लल्हु त़हाला अलैहि वसल्लम अल्लाह त़हाला किसी मुसलमान को जुमे के दिन बे-मक़फ़रित किये न छोड़े।

हैदर न.13 :- अंबू युक्तु उन्हीं से राखी कि हुज़ूर सल्लल्हु त़हाला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जुमे के दिन और रात में चिबीस घन्टे में कोई घन्टा ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह त़हाला ज़हनम से छह लाख आज़ाद न करता हो जिन पर ज़हनम वाज़िह ने हो गया था।

जुमे के दिन या रात में मरने के फज़ाइल न.14 :- अहमद व तिममनी अबुल्लाह इन्ने उमर रहियल्लाहु त़हाला अनुक्र से राखी कि हुज़ूर सल्लल्हु त़हाला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो मुसलमान जुमे के दिन या जुमे की रात में मरेंगा अल्लाह त़हाला उसे फितने क़ब्र से बचाएगा।

हैदर न.15 :- अंबू नईम ने जाबिर रहियल्लाहु त़हाला अनुक्र से रिवायत की कि हुज़ूर सल्लल्हु त़हाला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो जुमे के दिन या जुमे की रात में मरेंगा अज़ाब क़ब्र से बचा लिया जायेगा और क़ियम के दिन इस तरह आयेगा कि उस पर शाहीदों की महर होगी।

हैदर न.16 :- हैमद ने तरगीब (किताब का नाम) में अयास इन्ने बुक़ीर से रिवायत की कि फरमाते हैं जो जुमे के दिन मरेंगा उसके लिए शाहीद का अज़ाब लिखा जायेगा और फितने क़ब्र से बचा लिया जायेगा।

हैदर न.17 :- अंता से मरवी कि हुज़ूर सल्लल्हु त़हाला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो मुसल -मान मर्द या मुसलमान और जुमे के दिन या जुमे की रात में मरे अज़ाब क़ब्र और फितने क़ब्र से बचा लिया जायेगा और खुदा से इस हाल में मिलेगा कि उस पर कुछ हिसाब न होगा। और उसके साथ गवाह होंगे कि उसके लिए गवाही देंगे या महर होगी।

हैदर न.18 :- बैहक़ी की रिवायत अनस रहियल्लाहु त़हाला अनुक्र से है कि हुज़ूर सल्लल्हु त़हाला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जुमे की रात रौशन रात है और जुमे का दिन चमककर दिन।
हदीस न.19 :- तिम्मजी इन्हें अब्बास रदियल्लाहु तालाला अन्हुआ से रायी कि उन्होंने यह आयत पढ़ी:-

अल्लाहु अकबर ुल्लाहु अल्लाहु अकबरुकुम और अल्लाहु अकबरुकुम और अल्लाहु अकबरुकुम

तर्जमा :- "आज मैंने तुम्हारा दीन कामथः कर दिया और तुम पर अपनी नेतृत्व-यमाम कर दी और
tुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसन्द फर्माया।

उनकी खिदमत में एक यहूदी हाज़िर था उसने कहा यह आयत हम पर नाजिल होती तो हम
उस दिन की ईंद बनाते। इन्हें अब्बास रदियल्लाहु तालाला अन्हुआ ने फर्माया यह आयत दो ईंदों के
दिन उतसी जुमा और अरफा के दिन यथानै हमें उस दिन की ईंद बनाने की जरूरत नहीं कि
अल्लाह तालाला ने जिस दिन यह आयत उतारी उस दिन दोहरी ईंद थी कि जुमा व अरफा। यह
dोनों दिन गुलामानों की ईंद के हैं और उस दिन यह दोनों जुमा थे कि जुमा का दिन था और नवी
जिलडिज्जा।

फ़ज़ाइले नमाज़े जुमा
हदीस न.20 :- मुस्लिम व अबू दाउद व तिम्मजी व इन्हें माजा अश्बू हुरेरह रदियल्लाहु तालाला अन्हुआ
से रायी हुजुरे अकरस सल्लल्लाहु तालाला अल्लाहु बसल्लम फर्माता हैं जिसने अच्छी तरह वजुद किया
फिर जुमे को आया(खुत्बा)सुना और वजुद रहा उसके लिए मगफिरत हो जायगी उन गुनाहों की जो
इस जुमे और दूसरे जुमे का दर्शनाया है और तीन दिन और, और जिसने कंधरी छुई उसने
लाल(बकार काम)फिर यथानै खुत्बा सुनने की हालत में इतना काम भी लाग ने दाखिल है कि
कंधरी पढ़ी हो उसे हटा दे।
हदीस न.21 :- तबरानी की रिवायत अश्बू मालिक अश्बरी रदियल्लाहु तालाला अन्हुआ से है कि हुजुरु
सल्लल्लाहु तालाला अल्लाहु बसल्लम फर्माता हैं जुमा कप्परा है उन गुनाहों के लिए जो इस जुमे
और इसके बाद वाले जुमे के दर्शनाया है और तीन दिन ज्यादा, और यह इस वजह से कि अल्लाह
तालाला फर्माता है जो एक नेतर करे उसके लिए उसकी दस मिलत है।
हदीस न. 22 :- इन्हें हबिबा अपनी सहीह में अबू साइद रदियल्लाहु तालाला अन्हुआ से रायी कि
फर्माता हैं सल्लल्लाहु तालाला अल्लाहु बसल्लम पॉच चीज़े जो एक दिन में करेगा अल्लाह तालाला
उसको जननी लिख देगा 1. जो मरीज़ को पूछते जाये 2. ज़नाने में हाज़िर हो 3. रोज़ा रखे 4.
जुमे को जाये 5. गुलाम आज़ाद करे।
हदीस न.23 :- तिम्मजी रायी हैं कि यज़ीद इन्हें अप्र रक्तम करते हैं में जुमे को जाता था जुबाय
इन्हें रिफाउ इन्हे राफेल्म मिले उन्होंने कहा तुम्हें बशारत (खुशखबरी)हो कि तुहारे यह कदम
अल्लाह की राह में है। मैंने अबू अबस को कहते था कि रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु तालाला अल्लाहु
बसल्लम ने फरमाया जिसके कदम अल्लाह की राह में गई आलूद हो वह आग पर हरम हैं और
बुखारी की रिवायत में हूँ है कि जुबाया यह कहते हैं में जुमे को जा रहा था अबू अबस
रदियल्लाहु तालाला अन्हुआ मिले और हुजुरु सल्लल्लाहु तालाला अल्लाहु बसल्लम का इराजद सुनाया।
हदीस नं. 24,25,26:—मुस्लिम अबू हैराम व इन्हें उमर से और नसाीि व इन्हे माजा इन्हे अबास व इन्हे उमर रदीयल्लाहु ताताला अन्तुम से राबी जुपुए अकड़स सल्लल्लाहु ताताला अल्लाह वसल्लाम फरमाते हैं लोग जुमा छोटने से बाज़ आयेगे या अल्लाह ताताला उनके दिलों पर मुहर कर देगा फिर गाफिलीन में हो जायेगे।

हदीस नं. 27 से 31:— फरमाते हैं जो तीन जुमे सुस्ती की वजह से छोटे अल्लाह ताताला उसके दिल पर मुहर कर देगा इसको अबू दाज़ुद व तिरमिजी व नसाीि व इन्हे माजा व दासीि व इन्हे खुजेमा व इन्हे हब्बा व हाफिक अबू जबुए जमरी से और इमाम मलिक ने सफ्वान इन्हे सुल्ता से और इमाम अहमद ने अबू कुलाद रदीयल्लाहु ताताला अन्तुम से रिवायत किया। तिरमिजी ने कहा यह हदीस हसन है और हाफिक ने कहा सही है मुस्लिम शाफीक की शराईद के मुताबिक और इन्हे खुजेमा और इन्हे हब्बा की एक रिवायत में है जो तीन जुमे बिला उज्ज छोटे वह मुनाफिक है और रजीन की रिवायत में है वह अल्लाह से बेहालका है और तबरानी की रिवायत उसका रदीयल्लाहु ताताला अन्तुम से है वह मुनाफिकीय में लिख दिया गया और इमाम शाफीक रदीयल्लाहु ताताला अन्तुम की रिवायत अन्तुम से है वह मुनाफिक सिलिख दिया गया उस किताब में जो न महव हो (न मिटेन) बदली जाये और एक रिवायत में है जो तीन जुमे पै—दर—पै छोटे उसके इस्लाम को तोष के पीछे फंक दिया इसको अबू युसुफ ने इन्हे अबास रदीयल्लाहु ताताला अन्तुम से बदनादे सही रिवायत किया।

हदीस नं. 32:— अहमद व अबू दाज़ुद व इन्हे माजा सुमा इन्हे जुनुदुब रदीयल्लाहु ताताला अन्तुम से राबी की मुश्लिम हब्बा ताताला अल्लाह वसल्लाम फरमाते हैं जो बगीर उज्ज जुमा छोटे एक दीनार सदका दे और अगर न पाये तो आया मज़ार और यह दीनार तस्विर करना शायद इसलिए हो कि क्योंकि ताताला के लिए मुईन (मददगार) हो वरना हकीकत में तो बौद्धिक फर्ज़ है।

हदीस नं. 33:— सही मुस्लिम शाफीक इन्हे मस्तुद रदीयल्लाहु ताताला अन्तुम से मस्तुद फरमाते हैं सल्लल्लाहु ताताला अल्लाह वसल्लाम में क्रूस (इरादा) किया एक शख्स को नमाज़ पढ़ने का हकम दें और जो लोग जुमे से पीछे रह गये उनके घरों को जला दें।

हदीस नं. 34:— इन्हे माजा ने जाकिर रदीयल्लाहु ताताला अन्तुम से रिवायत की कि रसूलुल्लाह ताताला अल्लाह वसल्लाम ने खुतबा फरमाया और फरमाया ऐ लोगों। मरने से पहले अल्लाह की तफसील करो और मच्चु मोहने से पहले ने कमान की तफसील करो और यादे खुदा की कसरत और जाकिर मुज़बिदा (चुपा हुआ) सदक की कसरत से जो तहलकात तुहारे और तुहारे बच दे के दरमियान है मिलाओ ऐसा करोगे तो तुहारे रोजी दी जायेगी और तुहारे मदद की जायेगी, शिकस्तीगी (तंगी, परेशानी) दूर फरमाया जाएगी और जान लो कि इस रजह इस दिन इस साल में दियामत जमा करें और अल्लाह ने मुहर पर जुमा फर्ज़ किया जो शख्स मेरी हितात में या मेरे बाद हलका जानकर और बीते इकार जुमा छोटे और उसके लिए कोई इमाम यथार्थ हाफ़िकी इस्लाम हो अपितु या जाकिर तो अल्लाह ताताला न उसकी परागांवी (परेशानी)को जमा फरमायेगा न उसके काम में तफसील देगा आगाम उसके लिए न नमाज़ है न जाक न हज न रोजा न नेकी।
जब तक तौरा न करे और जो तौरा करे अल्लाह उसकी तौरा कबूल फरमायेगा।

हदीस न. 35 :— दरेकृतीय उन्होंने से रावी कि फरमाते हैं सल्लल्लाहु तालाला अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाता है उस पर जुमा के दिन जुमा (नमाज) फर्ज है मगर मरीज या मुसाफिर या औरत या बच्चा या गुलाम पर और जो शहीद खेल या तिजारत में मशाल रहा तो अल्लाह तालाला उससे बेपरवाह है और अल्लाह गनी हमीद है।

जुमे के दिन नहाने और खुशबू लगाने का बयान

हदीस न. 36,37,38:—सह हुक्कारी में सल्लमाफारी रद्दियल्लाहु तालाला अन्हु से मरया फरमाते हैं सल्लल्लाहु तालाला अल्लाह जो शहीद जुमे के दिन नहाये हो और जिस तहारत की इस्तिफाहर हो करे और तेल लगाये और धर में जो खुशबू हो धर फिर नमाज़ को निकले और दो शहीदों में जुदाई न करे यहूदी जो शहीद जुमे के दिन नहाये हो उन्हें हटाकर बीच में न बैठे और जो नमाज उसके लिए लिखी गई है पढ़े और इसमा जब खुशबू पड़े तो चुप रहे, उसके लिए उन गुनाहों की जो इस जुमे और दूसरे जुमे के दरमियान उन्हें नगफिरत हो जायेगी और इसी के करीब—करीब अबू सईद खुदरी और अबू हूरैश रद्दियल्लाहु तालाला अन्हु से भी चन तरीकों से रिवाजें हैं।

हदीस न.39,40 :— अहमद और अबू दाँद और नसई और इने माझा और इने खुरैजी मा और इने हबान और हाफिक और इने और तहारी और संत में इने अबास रद्दियल्लाहु तालाला अन्हु से रावी कि फरमाते हैं सल्लल्लाहु तालाला अल्लाह जो नहाये है और नहाये है और अबूल बक्त आये और शुरू खुदर में शरीक हो और चलकर आये सवारी पर न आये और इसमा से करीब हो और दूसरा जब खुशबू पड़े और लग्ब (बेकार)काम न करे उसके लिए हर कदम के बदले साल था का अमल है एक साल के दिनों के रोज़े और रातों के कियां का उसके लिए अबू हूरैश रद्दियल्लाहु तालाला अन्हु से भी रिवाजे हैं।

हदीस न.41 :— बुक़री और मुसलिम अबू हूरैश रद्दियल्लाहु तालाला अन्हु से रावी फरमाते हैं सल्लल्लाहु तालाला अल्लाह वस्लम है मुसलमान पर सात दिन में एक दिन गुस्ल है कि उस दिन में सर घोये और बदन।

हदीस न.42 :— अहमद और अबू दाँद नसई और दारी सुमर इने जुन्दुब रद्दियल्लाहु तालाला अन्हु से रावी कि फरमाते हैं जिसने जुमे के दिन जुमे कि बेहतर और अच्छा है और जिसने गुस्ल कि तो गुस्ल अफजल है।

हदीस न.43 :— अबू दाँद इकरमा से रावी कि इराक से कुछ लोग आये उन्होंने इने अबास रद्दियल्लाहु तालाला अन्हु से सवाल कि जुमे के दिन आप गुस्ल वाजिब जानते हैं? फरमाया न, है यह ज्या तहारत है और जो नहाये उसके लिए बेहतर है और जो गुस्ल न करे. उस पर वाजिब नहीं।

हदीस न.44 :— इने माझा इने अबास रद्दियल्लाहु तालाला अन्हु से रावी कि जुन्दुब सल्लल्लाहु तालाला अल्लाह वस्लम फरमाते हैं इस दिन को अल्लाह तालाला ने मुसलमानों के लिए ईद कि ती जो जुमे को आये वह नहाये और अगर खुशबू हो तो लगाये।
हदीस न.45 :- अहमद व तिरमजी बरी रद्दियल्लाहु ताहाला अन्दू से रावी कि हुजूर-सल्ल्ल्लाहु ताहाला अलैहिद वस्ललम फरमाते है गुस्सामान पर हक है कि जुमा के दिन नहाये और घर मे जो खुशू हो लगाये और खुशू न पाये तो पानी या अन्दू नहाये बजाए खुशू है।

हदीस न.46.47 :- तबरानी कबीर व औरस में सिद्दिक के अकबर व इमरान इब्राहीम इस्लीम रद्दियल्लाहु ताहाला अन्दू से रावी कि फरमाते हैं जो जुमा के दिन नहाये उसके खुशू और खुशू न पाये तो पानी या अन्दू नहाये बजाए खुशू है।

हदीस न.48 :- तबरानी कबीर मे बरियाते सिकान (मोतबर रावी) अबू उमामा रद्दियल्लाहु ताहाला अन्दू से रावी कि फरमाते हैं जुमा का गुस्सा बाल के जड़ों से खताया खींच लेता है।

जुमे के लिए, अबू उमामा का सवाल और उन्होंने फलोंगन की बनायी।

हदीस न.49 :- बुखारी व मुर्शिद व अबू दाउद व तिरमजी व मलिक व नसई व इब्राहीम इब्राहीम रद्दियल्लाहु ताहाला अन्दू से रावी फरमाते हैं सल्ल्ल्लाहु ताहाला अलैहिद वस्ललम जो शफ्त जुमे के दिन गुस्सा करे जैसे जनाब व गुस्सा है फिर पहली वास्ते में जाये तो गोया उसने उठे की कुर्बानी की और जो दूसरी वास्ते में गया उसने गया की कुर्बानी की और जो तीसरी वास्ते में गया गोया उसने यागे गया में की कुर्बानी की और जो चौथी वास्ते में गया गोया अष्ट्र खाच किया फिर जब इस्माइल खुदाबे को निकला गलाका जिसे खुदा हाफिज होते है।

हदीस न.50,52 :- बुखारी व मुर्शिद व इब्राहीम इब्राहीम की दूसरी रवियात उन्होंने से है हुजूर सल्ल्ल्लाहु ताहाला अलैहिद वस्ललम फरमाते हैं जब जुमे का दिन होता है फिर फरिष्ट मसिज के दरवाजे पर खुदे होते हैं और हाफिज होने वालों को लिखते हैं जब ने फिर उस के बाहु वाला (उसके बाद वरीय जिस कि जो ऊपर की रवियात में जिस जिक किये गये) फिर इस्मा जब खुदाबे को निकला फरीश्ते अपने दफ्तर लपेट लेते हैं और जिक चुटकी है इसी के तीसरे चुटके इब्राहीम जुमदुर व अबू साइद खुदारी रद्दियल्लाहु ताहाला अन्नामा से अबू रवियात है।

हदीस न.53 :- इस्मा अहमद व तबरानी की रवियात अबू उमामा रद्दियल्लाहु ताहाला अन्दू से है जब इस्मा खुदाबे को निकला है तो फरीश्ते दफ्तर लपेट लेते हैं। किसी ने उनसे कहा तो जो शफ्त इस्मा के निकलने के बाहु आये उसका जुमा न हुआ। कहा हुआ तो लेकिन वह दफ्तर मे नही लिखा गया।

हदीस न.54 :- जिससे जुमे के दिन लोग की गर्दन फलोंगी उसने जनाब के तरफ पुल बनाया इस हदीस को तिरमजी व इब्राहीम मशा० इब्राहीम अनस जुमह से वह अपने वालद से रवियात करते हैं और तिरमजी ने कहा यह हदीस गरीब है और तमाम अहले इल्म के नजदीक इसी पर अमल है।

हदीस न. 55 :- अहमद व अबू दाउद व नसई अबदुल्लाह इब्राहीम रद्दियल्लाहु ताहाला अन्दू से रावी कि एक शफ्त लोग की गर्दन फलोंगी हुए आये और हुजूर सल्ल्ल्लाहु ताहाला अलैहिद वस्ललम खुदाबे फरमा रहे थे इस्राफ फरमा बैठ जा तुम ईजा पहुँचाव।
बहारे शरीरत

हदीसा न. 56 :- अबू दाऊद अम्र इने आस सरियलालू तालाला अन्दू से राती कि फरमात है जुमे में तीन किस्म के लोग हाजिर होते हैं एक वह कि लग के साथ हाजिर हों (यानी कोई ऐसा काम जाहिर किया जिससे सचाव जाता रहा मसलन खुदबे के बक्त कलाम किया या कंक्रितिया धूरी) तो उसका हिस्सा जुमे से वहीं लग है और एक वह शख्स कि अल्माह से झुआ की तो अगर चाहे दे और चाहे न दे और एक वह कि सुकूत और इनसात (यानी खामोशी)के साथ हाजिर हुआ और किसी मसलन की न गर्दन फलमी न ईजा दी तो जुमा उस के लिए कपफरा है आइना जुमा और तीन दिन ज्यादा तक।

मसाइले फिकिहया।

जुमा फर्ज है और इसकी फ्रांसियत जोहर से ज्यादा मुआकद (सरकल) है और इसका इनकार करने ताला काफी है। (हरू मुख्तर केर) ।

मसाइला :- जुमा पढ़ने के लिए छह शर्तें हैं कि उनमें से एक शर्त भी मफकूद हो यानी न पाई जाये तो होगा ही नहीं।

मिस्र (शहर) की ताजुरीफ़ व अहकाम

1. मिस्र या फर्ज़ाए मिस्र :- मिस्र वह जगह है जिसमें मुताबिद युवनी बहुत से कृष्ण (गलियाँ) और बाजार हो और वह जिला या परगना हो उसके मुताबिक देहात मिस्र जाते हों और वहीं कोई हाकिम हो कि अपने दबदबे और सिंवश (रोब दाब) के सब मस्जिद का इन्साफ जालिम से ले सके यानी इसाफ़ पर कुदरत कोही है अगर नाई-साफ़ी करता हो और बदला न लेता हो और मिस्र के आस पास की जगह जिस मिस्र की मसलेहदी के लिए हो उसे फर्ज़ाए मिस्र कहते हैं जैसे कि ब्रिटिश घुड़ दोड़ का मेदान फोज के रहने की जगह, बाहरियाँ, स्तंभक से वह चीज़ शहर से बाहर हों तो फर्ज़ाए मिस्र में इनका सुग्राह है और वहीं जुमा जाइज़। (गुलिया वेलिया) लिहाज़ा जुमा शहर में पढ़ा जाये या करते में या उनका फणा में और गौग में जाइज़ नहीं। (कुल) ।

मसाइला :- जिस स्थान में कपफरा का तसलुत (कब्ज़ा) हो गया वहीं भी जाइज़ है जब तक दाफ़ल इस्लाम रहे। (हरू मुख्तर केर)

मसाइला :- मिस्र के लिए हाकिम का वहीं रहना ज़रूरी है और अगर बदौरी दीरा वहीं आ गया तो वह जगह मिस्र न होगी न वहीं जुमा काहिम किया जायेगा। (हरू मुख्तर केर)

मसाइला :- जो जगह शहर से करीब है मसतशहर की ज़रूरतों के लिए न हो और उसके और शहर के दर्शनुत्सऱ्य खेत बगाता फासिल हो यानी खेत बगाता बीच में हो तो वहीं जुमा जाइज़ नहीं अगरच अजाने जुमा की आवाज़ वहीं तक पहुँचती हो। (अलमगीरी) मज़ार अकर्ष अइम्मा कहते है कि अगर अजानी की आवाज़ पहुँचती हो तो उन लोगों पर जुमा पढ़ना वर्ज़ है बल्कि बाज़ ने तो यह तरमाया कि अगर शहर से दूर जगह हो मगर बिलामातकलीफ़ वापस जा सकता है कि जुमा पढ़ना वर्ज़ है। (हरू मुख्तर) लिहाज़ा जो लोग शहर के करीब गाँव में रहते हैं तो उन्हें चाहिए कि शहर आकर जुमा पढ़ जाये।

मसाइला :- गाँव का रहने वाला शहर में आया और जुमे के दिन यही रहने का इरादा है तो जुमा वर्ज़ है और उसी दिन वापसी का इरादा हो ज़ुमा ले पहले या बाद तो वर्ज़ नहीं मगर पढ़े तो
मसाजिद के साबित है कि यह सब बड़ा फक्की झूनी सहित हुकूमत अकूल हो अहकमे शरीयत जानते है। लिहाजा यह जुमा काइम कर बुरी इस्लाम के इजामत के नहीं हो सकता और यह भी न हो तो आम लोग जिसको इमाम बनायें। आलिम के होते हुए अवमब तो रूढ़िक जिस्की को इमाम नहीं बना सकते न यह हो सकता है कि दो चार शास्त्रिकियों को इमाम खुद कर ले ऐसा जुमा करने साबित नहीं।

मसाजिद : जोहरे एहतियाती(कि जुमे के बाद चार रक्षक नमाज इस नियत से कि सबमे पिछली जोहरे जिस का वक़्त पाया और न पढ़ी) खास लोगों के साबित है। जिन को पिछली जुमा अदा होने में शाक न हो और अवम कि अगर एहतियाती जोहरे पढ़े तो जुमे के अदा होने में उसे शक होगा यह न पढ़े और उस को चारों भरी पढ़ी जाये बेहद यह है कि जुमा पिछली चार सृजनते पढ़ कर जोहरे एहतियाती पढ़े फिर दो सृजनते और इन छह सृजनतों में सृजनते वक़्त की नियत करें। (आलिमी शास्त्री)

दूसरी शारीर

2. सुल्तानेके इस्लाम या उसका नाईब : जिसे जुमा काइम करने का हुकम दिया।

मसाजिद :- सुल्तान आदित हो या जालिम जुमा काइम कर सकता है यूही अगर जबजबस्ती बादशाह ने बैठा यह अकूल हो अकूल हो या अकूल के महत्त्व पाई गई हो तो यह भी जुमा काइम कर सकता है। यूही अगर औरत बादशाह ने बैठी तो उसके हुकम से जुमा काइम होगा यह खुद नहीं काइम कर सकता। (उरुखुदरक)
मसजिदः — इमाम जुमा की बिला इजाजत किसी ने जुमा पढ़ाया अगर इसम या वह शख्स जिसके हुक्म से जुमा काइम होता है शरीक हो गया तो हो जायेगा वरना नही। (अलमगीर दर्द अक्तार)

मसजिदः — हाकिम शहर का इक्तिकाल हो गया या फिलाने के सबब कही चला गया और उसके खलीफा(वलीअहद)या काजी मजूत ने जुमा काइम किया जाईज है। (अलमगीर बग़ह)

मसजिदः — किसी शहर में बादशाहें इस्लाम वगैया जिसके हुक्म से जुमा काइम होता है, न हो तो आम लोग जिसे चाहें इहाम बना दे। यूही अगर बादशाह से इजाजत न ले सकते हैं जब भी किसी को मुकर्रर कर सकते हैं। (अलमगीर दर्द अक्तार)

मसजिदः — हाकिम शहर नाबालिग या काफिर है और अब वह नाबालिग बालिग हुया या काफिर मुसलमन हुआ तो अब भी जुमा काइम करना का इनका हक नहीं अलबता अगर जड़ीद हुया इनके लिये आया या बादशाह ने कह दिया था कि बालिग होने या इस्लाम लाने के बाद जुमा काइम करना तो काइम कर सकता है। (अलमगीर)

मसजिदः — खुतबे की इजाजत जुमे की इजाजत और जुमे की इजाजत खुतबे की इजाजत है अगर कह दिया हो कि खुतबा पढ़ना और जुमा न काइम करना। (अलमगीर)

मसजिदः — बादशाह लोगों को जुमा काइम करने से मना कर दे तो लोग खुद काइम कर ले और अगर उसने किसी शहर की शहरियत बालिग कर दी यखुनी शहर अब शहर नहीं रहा तो लोगों को अब जुमा पढ़ने का इंकियार नहीं। (रसुव मुहतार) यह उस वक़्त है कि बादशाहें इस्लाम ने शहरियत बालिग कर दी हो और काफिर ने बालिग की तो पड़े।

मसजिदः — इमाम जुमा को बादशाह ने मुख्तजूत कर दिया तो जब तक मुख्तजूत का परवाना आये या खुद बादशाह ने आये मुख्तजूत न होगा। (अलमगीर)

मसजिदः — बादशाह सफर कर के अपने मुल्क के किसी शहर में पहुँचा तो वहाँ जुमा खुद काइम कर सकता है। (अलमगीर)

(3)वक़्त जोहर यखुनी वक़्त जोहर में नमजज पूरी हो जाये तो अगर नमजज के दरमियान में अगर तसहहुद के बाद अघ का वक़्त आ गया जुमा बालिग हो गया जोहर की कुजा पड़े। (अलमगीर खुद)

मसजिदः — मुख्तजी नमजज में से गया था और उस वक़्त खुली कि इमाम सलाम फेर चुका है तो अगर वक़्त बाली है जुमा पूरा कर वरना जोहर की कुजा पड़े यखुनी नये तहरीमा से (अलमगीर बग़ह) यूही अगर इतनी भीड़ थी कि रुकूश व झुजूद न कर सका यहाँ तक कि इमाम ने सलाम फेर दिया तो उसमे भी वही सूरत है। (इस्माइल)

(4) खुतबा

मसजिदः — खुतबे जुमे में शर्म यह है कि 1.वक़्त में हो 2. नमजज से पहले 3.ऐसी जमाजत के सामने हो जो जुमे के लिये शर्म है यखुनी कम से कम खलीब के सिवा तीन नद हो 4. इतनी आवाज़ से हो कि पास वाले सुन सकें अगर कोई अभांग मानें न हो तो अगर जुलाल से पहले खुतबा पढ़ लिया या नमजज के बाहु पढ़ा या तन्हा पढ़ा या औरतो बच्चों के सामने पढ़ा तो इन सब सूरतों में जुमा न हुआ और अगर बहरों या सोने वालों के सामने पढ़ा या हज़रीयन सूर हैं कि जून्ते नहीं या मुसाफिर बीमारों के सामने पढ़ा या जो आकिल बालिग नहीं है तो हो जायेगा। (इस्माइल)
मसाजिदा :— खुटबा जिसे इलाही का नाम है अगर भिंसक एक बार ‘अल्हमदुल्लाह’ या 
‘सुहनानल्लाह’ या लाला—हे ‘इल्लाह’ कहां इसी कद्र से फर्ज अदा हो गया मगर इतने ही पर 
इतिफाह करना मकरन है। (दूरे मुहारर बोदी)

मसाजिदा :— छीक आई और उस पर ‘अलहमदुल्लाह’ कहां या ताजजुब के तौर पर ‘सुहनानल्लाह’ या 
‘लाला’— हे इल्लाह कहां तो फर्ज खुटबा अदा न हुआ। (आलमगीर)

मसाजिदा :— खुटबा व नमाज में अगर ज्यादातर फासिला हो जाये तो वह खुटबा काफी नहीं। (दूरे मुहारर)

मसाजिदा :— सुना तह कहा है कि दो खुटबे पढ़े जाये और बजे—बजे न हो अगर दोनों मिलकर तवाले 
मुकाफ़सल (सूरा हज़रत से सूरा हज़रत तक के कुरआन की हर एक सूरा को तवाले मुकाफ़सल कहते 
है) से बजे जाये तो मकरन है सूरासूरा जाओं में। (दूरे मुहारर रुफ़िया) 

मसाजिदा :— खुटबे में वह चीजें सुना तह हैं: 1. खूलीब का पाक होना 2. खड़ा होना 3.खुटबे से पहले 
खूलीब का बैठना 4. खूलीब का निमंत्रण पर होना। 5. सामेंद्र की तफ़़ मुह 6. फिल्सी के पीठ करना, 
बेहतर यह है कि मिलकर मेहरब की बायेर जानिए या 7. लोसिनेन का इमाम की तफ़़ मुत्वज़जे 
होना 8. खुटबे से पहले ‘अल्हमदुल्लाह’आहिस्ता पढ़ना इतनी बलात आवाज़ से खुटबा पढ़ना कि 
लोग सुनें। 9. अल्हमद से शुरू रखना 10. अल्हमद तखाला की सना करना। 11. अल्हमद तखाला 
की वहादनित और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तखाला अल्ही वस्तम की रिसालत की रहात देना 
12. इमाम सल्लल्लाहु तखाला अल्ही वस्तम पर दुरुद भेजना 13. रहस्य से कम एक आयत की 
तिलावत करना 14. पहले खुटबे में क्रम व नसीहत होना। 15. दूसरे में हमद व सना व शहादत व 
दुरुद का अदा करना 17. दूसरे में मुसलमानों के लिए दुआ करना 18. दोनों खुटबे हल्के होना। 19. 
दोनों के दरमियान बबुर तीन आयत पढ़ने के बैठना। मुस्तहब यह है कि दूसरे खुटबे में आवाज 
बनिमत पढ़े कि पस्त हो और खुटफए राशिदन व अमैन मुकरान उसने हज़रत हज़रते 
अब्बास रदिय़ल्लाहु तखाला अहमा का जिक हो बेहतर यह है कि दूसरा खुटबा इस से शुरू करे—

हँदम है अल्हमद के लिए हम उसकी हमद करते हैं और उससे मदद तलब करते हैं और 
मगरकित चाहते हैं और उस पर ईमान लाते हैं और उस पर तबक्स्कूल करते हैं और अल्हमद 
की पनह गोंगै हैं अपने नाक़ों की बुराई से और अपने अअराम की बदी से जिसको अल्हमद हिदायत 
करे उसे कोई गुज़रह करने बाजा नहीं और जिसको हमरान रहे उसे हिदायत करने बाजा कोई नहीं।

मद अगर ईमाम के सामने हो तो ईमाम की तफ़़ मुह करे और दाहिने बाये हो ईमाम की 
तफ़़ मुह जाये और ईमाम से करीब होना अफ़जल है मगर यह जाहज नहीं कि ईमाम से करीब 
होने के लिए लोगों की गर्लाने फॉलोग के बाद ईमाम अमी खुटबे को नहीं गठता है और ऊपर जाकर 
बाय है तो आगे जा सकता है और खुटबा शुरू करने के बाद मस्जिद में आरा तो मस्जिद के 
किनारे ही बैठ जाये खुटबा बनने की हालत में दो जाने बैठे जैसे नमाज में बैठते हैं। (आलमगीर)
मसाजिला: — बादशाह इस्लाम की ऐसी तारीफ़ जो उसमें न हो दराम है मसलन मालिके रिकाफिल उगम(उममत की गद्दनों का मालिक)किन्तु यह महज सूत्र और हरम है। (इदर मुल्क)

मसाजिला: — खुलते में आयत न पढ़ना या दोनों खुलताओं के परम्परागत जजलामा न करना (न बैठना) या खुलते के बीच में कलम करना मकरह है अलबंता खत्रीब ने नेक बात का हुक्का किया या बूरी बात से मना किया तो उसे इसकी नमाज़ नहीं। (अल्लामी)

मसाजिला: — गैर अरबी में खुलता पढ़ना या अरबी के साथ दूसरी जजब खुलते में मिलाना खिलाफ़ बुनने मुतवारिस (यहूदी जो हुजूर सल्लल्लाहु ताबाले अलैह वसल्लम से साहित चली आ रही है उसके खिलाफ़ है)। गूही खुलते में असाबा पढ़ना भी न चाहिए अगर्ध अरबी ही के हों, हाँ ही दो एक नसीहत के अगर कभी पढ़ दे तो हरज़ नहीं। (5)जमातः — यहूदी इमाम के अलावा कम से कम तीन मर्द।

मसाजिला: — अगर तीन गुलाम या मुसाफिर बीमार या गूही या अनन्य मुकतदी हों तो जुमा हो जायेगा और सिफ और वाल्या हों नहीं। (अल्लामी,रुद मुल्क)

मसाजिला: — खुलते के बक्झ जो लोग मौजूद थे वह भाग गये और दूसरे तीन खास आ गये तो इनके साथ इमाम जुमा पढ़े यहूदी जुमे की जमातः के लिए उन्हीं लोगों का होना जरूरी नहीं जो खुलते के बक्झ हाफिज थे बुलिया उनके गैर से भी हो जायेगा। (इदर मुल्क)

मसाजिला: — पहली रक्षा का सज्जा करने से पहले सब मुकतदी भाग गये या सिफ दो रह गये तो जुमा बातत हो गया सिफ़े से जोहर की नियत बौद्ध और अगर सब भाग गये मगर तीन मर्द बाकी हैं या सज्जे के बाद भाग या तहरीमा के बाद भाग गये और इमाम ने दूसरे तीन मर्दों के साथ जुमा पढ़ा तो इन सब सूरतों में जुमा जाइज़ है। (इदर मुल्क,रुद मुल्क)

मसाजिला: — "इमाम ने जब अल्लाहु अकबर'कहा उस बक्झ मुकतदी बावजूद थे मगर उन्होंने नियत पे बौद्ध फिर यह सब बेवजू हो गये और दूसरे लोग आ गये यह चले गये तो हो गया और अगर तहरीमा ही के बक्झ (नमाज़ शुरू करने के बक्झ) सब मुकतदी बेवजू थे फिर और लोग आ गये तो इमाम सिफ़े से तहरीमा बौद्ध। (वरानी)

(6) इज्ने आम: — यहूदी मसिज़ डा दरवाज़ा खोल दिया जाये कि जिस मुसलमान का जी चाहे आये किसी की रोक़ पटक न हो अगर जमा मसिज़ में जब लोग जमा हो गये दरवाज़ा बन्द करके जुमा पढ़ा न हुआ। (अल्लामी)

मसाजिला: — बादशाह ने अपने मकान में जुमा पढ़ा और दरवाज़ा खोल दिया लोगों को आने की आम इजरायत है तो हो गया लोग आये या न आये और दरवाज़ा बन्द करके पढ़ा या दरबानों को बैठा दिया कि लोगों को आने न दें तो जुमा न हुआ जेल में नमाज़े जुमा फरज़ नहीं। (अल्लामी)

मसाजिला: — और्तों को अगर जमा मसिज़ से रोका जाये तो इज्ने आम के खिलाफ़ न होगा कि इनके आने में खींचे फिरता है। (रुद मुल्क)

जुमा बाज़ीन होने के लिए ग्यारह शर्त हैं: — इन में से एक भी न पाई जाये तो फरज़ नहीं फिर भी अगर पढ़ा तो हो जायेगा बूरी मर्द आकिल, बालिंग के लिए जुमा पढ़ना अफज़ल है और और्त के लिए जोहर अफज़ल है। हाँ और्त का मकान अगर मसिज़ से बिल्कुल मिला हुआ है कि घर में
इसमें मस्जिद की इकट्ठा कर सके तो इसके दिन भी जुमा अफजाल है और नाबालिग ने जुमा पढ़ा तो नफ़ा है कि उस पर नमाज फर्ज ही नहीं। (इब्नु सुहयद, खुल मुहर्रार)

शाउ यह है :-

(1)शहर में मुक़ीम होना (2)सेहत यथानी मस्जिद पर जुमा फर्ज नहीं मस्जिद से मुराद वह है कि मस्जिदे जुमा तक न जा सकता हो या चला तो जायेगा सम्म मस्जिद बढ़ जायेगा या देश में अच्छा होगा (युनिया) शहेद मस्जिद पर जुमा तक न जा सके) मस्जिद के हुम्म में है। (इब्नु मुहर्रार)

मसजिदा :- जो मस्जिद की तीमार दार हो जाता है कि जुमा को जायेगा तो मस्जिद दरवागों में पड़ जा येगा और उस का कोई पुरस्कार हाल न होगा तो इस तीमार दार पर जुमा फर्ज नहीं। (इब्नु मुहर्रार)

(3)आजाद होना :- गुलाम पर जुमा फर्ज नहीं और उसका आका मना कर सकता है। (आलमगीरी)

मसजिदा :- मुक़ात सिब पुर्वानी वह गुलाम जिस से उसके आका ने यह कह दिया हो कि दूर इतना रूपया या माल मुड़े दे दे तो दू आजाद है उस पर जुमा वाजिब है। पूरी जिस गुलाम का कुछ हिस्सा आजाद हो चुका हो बाकी के लिए कोशिश करता हो यानी बकीया आजाद होने के लिए कमाकर अपने आका को देता हो इस पर भी जुमा फर्ज है (आलमगीरी, इब्नु मुहर्रार)

मसजिदा :- जिस गुलाम को उसके मालिक ने तीजारत करने की इजाजत दी हो या उसके जिन्होंने कोई खास भिक्कुदर कमा कर लाना मुकर्र दिया हो उस पर जुमा वाजिब है। (आलमगीरी)

मसजिदा :- मालिक अपने गुलाम को साथ ले कर जामे मस्जिद को गया और गुलाम को दरवाज़े पर छोड़ दे कि सबारी की हिफ़ज़त करे अगर जानवर की हिफ़ज़त में खलन न आये पढ़ दे। (आलमगीरी) मालिक ने गुलाम को जुमा जाने की इजाजत दे दी जब भी वाजिब न हुआ और बिला मालिक की इजाजत के अगर जुमा या ईद को गया अगर जानता है कि मालिक नाराज न होगा तो आजाद है वरना नहीं। (इब्नु मुहर्रार)

मसजिदा :- भूमि मुज़द्र को जुमा पढ़ने से नहीं रोक सकता अलवाज़ा अगर जामे मस्जिद दूर है तो जिन्होंने हर हुआ है उसकी मज़दूरी में कम कर सकता है और मज़दूर उसका मुलामा भी नहीं कर सकता। (आलमगीरी)

(4) मर्द होना (5)बालिग होना (6)अफिकल होना यह दोनों शाउ कस्स जुमे के लिए नहीं बलिक हर इबादत ते वजूज में अक्ल वाला और बालिग होना शाउ है। (7)अखियारा होना।

मसजिदा :- एक चाम (काना) और जिसकी निगम कमजोर हो उस पर जुमा फर्ज है पूरी जो अन्या मस्जिद में अजान के बक्का दिया दूरो हो उस पर जुमा फर्ज है और वह नधीना जो खुद मस्जिदे जुमा तक बिला तक़लिकुफ न जा सकता हो अगर के मस्जिद तक कोई ले जाने बिला हो उजरे मिस्क यानी जो इस कम के लिए मुनासिब उजरत हो उस उजरत पर ले जाये या बिला उजरत ले जाये उस पर जुमा फर्ज नहीं। (इब्नु मुहर्रार, खुल मुहर्रार)

मसजिदा :- बाज़ नधीना बिला तक़लिकुफ बाकी किसी के मद़े के बाज़ों रास्तों में चलन दियर है और जिस मस्जिद में चादे बिला पूछे जा सकते हैं उन पर जुमा फर्ज है। (खुल मुहर्रार)

(8)चलने पर काफिद होना।

मसजिदा :- अपाहिज पर जुमा फर्ज नहीं अगर कोई ऐसा हो कि उसे उठाकर मस्जिद में रख आयेगा। (खुल मुहर्रार)
मसाज्दा: जिसका एक पॉव कट गया हो, फालिज से बेकार हो गया हो अगर मसजिद तक जा सकता हो तो उस पर जुमा फर्ज है बरना नहीं।  
(दुरें मुहरदर बकार)
(9)कैद में न होना मगर जब कि किसी देन (कुश) की वजह से केवल किया गया हो और मालदार है यानी अदा करने पर कादियर है तो उस पर जुमा फर्ज है।  
(खुल मुहरदर)
(10)बादशाह या चोर वैगरा किसी जालिम का खौफ न होना मुक्लिस कर्दमा को अगर कैद का अंदेशा हो तो उस पर फर्ज नहीं।  
(खुल मुहरदर)
(11)मेह (बारिश) या अंधी या ओला या सर्दी का न होना यानी इस कद्द कि इन से नुकसान का खौफ सही हो।  
मसाज्दा: जुमा की इमामत हर जो गद गद कर सकता है जौ और नमाज में इमाम धर सकता हो अगर उस पर जुमा फर्ज न हो जैसे मसीह, मुसाफिर गुलाम (दुरें मुहरदर) या खुदके बसका ईलाम या उसका नाज़ का यानी उसके इजाज़त दे दी यीमा हो या मुसाफिर तो यह सब नमाजें जुमा पढ़ा सकते हैं या उन्होंने किसी मसीह या मुसाफिर या गुलाम या किसी इमाम के लायक शास्क को इजाज़त दी हो या ब-जात के आम लोगों ने किसी ऐसे को इमाम मुक्लिस किया जो इमामत कर सकता हो यह नहीं कि बालीरे खुद जिसका जो चाहे जुमा पढ़ा दे कि यूं जुमा न होगा।

शहर में जुमा के दिन जोहर पढने के मसाज्दा  
मसाज्दा: जिस पर जुमा फर्ज है उसे शहर में जुमा हो जाने से पहले जोहर पढ़ना मकरहै तहरीही से बलिक इमाम इने हुराम रूदियलाहु ताज़ाला अन्दु ने फरसमाय हराम है और यह लिया जब भी जुमे के लिए जाना फर्ज है और जुमा हो जाने के बाद जोहर पढने में कराहत नहीं बलिक अब तो जोहर ही पढ़ना फर्ज है अगर जुमा दूसरी जगह न मिल सके मगर जुमा तक करना के विशाल उसके सर रहा।  
(दुरें मुहरदर,खुल मुहरदर)

मसाज्दा: यह शास्क कि जुमा होने से पहले जोहर पढ़ चुका था नादाम (शरिफीदा) होकर घर से जुमे की नियत नाव निकला। अगर उस वकृत इमाम नमाज में हो तो नमाजे जोहर जाती रही जुमा मिल जाते तो पढ़े वरना जोहर की नमाज़ फिर पढ़े अगर जैसे मसिजव दूर दोनों के सबब जुमा न मिला हो।  
(दुरें मुहरदर)

मसाज्दा: जाने मसिजव में यह शास्क है जिसने जोहर की नमाज पढ़ ली है और जिस जगह नमाज पढ़ी वहीं बैठा है तो जब तक जुमा शुरुआत न करे जोहर बातिल नहीं और अगर ब-कस्दे जुमा वहीं से हटा तो बातिल हो गई।  
(दुरें मुहरदर,खुल मुहरदर)

मसाज्दा: यह शास्क अगर मकान से निकला ही नहीं या किसी और जात के से निकला या इमाम के फार्म होने के बकृत या फारिङ होने के बाद निकला या उस दिन जुमा पढ़ा ही न गया या लोगों ने जुमा पढ़ा तो शुरु किया था नागर किसी हादसे के सबब पूरा न किया तो इन सब सूरतों में जोहर बातिल नहीं।  
(अल्मस्तीदी वैर)

मसाज्दा: जिस पर जुमा,फर्ज था उसने जोहर की नमाज में इमामत की फिर जुमे को निकला तो
उसकी जोहर बालित है मगर युक्तविद्या में जो जुमा को न निकला उसके फर्ज बालित न हुए। (ईं कुकर)

मसाजिला :— जिस पर कइसी उज्ज के सबब जुमा फर्ज न हो वह ऑर्ज जोहर पड़कर जुमे के लिए निकला तो उसकी नमाज भी जाती रही उन शराबत के साथ जो ऊपर जिन की गई। (ईं कुकर)

मसाजिला :— मनीष जा मुसाफिर वा कैदी या कोई और जिस पर जुमा फर्ज नहीं उन लोगों की भी जुमे के दिन शहर में जमाजत के साथ जोहर पड़ता मकरह तहीरी है खाह जुमा होने से पहले जमाजत करें या बाद में। यही जिन-जिन जुमा न मिला वह भी बगी अज्ञात व इकाित जोहर की नमाज तन्हा-तन्हा पड़े जमाजत इनके लिए भी मना है। (ईं कुकर)

मसाजिला :— बल्कि दारुमते हैं जिन मसजिद में जुमा नहीं होता उन्हें जुमे के दिन जोहर के वक्त बन रहें। (ईं कुकर)

मसाजिला :— गौं में जुमे के दिन भी जोहर की नमाज अज्ञात व इकाित के साथ बा-जमाजत पड़े। (मसाजिला :— मजुमदार अगर जुमे के दिन जोहर पड़े तो मुशतब यह है कि नमाजे जुमा हो जाने के बाद पड़े और टैसीर न की तो मकरह है। (ईं कुकर)

मसाजिला :— जिस ने जुमे का क़ुश्दा या सिया या सजदा सवह के बाद शरीक हुआ उसे जुमा मिल गया तिहाजा अपनी दो ही रैक्खुल कूरी करें (आलमगीरी क्षेरी)

मसाजिला :— नमाज जुमा के लिए पहले से जाना और मिलाकर करना और अकेले और सफेद कपड़े पहनना और मेल और खुश्बू लगाना और पहली सफ में बैठना मुशतब है और गुस्सा सुन्नात। (आलमगीरी)

मसाजिला :— जब इमाम खुदबे के लिए खड़ा हो। उस वक्त से नमाज खुद होने तक नमाज व दूसरे जिन व हर किस्म का कलाम मना है अलबद्दा साहिबे तर्किब अपनी क़ुशी नमाज पढ़ ले यूं ही जो शरीक सुन्नत ने पहल पढ़ रहा है जल्द जल्द पूरी कर ले (ईं कुकर)

खुदबे के बदलां दीगर मसाजिला

मसाजिला :— जो चीजें नमाज में हराम है मसाजिला खुद, पीना, खा. लाम, व जबाबे सलम, बरैर सब खुदबे की हालत में हराम है। यहीं तक कि अंग्रेज बिल मस्तुलफ़ (नेक काम के लिए कहना) है खुदबी आंशिक बिल मस्तुलफ़ कर सकता है जब खुदबे पड़े तो तमम हाफ़ीज़न प्रण सुन्नात और लख रहना फर्ज़ जो लोग इमाम से दूर हों कि खुदबे की आवाज़ उन तक नहीं पहुँचती उन्हें भी लख रहना बाज़ब है अगर किसी को बुरी बात करते देखें तो हाथ या सर के इशारे से मना कर सकते हैं जबाब से सोनाज़ीज़ है। (ईं कुकर)

मसाजिला :— खुदबे सुनने की हालत में देखा कि अंग्रेज डूंगे में गिरा चाहता है या किसी को बिचूट बरैर काटना चाहता है तो जबाब से कह सकते हैं इशारा या दबाने से बता सकें तो इस सूरत में भी जबाब से कहने के इजाज़त नहीं। (ईं कुकर खुल मुकर)

मसाजिला :— खुदबी ने मसलमानों के लिए दुआ का तो सामाजिक को हाथ उठाया या आमीन कहना मना है, कहनें तो गुलामों हों खुदबे में दूरल परशिक फर्ज़ पढ़ने वक्त खुदबी का दाये बाये शुंह करना बुरी बात है। (ईं कुकर)

मसाजिला :— हुजूर अकद्व सल्तनातु तआला अलेही वस्तव ला नामे पाक खुदबी ने लिया तो
हाँजिरीन दिल में दुराच शरीफ़ पढ़े जबान से पढ़ने की इस वक्त इजाजत नहीं यूही सहाबए किराम
के जिक पर इस वक्त रहिमुर्लाहु ताआला अहम जबान से कहने की इजाजत नहीं (उरु मुहामद वारी)
मसाला : कुराजर जुमे के अलावा और खुलबाब का सुनना भी वाजीब है मसलन खुलबाब ईदैन व
निकाह वगैरहुआ (उरु मुहामद)
मसाला : पहली अजाज होते ही सई (याशसी कुमे के लिए कोशिश)वाजीब है और खुरार, फ़रोज्झा
वगैरह उन चीजों का जो सई के मूलक हो याशसी शुकाबट बने उन का छोड़ देना वाजीब यहाँ तक
कि रास्ता चलते हुए अगर खीरद व फ़रोज्झा की तो यह भी नाजाज़ और मसिज़ में खीरद व
फ़रोज्झा तो सक्ता गुनाह है और खाना खा रहा था कि अजाजे जुमा की आवाज आई अगर यह
अदेशा हो कि खायेगा तो जुमा पौहो जायेगा तो खाना छोड़ दे और जुमे को जाये जुमे के लिए
इतिमान व ज़रार के साथ जाये (उरु मुहामद)
मसाला : खुलबाब जब मिजब पर बैठे तो उस के सामने दो बाला अजाज दी जाये (मोतुन)यह हम
ऊपर बयान कर आये कि, सामने से यह मुराद नहीं कि मसिज़ के अन्दर मिजब से मुतसिल
(याशसी करीब) हो कि मसिज़ के अन्दर अजाज कहने को फ़ूकहाह इस्लाम मकरोह फरमाते हैं।
मसाला : अकसर जगह देखा गया कि अजाजे सानी याशसी खुलबाब से पहले की दूसरी अजाज
पस्त (वीमी)आवाज से कहते हैं यह न चाहिए बल्कि उसे भी बलन्द आवाज से कहें कि इससे भी
अलालन मकसूर है और जिसने पहली न जुमा उसे बुनकर हाजिर हो। (झर बास)
मसाला : खुलबाब खलम हो जाये तो इकामत कही जाये खुलबाब व इकामत के दरमियान दुनिया की
बात करना मकरोह है। (उरु मुहामद)
मसाला : जिसने खुलबाब पढ़ा वही मनाज पढ़ाये और अगर दूसरे ने पढ़ा दी जब भी हो जायेगी
जब कि वह माजुन हो यानी हुकम दिया गया हो यूही अगर नाबालिग ने बादशाह के हुकम से खुलबाब
पढ़ा और बालिग ने मनाज पढ़ाई जाई है।
मसाला : मनाजे जुमा में बेहतर यह है कि पहली रक्खत में 'सूरू जुमा और दूसरी में 'सूरू
मुताफ़कूट'या पहली में 'सूरूए अमाला और दूसरी में 'सूरूए गाशिया पढ़े मगर हमेशा इन्हें को न पढ़े
कभी कभी और हूनते भी पढ़े। (झर मुहामद)
मसाला : जुमे के दिन अमाल सफर किया और जवाल से पहले शहर की आबादी से बाहर हो
गया तो हरज नहीं दर्जा माना है। (उरु मुहामद कौनी)
मसाला : हजामत बनवाओ और नाजुक तरशवाना जुमे के बाद अफज़ल है। (उरु मुहामद)
मसाला : सालव करने वाला अगर नमाज़ीयों के आगे से गजरता है या गर्दने फरूंगाव को से
बिला जुरूह मगज़ा हो तो सालव भी नाजाज़ है और ऐसे साइल (मोगने वाले) को देना भी नाजाज़। (झर मुहामद)बल्कि, मसिज़ में अपने लिए मुतलकत सालव के इजाजत नहीं।
मसाला : जुमे के दिन या रात में सूरूए कहक की तिलावत अफज़ल है ज्यादा बुजुर्गी रात में
पढ़ने की है। नसाइ से बैठकी अबु सईद खुदरी रहिमुर्लाहु ताआला अहम से रात कि फरमाते हैं जो
शक्स सूरूए कहक जुमे के दिन पढ़े उसके लिए दोनों जुमे के दरमियान नूर रोशन होगा और
दासी की रिवाज़ में जो तरह जुमा में सूरूए कहक पढ़े उसके लिए वहाँ से कहमा तक नूर रोशन
होगा और अबुबक क्ये दरदशिया की रिवाज़ इन्हे उमर रहिमुर्लाहु ताआला अहमुर्लाहु से है कि फरमाते
ईदैन का बयान

अल्लाह तख़ाला फरमाता हैः-

وَلَنَكُمَا الْدِّيْنُوا الْعَدْلَةَ وَلَنَكُمَا الْلّهَ عَلَى مَا هَدَّكُمَا

तर्जमा :- रोजों की गिनती पूरी करो और अल्लाह की बड़ई बोलो कि उससे दुमें हिदायत फरमाई। और फरमाता है।

فصّل: لِبَرِيرَةٌ وَلَحَرِيرَةٌ

तर्जमा :- अपने रब़ के लिए नमाज़ पढ़ और कुर्यानी कर।

हदीस N.1 :- इब्राहीम अब्बू उमामा रद्दियल्लाहु तख़ाला अन्दु से राही कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तख़ाला अल्लाह वस्तल्लाह फरमाते हैं जो ईदैन की रातों में चित्ताम करे उसका दिन न मरेगा जिस दिन लोगों के दिल मरेगे।

हदीस N.2 :- अब्बासी महाज इब्राहीम जबल रद्दियल्लाहु तख़ाला अन्दु मँ से राही कि फरमाते हैं जो पाँच रातों में शब्द बदारी करे उसके लिए जनता बाज़ार है भीलभिज़ा की आठारी है नवी, दसवी, लाते और ईदुलफित्र की रात और शाहान की पहली बात की बात।

हदीस N.3 :- अब्बू दालाउद अन्दु रद्दियल्लाहु तख़ाला अन्दु से राही कि हुजूर अकड़स सल्लिल्लाहु तख़ाला अल्लाह वस्तल्लाह जब मदीना में चारीफ़ लाते उस जुमाने में अहले मदीना साल में दो दिन खुशी करते थे महरान (पत्राच्छा का मौसम) व नैज़र फरमाते यह व्य दिन है लोगों ने अरज किया जाहिलियत में हम इन दिनों में खुशी करते थे। फरमाता अल्लाह तख़ाला ने उसके बदले में इन से बेहतर दो दिन दुन्य में ईदें अज़हरा और ईदुल फित्र के दिन।

हदीस N.4 व 5 :- तिरमिज़ी व इब्राहीम माज़ा ओ दासरी व बुरीदा रद्दियल्लाहु तख़ाला अन्दु से राही कि हुजूरे अकड़स सल्लिल्लाहु तख़ाला अल्लाह वस्तल्लाह ईदुल फित्र के दिन कुछ खार करना नमाज़ के लिए चारीफ़ ले जाते और ईद अज़हरा को न खाते जब दिन न पढ़े रहते और बुराहि की रिवायत अन्दु रद्दियल्लाहु तख़ाला अन्दु से कि ईदुल फित्र के दिन चारीफ़ न हे जाते जब दिन चारीफ़ न तराबुल्लाह फरमाते और खुजूरे ताक (बे-जोड़) होती यानी तीन, पाँच, सात बगात।

हदीस N.6 :- तिरमिज़ी व दासरी ने अब्बू हुसैन रद्दियल्लाहु तख़ाला अन्दु से रिवायत के कि ईद को एक रात से चारीफ़ ले जाते और दूसरे से वापस होते।

हदीस N.7 :- अब्बू दालाउद व इब्राहीम की रिवायत उन्हीं से है कि एक मर्त्ता ईद के दिन बाहिर
हुई तो मसिज़ में हुजूर सल्ल्लाल्हु तालिका उल्लेख व्यस्त्तम ने ईद की नमाज पढ़ी।

हदीस न.८ :— सहीह में इन्हें अबास रद्दियल्लाहु तालिका अनुमा से राखी कि हुजूर सल्ल्लाल्हु तालिका उल्लेख व्यस्त्तम ने ईद की नमाज दो रकमात्त पढ़ी न इसके कब्ल नमाज पढ़ी न बाद।

हदीस न.९ :— सहीह मुस्लिम शरीफ में है जाबिर इन्हें सुमारा रद्दियल्लाहु तालिका अनुम। कहते हैं कि हुजूर सल्ल्लाल्हु तालिका उल्लेख व्यस्त्तम के साथ ईद की नमाज पढ़ी एक दो मर्तबा नहीं (बल्कि बारहा) न अजाज हुई न इकामत।

मसाइले फिक़िहिया

ईद की नमाज वाजिब है मगर सब पर नहीं बल्कि उन्हीं पर जिन पर जुमा बाजिज है और इसकी अदा की नहीं शर्त है जो जुमे के लिए है सिफ इतना फर्क है कि जुमे में ख़ुदबा शर्त है और इसके बाद अदा की शर्त है जो जुमे के लिए है सिफ इतना फर्क है कि जुमे में ख़ुदबा शर्त है और ईद के बाद अदा की नहीं शर्त है। इसमें न पढ़ा तो नमाज हो गई ईद में सुनात अगर जुमे में ख़ुदबा न पढ़ा तो, जुमा न हुआ और इसमें न पढ़ा तो नमाज हो गई ईद में सुनात अगर जुमे में ख़ुदबा न पढ़ा तो, जुमा न हुआ और इसमें न पढ़ा तो नमाज हो गई ईद में सुनात अगर जुमे में ख़ुदबा न पढ़ा तो, जुमा न हुआ और इसमें न पढ़ा तो नमाज हो गई। दूसरा फर्क यह है कि जुमे का ख़ुदबा नमाज से पहले है और ईद का नमाज के मगर बुरा किया। दूसरा फर्क यह है कि जुमे का ख़ुदबा नमाज से पहले है और ईद का नमाज के मगर बुरा किया।

पहले फर्क यह है कि जुमे का ख़ुदबा नमाज से पहले है और ईद का नमाज के मगर बुरा किया।

ईद की नमाज के लिए इलाही है। (अल्रामीसी, ईदुर्मुखार्त मुख़मोह) इलाही है। (अल्रामीसी, ईदुर्मुखार्त मुख़मोह)

मसाइला :— गाउँ में ईद की नमाज पढ़ना मकरद कहते हैं तहसीली है। (दूसऱ मुखार)

मसाइला :— ईद के दिन यह उमृत (काम) मुस्तखब है। इलाही है। बनवाना 2.नाप्तुङ तरसावाना 3. गृह करना 4. मिस्चाक करना 5. अच्छे कपड़े पहनना नया हो तो नया लोगों और हुआ है। 6. अरुण्ही करना 7. खुदरा लगाना 8. उदाहरण के नमाज मिस्चाक मुख़मोह में पढ़ना 9.ईदगाह जल्द जाना पहनना 10 नमाज से पहले सदरपेड़ फित्र अदा करना 11. ईदगाह को पैदल जाना 12. दूसरे रास्ते से वापस आना 13. नमाज को जाने से पहले चंदा ख़ुर्ज़ू का ख़ाना लीना तीन, पृथ्वी सत्य या कम या ज्यादा मगर तैक (बे जोड़) हो, ख़ुर्ज़ू रेत हो तो कोई मिट्टी ख़ाना ले नमाज से पहले कुछ न खाया तो गुहारों न हुआ मगर दिशा तक न खाया तो इकाम किया जायेगा। (युवरे जोड़)

मसाइला :— सवारी पर जाने में भी हरज नहीं मगर जिसकी पैदल जाने पर कुछ न हो उसके लिए पैदल जाने अफ़ज़ल है और वापसी में सवारी पर आने में हरज नहीं है। (अल्रामीसी जोड़)

मसाइला :— ईदगाह को नमाज के लिए जाने सुनात है अर्थर मसिज़ में गुरँदाइया हो और ईदगाह में मिस्चाक बनाने या मिस्चाक ले जाने में हरज नहीं है। (दूसऱ मुखार बैरो)

मसाइला :— ख़ुशी जाहिर करना, कसरत से सड़क देना, ईदगाह को इलाही व वक़ार और नीची निगाह किये जाना, अपस में मुबारक बाद देना मुस्तखब है और रास्ते में बल्द आवाज़ से तक्कबर न करें। (दूसऱ खुशार, दूसऱ मुखार)

मसाइला :— नमाजे ईद से कब्ल(पढ़ें) नपल नमाज मुतलक़न मकरद है ईदगाह में हो गया घर में उस पर ईद की नमाज वाजिज हो या नहीं यद्यपि तक कि और अगर चास्त की नमाज घर में पढ़ा चाहे तो नमाज हो जाने के, बाद पढ़े, और नमाजे ईद के बाद ईदगाह में नपल पढ़ना मकरद है घर में पढ़ सकता है बल्कि मुस्तखब है कि चार रकमात्त पढ़े यह अहकाम ख़वास के हैं अवाम अगर नपल
बहारे राशित

पढ़े अगर्छ नमाज़े ईद से पहले अगर्छ ईदगाह में उन्हें मना न किया जाये। (दुवे मुस्कार, कुल मुक्ति)

मसाजिला :— नमाज़े ईद का दक्षिण बकड़े एक नेला आफ़्टालब बल्द होने से जहाँकलकुर्सा यानी निस्फ़्न-नहार शरीय तक है मार ईदूल फित्र में देख करना और ईद अज़ाहा में जलद पढ़ लेना मुस्लिम है और सलाम फेरने के पहले जवाई हो जाया तो नमाज़ जाती रही। (दुवे मुस्कार वग़ैरा निस्फ़्न-नहार शरीय का बयान दूसरे हिस्से में गुज़र चुका।)

नमाज़े ईद का तरीका

यह है कि दो रक्षाृत वाजिम ईदूल फित्र या ईद अज़ाहा की नियत करके कानों तक हाथ उठाये और ‘अल्लाहु अकबर’ कह कर हाथ बौछे ले फिर सना पढ़े फिर कानों तक हाथ उठाये और ‘अल्लाहु अकबर कहता हुआ हाथ छोड़ दे फिर हाथ उठाये और ‘अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ दे फिर हाथ उठाये’ और अल्लाहु हुकम कह कर हाथ बौछे ले यानी पहली तकबीर में हाथ बौछे उसके बाद दो तकबीरों में हाथ लटकाये फिर चौथी तकबीर में बौछे ले इसको शू याद रखें कि जहाँ तकबीर के बाद कुछ पढ़ना है वहाँ हाथ बौछे लिये जाया और जहाँ पढ़ना नहीं वहाँ हाथ छोड़ दिये जाया। फिर इसमें ‘अक्स़ुबिल्लह’ और ‘सलामुल्लह’ आहिस्ता पढ़कर जहर(यहाँ पर बल्द आवाज) के साथ सूरे फातिमा और सुरू पढ़े फिर रक्खूँ करे और दूसरी रक्खूँ में पढ़े सूरे सुफ़ा फातिमा और सुरू पढ़े फिर तीन बार कान तक हाथ ले जाकर ‘अल्लाहु अकबर’ कहे और हाथ न बौछे और चौथी बार बगैर हाथ उठाये ‘अल्लाहु अकबर’ कहता हुआ रक्खूँ में जाये इस से मज़बूत हो गया कि ईदात में जीव तकबीर छह हुई तीन पढ़ियों में किरात से पढ़े और तकबीरों तीनिमा के बाद और तीन दूसरी में किरात के बाद और तकबीरों रक्खूँ से पढ़े और इन सभी छ: तकबीरों में हाथ उठाये जायाएँ और हाथ दो तकबीरों के दस्तमियाँ तीन तकबीर की कदं ठहरे और ईदात में मुस्लिम है कि पहली में ‘सूरे जुमा’ दूसरी में ‘सूरे मुग़फ़िकूँ’ पढ़े या पढ़ी में ‘सूरे आलमा’ और दूसरी में ‘सूरे गुलशिया। (दुवे मुस्कार वग़ैरा)

मसाजिला :— इसमें छह तकबीरों से ज्यादा कहीं तो मुक्तदी भी इमाम की पैरी करवे मगर तेज़ से ज्यादा में इमाम की पैरी नहीं। (रूद्ध मुस्कार)

मसाजिला :— पहली रक्खूँ में इमाम के तकबीरे कहने के बाद मुक्तदी शामिल हुआ तो उसी वक़्त तीन से ज्यादा कहीं और अगर इस्मे तकबीरे न कहीं कि इमाम रक्खूँ में बल्ला गया तो खड़े खड़े न कहे बल्कि इमाम के साथ रक्खूँ में जाये और रक्खूँ में तकबीर कह ले और अगर इमाम को रक्खूँ में पाया और गलिब गुमान है कि तकबीरे कह कर इमाम को रक्खूँ में पढ़ा लेता तो खड़े—खड़े तकबीरे कहे फिर रक्खूँ में जाये वरना अल्लाहु अकबर’ कह कर रक्खूँ में जाये और अगर इमाम रक्खूँ कहे तकबीर कह ले अगर इमाम ने किरात में रक्खूँ कर दी हो और तीन ही कहे अगर इमाम ने रक्खूँ में तकबीरे कहे फिर अगर इस्मे रक्खूँ में तकबीरे पूरी न की थी कि इमाम ने तर उठा सिया तो बाकी साक्षी हो गई और अगर इमाम रक्खूँ से उठने के बाद शामिल हुआ तो अब तकबीरे न कहे बल्कि जब अत्यन्त पढ़े उस वक़्त कहे और रक्खूँ में जहाँ तकबीर कहना बताया गया उसमें हाथ न उठाये और अगर दूसरी रक्खूँ में शामिल हुआ तो पहली रक्खूँ की तकबीरे अब न कहे बल्कि जब अपनी फौज शामिल हुई। पढ़ी ख़ड़े हो उस वक़्त कहे और दूसरी रक्खूँ की तकबीरे अगर इमाम के साथ पाये हो जाये तो बेहतर भरना इसमें भी वही तकसीर है जो पहली रक्खूँ के बारे में जिसकी की गई। (अलमगीर, दुवे मुस्कार)
मसाझा — जो श्राक्ष इमाम के साथ शामिल हुआ फिर सो गया या उसका दुख जाता रहा अब जो पढ़े तो तकबीरें उतनी कहे जितनी इमाम ने कही अगर उसके मजहब में उतनी न थी।(आलमगीर)

मसाझा — इमाम तकबीर कहना भूल गया और रक्खूज में चला गया तो किया की तरफ न लौटे न रक्खूज में तकबीर कहे। (इब्राइह)

मसाझा — पहली रक्खूज में इमाम तकबीरें भूल गया और किरात शुरू कर दी तो किरात के बढ़ुद कहले या रक्खूज में और किरात का इहादा न करे यथूनी लौटये नहीं। (गुलिया,आलमगीर)

मसाझा — इमाम ने तकबीरते जवायद(यथूनी वह छ: तकबीरें जो ईदैन की नमाज में ज़ादा हैं) में हाथ न उठाये तो मुक्तदी उसकी पैरेवी न करे बल्कि हाथ उठाये। (आलमगीर कॉड)

मसाझा — नमाज के बढ़ुद इमाम दो खुटते पढ़े और खुटते जुमा में जो चीजें सुनित हैं इसमें भी सुनित है और जो वहाँ मकरह यहाँ भी मकरह सिफत दो बालों में पर्स है एक यह कि जुमा के पहले खुटते से पेशेक पेशियों का बैठना सुनित था और इसमें न बैठना सुनित है। दूसरे यह कि इसमें पहले खुटते से पेशेकों नी बार और दूसरे के पहले साल बार और मिस्र से उतरने के पहले चीदभार अलालुद अकबर'कहना सुनित है और जुमे में नहीं। (आलमगीर,इब्राइह)

मसाझा — ईदैल प्रित्र के खुटते में सदकेर प्रित्र के अहकाम की ताबुलीम करे वह पाँच बारें हैं।

1. किस पर वाजिब है। 2. किस के लिए वाजिब है। 3. कब वाजिब है। 4. कितना वाजिब है। 5. और किस दीवार के वाजिब है। बल्कि मुनासिब हैं कि ईद से पहले जो जुमा पढ़े उसमें भी यह अहकाम बता दिये जायें कि पहले से लोग वाजिब हो जायें और ईद अजहार के खुटते में कुर्बानी के अहकाम और तकबीरते तशक्कूर की ताबुलीम की जाये। (इब्राइह)

नोट : तकबीरते तशक्कूर उन तकबीरों को कहते हैं जो बकर्फई के महाने में नी तारीख की फज्ज से तेहर तारीख की अप्रत तक हर फज्ज नमाज के बाद तीन मर्तवा कही जाती है।

मसाझा — इमाम ने नमाज पढ़ ली और कोई श्राक्ष बाकी रह गया ख़ाह वह शामिल नहीं हुआ था या शामिल हो उत्ताह या गर इसकी नमाज मुसावद हो गई तो अगर दूसरी जगह मिल जाये पढ़ ले वरना नहीं पढ़ सकता। हैं बेहतर यह है कि यह श्राक्ष चार रक्खूज चारत की नमाज पढ़े (इब्राइह)

मसाझा — किसी उज्ज के सबब ईद के दिन नमाज न हो सकी (मसाल सहूत बारिश हुई या बादल के सबब चाँद नहीं देखा गया और ग़वाली ऐसे वक्त जुरिय सूनित कि नमाज न हो सकी या बादल या नमाज ऐसे वक्त ईद हुई कि जजात हो चुका था तो दूसरे दिन पढ़ी जाये और दूसरे दिन भी न हुई तो ईदैल प्रित्र की नमाज तीसरे दिन नहीं हो सकती और दूसरे दिन भी नमाज का वही वक्त है जो पहले दिन था यथूनी एक नेता भूर नहीं निचलने रहा है। आफताब बलद होने से निचलने रहा है तक और बिला उज्ज ईदैल प्रित्र की नमाज पहले दिन न पढ़ी तो दूसरे दिन पढ़ी सकते हैं। (आलमगीर,इब्राइह)

मसाझा — ईद अजहार नमाज अहकाम में ईदैल प्रित्र की तरह है जिसकी बाज़ारत में पर्स है इसमें मस्तकह यह है कि नमाज से पहले कुछ न खाये अगर कुर्बानी न करे और खा लिया तो कराहत नहीं और रासे में बलद आवाज से तकबीर कहता जाये और ईद अजहार की नमाज उज्ज की वजह से बारहीं तक बिला कराहत मुस्तकह कर सकते हैं यानी बारहीं तक पढ़ सकते हैं, बारहीं के बढ़ुद फिर नहीं हो सकती और बिला उज्ज दसवीं के बढ़ुद मकरह है। (आलमगीर कॉड)

मसाझा — कुर्बानी करनी हम मस्तह कह यह है कि पहली से दसवीं जिलहजा तक न हजामत
मसाजिला: अर्क के दिन यादनी नीवी जिलाहिज्जा को लोगों का किसी जगह जमा हो कर हाजिओं
की तरह बुकूर करना और जिक्व व दुआ में उसी रहना सबूत यह है कि कुछ मुसाफिर (हरज)
नहीं जबकि लाजिम व वाजिब न जाने और अगर किसी दूसरे गुरज से जमा हुए मसलन नमाजें
इस्लाम नहीं है जब तो बिला इश्की जाहिर है और असल (आर्क) हरज नहीं (हम जानते)
मसाजिला: इई के नमाज के बाद मुसाफिर व मुजउदा यादनी गई मिलना जैसा उम्मीद
मुसलमानों में रिवाज है बेहतर है कि इससे अपार खुशी का इजहार है। (विशालजन्म)

तकबीरे तशरीक के मसाजिल

मसाजिला: नीवी जिलाहिज्जा की फज़िल से तरह की अवश्य तक हर नमाजें फज़िल पंजगाना के बाद
जो जमाहत मुस्तहब्बा के साथ अदा की गई एक बार तकबीर बलन्द आवाज के साथा वाजिब है
और तीन बार अफजल, इसे तकवीरे तशरीक कहते हैं वह यह है: —

(तनविरुल अब्सार) (हमे)

मसाजिला: तकबीरे तशरीक सलाम करने के बाद फज़िल वाजिब है यादनी जब तक कोई ऐसा
फज़िल न किया हो कि उस नमाज पर बिना न कर सके। अगर मसजिद से बाहर हो गया या
कस्तन (जानबुश कर) जुलू तोड़ दिया या कलम किया अगरह सहवन (मुलकर) तो तकबीर साफ़ किया
गई और बिला दरद्द यादनी बिला इजारा दुजू दूट गया तो कह ले। (हम जानते)

मसाजिला: तकबीरे तशरीक उस पर वाजिब है जो शहर में मुकीम हो या जिसपर उसकी इक्तिदाता
की अगरह औरत या मुसाफिर या गाँव का रहने वाला और अगर उसकी इक्तिदाता न करे तो इन पर
वाजिब नहीं। (हम जानते)

मसाजिला: नफ़ुल पढ़ने वाले ने फज़िल वाले की इक्तिदाता की तो इमाम की पैरवी में इस मुकवदी पर
भी वाजिब है अगर इमाम के साथ इसपर फज़िल न पढ़े और मुकीम ने मुसाफिर की इक्तिदाता की तो
मुकीम पर वाजिब है अगर इमाम पर वाजिब नहीं। (हम जानते)

मसाजिला: मुलाम पर तकबीरे तशरीक वाजिब है और औरतों पर वाजिब नहीं अगर जमाहत से
नमाज पढ़ी। हाँ, अगर मरह में पीछे औरत ने पढ़ी और इमाम ने उसके इमाम होने की नियत की
औरत पर भी वाजिब है मगर आहिस्ता कहें। यूही जिन लोगों ने बधहना नमाज पढ़ी उन पर भी
वाजिब नहीं अगर जमाहत करें कि उसकी जमाहत जमाहत मुस्तहब्बा नहीं। (हम जानते)

मसाजिला: नफ़ुल व सुनात व विक्रों के बाद तकबीर वाजिब नहीं और जुमे के बाद वाजिब है और
नमाजे इई के बाद भी कह ले। (हम जानते)

मसाजिला: मसबूदक (जिसकी फज़िल से रकफुद फटे) व लाहिक (जिसकी दरमियान से रकफुद फटे) पर
तकबीरे वाजिब है मगर खुद सलाम परे उस बक्त कहें और अगर इमाम के साथ कह ली तो
नमाज फासिद न हुई और नमाज खुल करने के बाद तकबीर का इजहार भी नहीं यादनी लोटाना भी
नहीं। (हम जानते)

मसाजिला: और दिनों में नमाज कजय हो गई थी अयामे तशरीक में उसकी कजय पढ़ी तो तकबीर
वाजिब नहीं। यूही इन दिनों की नमाजे और दिनों में पढ़े जब भी वाजिब नहीं। यूही गुज़े हुए साल
गहन की नमाज

हदीस न.1 ।। सहीहै में अबू मृसा अरबी रियायलाहु तुस्ला अन्हु दि मरवी कि हुजुरे अक्सर सल्लल्लाैल्लाहु तुस्ला अल्लाह वस्तलम के अहदे करीम में एक मतलब गहन लिखा मसिजद में ताशरीफ लाये और बहुत तबील(लम्बा)किया व रुकौ व बुर्डू के साथ नमाज पढ़ी व बेने कभी ऐसा करते न देखा और यह फरमाया कि अल्लाह तुस्ला की की मौत व हयात के बहुत अपनी यह निशानियो जाहिर नहीं फरमाया लेकिन इनमे अपने बने ने को दराता है। लिहाजा जब इनमे से कुछ देखो तो जिक व दुआ व इस्तीफएकर की तफर धबारा कर जानी।

हदीस न.2 ।। नीज उन्ही में इने अबबस रियायलाहु तुस्ला अन्हु मरवी कि लोगो ने अर्ज की या रसूलल्लाह! हमने हुजुर को देखा कि किसी बाये के लेने का कसड (इरादा)फरमाये है फिर पीछे हटते देखा। फरमाया मैने जन्नदा की देखा और उससे एक(युग्म) लें चाहा और अगर ले लेता तो जब तक दुनिया बाकी रहती तुम उससे खाते और दोजख को देखा और अज के मिलन कोई खोफनाक मनज बने न देखा और मैने देखा कि अकसर दोजख औरतें है। अर्ज की कघी या रसूलल्लाह! (सल्लल्लाैल्लाहु तुस्ला अल्लाह वस्तलम) फरमाया कि कुफ करते है। अर्ज की गई अल्लाह के साथ कुफ करते है फरमाया शीतल की नायु करती है और एइसन का कुफरण करती है अगर तू उनके साथ भ्र भर एइसन करे फिर कई बल भी खिलाफे मिजज देखे ने कहनी मैने कभी की भलाई तुम से देखे ही नहीं।

हदीस न.3 ।। सहीहै में हजरत असमा बिनते सिदिक रियायलाहु तुस्ला अन्हु मरवी फरमाते है हुजुर सल्लल्लाैल्लाहु तुस्ला अलेहै वस्तलम ने आफताब गहन में गुलाम आजज देने का अक्सर फरमाया।

हदीस न.4 ।। सुनने अरबो में बुर्डू हुजुर रियायलाहु तुस्ला अन्हु मरवी कहते है हुजुर सल्लल्लाैल्लाहु तुस्ला अलेहै वस्तलम की आवाज नहीं सुनते थे यानी किरात आहिसता की।

मसाइले फिक्रिह्या

सुरज गहन की नमाज सुनने मोअक्कदा है और चाँद गहन की मुस्ताहब। सुरज गहन की
बहारे शरीयत

मन्दिर जमातव ते पढ़नी मुस्ताहब है और तन्त्र-तन्त्र ही हो-सकती-है और जमातव से पढ़ी जाये तो खुलेंगे के सिया तमाम शरातें जुमा इसके लिये शर्ट हैं यथानी वही शरास हमकी जमातव काम कर सकता है जो जुमा की कर सकता है वह न हो तो तन्त्र-तन्त्र पढ़े घर में या मसीद में। (हैं मुख्य)

मस्सला :- गहन की मन्दिर उसी बज़ा पढ़े जब आफताब गहन हो यानी जब गहन लग रहा हो, गहन छूटे के बदल नहीं, और अगर गहन छूटना शुरू हो गया अगर अमी बाकी है उस बज़ा भी शुरू कर सकते हैं और गहन की हालत में उस पर अब (बादल) आ जाए जब भी मन्दिर पढ़े। (जोध संभर)

मस्सला :- ऐसे बज़ा गहन लगा कि उस बज़ा मन्दिर मा है तो मन्दिर न पढ़े बिंक दुआ में ममूल रहे और इसी हालत में दूसरे खत कर दे और ममूब की मन्दिर पढ़े। (जोध.सुल मुहम्मद)

मस्सला :- यह मन्दिर और नवाफ़िल की तरह के बज़ा मन्दिर न कर सकते पढ़े यानी हर बक़ा में एक रूह के और दो सज़े करने के इसमें अज़ान है न इकामत या बज़ा आवाज से किसी और मन्दिर के बदल दुआ करें यहाँ तक कि आफताब खुल जाये और दो रक्खा के ज्या भी पढ़ सकते हैं ख़वाह दो रक्खा पर सलाम फरें या चार पर। (हैं मुख्य.सुल मुहम्मद)

मस्सला :- अगर लोग जन्म न हुए तो इन लाफ़जों से पुकारे ‘असलादु जामिया’ (हैं मुख्य हूफ मुहम्मद)

मस्सला :- अफजल यह है कि ईदगाह या जामे मसीद में इसकी जमातव काम की जाये और अगर दूसरी जगह काम करे जब भी इज़र नहीं। (अल्मीज़र)

मस्सला :- अगर यदि हो तो ‘सूरए बक़र’ और ‘सूरए आले इमान’ की मिस्तू सब ही दुएँ और मन्दिर के बदल दुआ में ममूल रहे यहाँ तक कि पूरा आफताब खुल जाये और यह भी जाज़र है कि मन्दिर में तहफ़ीफ़ करे और दुआ में तूह, ख़वाह इमाम किल़ा-जुद दुआ करे या मुक्तिदियों की तफ़ गुंह करके ख़वाह हो और यह भी वहाँ है, और सब मुक्ती आमीन कहें अगर दुआ के बज़ा असा या कमान पर टेक लगाकर ख़वाह हो तो यह भी अच्छा है, दुआ के लिए मिलें पर न जाये। (हैं मुख्य बहर)

मस्सला :- सूरए गहन और जामे के उल्लिखिता हो तो पहले जाना पढ़े। (अल्ह) था)

मस्सला :- चीद गहन की नमज़ा में जमातव नहीं, इमाम मौजूद हो या न हो बहरहाल तन्त्र-तन्त्र पढ़े। (हैं मुख्य.वग़ाँर) इमाम के अलामा दो तीन आदमी जमातव कर सकते हैं।

मस्सला :- तेज़ आँखी आये या दिन में सफ़र अधीन परिस्थित तो या तातियली हो या लगातार कसरत से में बसरे या कसरत से आये पढ़े या आसमान सुर्ख हो जाये या विजालियाँ पिरे या कसरत से तारे दूरे या ताँक वग़ाँर बबा फ़ैले या जलजले आये या दुरमन का ख़ूफ़ हो या और कोई दसहार नाक अश्र पाया जाये तो इन सबके लिए दो रक्खा मन्दिर मुस्ताहब है। (अल्मीज़र,हैं मुख्य बहर आहिता)

चढ़ हैंकसे जिनमें आँखी वग़ाँर का जिकर है इस मौके पर बयान कर देना मुनाफ़िसब ममूल होता है कि मुसलमान उन पर अमल करे। और तौफ़ीक अल्हाब तातियला ही की तरफ से है।

हदीस नं.1 :- उम्मुल मोमिनन्ह रहीमा रहीमा तातियला मदना से सही धुबरी व सही मुरलम बहरहाल में मरही फराहत हैं जब तेज़ बहु बलीया तो हुज़ूर हतिल़ा तातियला नहीं ही वसलम यह-दुआ पढ़े।
तर्जमा— "ऐ अल्लाह! मैं तुमसे इसके ख़िया का सवाल करता हूँ और उसके ख़िया का जो इसमें है और उसके ख़िया का जिसके साथ यह भेजी गई और तेरी पनाह मोंगता हूँ। इसके शर और उस चीज़ के शर से जो इसमें है और उसके शर से जिसके साथ यह भेजी गई।

हदीस न.2 :— इमाम शाफीफ़ इब्राइहीम अबू दादुर और इसने मुहम्मद और तैलिन्दी में रिवायत की कि इसमें है।

हदीस न.3 :— तिर्निग्ने में अबुललाह इबने अब्दुल्लाह इब्राइहीम और शाफीफ़ इब्राइहीम अलेही वस्तुता है।

हदीस न.4 :— इमाम अबू दादुर नसीह और इसने मुहम्मद और तैलिन्दी में रिवायत की कहाँ है जब आस्मान पर अब्र आता है और उसके तकर भूल कर होकर यह दुआ पढ़ते।

अल्लाहु इब्राइहीम और शाफीफ़ इब्राइहीम और शाफीफ़ इब्राइहीम और शाफीफ़ इब्राइहीम और शाफीफ़ इब्राइहीम और शाफीफ़ इब्राइहीम और शाफीफ़ इब्राइहीम और शाफीफ़ इब्राइहीम और शाफीफ़ इब्राइहीम

तर्जमा — "ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह मोंगता हूँ उस चीज़ के शर से जो इसमें है।"

अगर खुल जाता हमद करते और भरसता तो यह दुआ पढ़ते—

अल्लहु मःफ़िया नाफ़्था।

तर्जमा — "ऐ अल्लाह! ऐसा पानी भरसा जो नफ़ा पहुँचाये।"

हदीस न.5 :— इमाम अहमद और तिर्निग्ने के अबुललाह इबने इब्राइहीम और तैलिन्दी में रिवायत की कि इसमें है।

तर्जमा — "ऐ अल्लाह! अपने गज़ब से दूः हमको कल्ल न कर और अपने अज़ाब से हमको हलक न कर और इससे कब्ल हमको आफियत में रख।"

हदीस न.6 :— इमाम मालिक के अबुललाह इबने जुबैर और तैलिन्दी में रिवायत की कि इसमें है।

तर्जमा — "पाक है वह कि हम के साथ रखद (बिजनी की कड़क) उसकी तस्बीह करता है और फ़रिश्ते उसके ख़िया से,बेराय अल्लाह हर चीज़ पर कादर है।"

हदीस न.7 :— फ़रिश्ते हैं जब भाद की गरज़ सुनो तो अल्लाह की तस्बीह करो तकबीर न करो।
नमाज़े इस्तित्सका का बयान

अल्लाह ताज़ाला फरमाता है:

> وَمَا أَصْلَّكُمْ مِنْ مُصْبِحٍ فَلَا كَسَبْتُ أَنْبِيَّكُمْ وَلَيْعَفَ عَنْ كُلِّ ذَٰلِكَ

तर्जमा — “तुम्हें जो मुसीबत पड़ती है वह तुम्हारे हाथों के कर्युत से है और बहुत सी माफ़ फरमा देता है”।

यह कहते (सुखे, अकाल) भी हमारे ही मातासी(मुसाहौ) का सबब हैं। जिन्होंने ऐसी हालत में कसरते इस्तित्सकार(यानी बहुत ज्यादा इस्तित्सकार और लोगों) की जजरत है और यह भी उसका फर्ज है कि बहुत से माफ़ फरमा देता है वहाँ अगर सब बातों पर मुनाखज़ह(पकड़) करे तो कहाँ ठिकाना।

और फरमाता है —

> لَوْ يَوَاهِدُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبَّنا مَا تَرَكْهُنَّ وَيُرَكِّبُ عَلَى طَفْرِهَا مِنْ ذَٰلِكَ

तर्जमा — “अगर लोगों को उनके केले पर पकड़ता हो जमीन पर कोई चलने वाला न छोड़ता”।

और फरमाता है —

> إِنَّا لَيُعْفِرُونَ عَنْكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَيْعَفَ عَنْ كُلِّ ذَٰلِكَ

तर्जमा — “अपने शब्द से इस्तित्सक करो बेशक यह बड़ा बख़्राने वाला है। मूसलमान पानी तुम पर भेजेगा और मालों और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें बाग देगा और तुम्हें उन्हें देगा”।

हदीस न.1 — इने माजा की रिखावत इने उमर रस्तियल्लहु ताज़ाला अनहुआ से है कि फरमाते हैं सल्लल्लाहु ताज़ाला अल्लाह वस्सल्लम जो लोग नाप और तील में कभी करते हैं वह कहते और शियाह मीत में और बदशाह के जुलाम में गिरफ्तार होते हैं अगर चौपाये न होते तो उन पर बारिश नहीं होती।

हदीस न.2 — सही मुस्लिम शरीफ अबू हुरेया रस्तियल्लहु ताज़ाला अनुदु मरी हुजूरे अकमद सल्लल्लाहु ताज़ाला अल्लाह वस्सल्लम फरमाते हैं कहते इसी का नाम नहीं कि बारिश न हो बड़ा कहते तो यह है कि बारिश हो और जमीन कुछ न जगाये।

हदीस न.3 — सहीह मैं है अनस रस्तियल्लहु ताज़ाला अनुदु कहते हैं हजूरे अकमद सल्लल्लाहु ताज़ाला अल्लाह वस्सल्लम किसी जुमा में उस कुछ खाँ न जगाये जितना इस्तित्सक में उठते यहाँ तक कि बलन्द फरमाते कि बालागे की सफेदी जाहिर होती।

हदीस न.4 — सही मुस्लिम शरीफ में उनी से मर्जन कि हजूर सल्लल्लाहु ताज़ाला अल्लाह वस्सल्लम ने बारिश के लिए उदा फनाम में और पुरूर वस्सल्लम(हेली के चिछे हिस्से) से आसमान की तरफ़ इशारा किया (यहाँ और दुआओं में तो कायदा यह है कि हेली आसमान की तरफ़ हो और इस में हाथ लौट दें कि हाल बदलने की फाल हो।

हदीस न.5 — सुनने अबू दावउद खुशू व तजरूहु(गिरिया व जाती) के साथ।

हदीस न.6 — अबू दादलु ने उम्मुद मोहनमिन शरीफ रस्तियल्लहु ताज़ाला अनुदु से रिखावत की। कहती है लोगों ने हजूर सल्लल्लाहु ताज़ाला अल्लाह वस्सल्लम की खिदमत में कहते बार्श की शिकायत पेश की हजूर सल्लल्लाहु ताज़ाला अल्लाह वस्सल्लम में निम्न के लिए हुक्म फरमाया,
ईदगाह में रखा गया और लोगों से एक दिन का बाद फरमाया कि उस रोज सब लोग चलें। जब आफताब का किनारा चमका उस वक्त हुजूर सल्ल्लाल्लाहु ताज़ला अल्लाहिक वस्तलम तशरीफ़ ले गये और मिस्टर पर बैठे तक्कीर करी और हमें इलाही बजा लाये, फिर फरमाया तुम लोगों ने अपने मुलक के कहते की शिकायत की और यह कि मेरे अपने वक्त से मोहब्बत हो गया यथार्थी पीछे हट गया और अल्लाह ताज़ला ने दुहे हुक्का दिया है कि उससे दुआ करो और उससे वब्दा कर लिया है कि दुहारी दुआ कबूल फरमायेगा इसके बाद फरमाया:—

अल्लाहु بر الاعلّمین، الربّ بالرحمن الرحمٍ ملک نعمت الديوان لله

إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَرْتَبُّ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ أَلَّا إِلَّا أَنَّ اللَّهَ وَنَخْنَ

الفَقْرَةَ أَنْ يُنْفِيَ عَلَيْهَا الْفَيْقَةَ وَأَحْصِلَ مَا أَنْزَلَ الْقُوَّةَ وَقَبَلَا عَلَىَّ جَبَّيْنِ

tarjama:—"सब खुशब्बिया अल्लाह को जो मालिक सारे जहाँ वालों का बहुत मेरस्तवन रहम वाला रोज़े जज़ाकां मालिक है,अल्लाह के सिवा कोई महबूब नहीं जो चाहता है करता है,ऐ अल्लाह! तू ही महबूब है तेरे सिवा कोई महबूब नहीं तू गमी हैं और हम मुहताज है हम पर बारिश उठार और जो जूझ उठारे हमारे लिए कुव्वत और एक वक्त तक फ़हुंचने का सब कर दे।"

फिर हाथ बलन्द फरमाया यहाँ तक कि बगल की सफदी जाहिर हुईं, फिर लोगों की तरफ मुझे जव्है हुए और मिस्टर से उतर कर दो रक्षक्त नमाज पढ़ी अल्लाह ताज़ला ने उसी वक्त अद्वितीया पढ़ा किया वह गरजा और चमका और बरसा और हुजूर सल्ल्लाल्लाहु ताज़ला अल्लाहिक वस्तलम अभी मस्स़ज़ अल्लाह शरीफ थी न लाये थे कि नाले बढ़ गये।

हदीस न.7 :— इनम मालिक व अबू दालूज़ ब—रिवायते अब्ब इबने शुरू अन अब्ब ही अन जहैही राती कि हुजूर सल्ल्लाल्लाहु ताज़ला अल्लाहिक वस्तलम इस्लामका की दुआ में यह कहतें:

اللهم اسمي عبادك و بنك و بنك و انت صممت و و و الحتري و نبض

tarjama:—"ऐ अल्लाह! तू अपने बन्दों और चौपायों को सराफ़ कर और अपनी रहमत को पैला और अपने शहरे मुरा को जिन्दा कर"

हदीस न.8 :— सुनने अबू दालूज़ में जहैही रिद्यरल्लाहु ताज़ला अभी से मरवी कहते हैं मैने रसूलुल्लाह सल्ल्लाल्लाहु ताज़ला अल्लाहिक वस्तलम को देखा कि हाथ उठा कर यह दुआ की—

اللهم اشفها و عفوا و اغموا و اغمر و اغضب لى اليوم

tarjama:— ऐ अल्लाहख़ामखो सराफ़ कर पूरी बारिश से जो खुशागवार तज़गील लाने वाली है नाफ़ा (नफ़ा पहुँचाने वाली) हो नुक्सान न करें, जल्द हो देर में न हों।

हुजूर सल्ल्लाल्लाहु ताज़ला अल्लाहिक वस्तलम ने यह दुआ पढ़ी ही थी कि आसपास फिर आया।

हदीस न.9 :— झूठी बुखारी शरीफ़ में अनस रिद्यरल्लाहु ताज़ला अभी से मरवी कहते हैं लोग जब कहते में मबतता होते तो अमीरुल मोमिनन फारुक़े अबूलुम जहैही अब्ब रिद्यरल्लाहु ताज़ला अभी के त्वस्युल (वस्तीर्त) से बारिश की दुआ करते अर्ज करते :

"ऐ अल्लाहतेरी तरफ हम अपने नबी का वसीला किया करते थे और तू वसीला था अब हम तेरी तरफ नबी सल्ल्लाल्लाहु ताज़ला अल्लाहिक वस्तलम के अभी मुकर्मन (चमा मोहतरम) को वसीला
करते हैं बारिश भेज़।

अनस रहियल्लाहु तत्ताला अन्दु कहते हैं जब तुम दुआ करते तो बारिश होती यानी हुजूर अकदस सल्लल्लाहु तत्ताला अल्लाह वस्तम आगे होते और हम हुजूर के पीछे सफे बॉल कर दुआ करते अब कि यह मयसर नहीं, हुजूर के चचा का आगे करके दुआ करते हैं कि यह भी तवस्सुल हुजूर से है सूरतन मयसर नहीं तो महसून।

मसाइले फिरिम्यह

इस्तिकाका दुआ व इस्तिगफार का नाम है। इस्तिकाका की नमाज़ जमाअत से पढ़े या तरह
- तन्हा दोनों तरह इश्कावर है। (है गुजार)

मसाइला :- इस्तिकाका के लिए पुराने या पैदें लगे कपड़े पहन कर तज़ल्जुल (अपने आपको अल्लाह के सामने जल्दी जा रहा है)व खुशकुश व खुशी के रस से बर्खास्ता (नंदे सर) पैदाकर जाये और पा-बस्तना (नंदे पौंड) होने तो बेहतर और जाने से पेशेठ (हल्दे) करके कुफ़ार की अपने साथ न ले जाये कि जाते हैं रहमत के लिए और काफिर पर वाक्तर उत्तरती है। तीन दिन पेशेठ से रोजो रखो और लोगों व इस्तिगफार करे, फिर मेद़न में जाये और वहाँ तीना करे और जबानी तीव्र काफी नहीं बल्कि दिल से करे और जिनके हुजूर उस के जिम्मे है सब अदा करे या मुआफ़ कराये को वर्गों बुड़े बुढ़ियों बच्चों के तवस्सुल (वसीले) से दुआ करे और सब आमीन कहे कि भी बुड़ी शरीफ के है हुजूर अकदस सल्लल्लाहु तत्ताला अल्लाह वस्तम ने इरशाद फरमाया अवश्य रोजी और मदद कमजोरों के जरिये से मिलती है और एक रिश्वान में है अगर जवान खुशकुश करने वाले और चौपाई चलने वाले और बुढ़े स्वार्थ करने वाले और बच्चे दूर पीने वाले न होते तो तुम पर शिष्टत से अजाब की बारिश होती। उस वक्त बच्चे के गाँवों से जुड़ा रहे जाये और मकेशी की साथ ले जाये। गरज यह कि रहमत की तवज़ोह के तराम असबाब मुहा करे यानी जिन बातों से अल्लाह की रहमत होती है ज्यादा से ज्यादा बढ़ा बढ़े करें और तीन दिन मुताबिक जंगल को जाये और दुआ करें और यह भी हो सकता है कि इस्माम दो रक्खा (बल्द आवाज से किरात) जहाँ के साथ नमाज़ पढ़ाये और बेहतर यह है कि पहली में ‘जूरे अन्तकीं अरुणी में ‘सूरत अशिकश पढ़े और नमाज़ के बाद जमीन पर खड़ा हो कर खुदा पढ़े और दोनों खुदाओं के दरमियान जलसा करे (बेटे) और यह भी हो सकता है कि एक ही खुदा पढ़े और खुदावे में दुआ कर अरुणी व इस्तिगफार करे और खुदावे के बीच में चादर लौट दे यानी ऊपर का किनारा रीत और चीत का ऊपर करे दे कि हाल बदलने की फाल है। खुदावे से फारिंग होकर लोगों
- की तरफ पैह पीले और किस्त फूल कर के दुआ कर बेहतर यह दुआ है कि अहादिस में अरबिन है और दुआ में हास को खूब बल्द करे और पुस्ते दस्त (हर का पिछला हिस्सा) आमना की जानिब रखे। (आलमगीर, गुरुगढ़, हुजायर, अलम)

मसाइला :- अगर जा जाने से पहले बारिश हो गई जब भी जाये और खुदे इलाही नवा लाये और में के बदल हदीस में जो दुआ इरशाद हुई पढ़े और बादल गरे तो उसकी दुआ पढ़े और बारिश में कुछ देर ठहरे कि बदल पर, पानी पहुँचे। (हुजायर, हुजायर, हुजायर)

मसाइला :- कसरत से बारिश हो कि नुकसान करने वाली मस्लूम हो तो उसके रक्कम की दुआ
नमाज़े ख़ौफ़ का बयान

अल्लाह तख़्त़ाला फरमाता हैं :-

"फ़िर यह ज़िक्र है क्योंकि यदि आप अल्लाह का दिखाई देना नहीं चाहते तो अल्लाह आपको उससे बचायेगा।"

और फरमाता हैं:-

"और जब आपने जाना वो साधन छोड़ कर भी जाना, तब वो आपको दिखाई देगा।"
सल्लल्लाहु ताआँला अलेहि वस्ल्लाम के साथ गये जब जापुरकाफ़्ज़ (जगह का नाम) में पहुँचे एक सायंदार दरवाजे हुजूर सल्लल्लाहु ताआँला अलेहि व सन्नद्ध के लिए छोड़ दिया उस पर हुजूर ने मुझे से हादर हैं फरमाया ना। उसने कहा तो आप के कोण मुझे से बचायेगा फरमाया अल्लाह सहाय से जब देखा तो उसे दराया। उसने म्या में तलवार रख कर लटका दी उसके बदल अजान हुई। हुजूर सल्लल्लाहु ताआँला अलेहि व सल्ल्लाम ने एक गिरोह के साथ दो रक्षक नामाज पड़ी फिर यह पीछे हटा और दूसरे गिरोह के साथ दो रक्षक पड़ी तो हुजूर की चार हुई और लोगों की दो-दो यथार्थ हुजूर के साथ।

मसाईले फिक्रिया

नमाजें खौफ़ जाई है जब कि दुर्मिज़ों का करीब में होना यक़ीन के साथ मलुम हो और अगर गुमान था कि दुर्मिज़ करीब में हैं और नमाजें खौफ़ पड़ी बहदूर को गुमान की गलती जाहिर हुई तो मुक़दमी नामाज का इशारा करे यथार्थ दोहराये। यहीं अगर दुर्मिज़ दूर हों तो यह नमाज जाई नहीं यथार्थ मुक़दमी की न होगी और इस्लाम की हो जाहिरी।

नमाजें खौफ़ का तरीका यह है कि जब दुर्मिज़ सामने हो और यह अंदेशा हो कि सब एक साथ नमाज पढ़ेंगे तो हमला कर देंगे ऐसे बलते हुआ जमानत के दो हिस्से को अगर दो दिनों में हुआ इस पर राजी हो कि हम बहदूर को पढ़ लंगे तो उसे दुर्मिज़ के मुक़दमे करे और दूसरे गिरोह के साथ पूरी नामाज पढ़े ले। फिर जिस गिरोह ने नमाज नहीं पढ़ी उसमें कोई इस्लाम हो जाये और यह लोग उनके साथ बा-जमानत पढ़े ले और अगर दोनों में तो बहदूर को पढ़ने पर कोई राजी न हो। तो इस्लाम एक गिरोह को दुर्मिज़ के मुक़दमे करे और दूसरा इस्लाम की पीछे नामाज पढ़े जब हुआ इस्लाम इन गिरोह के साथ एक रक्षक पढ़े यथार्थ पहली रक्षक के दूसरे सज़दे से सर उठाये तो यह लोग दुर्मिज़ के मुक़दमे चले जाये और जो लोग वहाँ थे वह चले आये। अब इनके साथ इस्लाम एक रक्षक पढ़े और ताहदल हुकम पढ़े और सलाम फेरे। देगार मुक़दमी सलाम, न फेरे बिनक वह लोग दुर्मिज़ के मुक़दमे चले जाये या यथार्थ अपनी नामाज पूरी कर जाये और यह लोग आये और एक रक्षक बाएं किरात पढ़े कर ताहदल के बहदूर सलाम फेरे। और यह भी हो सकता है कि यह गिरोह यहाँ न आये। बिनक वह किरात नामाज पूरी कर ले और दूसरा गिरोह आये नामाज पूरी कर चुका है तब तो तीन वर्ष अब पूरी चाहें या यथार्थ आये और यह लोग किरात के साथ अपना एक रक्षक पढ़ें और ताहदल के बहदूर सलाम। फेरे। यह तरीका दो रक्षक वाली नामाज का है यथार्थ नमाजें। दो रक्षक की हो, जैसे फूड़ व इद व जुमा या सफ़र की बज़ह से चार की दो हो गई और चार रक्षक बाएँ नामाज हों तो हर गिरोह के साथ इस्लाम दो-दो रक्षक पढ़ें और मगरदें में पहले गिरोह के साथ दो और दूसरे के साथ एक पढ़ें अगर पहले के साथ एक नामाज जाती रहें। (हुसैन शायख, अलमनीयी बातचीत)

मसबूला - यह सब आहकम उस सूरत में है जब इस्लाम व मुक़दमी सब मुक़म हो या सब मुसाफिर या इस्लाम मुक़म है और मुक़दमी मुसाफिर और अगर इस्लाम मुसाफिर हो और मुक़दमी मुक़म तो इस्लाम एक गिरोह के साथ एक रक्षक पढ़े और दूसरे के साथ एक पढ़ कर सलाम फेरे। दे फिर पहला गिरोह आये और तीन रक्षक बाएं किरात के पढ़े फिर दूसरा गिरोह आये और तीन नामाज पढ़े पहले में फातिहा व चूरत पढ़े और अगर इस्लाम मुसाफिर है और कुच मुक़दमी मुक़म है कुच मुसाफिर तो मुक़म के तरीके पर अभार करे और मुसाफिर मुसाफिर के। (अलमनीयी बातचीत)
किताबुल झालाज़

बीमारी का बयान: बीमारी भी एक बहुत बड़ी नेतृत्व है। इसके गुणात्मक बेशुमार है अगर आदमी को बद-जाहिर इससे तकलीफ़ पहुँचती है तो हकीकत रहत और आराम का एक बड़ा ज़ब्रड़ा हाथ आता है। यह जाहिरी बीमारी जिसको अदालत बीमारी समझता है हकीकत में रुकावटी बीमारियों का एक बड़ा जबरदस्त इलाज है हकीकत में रुकावटी बीमारियों के लिए तरीके उपलब्ध है और वास्तव का असर सिफारिश इलाज है कि जब तक वास्तव झालाज़ है बाद में शुरुआत से नमज़ भरते हैं तथा रुकावटी बीमारी की जान है।
इस्तिमलाल से काम ले और जजह याहूदी रोने-दोने और बेसब्री जाहिर करके आते हुए सवाब को हाथ से न जाने दे और इतना हर शर्मा जानता है कि बेसब्री से आई हुई मुसीबत जाती न रहनी फिर उस बड़े सवाब से महजम दोहरी मुसीबत है बहुत से नादान बीमारी में निहायत बेजा और गुलाम बाटे कह देते हैं बल्कि बाज़ार कुछ तक पहुँच जाते हैं। महाकाव्य! अल्लाह ताज़ाला की तरफ जुल्म की निस्क्रियत कर देते हैं यह तो बिल्कुल ही अस्तित्विंकर! याहूदी दुनिया औरआधिकार में पाये में पड़ने के मित्रताक बन जाते हैं।

अब हम इसके बाज़ार फवाइद जो अहादीस में वापिंद है बयान करते हैं कि मुसलमान अपने पाये और बर्गुजिदा रसूल सल्ल्लाल्हु ताज़ाला अल्लाह वस्त्रम के इरस्कार में आलिया दिल लगा कर सुने और उन पर अमल करें अल्लाह ताज़ाला तोफीक अटा फसाये।

हदीस न.1व2 :- सही हुकूमा व सही मुसलमं में अबू हुरारा व अबू साइद रिय्य्यिल्लाहु ताज़ाला अन्हुअ से मरबी हुज़ूरे अकड़स सल्ल्लाल्हु ताज़ाला अल्लाह वस्त्रम करते हैं मुसलमान को जो तकलीफ व रंज व गम पहुँचे यहाँ तक कोटा जो उसको युगे अल्लाह ताज़ाला उसके सबब गुनाह मिटा देता है।

हदीस न.3 :- सही है अबू बदल इसे मसजिद रिय्यिल्लाहु ताज़ाला अन्हु से मरबी कि हुज़ूर सल्ल्लाल्हु ताज़ाला अल्लाह वस्त्रम फरमाते हैं मुसलमान को जो अजीयत पहुँचती है मरबी या उसके सिवा कुछ और अल्लाह ताज़ाला उसके सव्येताल(गुनाहो) को मिटा देता है जैसे दरक़त से पते ज़ड़ते हैं।

हदीस न.4 व 5 :- सही मुसलम शरीफ़ में जाहिर रिय्यिल्लाहु ताज़ाला अन्हु से मरबी हुज़ूरे अकड़स सल्ल्लाल्हु ताज़ाला अल्लाह वस्त्रम उम्मतुक संबंध के पास तशरीफ ले गये फरमाया तुले की हुआ है जो कॉम रही है अर्ज की बुखार है, खुदा उसके सबक न करे। फरमाया बुखार को बुरा न कह कि वह आदमी की ख़ताओं को इस तरह दूर करता है जैसे महद़ी मैल को। इसी के मिले चुने इन्हें माज़ा में अबू हुरार हुआ हिय्यिल्लाहु ताज़ाला अन्हु से भी मरबी।

हदीस न.6 :- सही हुकूमा शरीफ़ में अनौ रिय्यिल्लाहु ताज़ाला अन्हु से मरबी हुज़ूर सल्ल्लाल्हु ताज़ाला अल्लाह वस्त्रम फरमाते हैं कि अल्लाह ताज़ाला फरमाते है जब अपने बने की आख़िरे से लूं फिर वह सब्र करे तो आख़िरे के बदले उसे ज़ननत जूगा।

हदीस न.7 :- तितिमी शरीफ़ में है उममा ने सिद्दीका रिय्यिल्लाहु ताज़ाला अन्हु से इन दो आयतों का तत्तब दर्शाका पिया।

अन्तः जो मुक़ाम में क़ुरान, ईसरमन, अब्बास के ख़ितात में जाना है।

हदीस न.9 :- "जो किसी किसी की हुआ करते उसका बदला दिया जाये।" और तहमा :- "जो किसी किसी की हुआ करते उसका बदला दिया जाये।" (कि जब हर बुराई की जाता है और जो ख़तरा दिल में गुरूङे उसका भी हिसाब है तो बड़ी मुसीबत है कि इसके सिद्दीका रिय्यिल्लाहु ताज़ाला अन्हु ने फरमाया जब से मैं इसका सबक हुज़ूर सल्ल्लाल्हु ताज़ाला अल्लाह वस्त्रम फरमाते हैं। किसी ने भी मुज़े उसे न पूछा। हुज़ूर सल्ल्लाल्हु ताज़ाला अल्लाह वस्त्रम फरमाते हैं फरमाया इससे मुराद हटाए हैं कि अल्लाह ताज़ाला
बन्दो देखता है कि उसे बुझाओ और तकलीफ पहुँचाता है यहाँ तक कि माल जो कुर्सी की आस्तिन में हो और गुम जाये और उसकी बजह से घबरा जाये इन उमर की बजह से गुजाहुं से ऐसा निकल जाता है जैसे बदती दौरे पर जो निकलता है (यानी गुजाहुं से ऐसा पाक न सफ हो जाता है जैसे बदती से सोना मैल से सफ होकर निकलता है)

हदीस न.8 : तिममजी में अबू मूसा रशीदलालु तालालु अनुभूत से मारी कि फरमात है सल्लल्लाहु तालाला अलेहि वसल्लम बन्दो को कोई तकलीफ कम न बेशर नहीं पहुँचती, मगर गुजाहुं के सबब और जो अल्लाह तालाला मुफ़्तिफ़ फरमा देता है वह बहुत ज्यादा है और यह आयत पढ़ी :-

"وَّمَا أُصِيبَتْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيْمَا كَسَّبَتْ أَيْدِيِّكُمْ وَيَغْفُرْ عَنْ كُرُسِيْتُكَ"

लेखकः :- "जो जुड़े मुसीबत पहुँची वह उसका बदता है जो गुजाहुं भांजे ने किया और बहुत शी मुफ़्तिफ फरमा देता है।"

हदीस न. 9 और 10 :- इन्होंने उनमार रशिदलः तालालु अनुभूत से मारी कि फरमात है सल्लल्लाहु तालाला अलेहि वसल्लम बन्दर जब इबादत के अच्छे तरीक़े पर हो फिर बीमार हो जाये फिर जो फरमाता है उस पर मुकव़फ़द है उसके लिए वैसे ही अवसान लिखा जब सरज मुबत्तला न था यहाँ तक कि में उसे महज से रहा करण्य या अपनी तरफ़ बुला दूँ यह तौर पर अमक या अन्य की रिवाज में न है कि हुजूर सल्लल्लाहु तालाला अलेहि वसल्लम फरमात है जब मुसलमान किसी बदन को वसल्लम होता है फरिस्तो को हुकम होता है लिखा जो नकाम पहले किया करता है तो अगर शफ़ा फरमा देता है तो घो देता और पाक कर देता है और मौज देता है बस्ता देता है और रहम फरमा नहीं है।

हदीस न.11 :- तिममजी व इन्हीं माजा व दारमी सबक रशिदलः तालालु अनुभूत से राहु हुजूर सल्लल्लाहु तालाला अलेहि वसल्लम से सवाल जुआ कि किस पर बला ज्यादा सवाल होती है। फरमाता अवसान पर फिर जो बेहतर हैं। फिर जो बेहतर हैं आदमी में जितना दीन होता है उसी के अन्दर जब बला मुबत्तला किया जाता है अगर दीन में ज्युरफ़ कमजोर है तो उस पर आसानी की जाती है तो हमेशा मुबत्तला किया जाता है यहाँ तक कि जमीन पर चूँ चलता है कि उस पर कई गुजाहुं न रहा।

हदीस न. 12 :- तिममजी व इन्हीं माजा अल्ला रशिदलः तालालु अनुभूत से राहु हुजूर सल्लल्लाहु तालाला अलेहि वसल्लम फरमात है जिसी मुबत्तला उतना ही सवाल ज्यादा और अल्लाह तालाला जब किसी को को महदूब रखता है तो उसे मुबला में बलता है जो राहु हुजा उसके लिए रजा है और हो नाराज हो उसके लिए नाशुरी और दूसरी रिवाज में नहीं है कि फरमात है सल्लल्लाहु तालाला अलेहि वसल्लम जब अल्लाह तालाला अपने बन्दर के साथ ठेर का हुआ फरमा न्त हो तो उसे दुनिया ही में सल्ल्र दे देता है और जब शार का हुआ फरमाता है तो उसे गुजाहुं का बदला नहीं देता और नियमम के दिन उसे पूरा बदला देगा।

हदीस न.13 :- इमाम मसिम व तिममजी अबू हुरशा रशिदलः तालालु अनुभूत से राहु हुजूर सल्लल्लाहु तालाला अलेहि वसल्लम मुसलमान मर्द और उरस के जान व माल व औलाद में हमेशा बला रहती है यहाँ तक कि अल्लाह तालाला से इस हाल में मिलता है कि उस पर क्रुख खरा नहीं।

हदीस न. 14 :- अहमद और अबू दाउद बरियाते मुहम्मद इन्हें खालिद अपने बाप से अपने दादा से राहु कि फरमात है सल्लल्लाहु तालाला अलेहि वसल्लम बन्दर के लिए इन्हें इलाही में कोई मर्दा मुकर्स होता है और वह अवसान के सबब उस रुद्ध को न पहुँचे तो बदन या माल या औलाद में
उसको मुख्तला फर्माता है फिर उसे सबू देता है यहाँ तक कि उसे उस मार्तवा को पहुँचा देता है जो उसके लिए इलाही में है।

हदीस न. 15: - तिमिरजी ने जाबीर रदियल्लाहु ताजाला अन्नु से रिवायत की कि हुजूर सल्ल्लाल्लाहु

ताजाला अलेरह वस्तल मेराम है जब कियामात के दिन अहले बला(मुसीबत उठने वालों) को सवाय

दिया जायेगा तो आफियत वाले तमना करके काा जुनिया धे कैनियों से उसकी खालें कारी जाती।

हदीस न. 16: - अबू दाउद आमिरुल्लाहु रदियल्लाहु ताजाला अन्नु से राय कि रसुलुल्लाह सल्ल्लाल्लाहु

ताजाला अलेरह वस्तल ने बीमारियों का जिक फर्माया और फर्माया कि मोमिन जब बीमार हो फिर

अच्छा हो जाये उसकी बीमारी गुनाहों से कपफरा हो जाती है और आइंदा के लिए नसीहत, और

मुनाफ़िक जब बीमार हुआ फिर अच्छा हुआ उसकी मिसाल उठें की है कि मलिक ने उसे बाीा फिर

खोला। एक शाझस ने अर्ज की या रसुलुल्लाह! बीमार क्या चीज है? में तो कभी बीमार न हुआ। फर्माया हमारे पास से उठ जा कि तू हम में से नहीं।

हदीस न. 17: - इमाम अहमद शाहद इने औस रदियल्लाहु ताजाला अन्नु से राय कि हुजूर सल्ल्लाल्लाहु

ताजाला अलेरह वस्तल मेराम है अल्लाह ताजाला फर्माता है जब मैं अपने मोमिन बने को बला में डाला, और

वह उसमें मुख्तला होकर मेरी हम्न करे तो उस अपनी खाबाहाहों से गुनाहों से ऐसा पाक होकर

उठा जैसे उस दिन कि अपनी में से पैदा हुआ और उ ताजाला फर्माता है मैं अपने बने को मुक़्या (के पर)

और मुख्तला किया उसके लिए अमल वैसा ही जारी रखो जैसा सेहत (तन्तरसि) में था।

अयादत के फ़ख़्ऱील्ला: - मरजज के इयादत को जाना सुनन न है अहादद में इसकी बहुत जुलालगे आई है।

हदीस न. 1: - हुजूर व मुस्लिम व अबू दाउद व इने माजा अबू हुराया रदियल्लाहु ताजाला अन्नु से

राय हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु ताजाला अलेरह वस्तल मेराम है मुस्लिम के मुस्लिम पर पौंच

हुक है।

1. सलाम का जवाब देना। 2. मरजज के पूछने को जाना। 3. जनाजे के साथ जाना। 4. दख्त न करना। 5. छीनके वाले का जवाब देना। (जब अलहुसुल्लाह कहे तो जवाब में

यरहमुल्लाह कहे)

हदीस न. 2: - सहीहेन में है बर्री इने अजिब रदियल्लाहु ताजाला अन्नु कहते हैं हमें नाते बातों का,

हुजूर सल्लल्लाहु ताजाला अलेरह वस्तल ने हुआ फर्माया। (यह पौंच बातें जिक करके फर्माया)

छटी यह कि कसम खाने वाले की कसम पूरी करना और साती मजलूम की मदद करना।

हदीस न. 3: - बुख़ारी व मुस्लिम सीबान रदियल्लाहु ताजाला अन्नु से राय हुजूरे अकदस

सल्लल्लाहु ताजाला अलेरह वस्तल मेराम है मुस्लिम जब अपने मुस्लिम भाई के इयादत को

गया तो पाप्स होने तक हमेशा जनन के फल चुनने में रहा।

हदीस न. 4: - सही मुस्लिम शैरफ में अबू हुराया रदियल्लाहु ताजाला अन्नु से मरवी हुजूरे अकदस

सल्लल्लाहु ताजाला अलेरह वस्तल मेराम हैं अल्लाह ताजाला रोजे कियामात फर्मायेगा ऐ इने

आदम। में बीमार हुआ तूने मेरी इयादत न की। अर्ज करेगा तेरी इयादत का तू

रबुल्लाल्लाहैन (यानी ऐ खुदा तू कैसे बीमार हो सकता है कि में तेरी इयादत करता)फर्माया क्या
हृदय कोई हरज की बात नहीं इश्काआलल्हाह तख़ाला यह मरज गुनाहों से पाक करने वाला है उस अशुभी से भी यही फरमाया।

हदीस नं.5 :- सही खुदारी शरीफ में इने अबास रहिदियल्लाहु तख़ाला अन्न थे मरज हुजूर अंदर सल्लल्लाहु तख़ाला अलेहि वसल्लम एक अशुभी का इश्काआलल्हाह की तख़ाला लेगे रहे और आदते करीमा यह था कि 'जब किसी मरज ने इश्काआलल्हाह की तख़ाला की तख़ाला लेते तो फरमाये :-


हदीस नं. 12 : इन्हें हबान अपनी सही में उन्हीं से राखे कि हुजूर सल्लल्लाहु तालाला अल्लाह वस्त्रशैली फरमाते हैं पाँच चीजों हैं जो एक दिन में करेंगा अल्लाह तालाला उसके जननतियों में लिख देगा। 1.मरीज की इयादत करे। 2.जनाजे में हाजिर हो। 3.रोजा रखे। 4.जुमा को जाये। 5.गुलाम आजाद करें।

हदीस नं. 13 व 14 : अहमद व तबरानी व अबु युसूफ व इन्हें खुज़ीमा व इन्हें हबान मसाज इन्हें जबल और अबु दाऊद अबु उमामा रदीयल्लाहु तालाला अनुमा से राखे कि हुजूर सल्लल्लाहु तालाला अल्लाह वस्त्रशैली फरमाते हैं पाँच चीजों हैं कि जो इनमें से एक भी करें अल्लाह तालाला के ज्ञान (ज़मानत) में आजादेगा। 1.मरीज की इयादत करे या 2.जनाजे के साथ जाये या 3.गुलाम को जाये या 4.इसम के पास उसकी तअतीम और तौकी के इरादे से जाये या 5.अपने घर में बैठा रहे कि लोग उससे सलाम रहें और वह लोगों से।

हदीस नं. 15 : इन्हें खुज़ीमा अपनी सही में अबु हुसैन रदीयल्लाहु तालाला अनुमा से राखे कि हुजूर अक्सर सल्लल्लाहु तालाला अल्लाह वस्त्रशैली ने फरमाया आज तुम में कौन रोजादार है। अबुबक रदीयल्लाहु तालाला अनुमा ने अर्ज की मंदिर। फरमाया आज तुम में किस ने मिस्कीन को खाना खिलाया। अर्ज की मंदिर। फरमाया आज तुम में किस ने रजा की इयादत की। अर्ज की मंदिर। फरमाया यह खसलते किसी में कभी जमा न होगी मगर ज्ञान में दाखिल होगा।

हदीस नं. 16 : अबु दाऊद व तिर्मजी अबुल्लाह इन्हें अबास रदीयल्लाहु तालाला अनुमा से राखे कि फरमाते हैं सल्लल्लाहु तालाला अल्लाह वस्त्रशैली जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान की इयादत को जाये तो सात बार यह दुआ पढ़ेः

"अल्लाह अजीम से सभल करता हूँ जो अर्ज की रोजना का मालिक है इसका कि तुझे शिफा करे।" अगर मौत नहीं आई है तो उसे शिफा हो जाये।

**मौत आने का बयान**

दुनिया गुज़स्तनी व गुज़स्तनी है यानी गुज़रने वाली और गुज़रने वाली है अशीर एक दिन मौत आनी है जब यहाँ से कूद करना ही है तो वहाँ की तैयारी चाहिए जहाँ हमेशा रहना है और उस वक्त को हर वक्त खेले नजर रखना चाहिए। हुजूर अक्सर सल्लल्लाहु तालाला अल्लाह वस्त्रशैली ने अबुल्लाह इन्हें उमर रदीयल्लाहु तालाला अनुमा से फरमाया दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसलमान बक्कर रह चलता, तो मुसलमान जिस तरह एक अजनबी शक्स होता है और राहगीर रास्ते के खेल तमामों में नहीं लगता कि राह खोटी होगी और मजिले मकसूद तक पहुँचें में नाकामी होगी। इसी तरह मुसलमान को चाहिए कि दुनिया में न फंसे और न ऐसे तत्कालिन िंशा करे कि मकसूदे असली के हासिल करने में आए आये और मौत को कसते से याद करे कि उसकी याद दुनियवारी तत्कालिन को बेख़ाफ़ी करती है यजती जाद से उखाड़ फेंकती है। हदीस में इस्लाम फरमाया।
अक्षरो द्वारा दिखाया जाय समालोचना का उदय

तर्जना: - "शेरज़कों को तोड़ने वाली मौत को कसरत से याद करो"।

मगर किसी युगीनता पर मौत की आरजू न करे कि इसकी मनाही आई है और नाचार करती है
तो धौक़ कहे इलाही मुझे जिंदा रख जब तक जिंदगी मे लिए खेल हो और मौत दे जब मौत मे
लिए बेहतर हो। इस हदीस को बुखारी व मसुद्दा ने अनास रसेल्ला ताजाला अनुभु से रिलायत
किया और मसुद्दा को चाहिए कि अल्लाह ताजाला से नेक गुमान रखे उसकी रहमत का
उम्मीदवार रहे। हदीस में फाराओं कोई न मरे मगर इस हाल में कि अल्लाह ताजाला से नेक गुमान
रखता हो कि इस हदीस इलाही है:-

आना अङ्गदो इब्राइस बी

(तर्जना: - "मेरा बन्द गुलश से जैसा गुमान रखता है मैं उसी तरह उसके साथ पेशा आता हूँ") हज़ूर
एक जवाब के पास तयार हो गये और वह कर्मी मौत थी। फाराओं तू अपने को किस हाल में
पाता है। उसके बाइयार अल्लाह से उम्मीद है और अपने गुमानों से डर। फाराओं यह
dोनों स्वीकार व रजा (उम्मीद) इस मौत के पास जिस बन्दे के दिल में हो गए अल्लाह उसे यह
dिसी उम्मीद रखता है और उससे अमन में रखेगा जिससे कोई खोफ करता है। इसके बाद होने का
वक्त बहुत सशक्त वक्त है कि इसी पर सारे अंतराल का दासोंहर है बल्कि ईमान के तमाम
नलाज़े उद्धरण (अख़ियार) के नतीज़े/इसी पर मुसलमानों है कि अहियाब खातें ही का है। और शीताने
लईन ईमान लेने को मिश में है इसकी अल्लाह ताजाला उसके मक से बचाये और ईमान पर
यथानुसार बेहद अहियाब खातें का है। इसका तर्जना फाराओं यह युद्ध को पहुँचे
(तर्जना: ऐ अल्लाह अच्छा खातो अता फाराओं)

इसलाम फाराओं हैः सल्लतल्ला ताजाला अल्लाही वसलम जिसका अखियार कलाम "लाइला-ह-
इल्लतल्ला"हुआ यथानुसार कौलिए तयवा "ला इलाह-ह इल्लतल्ला मुहम्मदुरस्ल्लतल्ला"यह जन्मत में
दाखिल हुआ।

मसाईले विकिहिया

जब मौत का वक्त करें उन्होंने और अलाम में पाई जाने तो सुनाता यह है कि दाहिनी करवत पर
लिटा कर किसी के तरफ धूँढ़ कर दे और यह शी जाइजा है कि धिया लिटाओं और किसी को बाँव
करर कि धूँढ़ किसी को धूँढ़ हो जायेगा मगर इस दूत तथा अनाअ तरफ को कुछ उत्पत्ति रखें और किसी को धूँढ़
करना दुःखात हो कि इस वक्त कि तकलीफ़ होती है तो जिस हालत पर है छोटी दे।(इस मुबार)
मसाईला: - जोङिकी की हालत (भरे निकलने के दौरान की हालत) में जब तक जिसे करेंगे को न आई
उसे तलस्कर करे यथानुसार उसके पास वजद आवाज से पड़े।

असहन्द अन्ल इला इला असहन्द अ्याया असहन्द अन्ल इला इला असहन्द अ्याया असहन्द अन्ल इला इला

तर्जना: - " मेरी गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताजाला के सिया कोई अलाम (पूजन के काबिल) नही।
और मुहम्मद (सल्लतल्ला ताजाला अल्लाही वसलम)अल्लाह ताजाला के रसूल हैं। मगर उसे इसके
कहने का धुमक न करे।(आलमेंए कुरुब)
मसाझा : जब उसने कलिमा पढ़ लिया तो तलकीन नौकूफ कर दें (रोक दें) ही अगर कलिमा पढ़ने के बाद उसने कोई बात की तो फिर तलकीन करने के लिए लाइला-ह इल्लाल्लाहु मुहम्मदुरस्लूल्लाह हो। (आलमगीरी)

मसाझा : तलकीन करने वाला कोई नेक शख्स हो ऐसा न हो जिसको उसके मरने की खुशी हो, और उसने पास उस बक्त नेक और परहेज़ज़गार लोगों का होना बहुत अच्छी बात है और उस वक्त वहाँ ‘सूरए यासीन शरीफ की तिलावत और ख़ुश्शु होना गुस्तहब है मसलन लोबान या अगरबत्तियाँ सुलगी हैं। (आलमगीरी)

मसाझा : मौत के वक्त ही ज्ञान व निफास वाली और उसके पास हातिर हो सकती हैं। (आलमगीरी)

मगर जिसका हेज व निफास मुनकता हो गया और अभी गुस्तहब नहीं किया उसे और जुनुब को आता न चाहिए। और कोशिश करें कि मकान में कोई तस्फीर या कुला न हो अगर यह चीज़ें हों तो फौसर निकाली दी जायें कि जहाँ यह होती है। रहमत के फरिश्ते नहीं आते। उसकी नज़र के वक्त अपने और उसके लिए दुआएं खेड़ करते रहें, कोई बुरा कलिमा जबान से न निकालें कि उस वक्त जो कुछ भागा जाता है मलाहका उस पर आमिन कहते हैं। नज़र में सबके देखें तो ‘सूरए यासीन ‘व ‘सूरए रख्शु‘ भरें।

मसाझा : जब यह निकल जाये तो एक चौड़ी पट्टी जबड़े के नीचे से सर पर ले जाकर गिराकर दे दें कि गुँड़ा खुला न रहे और उड़ें बंद कर दी जायें और उबंबरियाँ और हाथ पाँव सीधे कर दिये। जायें कैसा उसके घर लोगों में जो ज्यादा नर्म हो साथ कर सकता हो बाप या बेटा वह करे।

मसाझा : ओँ बंद करते वक्त यह दुआ पढ़े:-

(तर्जमा : “अल्लाह के नाम के साथ और रशीदुल्लाह की मिलत पर ऐ अल्लाह ! तू इसके काम को इस पर आसान कर और इसके माध्यम को इस पर सहल कर और अपनी मुलाक़ात से तू इसे नेक-बंध कर और जिसकी तफ़सील निकला गई आखिरत उसे उससे बेहतर कर जिससे निकला गई गुलिया”)

मसाझा : उसके पेट पर लोहा या गीली निर्मटी या और कोई मारी चीज़ रख दे कि पेट पूल न जाये। (आलमगीरी)

मसाझा : मध्य के सारे बदन को किसी कपड़े से छुपा दें और उसको चारपाई या बख्त वगैरा किसी ऊँची चीज़ पर रखें कि जमीन की सील न उखायें। (आलमगीरी)

मसाझा : वक्त वक्त मेहदील्लाह उसकी जबान से कलिमा कुछ निकला तो कुछ का वक्त न देंगे कि मुमकिन है मौत की सड़क में अक्सल जाती रही हो। और बेहोशी में यह कलिमा निकल गया। (दुर्र जुड़ार) और बहुत मुमकिन है कि उसकी बात पूरी समझ में न आई कि ऐसी शिक्षा की हालत
मसमला :- उसके जिन्म ठर्य या जिस क्रम में देय हों जल्द से जल्द आदा कर दें कि हर्दीस में है मययत अपने देय में मुक्यय है यहुनी कैद जैसी हालत में। एक रिवाउट में है उसकी रुह मुख्यतम (अधर में)हर्दीस है जब तक देय न आदा किया जाये।
मसमला :- मययत के पास तिलावते कुआन मरजी जाजज है जबपि उसका तमाम बदन कपड़े से छिपा हुआ रहते,तसब्बीह व दीभार अजुकार (जिक की जमा)में मुख्यतम हर्दीस नहीं। (कुल मुख्य बांध)
मसमला :- गुस्सा व कफ़ कफ़ में जल्दी चाहिए कि हर्दीस में इसकी बहुत तकीक आई। (अल्लाही)
मसमला :- पहाड़ीयों और उसके दोस्त अहमाब को इतिलिए कर दें कि नमिज़ों की कसरत होगी और उसके लिए दुआ करें कि उन पर हक़ है कि उसकी नमज़ दे और दुआ करें। (अल्लाही)
मसमला :- बाजार व शाराब आम पर उसकी मोत की खुबरे देने के लिए बलान्द आताज़ा से पुकारना बाज़ ने मकरूह बताया मगर ज़यादा सही यह है कि इसमे हरज़ नहीं मगर इसबे आदते जाहिलियत बढ़े-बढ़े अल्फाज़ से न हो। (आलमी, नख़्शा)।।
मसमला :- नागहानी मोत से मरा तो जब तक मोत की यकीन न हो तज़हीज़ व तकमीन यहुनी कफ़ दफ़न मुख्यतम रखें। (अल्लाही)
मसमला :- औरत मर गई और उसके पेट में बच्चा हरकत कर रहा है तो बाई जानिया से पेट चाक करके बच्चा निकाला जायें,और अगर औरत जिंदा है और उसका पेट में बच्चा मर गया और औरत की जान पर नीन हो तो बच्चा काट कर निकाला जायें,और बच्चा भी जिंदा हो तो कैसी ही तकलीफ़ हो बच्चा काट कर निकालना जाजज़ नहीं। (अल्लाही)
मसमला :- अगर उसे उदन (जाना बुढ़ कर)किसी का माल निगाल लिया और मर गया और अगर इतना माल छोड़ा है कि तवान (जुम़ा) दे दिया जायें तो तक तवान अदाकर बना पेट चीर कर माल निकाला जायेगा और बिला केंद्र (बिला इरादा) है तो बीती न जायें। (कुल मुख्य, कुल मुख्य)
मसमला :- हामिला औरत मर गई और दफ़न कर दी गई, किसी ने खबर में देखा कि उसके बच्चा पैदा हुआ तो महज़ इस खबर की बिना पर कबे खोड़ी जाजज़ नहीं। (अल्लाही)

मसमला :- मययत को नहलाने का बयान

मसमला :- मययत को नहलाना फर्ज़ किफ़ाया है। बाज़ (कुछ)लोगे ने गुस्सा दे दिया तो सब से साकित हो गया। (अल्लाही)
मसमला :- नहलाने का तरीका यह है कि जिस चारपाई या तक्ष या तुम्हा पर नहलाने का इरादा हो उसको तीन या पोच या सात बार घूँ दे यहुनी जिस चीज में वह खुशबू सुलगती हो उसे उल्टी बार चारपाई वगैरे के गिर्द़ फिरायें, और उस पर मययत को लिटा कर नाफ़ से घुटनों तक किसी कपड़े से छिपा दे फिर नहलाने वाला अपने हाथ पर कपड़ा लपेट कर इस्तीनज़ा करायें, फिर नामज़ का सा बुजू कराए यहुनी मुह फिर खोहियों समेत तार होयें फिर सर का मसफ़ करें फिर धोयें मगर मययत के बुजू में गद्दी तक पहले हाथ धोना और कुल्ली कराना और नाक में पानी
बहारे शरीर नहीं है, हैं कोई कपड़ा या रूप की फुर्नी भिड़ाकर दोनों और मसूदों और होटों और नथनों
पर फेर दें फिर सर और दाढ़ी के बाल हैं तो गुलेरेख(एक दवा का नाम) से धोये यह न हो तो
पाक साधन इस्लामी कारखाने का बना हुआ या बैना या किसी और दीवा से दर्जा खाली पानी भी
काफी है फिर बायी करवट कर सर से पॉव्व तक बेरी का पानी बहाया कि तक्ता तक पड़ी जाये
फिर दादिनी करवट पर लिटा कर गुंंस करें और बेरी के पत्ते जो दिया हुआ पानी न हो तो
खालिस पानी निम्नगम (पुल्लुल)की काफी है फिर टेक लगा कर बैठाये और नमी के साथ नीचे को
पेट पर हाथ फेरे अगर कुछ निकले लो भा, पुलु व गुलु को दोहराये नहीं फिर आँखेर में सर से
पॉव तक कराफ़ का पानी बहाया फिर उसके बदन को किसी पाक कपड़े से आहित बाँटी पूछें।

मसेला :- एक मरतःासारे बदन पर पानी बहाना फर्ज है और तीन मरतःा सुनना। जहाँ गुलु दे
मुस्तहब यह है कि पद्मा कर ले कि सीवा नहलाने वालों और सदस्यों के दूसरा न देखें। नहलाए
बहल खाल उस तरह लिटाएं जैसे क्रेट में रखते हैं या किंबद की तरफ पॉव कर के या जो आसान
हो करें। (अलमगीर)

मसेला :- नहलाने वाला पाक हो। जुनुब या हैज़ वाली औरत ने गुलु दिया तो कराहत है गगर
गुलु हो जायेगा और बेदुज़ू नहलाया तो कराहत भी नहीं। बेहतर यह है कि नहलाने वाला म्यूट
का सबसे करीबी रिश्तेदार हो वह नहलाए और अगर नहलाना जानता हो तो कोई और शाक्स
नहलाये जो अमानतदार और परेस्तीज़वार हो। (अलमगीर)

मसेला :- नहलाने वाला एल्टिमाद वाला शाहस हो कि पूरी तरह गुलु दे और जो अच्छी बात
देखे मसलन चेहरा चमक उठा या म्यूट के बदन से खुर्सू आई तो उसे लोगों के सामने बयान करे
और कोई बुरी बात देखी मसलन चेहरा का रंग स्पाइ हो गया बदुबू आई या सूरत या अज़ामा
तेगुगु(बदलाव)आया तो इसे किसी से न कहें और ऐसी बात कहना जालड़ ही नहीं कि हदीस में
इरासद हुआ अपने मुद्रा की खूबियाँ जिक्र करे और उनकी बुराइयों से बाज़ रहो। (जोहरा मिलिए)

मसेला :- अगर कोई बदमजहब मरा और उसका रंग स्पाइ हो गया और कोई बुरी बात जाहिर
हुई तो इसको बयान करना चाहिए कि इससे लोगों को ब्रह्मत और नसीहत होगी। (अलमगीर)

मसेला :- नहलाने वाले के पास खुर्सू सुल्ताना मस्तहब है कि अगर म्यूट के बदन से बू आये
तो उसे पता न चले वरना घबरायेगा नीज़ उसे नहीं चाहिए कि बदले जुजरत अजुज़ा म्यूट की तसफ
नजर करे, बिला जुजरत किसी बुज़ब (अंग) की तसफ न देखे कि युमकिन है उसके बदन में कोई
ँईक हो जिसे बहल छिटाता था। (जोहर)

मसेला :- अगर वहाँ इसके सिया और भी नहलाने वाले हो तो नहलाने पर उजरत ले सकता है
मगर अफजल यह है कि न ले और अगर कोई दूसरा नहलाने वाला न हो तो उजरत लेना
जाईज़ नहीं। (अलमगीर, हुई मुस्तहब)

मसेला :- जुनुब या हैज़ व निकास वाली औरत का इंतिकाल हुआ हो एक ही गुलु काफी है
कि गुलु वाजि़ब होने के कितने ही असबब हो सब एक गुलु से अदा हो जाते हैं। (हुई मुस्तहब)

मसेला :- मर्द को मर्द नहलाये और औरत को औरत। म्यूट छोटा लड़का है तो उसे औरत भी
नहला सकती है और छोटी लड़की को मर्द भी। छोटे से यह मुराद है कि हड़े शहवत को न
मसाउला :- जिस मर्द का अज्ञे तनासुल या उन्नति कार लिये गये हो वह मर्द ही है यथानूनी मर्द ही उसे गुस्त्यां दे सकता है या उस की आंदोलन (आलमनीशी)
मसाउला :- औरत अपने शीर्ष को गुस्त्या दे सकती है जबकि मौत से पहले या ब्रह्म कोई ऐसी बात न हुई हो जिससे उसके निकाह से निकल जाये मासलन शीर्ष के लड़के या बाप को शहवत से छुआ या बोसी लिया या माडाल्लाह मृत्यु हो गई अगर्दे गुस्त्या से पहले ही फिर मुसलमान हो गई कि इन वजहों से निकल जाया रहा और अंजनेव्या हो गई लिखाना गुस्त्या नहीं दे सकती। (आलमनीशी)
मसाउला :- औरत को तलाक के बाद दो अर्गी तक इतना में थी कि शीर्ष का इतनकाल हो गया तो गुस्त्या दे सकती है और बाद तलाक दी है तो अगर्दे एक्स में है गुस्त्या नहीं दे सकती। (आलमनीशी)
मसाउला :- उसे वलड़ या मुदबरा या मुकातबा या वैदी बांदी अपने मुद्रा आका को गुस्त्या नहीं दे सकती कि वह सब अब उसकी मेल्क से छारिज हो गई। गूँड़ी अगर यह पर जाये आका नहीं नहाला सकता। (दरू मुख़ार)
नोट :- "उसे वलड़ उस बांदी को कहते हैं जिस से मालिक का कोई बच्चा हो गया हो। मुदबरा वह बांदी जिस से मालिक ने कहा कि मेरे विवाह के बाद तू आजाद है मुकातबा वह बांदी जिस से मालिक ने कहा कि तू अगर इतना वह उसे न नहाला सकता है न छू देक हो और देखने की मनाही नहीं। (दरू मुख़ार) अवां में जो यह मशहूर है कि शीर्ष औरत के जनाजे को न कर्ता दे सकता है न कब्र में उतार सकता है न मुंह देख सकता है यह महाम गुला है सिर्फ़ नहाले और उसके बदन को बिला हाइल यथानूनी बगैर किसी कपड़े बगैर की आड़ के हाथ लगाने की मनाही है।
मसाउला :- औरत का इतनकाल हुआ और वहाँ कोई औरत नहीं कि नहाला दे तो तयमम कराया जाये फिर तयमम कराने वाला महम हो तो वाण से तयमम कराये और अजनबी हो अगर्दे शीर्ष तो वाण पर कपड़ा उपज़े कर जिसे जमीन यथानूनी ऐसी चीज़ जिससे तयमम जाइज हो और जो जमीन की जिस से हो उस पर वाण और तयमम कराये और शीर्ष के सिवा कोई और अजनबी हो तो कलाइयों की तरफ नजर न करे और शीर्ष को-इसकी हािजान नहीं और इस मसाउले में जवान और बुढ़िया दोनों का एक हुक्का है। (दरू मुख़ार, आलमनीशी केरहुमा)
मसाउला :- मर्द का इतनकाल हुआ और वहाँ न कोई मर्द है न उसकी बीवी तो जो औरत वहाँ है उसे तयमम कराये फिर अगर औरत महम है या इसकी बीवी तो तयमम में हाथ पर कपड़ा लपेटने की हािजान नहीं और अजनबी हो तो कपड़ा लपेट कर तयमम कराये। (आलमनीशी)
मसाउला :- मर्द का सफर में इतनकाल हुआ और उसके साथ औरतें हैं और काफिर मर्द मगर मुसलमान मर्द कोई नहीं तो औरतें उस काफिर को नहाले का तरिका बता दें कि वह नहाला दे और अगर मर्द कोई नहीं और छोटी लड़की साथ है कि नहाले की ताकत रखती है तो यह औरतें उसे सिखा दें कि वह नहाले यूँ अगर औरत का इतनकाल हुआ और कोई मुसलमान औरत नहीं और काफिर औरत मौजूद है तो मर्द उस काफिर को गुस्त्या की तालीम करे और उससे नहाला या छोटा लड़का इस काबिल हो कि नहाला सके तो उसे बताये और वह नहाले। (आलमनीशी)
मसजिदा ऐसी जगह इतिकाल हुआ जो पानी वहाँ नहीं था। मिलता तो महसूस करते और नमाज पढ़े और नमाज के बदले अगर दफन से पहले पानी मिल जाये तो नहाया कर नमाज का इस्लाम करे। (अल-मक्कारी, शुरू मुकाबा)

मसजिदा खुशस मुरीक्ष जिसके मर्द या औरत होने की शाना न हो) का महसूस हुआ तो उसे मर्द नहाया सकता है न औरत बल्कि महसूस करता जाये और तयार महसूस कराने वाले अजनबी हो तो हाथ या कपड़ा लपेट ले और कपड़ों पर नज़र न करे। यहूदी खुशस मुरीक्ष छोटा बच्चा हो तो उसे मर्द भी नहाया सकते हैं और औरतें भी यहूदी मुरीक्ष हारक्ष।

मसजिदा मुसलमान का इतिकाल हुआ और उसका बाप काफिर है तो उसे मुसलमान नहाया उसके बाप के कार्य में ने दे। काफिर मुसलमान हुआ और उसकी औरत काफिर है तो अगर किताबिया यादृच्छिक यहूदी वर्गीय है नहाया सकती है। मार बिला जुरूत उससे नहाया भुना भुरा है और अगर मज़ूसिया या वृद्ध-परस्त है और उसके मरने के बदल मुसलमान हो गई तो नहाया सकती है। बसते हैं कि किसता में बाकी हो बना नहीं और किसता में बाकी रहने की सूरत यह नहीं अगर सलामत इस्लामी में है तो हाकिमे इस्लाम शीहर के मुसलमान होने के बदल औरत इस्लाम पेश करे अगर मना तो ठीक करना फौसन निकाह से निकाल जायेंगी और अगर सलामत इस्लामी में नहीं तो इस्लामे शीहर (यादृच्छिक शीहर के इस्लाम लाने) के बदल औरत को तीन हेज आने का इतना जाता जायेगा। इस गुलाम मुसलमान हो गई तो ठीक बनना निकाह से निकाल जायेंगी और दोनों सूरतों में फिर अगर मुसलमान हो जाये गुलाम नहीं दे सकती। (इस मुकाबा)

मसजिदा महत्त्व से गुलाम उत्तर जाने और उस पर नमाज सही होने में नियत और पैल शर्म नहीं यहाँ तक कि मुद्रा अगर पानी में गिर गया या उस पर में है, बससा कि सारे बदल पर पानी के गुलाम हो गया मार जिंदी पर जो गुलाम महत्त्व वाजिब है यह उस वक्त बराबर होने कि नहाया प्रतिलिपि अगर मुद्रा पानी में बिला तो गुलाम की नियत से उसे तीन बार पानी में हरकत दे हैं कि गुलाम की सुनना अदा हो जाये और एक बार हरकत दी तो वाजिब अदा हो गया मार सुनना का मुतालबा रहा और बिला या नियत नहाया से वाजिब हो जायेंगे मार सवार न मिलेगा मसलन किसी को सखाने की नियत से महत्त्व को गुलाम वाजिब साक्तिक हो गया मार गुलाम महत्त्व का सवार न मिलेगा। नीजे गुलाम हो जाने के लिए यह भी जरूरी नहीं कि नहाया वाला मुकल्फ़ (जिस पर नमाज वर्गीय फर्स हो) तय नहीं है। (जिसी नियत को शरीयत क्रूरत कर) हो। नाबालिग या काफिर ने नहाया दिया गुलाम अदा हो गया। यहूदी अगर अजनबी है और यहूदी अदा ने मर्द को या अजनबी मर्द ने औरत को गुलाम दिया अदा हो गया अगर इनकी नहाया जादू न था। (इस मुकाबा इस मुकाबा)

मसजिदा किसी मुसलमान का बच्चा ज्यादा धड़ मिला तो गुलाम व धड़ दें और जनाजे की मानज पढ़े और नमाज के बदल वह बाकी वक्त है। तिसी मिला तो उस पर दो बारा नमाज न पढ़ें और आया धड़ मिला तो अगर उस में सर भी है इतने या यहूदी मार से पौंछ तक दाहिना या बायाँ एक जानिब का हिस्सा मिला तो इन दोनों सूरतें में न गुलाम है न कफ़फ़ न मालूम बल्कि एक कपड़े में लपेट कर दफन कर दे। (इस मुकाबा इस मुकाबा)

मसजिदा मुर्दा मिला और यह नहीं मालूम मुसलमान है या काफिर तो अगर उसकी वजह
गुस्सानामों की हो या कोई अलामत ऐसी हो जिससे मुसलमान होना साबित होता है या मुसलमानों के मुहल्ले में मिला तो गुरज दे और नामज़ पढ़े वरना नहीं। (अलमगीर)

मसाजिदा:— मुसलमान मुद्रे काफिर मुद्रों में मिल गये अगर खतना वगैरा किसी अलमत से शानाकर कर सके तो मुसलमानों को जुड़ा कर दे गुस्सा व कफन दे और नामज़ पढ़े और इस्तिमाज़ न होता हो तो गुस्सा दे और नामज़ में खास मुसलमानों के लिए दुआ की नियत करें और उनमें अगर मुसलमानों की तदाद ज्यादा हो तो मुसलमानों के मकबरे में दफन करें वरना अलाहिदा।(एल मुखार)

मसाजिदा:— काफिर मुद्रों के लिए गुस्सा व कफन व दफन नहीं बल्कि चिठ्ठी में लपेट कर तंग गढ़े में दबा दे यह भी जब करें कि उसका कोई हम-मजहब उसे हें ले न जाये वरना मुसलमान न हाथ लगाये न उसके जनाए में शिकात करें और अगर रिस्तेदारी की वजह से शरीक हों तो उसे दूर रख रहे अगर मुसलमान ही उसका रिस्तेदार हो और उसका हम-मजहब कोई न हो या ले नहीं और रिस्तेदारी के लिये की वजह से गुस्सा व कफन कर दे जालज़ यह मगर किसी काम में खुनात का तरीका न बते बल्कि नजासत धोने की तरह उस पर पानी बहाये और चिठ्ठी में लपेट कर तंग गढ़े में दबा दे। यह दुःख काफिरों असली का है और गुस्सा का दुःख यह है कि मुसलमान न उसे गुस्सा दे न कफन बल्कि कुत्ते की तरह किसी तात गढ़े में दबेल कर दिया ही बगैर हाईल के पाते हं। (डूँ मुखार)

मसाजिदा:— जिम्मिया(वह काफिरा औरत जिससे बादशाहे इस्लाम टेक्स लेकर उसकी इज़ज़त की हिफाज़त करें)को मुसलमान का हमल था, वह मगर गई अगर बच्चे में जान पड़ गई थी तो उस मुसलमानों के कब्रिस्तान में अलाहिदा दफन करें और इसकी पीठ किसी को कर दे कि बच्चे का मुंह किसी को हो इसलिए कि जब बच्चा पेट में होता है तो उसका मुंह भी की पीठ की तरफ होता है। (डूँ मुखार)

मसाजिदा:— नरता का बनन अगर ऐसा हो गया कि हाथ लगाने से खाल उंगड़ेंगी तो हाथ न लगाये तिर्क़ पानी बहा दे। (अलमगीर)

मसाजिदा:— नहलाने के बाद अगर नाक, कान,मुंह और दीगर सूताथों में रई रख दे तो हरज नहीं मगर बेहतर यह है कि न रखें। (अलमगीरी,डूँ मुखार बरहुमा)

मसाजिदा:— नरता की दादी या सर के बाल में कंधा करना या नाखून तराशना या किसी जगह के बाल मुड़ना या करतना या, उखाड़ना नाजाईज़ व मकरह तहरीमी है बल्कि दुःख यह है कि जिस हालत पर है उसी हालत पर दफन कर दें, हौं अगर नाखून दूता हो तो ले सकते हैं और अगर नाखून या बाल तराश लिये तो कफन में रख दे। (डूँ मुखार,सुल्त मुखार,अलमगीर)

मसाजिदा:— नरता के दोनो हाथ करवटों में रखें सीने पर न रखें कि यह कुफकार का तरीका है जैसे नमाज के कियाम में यह भी न करें।

मसाजिदा:— बाज़ूज जगह मध्य के गुस्से के लिए कोरे घड़े बढ़ने लाते हैं इसकी कुछ जकरत नहीं घर के इस्तेमाली घड़े लोटे से भी गुस्से दे सकते हैं और बाज़ूज यह जहालत करते हैं कि गुस्से के बाद तोड़ दालते हैं यह नाजाईज़ व हरम है कि माल बर्बाद करना है और अगर यह खुलाल हो कि नजिस हो गये तो यह भी फुजूल है कि अबतन तो इस पर छींट नहीं पड़ती और पड़ी भी तो जानेह
हाँ है यह निजी यही बेहतर माना गया है कि मयूर का गुल नजासते हुकिमथा दूर करने के लिए है तो मुर्तामल पानी की छीट पड़ी और मुर्तामल पानी मजिस नहीं निक तरह सीलों के बुझे व हो जाएगे और अक्षर जगह घड़े मसिजियों में रख देते है अगर नियत यह हो कि नमजिजों को आस दूधेंगा और उस मुद्रे को सवार तो यह अच्छी नियत है और रखना बेहतर और अगर यह खवाल हो कि घर में रखना नुसह है तो यह निस्थ हमाक है और बाजु लोग घड़े का पानी फेंक देते है यह भी हरम है।

कफ़्फन का बयान

मसजिदः— मयूर को कफ़्फन देना फर्ज़ किया है (अगर किसी ने कफ़्फन नहीं दिया तो जिस जिस की मजबूत था निम्न प्रकार उपहार) कफ़्फन के तीन दर्जे हैं 1.ज़फ़्फरत 2.कियाफ़्त 3. सुन्नात। मर्द के लिए सुन्नात तीन कपड़े हैं 1. हज़ार 2. लिफाफ़ा 3. कम्हीस और आवज के लिए पाँच कपड़े सुन्नात हैं 1.एजार 2.लिफाफ़ा 3.कम्हीस 4. ओङ्गी 5. सीना बन्द। कफ़्फने कियाफ़्त मर्द के लिए दो कपड़े हैं 1. लिफाफ़ा 2. हज़ार और आवज के लिए कफ़्फने कियाफ़्त तीन हैं 1.लिफाफ़ा 2. हज़ार 3. ओङ्गी या 1. लिफाफ़ा 2. कम्हीज. 3. ओङ्गी। कफ़्फने ज़फ़्फरत दोनों के लिए यह कि जो मयूर आये और कम बुझ का इतना हो कि सारा बदन ढक जाये (दुरे मुकाब्ले, आलमनी बख़ुँड़) मसजिदः— लिफाफ़ा यह आगे बढ़कर दिखाया यह है कि मयूर के कद से इस कद ज़फ़्फरत है कि दोनों तरफ बॉंध सके और हज़ार यहाँ तहबंद चोटी से कदम तक यानी लिफाफ़ा से इसी छोटी जो बन्धशा के लिए दुरइया था और कम्हीज जिसको कफ़्फने कहते हैं गर्दन से घुंटनों के नीचे तक और यह आगे और पीछे दोनों तरफ बरबार हो और ज़हालियों में परिवेश है कि पीछे कम रखते है यह गुल ती है। चाचक और आसीनों इसमें हो। मर्द और आवज की कफ़्फने में फर्ज़ है। मर्द की कफ़्फने मोटे पर चाचके और आवज के लिए सीने की तरफ। ओङ्गी तीन हाथ की होनी बाहर यानी ढें गाज़ सीना बन्द, पिस्तान से नाफ़ तक और बेहतर यह है कि रान तक हो। (आलमनी, बूख जुमाह) मसजिदः— बिला ज़फ़्फरत कफ़्फने कियाफ़्त से कम करना नजाज़ा व नफ़्फ़ह है (दुरे मुकाब्ले) बख़ुँड़ मोहताज कफ़्फने मस्तून के लिए लोगों से सवाल करते हैं यह नजाज़ा है कि सवाल बिला ज़फ़्फरत ज़ाज़ा नहीं और यहाँ ज़फ़्फरत नहीं। अलवतता अगर कफ़्फने ज़फ़्फरत पर भी कादर न हो तो बक़ड़े ज़फ़्फरत सवाल करे ज़फ़्फरत नहीं हो। अगर बग़ैर मोंगे मुसलमान खुद कफ़्फने मस्तून पूरा कर दें तो इसा अल्लाह सदा चारा सवाल पायेंगे। (फताबद रजबिया)

मसजिदः— वारिसों में इक़्तिलाफ हुआ कोई दो कपड़े के लिए कहता है कोई मर्द के लिए तो मर्द कपड़े दिये जाएंगे यह सुन्तत है या भूख किया जाये तो अगर माल ज्यादा है और वारिस कम तो कफ़्फने सुन्तत है और माल कम है वारिस ज्यादा तो कफ़्फने कियाफ़्त। (अल्हा कुदाल)

मसजिदः— कफ़्फन अच्छा होना चाहिए यानी मर्द इदैन व जुमे के लिए जैसे कपड़े पहनता था और आवज जैसे कपड़े पहन कर मयके जाती थी उस कीमत का होना चाहिए। हदीस में है दुरंद को अच्छा कफ़्फन दे कि वह एक दूसरे से मुलामत करते और अच्छे कफ़्फन से तफ़ाफ़्फ़र (फर्ज़) करते
यादृच्छिक चुंबन होते हैं सफेद कपन बेहतर है कि नमूने सल्लम्बा ठाना है और वास्तव में इरास्द के त्रस्दर्पण यादृच्छिक वस्तुल्लाह ने इरास्द फरमाया अपने गुरू सफेद कपड़ों में कपनानो। (भित्र, कुल मुहम्मद)

मसजिदा :- कुसुम (एक पीला रंग होता है)या जबलफरान का रंग हुआ या रेसम का कपन मद को मना है और औरत के लिए जाइज यानी जो कपड़ा जिन्दगी में पहन सकता है उसका कपन दिया जा सकता है और जो जिन्दगी में नाजाज उस का कपन भी नाजाज। (आलमगीरी)

मसजिदा :- खुम्स मुशिकन को औरत की तरह पौंछ कपड़े दिये जाते मगर कुसुम या जाइज रंग का हुआ रेसम कपन उसे नाजाज है। (आलमगीरी)

मसजिदा :- किसी ने कसीबत की कि कपन में उसे दो कपड़े दिये जाये तो यह वसीबत जारी न की जाये या दीन कपड़े दिये जाये और अगर यह वसीबत की कि तस हजार रुपए का कपन दिया जाये तो यह भी नाकिँज न होगी दरमियानी दंगे का कपन दिया जाये। (शुल मुहम्मद)

मसजिदा :- जो नाजाज हदे शहवत को पहुँच गया वह बालिग के हुक में है यादृच्छिक बालिग को कपन में जिन्हे कपड़े दिये जाते हैं उसे भी दी कये जाये और उससे छोटे लड़के के एक कपड़ा और छोटी लड़की को दो कपड़े दे सकते हैं और लड़के को भी दो कपड़े दिये जायें तो अच्छा है और बेहतर यह है कि दोनों को पूरा कपन दें अगर एक दिन का बच्चा हो। (शुल मुहम्मद बक़ीर)

मसजिदा :- पुराने कपड़े का मगर कपन हो सकता है मगर पुराना हो तो धुला हुआ हो कि कपन सुन्दर होना मजबूर (मसहदीन) है। (जहां)

मसजिदा :- मदयत ने अगर कुछ माल छोड़ा तो कपन मयत की माल से होना चाहिए और मदयत (कर्जदार) है तो कर्जबढ़ह (बिजजका कर्ज) कपन फिकायत से ज्यादा को मना कर सकता है और मना न किया तो इजाजत समझी जाएगी। (रबुल मुहम्मद) मगर कर्जबढ़ह को मना करना उस वक्त हक हो जब वह माल देन (कर्ज) में मुस्तागरक (धिरा हुआ) हो यानी सारे ही माल से देन आदा हो।

मसजिदा :- देन व वसीयत व मीरास इंसब पर कपन मुक्त है और देन वसीयत पर और

वसीयत मीरास पर यादृच्छिक माल छोड़े उसमें से साब से पहले कपन फिर उसके बाद कर्ज उसके बाद वसीयत और उसके बाद वारिसों का हक।

मसजिदा :- मदयत ने माल न छोड़ा तो कपन उसके जिम्मे है जिसमें जिम्मे जिन्दगी में नफ़का था और अगर कोई ऐसा नहीं जिस पर नफ़का वालिब होता, या है मगर नदाद (बिल्कुल गुरीब) है तो बैतुलमाल से दिया जाये और बैतुलमाल भी वहाँ न हो जैसे यहीं हिंदुस्तान में तो वहाँ के मुसलमानों पर कपन देना कर्ज है अगर मदयत था न दिया तो सब गुनाहगार होंगे अगर उन लोगों के पास भी नहीं तो एक कपड़े की कटौ दूसरे लोगों से सवाल कर ले। (जहां, दूर मुबारक)

मसजिदा :- औरत ने अगरव माल छोड़ा उसका कपन शौर जिम्मे में है बशर्त कि मौत के वक्त कोई ऐसी बात न पाई गई जिससे औरत का नफ़का शौर पर से साफ़ित (खत्म) हो जाता अगर शौर गया और उसकी औरत मालदार है जब भी औरत पर कपन वाजिब नहीं। (आलमगीरी, दूर मुबारक)

मसजिदा :- कपन के लिए सवाल करके लाये यादृच्छिक मौग के लाये उस में कुछ बच रहा है तो
अगर मसून है कि यह फल ने दिया है तो उसे लापस कर दें वरना दूसरे मोहताज के कफन में सफ्क कर दें यह भी न हो तो तस्फुक (सदक) कर दें। (उरू मुक्कार)

मसूना : नयात ऐसी जगह है कि वहीं सिर्फ़ एक शख्स है उसके पास सिर्फ़ एक ही कपड़ा है तो उस पर यह जरूरी नहीं कि अपने कपड़े का कफन कर दे। (उरू मुक्कार)

कफन

मसूना : कफन पहनाने का तरीका यह है मयत को गुस्सा देने के बाद बदन किसी कपड़े से आहिस्टा पॉश लें कि कफन तर न हो और कफन को एक या तीन या पौंच या ताह बार धूनी दे लें इससे ज्यादा नहीं फिर कफन शूं बिछाये या बड़ी चादर किर तहबंद फिर कफनी फिर मयत को उस पर लिटाये और कफन के तरह लगाये और दाढ़ी और तालाम बदन पर खुशरू हों और मगरेज़ सुजूद या तिथ माध्यमिक, आह्व, घुटने, कदम पर कंपूर लगाये किर इजाज़ वास्तव तहबंद लपेवे पहले बाई जानिब से फिर दाहिनी तरफ से फिर लिफ़ाफ़ा लपेवे पहले बाई तरफ से फिर दाहिनी तरफ से ताक दाहिना ऊपर रहे और सभ और पौंच की तरफ बीच लें कि उड़ने का अंदेशा न रहे। औरत को कफनी पहनाकर उसके बाल दो हिस्से कर के कफनी के ऊपर सीने पर दाल दे और औरत नीचे से बिछाकर सर पर लाकर गुंड़ पर नकब की तरह दाल दे कि सीने पर रहे यद्यपि ओरदी की लम्बई और तीन तक है और चाँदाई कान की तो से दूसरे कान की ली तक है और यह जो लोग किया करते हैं कि जिनकी की तरह उड़ता है यह महज़ बेकार व खिलाफ़ सुनना है। फिर बदरद्वृत्त इजाज़ व लिफ़ाफ़ा लपेवे फिर सबके ऊपर सीना व तिस्तान के ऊपर से रान तक लाकर बीटे। (आलमनीश्री, उरू मुक्कार गरेराहयु)

मसूना : गर्दे के बदन पर ऐसी खुशरू लगाना जादू नहीं जिसमें जिद्दमरण की आमेज़ा (मिलावट) हो, औरत के लिए जादू है जिससे प्रीतम बोध या है उसके बदन पर भी खुशरू लगाये और उसका गुंड और सर कफन से छिपाया जाय। (आलमनीश्री)

मसूना : अगर मुंडे का कफन चोरी गया और लाष अभी ताजा है तो फिर कफन दिया जाये अगर मयत का माल बदरद्वृत्त (बाल्की) है तो उससे और तक्सीम हो गया तो बुद्दा के जिम्मे कफन देना है वसित्य या कर्त्ता में दिया गया तो उन लोगों पर नहीं और अगर कुल तक्सीम देन में मुस्ताकस्क है और कफनार ने अब तक क्रोण न किया हो तो इसी माल से दे और कफन बनाकर लिए तो उससे लापस न लेंगे बल्कि कफन उसके जिम्मे है कि माल न होने की सूतर में जिस के जिम्मे होता है और अगर सुरत मज़ूरवा (जो ऊपर चिक हुई) में लाश फट गई तो कफने मसून की हज़ार नहीं एक कफन या प्रीतम है (आलमनीश्री)

मसूना : अगर मुंडे को जानवर खाया और कफन पदा मिला तो अगर मयत के माल से दिया गया है तरह में रुझार होगा और किसी और ने दिया है अजानक या रिस्तेदर ने तो देना करा ना अलमिक है जो चाहे करे। (आलमनीश्री)

जबरी मसूना : हिन्दुस्तान में आम रिस्ताज है कि कफने मसून के अलावा ऊपर से एक चादर उड़ाते हैं वह तक्षियेदार या किसी निस्त्रीक पर सूतर करते हैं और जानवर होती है जिस पर इसम जनानों की नमाज पढ़ता है वह भी सूतर कर देते हैं अगर यह चादर व जानवर मयत के...
माल से न हो बल्कि किसी ने अपनी तरफ से दिया है और आदतन वही देता है जिस ने कफन दिया बल्कि कफन के लिए जो कपड़ा लाया जाता है वह उसी अन्वाज से लाया जाता है जिसमें ये दोनों भी हो जायें जब तो जाहिर है कि उसकी इजाजत है और इसमें कोई हरज नहीं और अगर मथ्य के माल से है तो दो सूरतें हैं एक यह कि गुस्सा सब बालिग हों और सब की इजाजत से हो जब भी जायज है और अगर इजाजत न दी तो जिसने मथ्य के माल से मंगाया और तसदिक किया उसके जिसे यह दोनों चीजें हैं घरनी उन में जो कीमत सफ़ हई तरक में शुमार की जायेंगी और वह कीमत खरीद करने वाला अपने पास से देगा। दूसरी सूरत यह कि गुस्सा में कुल या जाण नाबालिग हैं तो अब वह दोनों चीजें तरफ से हरिज नहीं दी जा सकती अगर्ग उस नाबालिग ने इजाजत भी दे दी हो कि नाबालिग के माल को सफ़ कर लेना हराम है। लोटे घड़े होते हुए ख़ास मथ्य के नहलने के लिए ख़रीदे तो इसमें। भी यहीं तफसील है, तीजा, दसौं, चालीसौं, शामाव्य, बंसी के मसारिफ (ख़दी) में भी यही तफसील है कि अपने माल से जो चाहे खरीद करें और मथ्य को सवाब पहुँचायें और मथ्य के माल से यह मसारिफ उसी बुद्ध किये जायें कि सब चालीसौं बालिग हों और सब की इजाजत हो वरना नहीं मगर जो बालिग हो अपने हिस्से से कर सकता है। एक सूरत और भी है कि मथ्य ने दसौं की हो तो दैन अदा करने के बख़्त जो बचे उसकी तिहाई में मसारिफ की हो, अक्सर लोग उसे सज़ा नहीं हैं या नाबालिग, इस क्रिया के तमाम मसारिफ कर लेने के बख़्त अब जो बाकी रहता है उसे तक़र समझते हैं इन मसारिफ में न चालीसौं से इजाजत लेते हैं, न नाबालिग का बालिग होना मुजिब (उक्सानदेह जज़नते हैं और यह सबूत गलती है। इस से कोई यह न समझे कि तीजा वागीना को मना किया जाता है कि यह तो इस्लाम सबूत है। इस से कान मनुषः करेंगे मनुषः वह करें जो वहाँ हो बल्कि नाज़ाज़ा तौर पर जो इनमें सफ़ किया जाता है उससे मनुषः किया जाता है कोई अपने माल से करे या गुस्सा बालिगी ही हो उनसे इजाजत ले कर करे तो मनाही नहीं।

जनाज़ा ले चलने का बयान

मसालमा : जनाज़ा को कंघा देना इबादत है हर शख़्स को चाहिये कि इबादत में कोताही करे और हुजूर सत्यदूलु मुमतलीन सल्ललाहु तालाला अलैहिस सल्लाम ने सबुद इन्ने मसालमा रहियललाहू तालाला अलैहिस का जनाज़ा उठाया।

मसालमा : सुनात-यह है कि चार शख़्स जनाज़ा उठाये एक-एक पाया एक-एक शख़्स ले और अगर सिर्फ़ दो शख़्स ने जनाज़ा उठाया एक सराहने और एक पाया तो बिला जुरूरट मकरसू है और जुरूरत से हो मसलन जागह तंग है तो हरज नहीं।

मसालमा : सुनात यह है कि यक्स बाद दीगे चारों पायों को कंघा दे और हर बाद दस दस कदम चले और पूरी सुनात यह है कि पहले दाहिने सराहने कंघा दे फिर दाहिनी पायी फिर बायें सराहने कर बायें पायी और दस-दस कदम चले तो कुल चालीसौं कदम है कि हदीस में है जो चालीसौं कदम जनाज़ा ले चले उसके चालीसौं कबीरा गुलाम भिन्न दिये जायेंगे। नीज़ हदीस में है जो के चारों पायों को कंघा दे अलाह तालाला उसकी हत्मी (यक्सीनी) मगफ़िलत फरमादेगा।

मसालमा : जनाज़ा ले चलने में चारपाई को हास्य से पकड़ कर मोटे पर रखे असवाब (सामान) की
समस्या — टेले पर लादना मकरह है वीकोर पर जनाजा लादना मकरह है। (राजभी, दूरे मुखर)

समस्या — छोटा बच्चा दूर पीता या अभी दूर छोड़ा हो या इससे कुछ बड़ा उसको अगर एक शक्स हाथ पर उठा कर ले चले तो हरज नहीं और वके बढ़ दीगरे हाथों हाथ लेते रहे और अगर कोई शक्स सवारी पर हो और इतने छोटे जनाजे को हाथ पर लिये हो जब भी हरज नहीं और इससे बड़ा मुद्दा हो तो चारपाई पर ले जायें। (रुद्रिया, आलमगीरी, बोगरहुण)

समस्या — जनाजा मोड़तिल तेजी (यानी दरभगानी चाल)से ले जाये मगर न इस तरह कि मयूर को झटका लगे और साथ जाने वालों के लिए अफजल यह है कि जनाजे के पीछे चलने, दाढ़िने बाये मचले और अगर कोई आगे चले तो उसे चाहिये कि इतनी दूर रहे कि साथियों में न शुरू किया जाये और सब के सब आगे हों तो मकरह है। (आलमगीरी बोरगर)

समस्या — जनाजे के साथ पैदल चलना अफजल है और सवारी पर हो तो आगे चलना मकरह आगे हो तो जनाजे से दूर हो। (आलमगीरी, सची)

समस्या — औरतों को जनाजे के साथ जाना नाजाजुङ व मना है और नोहा करने वाली यहुनी जोर-जोर से बयान करके रोने वाली साथ में हो तो उसे सफ़री से मना किया जाये अगर न माने तो उसकी वजह से जनाजे के साथ जाना ना छोड़ा जाये कि उसके नाजाजुङ फेहुङुल से यह खूँ सुना तक तकरे बल्कि दिल से उसे बुरा जाने और शरीक हो। (रूद्र मुखर, सची)

समस्या — अगर औरतें जनाजे के पीछे हों और नर को यह अंदेशा हो कि पीछे चलने में औरतों से इशारा होगा या उनमें कोई नोहा करते वाली हो तो इन सूरतों में मर्द को आगे चलना बेहतर है। (रूद्र मुखर, रूद्र मुखर)

समस्या — जनाजा ले चलने में सरहना आगे नोहा चाहिए और जनाजे के साथ आगे ले जाने की ननाही है। (आलमगीरी)

समस्या — जनाजे के साथ चलने वालों में सुख (खामोशी)की हालत होनी चाहिए मीत और अहवाल की धारना। को पेश नजर रखे, दुनिया की बात न करें न हैं। हजरते अबुल्लाह इनके समस्या रद्दिल्लाञ्च ताबुला अभू हु ने एक शक्स को जनाजे के साथ हैं। उन्होंने देखा फर्माया तू जनाजे में हैं। सुधा से कभी कलाम न करें, और जिक्र करना चाहिए तो दिल में करें और जमाने के हालात के अस्तित्व से अब उल्लम ने जिक्र कर बढ़ (यहुनी आवाज से जिक्र)की भी है। (सची, दूरे मुखर, बोगरहुण)

समस्या — जनाजा जब तक रखा न जाये, बैठना मकरह है और रखने के बाद बे-जुल्क खड़ा न रहा और अगर लोग बैठे हो और नमाज़ के लिए वहाँ जनाजा लाया गया तो जब तक रखा न जाये खड़े हो। इनमें चूँह अगर किसी जगह बैठे हों और बहीं से जनाजा गुजरना तो खड़ा होना जरूरी नहीं। हैं जो शक्स साधु जाना चाहिए है वह उठे और जाये जब जनाजा रखा जाये तो यहू न रख खिले को पॉव लो या सर बल्कि आदियाँ रखें कि दानिही करवट किले की हो। (आलमगीरी, दूरे मुखर)

समस्या — जनाजा उठाने पर उज़रत लेना देना जािजर है जबकि और उठाने वाले वी मौजूद हो। (आलमगीरी) मगर जो सवाब ले चलने पर हदीस में बयान हुआ उसे न मिलेगा कि उसने तो
बहारे शरीअत

चौथा हिस्सा

बदला ले लिया।

**मसौला:** मय्यत अगर पड़ोसी या रिश्तेदार या कोई नेक शर्म हो तो उसके जनाजे के साथ चलना नफल नमाज़ पढ़ने से अफजल है। (आलमगीरी)

**मसौला:** जो शर्म जनाजे के साथ हो उसे बगैर नमाज़ पढ़ वापस न नबाना चाहिये और नमाज़ के बढ़ुद औलियाए मय्यत से इजाजत लेकर वापस हो सकता है और दफ्न के बाद औलिया से इजाजत भी ज़रूरी नहीं। (आलमगीरी)

**नमाज़े जनाज़ा का बयान**

**मसौला:** नमाज़े जनाज़ा फर्ज़ डिक्स्युट है कि एक ने भी पढ़ ले तो सब जिमींदारी से बरी हो गये वरना जिस-जिस को खबर पड़ी ही और न पढ़ी गुनहगार हुए। (आम्मा कुलब) इसकी फर्जियत का जो इन्कार करे काफिर है।

**मसौला:** उसके लिए जनाज़त शर्त नहीं एक शर्म के पढ़े ले फर्ज़ अदा हो गया। (आलमगीरी)

**नमाज़े जनाज़ा के शराईफ़**

**मसौला:** नमाज़े जनाज़ा बाजिब होने के लिए वही शराईफ़ है जो और नमाज़े के लिये है यानी
1. कादिर 2. बालिग 3. आफिल मुसलमान होना। एक बात इसमें ज्यादा है यानी उसकी मीत की खबर होना। (हुसेन मुख़रज़)

**मसौला:** नमाज़े जनाज़ा में दो तरह की शर्तें हैं एक मुसलमान के मतुआलिक दूसरी मय्यत के मुताबिक 1. मुसलमान के तिहाज से तो वही शर्त हैं जो मुतलक नमाज़ की है यानी मुसलमान का नजासत हुकम व हकीकत से पाक होना और उसके कपड़े और जगह का पाक होना।
2. सात औरत 3. किश्चे को मुंह होना। इसमें बक्त शर्तें नहीं। और तक्षीर से तहरीम रखना है शर्त नहीं जैसा पालन जिसका हुआ। (रुहुल मुहतार वर्गी) बालाज़ लोग जूता पहने और बहुत लोग जूते पर खड़े होकर नमाज़े जनाज़ा पढ़ते हैं अगर जूता पहने पहले तो जूता और उसके नीचे की जमीन दोनों का पाक होना ज़रूरी है, एक दिशाने से ज्यादा नापाक होने की वजह से नमाज़ न होगी और जूते पर खड़े होकर पढ़ी तो जूते के तली का पाक होना ज़रूरी है।

**मसौला:** जनाज़ा तैयार है जानता है कि युवा या मुस्लिम करेगा तो नमाज़ हो जायेगी तयमम कर के पढ़े इसकी तकसील बाबे तयमम में जिक हुई।**मसौला:** इमाम ताहिर (पाक) न था तो नमाज़ पढ़े अगर मुक्तदी ताहिर हो कि इमाम की न हुई तसील की न हुई और अगर इमाम ताहिर था और मुक्तदी बिलात तहरीत तो नमाज़ न दोहराई जाये अगर मुक्तदी न हुई मरात इमाम की तो हो गई। दूसी औरत ने नमाज पढ़ाई और मरात ने उसकी इकतिवा की तो लौटाई न जाये अगर मरात की इकतिवा सही न हुई मरात औरत की नमाज़ तो हो गई वही काफी है और नमाज़े जनाज़ा की तकरार ज़रूरी नहीं। (दूसर मुख़रज़)

**मसौला:** नमाज़े जनाज़ा सवारी पर पढ़ी तो न हुई। इमाम का बालिग होना शर्त है खबाह इमाम मर्द हो या औरत। नाबालिग ने नमाज पढ़ाई तो न हुई (आलमगीरी) नमाज़े जनाज़ा में मय्यत से तात्कल खबाह वाली वन्द शर्त है—1. मय्यत का मुसलमान होना।
मसूमा—मत्तत से मुराद वह जो जिन्दा पैदा हुआ फिर मर गया तो अगर वह मुर्दा पैदा हुआ बल्कि अगर निसफ (आदा) से कम बाहर निकला उसका व्यक्ताज्ञा था और अक्सर बाहर निकलने से पहले मर गया तो उसकी नमाज न पढ़ी जाये और तफसील आती है।

मसूमा—छोटे बच्चे के मौलाना मुस्लिम हो या एक तो वह मुस्लिम है उसकी नमाज पढ़ी जाये और दोनों काफिर हैं तो नहीं। (ह्र गुलाबी बक्का)

मसूमा—मुस्लिम को दालहरब में छोटा बच्चा ताहा मिला और उसने उठाया फिर मुस्लिम के यहाँ मरा तो उसकी नमाज पढ़ी जाये। (अल्लामा)

मसूमा—हर मुस्लिम की नमाज पढ़ी जाये अगर वह कुंआ ही गुलाबी और मुस्लिम के कबीर यहाँ गुलाबी नहीं करने वाला हो मगर चांद किस्में के लोग है कि उनकी नमाज नहीं।

1. बागी यहाँ जो इमाम वह गुलाबी पर नामाज़ फिर करे, और उसी बागावत में मारा जाये।

2. दाक्कु इसके साथ गुलाबी नहीं करने नहीं, अगर बागावत के लोग हों तो उनकी नमाज नहीं।

3. जो लोग नामाज़ पा लेने (यहाँ किसी की गुलाबी हिमाला करने) में लड़े बल्कि जो इसका नामाज़ देख रहे थे और पत्थर आकर लगा और मगर जो इसका नामाज़ नहीं हो उनके मुताफ़ीक (अल्लाह—अल्लाह) होने के बाद, नमाज़ नहीं।

4. जिसने कई नामाज़ घोट कर मारा बाकी।

5. शहर में रात को हिदायत ले कर बूढ़े मारे करे नहीं, बाबू इस अवसर में मारे जाये तो उनकी नमाज न पढ़ी जाये।

6. जिसने अपनी मौला या बाब को मारा बाला उसकी नमाज नहीं।

7. जो किसी का मारा छिन रहा था और इस हालत में मारा गया उसकी नमाज नहीं। (अल्लामा)

मसूमा—जिसने यहाँ अलालान यह बहुत बड़ा गुलाबी है मगर उसके जनाजे की नमाज पढ़ी जायेंगी अगर बरसन, यहाँ नहीं। जो जाह रज़ा किस्म अभागा या किसान में मारा गया उसे गुरुल देने और नमाज़ पढ़ाने। (ह्र मुलाकात, अल्लामा, महरुमा)

(2) मत्तत के बदल और कपन का पाक होना।

मसूमा—बदल पाक होंगे से यह मुराद है कि उसे गुरुल दिया गया हो या गुरुल नामुमकिन न होने की सूचना में तयमूल कराया गया हो और कपन पहनाने से पहले उसके बदल से नज़स्त निकलती तो धीरी जाये बदले में खाँसिक हुई तो धीरी की हाजत नहीं और कपन पाक होने का यह मतलब है कि पाक कपन पहनाया। जाये और बाद में अगर नज़स्त खाँसिक हुई और कपन आलूदा हुआ तो हरज नहीं। (ह्र मुलाकात, मुलाकात)

मसूमा—बग़र गुरुल नमाज़ पढ़ी गई नमाज़ न हुई उसे गुरुल देकर फिर पढ़े और अगर कब्र में रख खुदे मन किसी अभी नहीं दाली गई तो कब्र से निकले और गुरुल देकर नमाज़ पढ़े और बग़र दे खुदे को अब नहीं निकाल सकते लिहाज़ा अब उसकी कब्र पर नमाज़ पढ़े कि वहाँ नमाज़ न हुई थी क्योंकि बग़र गुरुल हुई थी और अब यहूदी गुरुल नामुमकिन है लिहाज़ा हो जायेंगी। (सुल मुलाकात)

3. जनाजे का वही मौजूद होना यही तो अस्त या निसफ (आदि)सर के साथ मौजूद होना लिहाज़ा गयक की नमाज नहीं हो सकती।
4. जनाजा जमीन पर रखा होना या अन्य स्थान पर हो या अधार जानकर वारी पर लाया हो तो नमाज न होगी।

5. जनाजा मुसल्ली के आंग किश्त को होना अगर मुसल्ली के पीछे होगा नमाज सही न होगी।
अगर जनाजा उठाई रखा यथानी इमाम के दाहिने मयत का कदम हो तो नमाज हो जायेगी मगर
कई ऐसा किया तो नुमाहार हुए।

मस्जिद — अगर किश्त के आंग में पीछे हुई यथानी मयत को अपने खायल से किश्त हो को स्थान था मगर
हरीकान्त किश्त को नहीं तो तहरी की जगह में अगर तहरी की नमाज हो गई तरह नहीं।

(इस मुद्दा)

नोट — जिस जगह किश्त का पता न छाया सका कि किश्त है वहाँ गार दिए जिससे तरफ
दिल जाने मताजा पढ़े, इस गार दिए जिससे तहरी कहते है।

(कादरी)

6. मयत का यह बदन का हिस्सा जिसका छुपाना पर्याप्त है, छुपा होना।

7. मयत इमाम के मुहाजी (सामने) हो यथानी अगर एक मयत है तो उसका कोई हिस्सा
बदन इमाम के मुहाजी हो और चन्द हो तो किसी एक रंग में हिस्से बदन इमाम के मुहाजी
होना काफी है।

(कुल मुद्दा)

मस्जिद — नमाजेज जनाजा में दो रुक हैं।
1. चार बार अल्लाहु अकबर कहना। कियाम बागे
2. कियाम बागे
3. इसमा चार बार अल्लाहु अकबर कहना।
4. इसमा चार बार अल्लाहु अकबर कहना।

मस्जिद — नमाजेज जनाजा में तीन चीजें सुनते मुख्तार हैं:
1. अल्लाह तआला की हमद व सना।
2. नबी सल्लल्लाहु तआला।
3. मयत के लिए दुआ।

नमाजेज जनाजा का तरीका
नमाजेज जनाजा पढ़ने का तरीका यह है कि कान तक हाथ उठा कर अल्लाहु अकबर कहता
हुआ हाथ नीचे लें और नफ़्फ़ नीचे हसे दस्तूर बौंघ ले यथानी जैसे नमाज में बौंघते हैं और
सना पढ़े यथानी

श्रव्य: ल्लाहु हुआ है, इमाम उद्दिशक, तबरक़ अमीन

वो तुलाक़, जल्दी तबलिक तलिक अल्लाहु हुआ है।

तर्जमः "धू ई अल्लाहु और मैं तैरी हमद कहता हूँ, तैरी नाम बरकत बाला है और तैरी अजमत बल्न है
और तैरी तारीफ़ कुदुरु है और तैरी किसी कोई मकुदुर नहीं।"

फिर बागे हाथ उठाये अल्लाहु अकबर कहे और दुरुद शाफी पढ़े बेहतर वह दुरुद है जो
नमाज में पढ़ा जाता है और कोई दूसरा पढ़ा जब भी हरज नहीं फिर अल्लाहु अकबर कह दे
अपने और मयत और तामाम मोमिन और मोमेनिन के लिए दुआ करो और बेहतर यह है कि वह दुआँ
पढ़े जो अहादीस में वारिद है और मासूर दुआँ। (वह दुआँ जो अहादीस में साबित हो) अगर अक्षरीय
तरीक अन पढ़ सके तो जो दुआँ चाहे पढ़े मगर वह दुआ ऐसी हो कि उम्मी आक्षरित से मुआधिक
हो। (जोहरा, नरियारा, आलमगीरी, दुर्रु मुख्तार वर्गीया)बाबुज मासूर दुआँ ये हैं:
دیوشا ن.1 :-
اللہٰمہ اُمیر رحمانیہ و مینیہ و نسیہ دهہ و عائشہ و صبرہ و کیرنہ و ذکرہ و اکبرہ و ابھیبہ و اظمہ. اللہٰمہ نم أخیتیہ من فأخیهی

علیہ السلام و نم تفییفیہ من اقومیہ علیہ الإبیتمہ. اللہٰمہ لا خیر مانآرہ (ه) و لا تنفس بیغیہ (ه).

تارجیح :- " ای أللہ! بھی تاہمہ جنیدہ و میرہ و همادیہ و حمیدہ و غنیہ (ه) و اکبرہ و عائشہ و نسیہ و ابھیبہ و عائشہ (ه) و

وضع مخلوقیہ (ه) و رحمانتہ (ه) و رحمانتہ (ه) و

ابنیہ (ه) و ابھیبیہ (ه) و رحمانتہ (ه) و

مینیہ (ه) و نسیہ (ه) و

فریقہ (ه) و

کیرنہ (ه) و

ذکرہ (ه) و

ابھیبہ (ه) و

غنیہ (ه) و

علیہ السلام و نم تفییفیہ علیہ الإبیتمہ. اللہٰمہ لا خیر مانآرہ (ه) و لا تنفس بیغیہ (ه).

دیوشا ن. 2 :-
اللہٰمہ اُمیر رحمانیہ (ه) و زینب (ه) و امیرا (ه) و امیر (ه) و رحمانتہ (ه) و رحمانتہ (ه) و

وضع مخلوقیہ (ه) و

زینب (ه) و

زنیت (ه) و

ابنیہ (ه) و

ابنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیه (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیه (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیه (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و

فنیہ (ه) و
हमें यह स्पष्ट है कि इसके मुलाम तेरे हुक्म नाफिज है तुले इसे मंदिर है तुम्हे प्रस्तुत यह कब्रिज जिनका न था तेरे पास आया और तुमको नाफिज है जिनके पास उत्तर आये। ऐसा है सही! इसको तनल्कन कर और इसके नये मुहम्मद सल्ल्लाल्लाहु तापाला अल्लाह वस्तत्र के साथ मिला दे और कोई साहित्य पर इसे साहित्य स्वरूप इसलिए कि यह तेरी तरफ महत्त्व है और तुम इस गुनी है। यह शाहर के तरफ तेरी कोई महजूब नहीं, पत्नी इसे बता दे और रहम कर और इसके अजज बोल ये हमें फिरते में न ढाल ऐ अल्लाह! अगर यह पाक है तो पाक कर और बदकर है तो बस्क दे।

दुसरा नं. 5:

अल्लाह, तेरा बन्दाह कर जिनके प्रस्तुत इतिहास (हात्तिहास) तेरे रखते और आने तुकी जिनके उदाहरण, तुम सुन और तुम बता दे जिनके पास उत्तर आये। ऐसा है सही! इसको तनल्कन कर और इसके नये मुहम्मद सल्ल्लाल्लाहु तापाला अल्लाह वस्तत्र के साथ मिला दे और कोई साहित्य पर इसे साहित्य स्वरूप इसलिए कि यह तेरी तरफ महत्त्व है और तुम इस गुनी है। यह शाहर देता था कि अल्लाह के सिवा कोई महजूब नहीं, पत्नी इसे बता दे और रहम कर और इसके अजज बोल ये हमें फिरते में न ढाल ऐ अल्लाह! अगर यह पाक है तो पाक कर और बदकर है तो बस्क दे।

दुसरा नं. 6:

अल्लाह, तेरा बन्दाह कर जिनके प्रस्तुत इतिहास (हात्तिहास) तेरे रखते और आने तुकी जिनके उदाहरण, तुम सुन और तुम बता दे जिनके पास उत्तर आये। ऐसा है सही! इसको तनल्कन कर और इसके नये मुहम्मद सल्ल्लाल्लाहु तापाला अल्लाह वस्तत्र के साथ मिला दे और कोई साहित्य पर इसे साहित्य स्वरूप इसलिए कि यह तेरी तरफ महत्त्व है और तुम इस गुनी है। यह शाहर देता था कि अल्लाह के सिवा कोई महजूब नहीं, पत्नी इसे बता दे और रहम कर और इसके अजज बोल ये हमें फिरते में न ढाल ऐ अल्लाह! अगर यह पाक है तो पाक कर और बदकर है तो बस्क दे।

दुसरा नं. 7:

असीख इदुई यहाँ (असीख इदुई यहाँ) वह दोष है (तहल्लुक) तहल्लुक, तक्षका (र्तक्षका) तक्षका (र्तक्षका) तक्षका (र्तक्षका) तक्षका (र्तक्षका) तक्षका (र्तक्षका) तक्षका (र्तक्षका) तक्षका (र्तक्षका) तक्षका (र्तक्षका) तक्षका (र्तक्षका) तक्षका (र्तक्षका) तक्षका (र्तक्षका) तक्षका (र्तक्षका) तक्षका (र्तक्षका) तक्षका (र्तक्षका) तक्षका (र्तक्षका)
तर्जमा: "अज तेरा यह बच्चा दुनिया से निकला और दुनिया को अहले दुनिया के लिये छोड़ा तेरी तरफ मुहताज है और तू इससे गनी। गवाही देता था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु ताजाला अल्लैह वस्तूल्लाह तेरे बने और स्वीकृत हैं। ऐ अल्लाह! तू इसको बख़्श दे और इससे दरगाज़र फरमा और इसको इसके नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु नज़ा मटों के साथ लाहिक कर दे (मिला दे)।

दुआ न. 8:

अल्लाह तेरा रहना और अन्त हज़ेर्ता और अन्त हज़ेर्पा लिएल मैहम और अन्त फ़स्तत रूख्दा और अंत अलूमेट रिक्ना और गुला नेता जानकारी शेखुरा और फ़ेकरा निहारी।

तर्जमा: "ऐ अल्लाह! तू इसका सब है और तू इसकी पैड़ किया और तू इसकी इस्लाम की तरफ हिदायत की और तू इसकी रूह को कबज़ा किया तू इसके पोशोंज़ा और जाहिर का जानता है इस सिफ़ारिश के लिये हाजिर हुए इसे बख़्श दे।"

दुआ न.9:

अल्लाह्दुहुम नासरुल्लाह और अर्जुना और अन्त हज़ेर्पा लिएल मैहम और अलफ़ बिन तुलून्ना अल्लाह्दुहुम फ़ेकरी (हिद्वे) एक्स्कुट्स फ़ालान (फ़ालान बिन फ़ालान)। अलरित अलूमेट बिन इस्तान (रिहा) मानता फ़ाउर्नाम और लेखा।

तर्जमा: "ऐ अल्लाह! हमारे माहौल और बहनों का तू बख़्श दे और हमारे आपस की हालत दुरास्त कर और हमारे दिलों में उल्कत पैड़ा कर दे। ऐ अल्लाह! यह तेरा बच्चा पुली इन पुली है हम इसके मुताबिक ख़ेर के सिवा कुछ नहीं जानते और तू इसको हमसे ज्यादा जानता है तू हमको और इसको बख़्श दे।"

दुआ न.10:

अल्लाह्दुहुम फ़ािलान बिन फ़ालान (फ़ालान बिन फ़ालान) पर डायल और ज़िहल जोरिलाई फ़ेकरी उमरना में फ़ेकरी के अन्त अल वॉा और हल्लाम। अल्लाह्दुहुम फ़ाउर्नाम (फ़ाउर्नाम) और हार्मे (गार्मे) अन्त आलिफ्तरा रोज़मारी।

तर्जमा: "ऐ अल्लाह! फ़ूली इन पुली तेरे जिम्मे और तेरी दिवानाज़त में है इस को फिटानए कब्ब और अज़ाब में जानन को बचा। तू वफा और हमद का अहल है। ऐ अल्लाह! तू इस को बख़्श और श्रम कर बेशक तू बख़्शाने वाला मेहबुब है। दुआ न.11:

अल्लाह्दुहुम अरहा र फ़ुदाफ चांद और फ़ुदाफ चांद। अल्लाह्दुहुम फाब।

तर्जमा: "ऐ अल्लाह! इसकी शैतानी और अज़ाब के बज़ा। ऐ अल्लाह! ज़मीन को इसकी दोनों कस्तों से कुशादा कर दे और इसकी रूह को बलन्द कर और अपनी ख़ुशानूदी दे।"
तर्जमा :- " ऐ अल्लाह! ऐ अरहमुराहिम! ऐ अरहमुराहिम! ऐ जिन्दा! ऐ क़ब्रीूँ! ऐ आसमान व जमीन के पैदा करने वाले! ऐ अज़हम व बुजुर्गी वाले! मैं तुझे से सवाल करता हूँइ! इस वजह से कि मैं शहादत देता हूँ! कि तू अल्लाह यक्ता है! बुनियद जो न दूसरे को जन्म दे दूसरे को सजा देता है! ठीक है! मैं सवाल करता हूँ! और तेरी तरफ तेरी नहीं मुहम्मद सल्ला उल्ला तच्छाता अल्लाहे वस्त्रम के जिनत्रे मुतावजजेह होते हैं! ऐ अल्लाह करीम! जब सवाल का हुक्म देता है तो वापस कम्य नहीं करता और तूने हमें हुक्म दी तोमे अल्लाह के मुद्दे में तू इस पर रह जाओ और इसकी
बहारे शारीआत

वहाले में तू रहन कर और इसकी गुर्खत में तू रहन कर और इसकी बेदनामी में तू रहन कर और इसके अज जो अजीम कर' और इसकी क्रू में गुनवत कर और इसके चेहरे को सफेद कर और इसकी ख्याकार को ठंडा कर और इसकी मन्दिर को मुकात कर और इसकी महानगर का सामान अच्छा कर. ऐ बेहाल उतारने वाले और ऐ बेहाल बचाने वाले और ऐ बेहाल फर्माने वाले आमने आमने आमने दुखद व सलाम भेज और बरकत कर शाफाक करने वालों के सरदार मुहम्मद (सल्लल्लाहु ताजा आले हिह विसलम) और उनकी आल और अस्पताल सब पर। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो रह है तमाम जहान का नोट:— यह दुआये याद करने से पहले किसी पुत्री सहीहुल अलहीदा आलिम से समझ ले तो बहार बेहाल है।

एक दिन:— नवीं और दसवीं दशाओं में अग्र मयत के बाप का नाम मजनून म न हो तो उसकी जगह हजरत आदम आलिम है। उसका बाप है और अगर खूद मयत का नाम भी मलूम न हो तो नवीं दुआ में 'हाज मुतुका' या 'हाज मुतुका' पर करानत करे पुत्री इन पुत्री या बिन को छोड़ दे और दसवीं में इसकी जगह 'अश्रुका हजा' या उरत हो तो 'अश्रुका हजीया' कहें।

एक दिन:— मयत का पिक्र व पुजूर मजनून हो तो नवीं दुआ में 'ला नकलुमु इला खैरन' की जगह 'कुदालिमना मिन्हु खैरन' कहे इस्लाम हर खैर से बेहाल खैर है।

एक दिन:— इन दुआओं में बाप मजनून मुकर्रर है और दुआ में तकार जुरकत का हो और अगर सब दुआये याद हों और वन्ध में गुज़ारा हो तो सब का पदना और वन्ध जितनी दे यह दुआये पढ़े अगर मुकताब का याद न हों तो पहली दुआ के बाद आमने आमने कहता रहे।

मसक्खला:— मयत मजनून (पनकल) या नाबालिग हों तो तीसरी तकबीर के बाद यह दुआ पढ़े:

अल्लाहु मुकातुल्लाहु मुकातुल्लाहु मुकातुल्लाहु मुकातुल्लाहु मुकातुल्लाहु

और लड़की हो तो तुम्हारे बाले और जितने अलौकिक और की जितने और पतनी मुकातुल्लाहु कहें।(जौहर)

तर्जमा:— 'ऐ अल्लाह! तू इसको हमारे लिए पंशरी कर और इसको हमारे लिए जाहिरा कर और इसको हमारी शाफात करने वाला और मक्कूकी शाफात कर दे।'

मजनून से मुराद वह मजनून है कि बालाल होने से पहले मजनून हुआ कि वह मुकताफ ही न हुआ और अगर जुनूने आरजिये है तो उसकी मुग्गाफत की दुआ की जाय जैसे और शहीद के लिए हैं और आजाज़ युवा गुलाम में बाप और बेटे और दीवार दुआस आकार पर मुकताफ है।(इरु मुकाती की)

जाती है कि जुनुन से पहले तो वह मुकताफ था और जुनुन के फहले के गुप जुनुन से जाते न रहे। (पुल्ला)

मसक्खला:— चौथी तकबीर के बाद की ओर कोई दुआ पढ़े हाथ खोल कर सलाम फर्दे दे सलाम में मयत और फरिश्ता और हाजिरी नग्माज की नियत करे उसी तरह जैसे और तमाम के सलाम में नियत की जाती हैं यहाँ इन्हीं बात ज्यादा है कि मयत की भी नियत करे।(इरु मुकाताफ़ मुकाता, शुलाला)

मसक्खला:— तकबीर व सलाम को इमाम जहाँ (आलवे) के साथ कहे बाकी तमाम दुआये आहिन्तापर जायें और सिफ़ पहली मनहून अल्लाहु अकबर कहने के बाद हाथ उठाये फिर हाथ उठाना
मसाझ़ाः — नमाज़े जनाज़ा में कुआँन ब-नियते कुआँन या तशहउद पढ़ना मना है और ब-नियते दुआँ व सना सूरह फातिहा वगैरा आयाते दुअआँ व सना पढ़ना जाइज़ है। (इस मुक़ाब़ा) ।

मसाझ़ाः — बेहतर है कि नमाज़े जनाज़ा में तीन सफ़े करे कि हदीसः में है जिसकी नमाज़ तीन सफ़े ने पढ़ी उसकी महग़त हो जायेगी और अगर कुल सात ही शाफ़ हों तो एक इमाम हो और तीन पहली सफ़े में और दो दूसरी में और एक दूसरी में। (पुनः)

मसाझ़ाः — जनाज़ा में पिछली सफ़े को तमाम सफ़े पर फ़ज़ीलत है यानी पिछली में खड़े होना अगली के मुक़ाबले अफज़ल है। (इस मुक़ाब़ा)

नमाज़े जनाज़ा कौन पढ़ाये?

मसाझ़ाः — नमाज़े जनाज़ा में इमामत का हक बादशाहे इस्लाम को है किर खाज़ी फिर इमामे जुमा फिर इमामे मुहल्ला फिर वली को। इमामे मुहल्ला का वली पर तकराम मुक़ाब़ा है और यह भी उस बल्कि कि वली के अफज़ल हो वरना वली बेहतर है। (पुनः इस मुक़ाब़ा)

मसाझ़ाः — वली से मुरादः मयाज़ के असबा (असबा से मुराद हर वह शाफ़ है जिने के मुक़रर शुदा रही ही अलवता असबेरे फ़राइज़ से जो बचता है इससे ही मिलता है) है और नमाज़ पढ़ाने में औरलया की वही तत्तीब है जो निकाह में है सीकर इतना फूफ़ कि जनाज़े में मयाज़ का बाप बेटे पर मुक़ाब़ा है और निकाह में बेटा बाप पर। अलवता अर बाप अलिम नहीं और बेटा अलिम है तो नमाज़े जनाज़ा में भी बेटा मुक़ाब़ा है अगर असबा न हों तो ज़विल उर्फ़हर (रिस्तेरदार)गैरः पर मुक़ाब़ा है। (इस मुक़ाब़ा रखल मुक़ाब़ा)

मसाझ़ाः — मयाज़ का वली अकरबः (सबसे ज़्यादा करीबी रिस्तेरदार)गायब द्वारा और वलीए अबादः (दूर का रिस्ते वली वली) हाविय़ा है तो यही अबाद नमाज़ पढ़ाये, गायब होने से मुराद यह है कि इतनी दूर है कि उसके आने के इस्तिमाल में हुजज हो। (रखल मुक़ाब़ा)

मसाझ़ाः — औरत का कोई वली न हो तो शौर नमाज़ पढ़ाये वह भी न हो तो पैड़ी थूनी नर्द़ का वली न हो तो पैड़ी औरों पर मुक़ाब़ा है। (इस मुक़ाब़ा)

मसाझ़ाः — गुलाम मर गया तो उसका आका बेटे और बाप पर मुक़ाब़ा है अगर्च हो यह दोनों आज़ाद हो मसाझ़ाः — मुक़ौतिबः (मुक़ौतिब वह गुलाम जो कि ते शुदा रकम देने पर आज़ाद दे जायेगा) का बेटा या गुलाम मर गया तो नमाज़ पढ़ाने का हक मुक़ौतिब को है मगर उसका मौला अगर मौजूद हो तो उसे चाहिए कि मौला से पढ़वाये और अगर मुक़ौतिब मर गया और इतना माल छोड़ा कि किताब का बदल अदा हो जायेगा यसूनी वह रकम अदा हो जाये और वह माल वहाँ मौजूद है तो उसका बेटा नमाज़ पढ़ाये और माल गायब है तो मौला। (उल्लेख)

मसाझ़ाः — औरतों और बच्चों को नमाज़े जनाज़ा की विलायत नहीं। (आलमगीरी)

मसाझ़ाः — वली और बादशाहे इस्लाम को इरिदियार है कि किसी और को नमाज़े जनाज़ा पढ़ाने की इजाज़त दे दें। (इस मुक़ाब़ा)

मसाझ़ाः — मयाज़ के वलीए अकरबः (सबसे ज़्यादा करीबी रिस्तेरदार) और वलीए अबादः (दूर के
बहारे शरीरत

चौथा हिस्सा

रिश्ते वालों दोनों मौजूद हैं तो बलीए अकर्ष को मना करने का इश्क्यार है कि अबाद के सिवा किसी और से पड़वाए, अबाद को मना करने का इश्क्यार नहीं और अगर बलीए अकर्ष गयाब है और इतनी दूर है कि उसके आने का इश्क्यार न किया जा सके और किसी ताहिर के जरिये से अबाद के सिवा किसी और से पड़वाना चाहे तो अबाद को इश्क्यार है कि उसे रोक दे और अगर बलीए अकर्ष मौजूद है मगर बीमार है तो जिससे चाहे पड़वा दे अबाद को मना का इश्क्यार नहीं है। (आलमगीर)

मसअला :- औरत गर गई शीहर और जवाब बेटा छोड़ा तो विलयत बेटे को है शीहर को नहीं अनबता अगर यह लड़का उसी शीहर से है तो बाप पर बेशक वह पर जा है इसे बाहिर बाप से पड़वाये और अगर दूसरे शीहर से है तो सीतले बाप पर तक्षण कर सकता है कोई हरज नहीं और बेटा बालिग न हो तो औरत के जो और वली है उनका हक है शीहर का नहीं। (जीहरा, आलमगीर)

मसअला :- भो यह दूसरे शिक्षक एक दर्जे के वली हो तो? ज्यादा हक उसका है जो उम्र में बढ़ा है मगर किसी को यह इश्क्यार नहीं कि दूसरे वली के सिवा किसी और से बगरी उसकी इजाजत के पड़वा दे और अगर ऐसा किया यहुं वर्ण न पढ़ाई और किसी को इजाजत दे दी तो दूसरे वली के मना का इश्क्यार है अगर यह दूसरे वली उम्र में घरा हो और अगर एक वली ने एक शिक्षा को इजाजत दी दूसरे ने दूसरे को तो जिसको बड़े ने इजाजत दी वह आता है। (आलमगीर सहहि)

मसअला :- मयूर ने वसित्त की श्री मे मेरी नमाज फरीदा या युग फरीदा शिक्षा देने तो यह वसित्त बताइँ है यहुं इस वसित्त से वली का हक जाता न रहेगा, ही वली को इश्क्यार है कि चुन न पढ़ाई उससे पड़वा दे। (आलमगीर सहहि)

मसअला :- वली के सिवा किसी ऐसे ने नमाज पढ़ाई जो वली पर मुकदम न हो और वली ने उसे इजाजत भी न ही थी तो अगर वली नमाज में शरीक न हुआ तो नमाज का इजाजत वह कर सकता है यहुं नमाज लोटा सकता है और अगर मुर्दा दफन हो गया है तो कभ पर नमाज पढ़ सकता है और अगर वह वली, पर मुकदम है जैसे बादशाह, काजी व इमाम मुहल्ला कि वली से आफक्त हों तो अब वली नमाज का इजाजत नहीं कर सकता और अगर एक वली ने नमाज पढ़ा दी तो दूसरे ओलिया इजाजत नहीं कर सकते और इजाजत की हर सुवर्ण में जो शिक्षा पहली नमाज में शरीक न था वली के साथ पढ़ सकता है और जो शिक्षा शरीक था वह वली के साथ नहीं पढ़ सकता है वक जनाजे की नमाज दो मतरबा जांज कहीं नहीं है सिवा इस युग के फिर से वली ने बगरी वली की इजाजत पढ़ाई। (आलमगीर, इम युक्तार यूरियुम)

मसअला :- जिन शख्सों से तमाम नमाजें फासिद होती है नमाजे जनाजा भी उनके फासिद हो जाती है सिवा एक बात के भी औरत मर्द के मुहाजी हो जाये तो नमाजे जनाजा फासिद न होगी। (आलमगीर)

मसअला :- मुकदम यह है कि मयूर के सीने के सामने खड़ा हो और मयूर से दूर न हो मयूर चाहे मर्द हो या औरत बालिग हो या नबालिग। यह उस वक्त है कि एक ही मयूर की नमाज पढ़नी हो और अगर बन्द हों तो एक के सीने के मुकाबली और करिब खड़ा हो। (इम युक्तार, ईस्व मुहल्ला)

मसअला :- इस्मान ने पाँच तक्कीरों कहीं तो पाँचवीं तक्कीर में मुकदम की इजाजत परीक्षा न करे विषय पुं खड़ा रहे जब इस्मान सलाम करे तो उसके साथ सलाम करे। (इम युक्तार)
मसाजुला: बादूज तकबरीरों फौट हो गई यथानुभूती उसे वकता आया कि बादूज तकबरीरों हो युक्त ही हो तो फौट शामिल न हो उसे वकता हो जब इमाम तकबरीर कहे और अगर इनिजाज न किया बल्कि फौट शामिल हो गया तो इमाम के तकबरीर कहने से पहले जो कुछ अदा किया उस का अनुतितार नहीं अगर वही मौजूद यह मगर तकबरीर तत्सीमा के वक्त इमाम के साथ अल्लाहु अकबर न कहा खयालें गफतल की वजह से देश हुई या नियत ही करता रह गया तो यह शातव इसका इनिजाज न करे कि इमाम दूसरी तकबरीर कहे तो उसके साथ शामिल हो बल्कि फौट ही शामिल ही जाये। (अल्लामी शहीद)

मसाजुला: मसबूक यथानुभूति जिसकी तकबरीरों फौट हो गई वह अपनी बाकी तकबरीरों इमाम के सलाम पेशरे के बबुद कहे और अगर यह अद्वेश हो कि दुआ पढ़ना तो पूरी करने से पहले लोग मयात को कई तक उठा लेंगे तो सिफ्य तकबरीर कहे तो दुआयें छोड़ दें। (अल्लामी शहीद)

मसाजुला: लिहिय यानी जो शुरूआ में शामिल हुआ मगर किसी वजह से दरबियान की बाज़ तकबरीरों रह गया मसलन पहली तकबरीर इमाम के साथ कही मगर दूसरी और तीसरी जाती नहीं तो इमाम की चौथी तकबरीर से पहले यह तकबरीरों कह लें। (बुल मुहरर)

मसाजुला: चौथी तकबरीर के बबुद जो शातव आया तो जब तक इमाम ने सलाम न पेशा शामिल हो जाये और इमाम के सलाम के बबुद तीन बार अल्लाहु अकबर कह ले। (अल्लामी शहीद)

मसाजुला: कई सम Jets जना हो तो एक साथ सब की नमाज़ पढ़ सकता है यथानुभूति एक ही नवाज में सब की नियत कर ले और अफजल यह है कि सबकी अलाहिदा-अलाहिदा पढ़े और इस सूरत में यथानुभूति जब अलाहिदा-अलाहिदा पढ़े तो उन्हें जो अफजल है उसकी पहले पढ़े फिर उसकी जो उस के बबुद सब में अफजल है इसी तरह क्याब्ल ले। (अल्लामी शहीद)

मसाजुला: चौथे सम Jets जना की नमाज़ एक साथ पढ़ते है इक्कियार है कि सबको अगे दु:ख़े रखने यथानुभूति सबकी सीना इमाम के मुकाबले हो या बरबार-बरबार रखने यथानुभूति एक दिनों तकबरीर रखने को पढ़े और उस दूसरे की पारेती या सरहाना दूसरे को और इसी पर समझाएँ,आगर आगे दु:खे रखने को ही इमाम के करीब उसका जना हो जो सब में अफजल हो फिर उसके बबुद जो अफजल हो और इसी पर क्याब्ल करें और अगर फजीलत में बरबार हो तो जिसकी इमाम ज्यादा हो उसे इमाम के करीब रखें,यह उस कथा है कि सब एक जिन्स की हो और अगर मुकम्बलिफ़ जिन्स की हो तो इमाम के करीब रहें उसके बबुद लड़के फिर हुस्ना फिर औरत फिर मुराहीका(जो बलिग होने के करीब हो) यथानुभूति नमाज़ में जिस तरह मुकाबलेदारों का सपक में तरतीब है उसका अक्स(यथानुभूति उल्टा)यहाँ है और आगर आजाद व गुलाम के जना हों तो आजाद को इमाम से करीब रखने आगर नवालिग हो उसके बबुद गुलाम को और किसी जुलजल से एक ही कब्र में चद्द मूर्त दफन करे तो तरतीब अक्स(यथानुभूति उल्टी) करें यथानुभूति किन्तु जो उसे रखने जो अफजल है जबकि सब मर्द या सब औरतों हो वरना किन्तु का जानिब मर्द को रखें फिर लड़के फिर हुस्ना फिर औरत फिर मुराहीका को। (अल्लामी शहीद)

मसाजुला: एक जना की नमाज़ पढ़ना शुरूआ यथानुभूति की थी कि दुःसारा आ गया तो पहले की पूरी करें और अगर दूसरी तकबरीर में दोनों की नियत कर ली जब भी पहले ही की होगी और अगर सिर्फ़ दूसरे की नियत की तो दूसरे की होगी इससे फायरिंग होकर पहले की फिर पढ़े। (अल्लामी शहीद)
मसूला :- मय्यत को बगैर नमाज़ पढ़े दफ़न कर दिया और मिट्टी भी दे दी गई तो अब उसकी क़ब्र पर नमाज़ पढ़े जब तक फटने का गुमान न हो और मिट्टी न दी गयी हो तो निकाले और दिन तक पढ़ी जायें कि यह मौसम और जमीन और मय्यत के ज़िसम और मरज़ के इक्सितलफ़ से खारी नहीं उसमे देर में, फरबा (मोटा) जिसम जल्द और लागर (कमजोर)देखे में (ईद मुबारक) मसूला :- दुएं में गिर कर मर गया या उसके ऊपर मकान गिर पड़ा और मुर्दा निकाला न जा सका तो उसी जगह उसकी नमाज़ पढ़े और दरियाये में डूब गया और निकाला न जा सका तो उसी नमाज़ नहीं हो सकती कि मय्यत का मसूला के आगे होना महज़ूम नहीं। (ईद मुबारक)

मसूला :- मसिज़ में नमाज़े जनाजा मुंकुल दिकुल कहेंगे तहरीमी है खाल मय्यत मसिज़ के अंदर हो या बाहर सब मसिज़ मसिज़ में हों या बाहर कि हदीस में नमाज़े जनाजा मसिज़ में पढ़ने की मनाही आई है। (ईद मुबारक) शायरे आम (आम रायस) और दूसरे की जमीन पर नमाज़़ जनाजा पढ़ना मनुष्य है। (रहऊल मुहतार) जब तक मालिक क जमीन मनुष्य करता हो।

मसूला :- जुमे के दिन किसी का इतिकाल हुआ तो अगर जुमे से पहले ताजहीज व तककीन हो सके तो पहले ही कर से इस ख़ियाल से रोक रखना कि जुमे के बाद मज़मा ज्यादा होगा नक़ाफ़ुह है। (ईद मुबारक)

मसूला :- नमाज़े मङ़रिप के वक़्त जनाजा आया तो फरज और चुनूनत पढ़कर नमाज़े जनाजा पढ़े गूढ़ी किसी और नमाज़ के वक़्त जनाजा आये और जमा तैयार हो तो फरज और चुनूनत पढ़ कर नमाज़े जनाजा पढ़े बसार कि नमाज़े जनाजा की ताकत में जिसम ख़राब होने का अन्देशा न हो। (आलमगीरूल)

मसूला :- ईद की नमाज़ के वक़्त जनाजा आया तो पहले ईद की नमाज़ पढ़े फिर जनाजा फिर ख़ुब और गहन की नमाज़ के वक़्त आये तो पहले नमाज़े जनाजा पढ़े फिर गहन की। (ईद मुबारक)

मसूला :- मुसभम मर्द, या जोत का बच्चा जिंदा पैदा हुआ यखूनी अकसर हिस्सा बाहर होने के वक़्त जिंदा था फिर लगा तो उसको गुस्सा व क़फ़न देंगे और उसकी नमाज़ पढ़ंगे बनना उसे वैसे ही नहालाकर एक कपड़े में लेपट कर दफ़न कर दें इसके लिए गुस्सा व क़फ़न सुनङ्ग तरीके से नहीं और नमाज़ भी उसकी नहीं पढ़ी जायेगी यहूं तक कि जब बाहर हुआ तो उसे बिहू था शायरा था मग़र अकसर की भिक़दार यह है कि सर की जानिब से होतो सीना तक अकसर है और पाँव की जानिब से हो तो कमर तक अकसर है। (ईद मुबारक रहऊल मुहतार क़ौमा)

मसूला :- बच्चे की माँ या जनाई ने जिंदा पैदा होने की शाहादत दी तो उसकी नमाज़ पढ़ी जायेगी मग़र दुसरः के बारे में उनकी ग़वाह न्या-मोक़बर है यखूनी अएस्तित्व खेल के कारिल नहीं यखूनी बच्चा अपने मरे हुए बाप का वारिस न है करार दिया जायेगा, न बच्चे का वारिस उसकी माँ होगी। यह उस वक्र है कि खुदे बाहर निकाला और अगर किसी ने हामिला के शिकाम (पैट)पर ज़ब (बार)लगाव कि बच्चा मरी हुआ बाहर निकाला तो वारिस होगा और वारिस बनायेगा। (ईद मुबारक)

मसूला :- बच्चा जिंदा पैदा हुआ या पुर्दा उसकी ख़िलकत (बनावट) तमाम (पूरी) हो या नाताम बहरहाल उसका नामः रखा जाय और कियामत के दिन उसका हेश होगा। (ईद मुबारक रहऊल मुहतार)
कब्र व दफन का बयान

मसाजिला :- मन्त्र को दफन करना फर्ज़ किया जाता है और यह जाना सत्य है कि मन्त्र को जमीन पर रख दें और चारी तरफ से दीवारे का प्रभाव कर के बना कर दें। (ललितप्रेमी)

मसाजिला :- जिस जगह इतिहास हुआ उसी जगह दफन कर दें यह अभियोग अतीतप्रत्येक क्षण में दफन करने का मकसद है कि उसके लिए कोई खास मन्त्र (दफन करने की जगह) न बनाया जाये मन्त्र बालिग हो या नाबालिग। (छून मुख्तार)

मसाजिला :- कब्र की लम्बाई मन्त्र के कद के बराबर हो और चौड़ाई आये कद की और गहराई कम से कम निर्देश (आदेश)कद की और बेहतर यह है कि गहराई भी कद बराबर हो और (पुतरविशिष्ट दरभंगानी) दर्ज यह है कि सीने तक हो या नहीं हो (छून मुख्तार)इससे मुनाफ़ यह कि लहर या सन्दूक इतना हो यह नहीं कि जहाँ से खोलने का शुरूआत की वहाँ से आखिर तक यह मिकड़िया हो।

मसाजिला :- कब्र दो किस्म है लहर कि कब्र खोदकर उसमें कित्ता की तरफ मन्त्र के रखने की जगह खोदे और सन्दूक वह जो हिंदू मात्र लिया जाता है। लहर सुन्नत है अगर जमीन इस काबिल हो तो यही करने और नर्म जमीन हो तो सन्दूक में हर्ज़ नहीं। (ललितप्रेमी)

मसाजिला :- कब्र के अंदर चटाई बगैर बिगाड़ना नाज़ाकत है कि वे सब माल जायें करना है (छून मुख्तार)

मसाजिला :- ताबू कि मन्त्र को किसी लकड़ी बगैर सन्दूक में रखकर दफन करे यह मकरसंह है मगर जब जरूरत हो मसाल जमीन बहुत तर है तो हर्ज़ नहीं और इस सूत्र में ताबू के मसारिक उसे में से लिये जाये जो मन्त्र ने माल छोड़ा है। (ललितप्रेमी,छून मुख्तार बाहृहस्म)
मसाजिला : अगर ताबूत में रखकर दफन करें तो सुनना यह है कि इसमें मिट्टी बिछा दें और 
दाहिने बाये खाम (कच्चे)ईंटे लगा दें और फिर कहलाल (गारा यानी मिट्टी का पलास्टर)कर दें 
गुर्ज ऊपर का डिस्सा डिल्ले लहड़ के हो जाये और उंगों का ताबूत मकरस्त है और कब्र की जमीन 
नम हो तो धूल बिछा देना सुनना है। (स्त्रीली, बुरू मुराद)

मसाजिला : कब्र के उस हिस्से में कि मर्यम के जिसने कि सच है पक्की ईंट लगाना मकरस्त है 
कि ईंट आग से पकली है अल्लाह तख्ताला मुसलमानों को आग के असर से बचाये। (अल्लली)

मसाजिला : कब्र में उतरने वाले दो-तीन जो मुनासिब हों कोई तख्ताल हमें खास नहीं। बेहतर 
यह है कि कब्र (ताक्तवर)व नेक द अमीन हो कि कोई बात नुमासिब देखे तो लोगों पर 
जाहिर न करें। (अल्लली)

मसाजिला : जनाजा कब्र से किल्ला की जानिब रखना मुश्किल है कि मुद्रा किल्ला की जानिब से 
कब्र में उतारा जाये तू ही नहीं कि कब्र की पारंती रखें और सर की जानिब से कब्र में लाये। (उर्दू मुराद)

मसाजिला : औरत का जनाजा उतारने वाले महासिद हो यानी जिनसे पद्म नहीं जैसे बाई, मालिका वर्गी। 
ये न हों तो दूसरे विश्व वर्गिये। ये भी न हों तो परहेज अरजनी के उतारने में मुजाहिद नहीं। (अल्लली)

मसाजिला : तर्क को कब्र में रखने के लिए यह दुआ पढ़े—

तर्जमा : "अल्लाह के नाम से और अल्लाह की मदद से और रसूलुल्लाह के दीन पर।"

और एक रिवाज में यह भी आया है।”

तर्जमा : "अल्लाह के नाम से और अल्लाह के रास्ते में।" (अल्लली, बुरू मुराद)

मसाजिला : मर्यम को दाहिनी करवत पर लिटायर और उस का ईंट किल्ले को करे अगर किल्ला की 
तरफ ईंट करना मूल गये तख्ता लगाने के बढ़ या आया तो तख्ता हटाकर किल्ला—र कर दें और 
मिट्टी देने के बढ़ या आया तो नहीं। ईंट की अगर तख्ता करवत पर रखा या लिखे सरकार होना चाहिए 
उधर पैंत किये तो अगर जिल्टी देने से पहले या आया तो चाहिए। (अल्लली)

मसाजिला : कब्र में रखने के बढ़ दफन की बन्दी छोल दें कि अब जरूरत नहीं और न कहली 
तो नहार नहीं। (उर्दू)

मसाजिला : कब्र में रखने के बढ़ लहड़ को कच्छे ईंटों से बन्द रखें और जमीन नस्ल हो तो तख्ते 
लगाना भी जांच है। नॉट्स के दरमीजा फिरी रह गई तो उसे देखे वगीरा से बन्द कर दें समूक 
का भी यह हुआ है। (उर्दू मुराद, बुरू मुराद)

मसाजिला : औरत का जनाजा हो तो कब्र में उतारने से तख्ता लगाने तक कब्र को कपड़ों वगीरा से 
छीपाये रखें, नद की कब्र को दफन करते वक्ता न छुपाये अलबता अगर में हि वगीरा कोई उजर हो तो 
छुपाना जांच है औरत का जनाजा भी झड़ा है। (उर्दू मुराद)

मसाजिला : तख्ते लगाने के बढ़ दिटी दी जाये मुश्किल यह है कि सरकार की तरफ दोनों हाथों 
से तीन बार मिट्टी डाले तीन बार करें। (इसी से हम ने तुम को पेड़ा किया) दूसरी बार
मसामूला: हाथ में जो भिड़टी लगी है उसे झाड़ दें या घो घालें इश्कियार है।

मसामूला: कब्र चौखटी न बनाये बल्कि उसके तल धात रखे। चूंकि यह का कोहन और उस पर पानी छिड़कने में हरज नहीं बल्कि बेहतर है और कब्र एक बालिस्त ऊंची हो या कुछ थोड़ी सी ज्यादा।

मसामूला: जहाँ तर इतिस्काल हुआ और किनारा करीब न हो तो गुस्ल व कफन देकर नमाज पढ़कर समुद्र में डूबें। (शुमा, खुल महर)

मसामूला: उलमा, मसाईम व सादत की कुत्तर पर कुंभा वॉरा बनाने में हरज नहीं और कब्र को पुख्ता न किया जाये। (दुरु मुखान, खुल महर) यह अन्दर से पुख्ता न की जाये और अगर अन्दर खाम(कच्चा) हो ऊपर से पुख्ता तो हरज नहीं।

मसामूला: अगर ज़हकत हो तो कब्र पर निशान के लिए कुछ लिख सकते हैं मगर ऐसी जगह न लिखिए कि बे-अदबी हो। ऐसे मकबरे में दफन करना बेहतर है जहाँ सालेहीन (जुबुरोग) की कब्रें हैं। (ज़हल)

मसामूला: मुस्ताफ़ है कि दफन के बबुड़ कब्र पर सूरू बकरा का अवल आखिर पढ़े सरहाने 15 पर और पारंदीने 15 में 15 अलमा सूरत तक पढ़ें। (आलम)

मसामूला: दफन के बबुड़ कब्र के पास इतनी देर तक दहारा मुस्ताहब है जितनी देर में ऊंट जिम्मक करके गोशत तक दीया जाये। के उनकी रहने से म्याट का उन्न कम होगा और नक्काशः(कब्र में सवाल करने वाले फरीदें) का जावाब देने में वहसात न होगी और इतनी देर तक तिलाते कुर्ञन और म्याट के लिए दुआ व इतिस्काल करें और यह दुआ करेंगे कि सवाल नक्काशः के जावाब में साहित करें। (ज़हल)

मसामूला: एक कब्र में एक से ज्यादा बिला ज़क्रत दफन करना जाइज नहीं और ज़क्रत हो तो कर सकते हैं मगर दो म्याटों के दरमलय मिट्टी दवारा से आड़ कर दें और कॉफ आगे हो कॉफ पीछे यह ऊपर जिक्र हो टुक। (आलमगीर)

मसामूला: जिस शहर या गाँव दवारा में इतिस्काल हुआ वही के कब्रिस्तान में दफन करना मुस्ताहब है अगर वहीं रहता न हो बल्कि जिस घर में इतिस्काल हुआ उस घर वालों के कब्रिस्तान में दफन करें और दो-एक मौल में दें जाने में हरज नहीं कि शहर के कब्रिस्तान अकसर इतने फाटकिये पर होते हैं और अगर दुर्गे शहर को इसकी लाख उठा ले जाये तो अकसर इलामा ने मना फरमाया और यहीं सही है, यह उस सूरत में है कि दफन से फहले ले जाना चाहें और दफन के बाद तो मुलाकात मना है सिवा बज़ा सूरतों के जो जिक्र होगी। (आलमगीर) और यह जो बज़ा लोगों
का तरीका है कि जमीन को सिपूर्द करते हैं फिर वहाँ से निकाल कर दूसरी जगह दफन करते हैं नाजाज़िइज है और राफिजियों का तरीका है।

मसूला :- दूसरे की जमीन में बिला मालिक की इजाजत के दफन कर दिया तो मालिक की इजाजत है ख़ाब और लिया मयय ते कहे कि अपना मुर्दा निकाल लो या जमीन बराबर कर के युश के खेती करें। उन अगर वह जमीन खुफ़ा (कह जावईद जो पत्ती से बदल रही है तो उस पर पहला हक पत्ती का होता है उस जमीन या जावईद की खुफ़ा कहते हैं) में ले ली गई या गसब किये हुए कपड़े का कपड़े का कपड़े का फक्त दिया तो मालिक मुर्दा के निकाल लो लो। (आलमगीरी खुल मुखरार)

मसूला :- जिसी कब्रिस्तान में किसी ने कब्र तैयार कराई उसमें दूसरे लोग अपना मुर्दा दफन करना चाहते हैं और कब्रिस्तान में जगह है तो मकब़ूल है और अगर क़बर कर दिया तो क़ब्र खुदवाने वाला मुर्दा को नहीं निकाल लेता जो ख़राब हुआ है उसे ले। (आलमगीरी खुल मुखरार)

मसूला :- औरत को किसी वारिस ने जोका समेत दफन कर दिया और बहू दुसरा मौजूद न थे तो इस दुसरा को कब्र खोदने की इजाजत है। किसी का कुछ माल कब्र में गिर गया मिट्टी देने के बदल यदि आया तो कब्र खोद कर निकाल सकते हैं अगर वह एक ही दिन हो। (आलमगीरी)

मसूला :- अपने लिए कपड़े तैयार रखे तो हरज नहीं और कब्र खुदवा रखना तो महणा कहा गया है। मसूलूम कहाँ मरेंगा (दुरे मुखरार)

मसूला :- कब्र पूरे बैठना, सोना, चलना पाख़ाना-पेशाब करना हराम है। कब्रिस्तान में जो नया राता निकाला गया उससे गुजराना नाजाज़िइज है ख़ाब नया होना इसे मसूलूम हो या उसका गुफ़ा हो। (आलमगीरी दुरे मुखरार)

मसूला :- अपने किसी रिश्तेदार की कब्र तुक जाना चाहता है मगर कब्रों पर गुजराना पड़ता है तो वह है, तुक जाना मना है दूसरे ही से फातिमा पढ़े। कब्रिस्तान में जुतीयों पहन कर जाये। एक शाल्स को हुज़ूर अक़बर ज़िल्ल्लाहु तालिका अलैही वसल्लम ने जुते पहने देखा फरमाया जुते उतार दे न कब्र वाले को तू इज़ा (तकलीफ)ऍ दे न वह तुच्छः।

मसूला :- कब्र पर कुआँत पढ़ने के लिए हाफिज़ मुक़दर करना जाज़िइज है। (दुरे मुखरार)यहूदी जब कि पढ़ने वाले उजरत पर न पढ़ते हों कि उजरत पर कुआँत मजीद पढ़ना और पढ़वाना नाजाज़िइज है अगर उजरत पर पढ़वाना चाहें तो अपने काम-काज के लिए नीकर रखे फिर यह काम ले।

मसूला :- शहर या अहदनामा कब्र में रखना जाज़िइज है और अज़वा है कि बूढ़ के सामने किसी की जानिब ताक ख़ोद कर उसमें रखे बदल दुरे मुखरार में कफ़ुन पर अहदनामा लिखने को जाज़िइज हृदा है और फरमाया कि इससे मगफ़िरत की उम्मीद है और मगफ़िर के सीने और पेशानी पर 'बिसम़ल्लाह शरीफ' लिखना जाज़िइज है। एक शहर ने इसकी वसिता की थी इन्तकाल के बदल सीने और पेशानी पर बिसम़ल्लाह शरीफ लिख दी गई फिर किसी ने उन्हें ख़ाब में देखा हाल पूछा। कहा कहा जब में रखा गया अज़वा के फरिस्ते आये फरिस्तों ने जब पेशानी पर बिसम़ल्लाह शरीफ देखी कहा तू अज़वा से बच गया। (दुरे मुखरार, गुनिया, तालाक़ख़ानिया) उनी भी हो सकता है कि पेशानी पर बिसम़ल्लाह शरीफ लिखे और सीने पर कलिमा तयता 'लाइला-ह
हिन्दी लिखित व्याख्या नेपाली भाषा में है। ज्यादातर संदर्भ के साथ इसकी उपयोगीता का अंश पूरा होता है।
भवाने शरीरीत
चौथा हिस्सा

गःमूला :— नमाज,रोजा, हज़ जङ्गल और हर कि की इबादत और हर नेक अमल फर्ज व नपुल का सवाब मुद्रा को पहुँचा सकता है। उन सब को पहुँचार और इसके सवाब में कुछ कमी न होगी बल्कि उसकी रहमत से उम्मीद है कि सब को पूरा मिले यह नहीं कि उसी सवाब की तक्षीत होकर तुकड़ा-तुकड़ा मिले (रुपल मुहतार) बल्कि यह उम्मीद है कि इस सवाब पहुँचाने वाले के लिए उन सब के मजबूत के बराबर मिले मसलन कोई नेक कम किया जिसा का सवाब कम एज़ कम इस मिलेगा इस दस मुद्रा को पहुँचाया तो हर एक को दस-दस मिलेगे और इसको एक सी दस और हजार को पहुँचाया तो इस दस हजार दस इसी तरह समझे लें। (तात्कालिक)

मसूला :— कब्र को बोसा देना बहुत उल्लमा ने जाय है मगर रही यह है कि मना है। (अतातुल तमामत) और कब्र का तवाफ़ तक्षीत (यहूदी कब्र के चारों तरफ़ ताज़ीफ़न चककर लगाना) मना है और अभिरक्षण के लिए मजबूत के चारों तरफ़ किया तो हरज़ नहीं मगर अवाम मना किये जाने बल्कि अवाम के समान किया भी न जाने कि कुछ का कुछ समझेंगे।

मसूला :— दफन के बाद मुद्रा को तलकीन करना आवश्यक नहीं है (तात्कालिक) जो अक्षर किताबों में हैं कि तलकीन न की जाय यह नोब्रततला (एक वदगह सिड़ी फिरके का नाम) का मज़बूत है कि उन्होंने हमारी किताबों में यह इजाफा कर दिया (शुल मुहतार) हदीस में हुजूर अक्सर सल्लाल्लाहु तात्कालिक असली वसलम फर्माते हैं जब तुकड़ा कोई मुसलमान भाई मरे और उसकी मिट्टी दे दुको तो तुम में एक रास्ता कब्र के सरहने खड़े होकर कहे या पुली इन्हें पुलाना वह दुनुएं और जाब ने देग़ किया फिर कहे या पुली बिन पुलाना वह सीधा होकर बेठ जायेगा फिर कहे या पुली बिन पुलाना वह कहना हैं सरहद कर अलाहु दुनुएं पर रहम फर्माये मगर तभें उसके कहने की खबर नहीं होती सरहद किये कहे—

अद्धकर माता हरीसुख़ उल्लमा देवी हो जाने आस्ताली इस्लाम तथा मुस्लिम वराफ़ इस्लाम हो उन्हें स्वतंत्र और अद्धकर माता हरीसुख़ उल्लमा देवी हो जाने आस्ताली इस्लाम तथा मुस्लिम वराफ़ हीरामाने इस्लाम हो उन्हें स्वतंत्र और अद्धकर माता हरीसुख़ उल्लमा देवी हो जाने आस्ताली इस्लाम तथा मुस्लिम वराफ़ हीरामाने इस्लाम हो उन्हें स्वतंत्र और अद्धकर माता हरीसुख़ उल्लमा देवी हो जाने आस्ताली इस्लाम तथा मुस्लिम वराफ़ हीरामाने इस्लाम हो उन्हें स्वतंत्र और अद्धकर माता हरीसुख़ उल्लमा देवी हो जाने आस्ताली इस्लाम तथा मुस्लिम वराफ़ हीरामाने इस्लाम हो उन्हें स्वतंत्र और अद्धकर माता हरीसुख़ उल्लमा देवी हो जाने आस्ताली इस्लाम तथा मुस्लिम वराफ़ हीरामाने इस्लाम हो उन्हें स्वतंत्र और अद्धकर माता हरीसुख़ उल्लमा देवी हो जाने आस्ताली

तात्कालिक— "ये उसे यदि जिस पर हुजूर हमारी से निकला यही यह गवाह है कि अल्लाह के सिया कोई माफ़ हो और मुहम्मद सल्लाल्लाहु तात्कालिक असली वसलम उसके कहे और रसूल हैं और यह कि दो अल्लाह के यह और इस्लाम के दीन और मुहम्मद सल्लाल्लाहु तात्कालिक असली वसलम के नहीं और कूर्तन के इस्मान होने पर राजी थी।"

नक़ीरमे एक दूसरे का हाथ पकड़ कर कहेंगे भी लोग इसकी हज़ार सिखा चुके। इस पर किसी ने हुजूर सल्लाल्लाहु तात्कालिक असली वसलम से अर्ज़ की आगर उसकी माँ का नाम महबूल न हो। अल्लाहा हव्वा जिन्हें तरफ़ निषक्त करे। इस हदीस को तबरानी ने कबीर में और झूँझिन ने हदीस में और दूसरे मुहम्मद सल्लाल्लाहु तात्कालिक असली वसलम के नहीं और कूर्तन के इस्मान होने पर राजी थी।"
तबाहा अल्लाह कस्सल्लाह हैं।

अल्लाह हजरत इमाम अहमद रजा ख़ान रद्दीयल्लाहु तख्वाला अन्दुने इस पर हां और इजाफा किया(बदाया):—

"मैं जानता हूँ कि वह शहीद जो तेरे पास आये या आये यह अल्लाह के बने हैं वैसे खुद के हुक के न जरा पहुँच न नहा। पर न खोफ कर और न गम कर तुम और गवाही दे कि तेरा रब अल्लाह है और तेरे दीन इस्लाम है और तेरे नबी मुहम्मद सल्ल्लाल्हु तख्वाला अल्लाह वस्तल्लाह हैं और अल्लाह हम को और तुम को कौटे साबित पर साबित रखे दुनिया की जिन्दगी में और आखिरत में बेशक वह बसकने वाला मेरबान है।"

तर्जमा:— "और जान ले कि यह दो शहीद जो तेरे पास आये या आये यह अल्लाह के बने हैं बेशक खुद के हुक के न जरा पहुँच न नहा। पर न खौफ कर और न गम कर तुम और गवाही दे कि तेरा रब अल्लाह है और तेरी दीन इस्लाम है और तेरी नबी मुहम्मद सल्ल्लाल्हु तख्वाला अल्लाह वस्तल्लाह हैं और अल्लाह हम को और तुम को कौटे साबित पर साबित रखे दुनिया की जिन्दाबाद में और आखिरत में बेशक वह बसकने वाला मेरबान है।"

तमाजियत का व्याख्या

मसबला:— (किसी के पर मौत को जाने पर लोग उसके घर उसे तस्ली और दिलासा देने जाते हैं उसे तमाजियत कहते हैं।)तमाजियत मसबला है हदीस में है जो अपने भाई मुसलमान की मुसीबत में तमाजियत करते हैं। इसके दिन अल्लाह तख्वाला उसे करामत (इज्ज़त) का जोड़ा पहनायेगा। इसको इन्हें मज़ा ने रिवायत किया दूसरी हदीस तिम्रजी व इलजे मज़ा में है जो किसी मुसीबतजदी की तमाजियत करते हैं उसे उसी की मिल्स सबब मिलेगा।

मसबला:— तमाजियत का वक्त मौत से ठीक दिन तक है, इसके बाद मकर न है कि गम ताज़ा होगा मगर तब तमाजियत करने वा जिसकी तमाजियत की जाय वहाँ मौजूद न हो या मौजूद है मगर इसे हम नहीं तो बढ़ा में हरज नहीं। (जोहर, घुल मुहलार)

मसबला:— दफन से पहले भी तमाजियत जाइज है मगर अफज़ल यह है कि दफन के बाद हो यह उस वक्त है कि उल्लिया मृत्यु जज़़ा व फज़ा जज़ा (यहकी खाना धोना, विनेन बिल्लाना) न करते हैं उनकी तस्ली के लिए दफन से पहले ही करें। (जोहर)

मसबला:— मुस्ताफ़ह यह है कि मृत्यु के ठमाम अकारिब(करबी रितेदौरो) को तमाजियत करें छोटे—बड़े मर्द व औरत सब को मगर औरत को तक उसके महार्म हैं तमाजियत करें। तमाजियत में यह कहें अल्लाह तख्वाला मृत्यु की माफ़िश और उसको अपनी रहमत में ठोके और तुम को सब रोजी करें और इस मुसीबत पर सबब अत्य फरमाये। नबी सल्ल्लाल्हु तख्वाला अल्लाह वस्तल्लाह ने इन लापरों से तमाजियत फरमाई —
मसाजिला : मध्यत के घर वालों को जो खाना भेजा जाता है यह खाना पियर घर लाये और उन्हीं के लाइक भेजा जाये तो खाना मना है। (कस्पुलाक्जा) और दोस्तों के अजीजों का घर में बैठना कि लोग उनकी त्यागिता को आदेश इसमें हरज नहीं और मकान के दरबारे पर या शारीरिक आम (यानी आम रास्ता) पर बिछोंे बिछ्या जा जाए और बैठना नहीं चाहिए है। (अलमगीर, दूसर महर)।

मसाजिला : मध्यत के पड़ोसी या दूर के रिसोटार अगर मध्यत के घर वालों के लिए उज्ज्वल और खुशि के लिए खाना लाए तो इसके लिए अंदर भेजा जाता है और उन्हें इससे करने के लिए खिलाया। (महर दूसर)

मसाजिला : मध्यत के घर वाले तीजे वर्गीय के दिन दुआ दूज कर नाजाजुव और दुख दिने की है। (सहहल दूसर)

मसाजिला : जिन लोगों में दुख और दुखी तथ्यात्मक पदवी उनके लिए भी खाना पैदल करना नाजाजुव है। (बुध महतार) यानी जब टहला लिया हो या महसूल (महबुर) हो या अग्निया (नालद) हो।

मसाजिला : तीजे वर्गीय का खाना अक्षर मध्यत के तरह से दिया जाता है इसमें जब तिहाज जरूरी है कि दुख तो नाजाजुव न हो और सब दुख हास्य है। (पूरी अगर बख़्तु दुरसा मौजूद नहीं जब भी नाजाजुव) है जबकि गैर मौजूदित से इजाजत न हो और सब बालिग हो और सब की इजाजत से हो या चुंबन नाजाजुव गैर मौजूद हो। मौजूद हो और सब बालिग अपने हिस्से से करे तो हरज नहीं। (बालिग वर्गीय)

मसाजिला : तयारी में किसी अक्षर और रिसोटार जरूरी है और रोटी पीट्टी नोहाय (चीख पहले दिन खाना भेजना सुनता है) इसके बाद मकरह। (अलमगीर)

मसाजिला : क्रिस्तियन में तयारी करना बिदाह है (बुध महतार) और दफ्न के बाद मध्यत के मकान पर आम और तयारी करने अपने अपने घर जाना अगर इस्तिफाड़क हो तो हरज नहीं और इसलिए रस्म करना न चाहिए और मध्यत के मकान पर तयारी के लिए लोगों का मजाब करना दफन के पहले हो या बाद उसी वक्त हो या किसी और वक्त खिलाए और आम है और करें तो गुनाह भी नहीं।

मसाजिला : जो एक बार तयारी कर आया उसे दोबारा तयारी के लिए जाना मकरह है।
सोच और नौहा का जिक्र

मसजिदा:— सोच के लिए सियाहे (काले) कपड़े पहनना मद्दत को नहीं जाता है (अलमगीरी) यूँ ही सियाहे बिल्ले लगाना कि इसमें नसराय की मुसाबहत भी है।

मसजिदा:— मयत के घर वालों को लेन दिन इस लिये बैठना कि लोग आये और तब्ज़ियत कर जायें जा जाए हैं जगर न करना बेहतर है और यह उस वक़्त है कि फुरूश और दीगर आरास्तन न करना हो वरना नाजाजिद। (अलमगीरी, खुल मुल्क)

मसजिदा:— नौहा यथानी मयत के औसाफ मुबालगे के साथ (यथानी बहुत बढ़ा-चढ़ा कर) बयान करके आवाज से रोना जिस को बैठ कहते हैं बिल इज्जा यथानी सब के नज़दीक हरम है। यूँ ही वाले और हाय मुसीबत कहके बिल्लाना भी। (जाहू, खोजा)

मसजिदा:— गिरेबान फादना, मुहूर नोचना, बाल खोलना सर पर ख़ाक डालना, सीना कूटना, रान पर हाथ मारना, यह सब जहालत के काम हैं और हरम है। (अलमगीरी)

मसजिदा:— आवाज से रोना मना है और आवाज बलन्द न हो तो इसकी मनाही नहीं बलकि हुजूर अकड़स सल्ल्लाहु ताताला अल्लाह वस्तलम ने हज़रत सल्ल्लाहु ताताला अन्दु की वफात पर बुका फरमाया यथानी बगैर आवाज के रोये। (जाहू)

इस मकान पर बहुत अहादिस जो नौहा वर्गी के बारे में वारिद हैं जिस की जाती है कि मुसलमान बैर-बैर देखे और अपने यहाँ की औरों को सुनाये कि यह बला हदिस तालिका की औरों में हिंदुओं की तकलीफ से पाई जाती है यथानी हिंदुओं की नकल है।

हदीस न.1:— बुखारी और मुसलिम अबुबकर इन्हें मसऊद रदियल्लाहु ताताला अन्दु से राने हुजूरते अकड़स सल्ल्लाहु ताताला अलेही वस्तलम हैं जो मुह में तमाचा मारे और गिरेबान कादे और जहालत का पुकारना पुकारे (नौहा करे) वह हम में से नहीं।

हदीस न.2:— जाहू हैं, अबु बुरदा रदियल्लाहु ताताला अन्दु से मरवी और मुसलिम के लंघ यह है कि फरमाते हैं सल्ल्लाहु ताताला अलेही वस्तलम जो संर मुह में और नौहा करे और कपड़े काने में उपरे बढ़े हैं।

हदीस न.3:— स्हुही मुसलिम शरीफ में अबु मलिक अशफातुर रदियल्लाहु ताताला अन्दु से मरवी कि फरमाते हैं सल्ल्लाहु ताताला अलेही वस्तलम मेरी उम्मत में चाह काम जिहालत के है लोग उन्हें न चोखने। 1. हसब (मान लिया) पर फ़स्फ़ा दर्ज 2. नज़ब में तबूत करना 3. सितारों से में चाहना कि फूली नश्तर के सबब पानी बरसेगा 4. नौहा करना और फरमाया नौहा करने वाली ने अगर मरने से पहले तीव्र न की तो कियामत के दिन इस तरह खड़ी की जायेंगी कि उस पर एक कुरा करता यथानी चीड़ के तेल का कुर्ता होगा और एक ख़ासहत (एक पेड़ को बहुत कौटेदार होता है)।

हदीस न.4:— स्हुही हैं, अबुबकर इन्हें उमर रदियल्लाहु ताताला अहुल्मा से मरवी फरमाते हैं सल्ल्लाहु ताताला अलेही वस्तलम और दिल के गम के सबब अलाल्ह ताताला अज़माह नहीं फरमाता और जबन के तरफ इशारा करके फरमाया लेकिन इसके सबब अज़माह या रहम फरमाता है और घर बालों के रोने की बज़ह से मयत पर अज़माह होता है यथानी जब कि उसने कस्तील की हो या वहाँ रोने का रिवाज हो और मना न किया हो और अल्लाह ताताला खूब
हरयाणा शाहीद

चौथा हिस्सा

जानता है, यह मुराद है कि उन के बोलने से उसे तकलीफ होती है कि दूसरे हदीस में आया ऐ अल्लाह के बदले! अपने दुख को तकलीफ न दो जब तुम रोने लगते हो तो वह भी रोता है।

हदीस न.5: - भुजारी पूरी मुस्लिम मुसीमा इन्हे शोभुं रिद्यालहु तताला अन्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तताला अल्लाह का बस्तव फरमाते हैं जिस पर नौहा किया गया कियाते के दिन नौहा के सब्ब उस पर अजाब होगा यथानौही उनही सुझाओ में।

हदीस न.6: - यही मुस्लिम ता है उस सत्रा रिद्यालहु तताला अन्हा कहती है जब अबू अल्लाह सल्लल्लाहु तताला अन्हु का इन्तंकाल हुआ मैंने कहा सफर और परदेश में इन्तंकाल हुआ इन पर इस तरह रोखीं जिसका चर्चा हो। मैंने रोने का तत्त्व किया था और एक और भी इस प्रकार से आई कि मेरी मदद करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तताला अल्लाह बस्तव ने उस औरत से फरमाना जिस घर से अल्लाह तताला ने शैतान को दो मराबा निकाला त्यु उसमें शैतान को बांधकल करना चाहती है। फरमाना मैं रोने से राज आई और दो रोई।

हदीस न.7: - तिरमोजी अबू मुसा रिद्यालहु तताला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तताला अल्लाह बस्तव फरमाते हैं जो मर जाता है और रोने वाला इसकी खुशियाँ बताना कर के रोता है अल्लाह तताला उस महत्त्व पर दो फरिश्ते मुकरर फरमाता है जो उसे कोचते हैं और कहते हैं क्या तू ऐसा था।

हदीस न.8: - इन्हें माजा अबू उममा रिद्यालहु तताला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तताला अल्लाह बस्तव फरमाते हैं अल्लाह तताला फरमाता है ऐ। इन्हें आदम। अगर तू अवल सब्बमे के बल सब करे और सब्ब का तालिब हो तो तेरे लिए जनन के सिवा किसी सब्ब पर मैं राजी नही।

हदीस न.9: - अहमद व बैहकी इमाम हूसैन इन्हें अली रिद्यालहु तताला अन्हु से रावी कि फरमाते हैं सल्लल्लाहु तताला अल्लाह बस्तव जिस मुसलमान मर्द या आदम पर कोई मुसीबत पहुँची उसे याद कर के चहे: -

अल्लाह! ते है, या राजु! रेजु! रेजु!

तर्जमा: - "बेशक हम अल्लाह ही के हैं और उसी की तरफ लौट कर जाना है।"

अगर उस मुसीबत का जुमा दराज हो गया हो तो अल्लाह तताला उस पर नया सब्ब अल्लाह फरमाता है और वैसा ही सब्ब देता है जैसा उस दिन कि मुसीबत पहुँची थी।

शहीद का बयान

अल्लाह तताला। फरमाता है: -

"अ舞台र नहीं, तुरा है, अवल सब्बमे के बल जाना है।"

तर्जमा: - "जो अल्लाह की राज में कल्ला किये गये उनके पुज्जा न कहरे विश्व का यह लिया है मगर पुज्जा ख़बर नही।"

और फरमाता है: -

"अवल सब्बमे के बल जाना है।"
तर्जमा — "जो लोग रहे खुदा में क़ल्ल खिये गये उन्हें गुर्दा न गुमान कर बतक वह अपने सब के यहाँ जिन्दा है उन्हें रोजी मिलती है अल्लाह ने अपने फ़ाल से जो दिया उस पर खुश है और जो लोग बाद वाले उन से अभी न मिले उन के लिए खुशखबरी के तालिक कि उन पर न कुछ खूफ़ है और न वह गमगीन होंगे। अल्लाह की नेकामत और फ़ाल की खुशखबरी चाहते हैं और यह कि ईमान वालों का अज़ अल्लाह जाए नहीं फरमाता।"

अहादीस में इसके फाजा बक़सत बारिद हैं। शहादत सिफ इसी का नाम नहीं कि जिहाद में क़ल्ल खिया जाय बतक एक हदीस में फरमाया कि इसके सिवा सात शहादतें और हैं।
1. जो ताज़ा से मरा शहीद है। 2. जो क़ब्बर में मरा शहीद है। 3. जो जातुल जनब (निमोनिया) में मरा शहीद है। 4. जो पैट की बीमारी में मरा शहीद है। 5. जो जल कर मरा शहीद है। 6. जिसके उपर दीवार ग़ौरा ठहर पड़ी और मर जाये शहीद है। 7. औपल कि बच्चा पैदा होने या बुड़वेरपें में पर जाये शहीद है। इस हदीस को ईमाम मलिक व अबु दाज़द व नसरै ने जाबिर इस्ने अलीक रद्दियल्लाह ताज़ाला अन्हु से रिवायत किया और ईमाम अहमद की रिवायत जाबिर रद्दियल्लाह ताज़ाला अन्हु से है कि सल्लाल्लाहु ताज़ाला अलीह वसल्लम ने फरमाया ताज़ाला से भागने वाला उसकी मिस्ल है जो जिहाद से भागा और जो सब करे उसके लिए शहीद का अज़ है। अहमद व नसरै इरबाज़ इसने सारिया रद्दियल्लाह ताज़ाला अन्हु से राही कि फरमात है सल्लाल्लाहु ताज़ाला अलीह वसल्लम जो ताज़ाला में मरे उनके बारे में अल्लाह ताज़ाला के दरबार में मुकद्ददा पेशा होगा। शोहदा कहेंगे, यह हमारे भाई हैं यह वैसे ही क़ल्ल खिये गये जैसे हम और बिझि़नों पर फात पाने वाले कहेंगे, यह हमारे भाई हैं यह अपने बिझि़नों पर मरे जैसे हम। अल्लाह ताज़ाला फरमायेगा इनके ज़ख़्म देखो आप इन के ज़ख़्म कल्ल होने वालों के मुशाबह होंगा तो यह उन्हीं में है और उन्हीं के साथ हैं देखें तो उन के ज़ख़्म शोहदा के ज़ख़्म की तरह होगे। शोहदा में शामिल कर दिये जायेंगे।
8. इन्हें माज़ा की रिवायत इनके अबास रद्दियल्लाह ताज़ाला अन्हु से है कि इरशाद फरमाया मुसाफर(सफ़र) की मौीत शहादत है। यह अंश सफ़र में मरे तो शहीद हैं। इनके सिवा बहुत सूत्रें हैं जिनमें शहादत का सवाब मिलता है।

इमाम ज़लालुद्दीन स्पूती वाग़रा अहमद ने उनको जिक किया है बड़ूज़ यह है:-
9. सिल (दिक टी. बी. की तरह एक बीमारी) की बीमारी में मरा। 10. सवारी से ग़र्ल कर या बिगली से मरा। 11. बुखार में मरा। 12. माल बचाने में मरा। 13. जान बचाने में मरा। 14. अहल यहूदी पर उनकी बीवी, बच्चे भूइँ बाप वाग़रा या रिस्तेदेव को बचाने में मरा। 15. किसी हक़ के बचाने में क़ल्ल किया गया। 16. इसके मरा बशर्त कि पाक दान मोह और खुशाल हो। 17. किसी दरिद्र के फाड़ खाया और मर गया। 18. फ़ौज़दार ने ज़ूलम क़इद किया। 19. या मरा और मर गया इन सूरतों में शहीद है। 20. किसी मूजी जानवर के काटने से मरा। 21. इल्मे किया तूलब में मरा। 22. मुआफ़िज़न कि तलबे सवाब के लिए अज़ पाए। 23. ताज़रिज रात-गो (सच बोलने वाला
24. जो अपने बाल बच्चों के लिए सई (यहूदी पालने की कोशिश) करें और उनमें अब हुमा इलाही काम करे और उन्हें हताल खिलाए।

25. जो हर रोज पच्छीस बार पढ़े।

26. जो चाहत की दमाज पढ़े और हर महीने में तीन रोज रखे और वित्त को सफर व हजर में करने करें।

27. फस्ददे उम्मत के बाद सुनने पर अमल करने वाला इसे के लिए सूरत शहीद का सबब है।

28. जो मरज में चालीस बार नीचे लिखी आयत पढ़े और उसी मरज में मर जाये और अच्छा हो गया तो उसकी माफिकत हो जायेगी, आयत यह है -

ला ई ई ई अभिनिय किये के है।

29. कुफ्फार से मुकाबले के लिए सरहद पर घोड़े बोंधने वाला।

30. जो हर रात सुरूए यस्रीन शरीफ पढ़े।

31. जो ब-तहारत (पाकिस्तानी की हालत में) सोया और मर गया।

32. जो नहीं सल्लल्लाहु ताअला अल्लाह वसल्लम पर सौ बार दुरुख शरीफ पढ़े।

33. जो सच्चे दिल से यह सवाल करे कि अल्लाह की राह में कल किया जाए।

34. जो सम्बूच को तीन बार नीचे लिखी दुआ पढ़कर किर सुरूए हस्त की नीची तीन आयत यह पढ़े तो अल्लाह तःतः असल हजार फरस्ते मुक्तर हरमायेगा कि उस के लिए शाम तक इतिहास करे और अगर उस दिन में मर तो शहीद मरा और जो शाम को कहे सुवह तक के लिए यही बात है।

अहुदू इलाह ईसाई समिय ते मसीह ते मसीहुँ और मसीहुँ

सुरूए हस्त की आयत्त ये है:-

हिरु ईलाह ईलाह ईलाह ईलाह ईलाह ईलाह ईलाह ईलाह ईलाह ईलाह ईलाह ईलाह ईलाह ईलाह ईलाह ईलाह ईलाह ईलाह ईलाह ईलाह ईलाह ईलाह ईलाह ईलाह

मसाइल फिकहियाह

इस्तिमाल किया में शहीद उस मुसलमान आयतलिफ, बालिका, ताहिर को कहते हैं। जो ब-तौरे पुलिस किसी आलेए जारेही यहूदी जानी करने बाली विलया से कल किया गया और नफस कल से माल न बाजिब हुआ हो (नफस कल्स से माल बाजिब जब होता है जब ढीले में कोई मर गया हो मसलन शिकार के लिए बाइर या गोली चला रहा था और उससे कोई शाक्सर मर गया तो माल बाजिब होगा ज्ञान के बदले ज्ञान न ली जायेगी) और दुनिया से नक्शा न उठेगा हो। शहीद का हुकम यह है कि गुस्त न दिया जाये वैसे ही खुद समेत दफ्न कर दिया जाये तो जहाँ यह हुकम पाया जायेगा फुकहा उसे शहीद कहेंगे वरना नहीं मगर शहीदे फिकही न होने से यह लाजिम नहीं कि शहीद का सबाब, भी न पाये दिस्के इसका सलतनत होगा कि गुस्त दिया जाये यह पुलिस (लुकर मुक़ह)

मसाइल:- नबीलिफ और मस्जूद को गुस्त दिया जाये अगर वह किसी तरह कोल किये गये जुड़ू और हैज व निफास, बाली और खबाब और हैज व निफास में हो या खुद हो, गया मगर अभी गुस्त न किया तो इन सब को गुस्त दिया जाये।

मसाइल:- हैज गुस्त हुए अभी पूरी तीन दिन न हुए थे कि कल की गई तो उसे गुस्त न देंगे कि अब यह नहीं कह सकतो कि हाइज़ है।

मसाइल:- जुड़ू होना यूं मालूम होगा कि कल के पहले उसने खुद बयान किया हो या उसकी
मसलूला :- आलए जारेहा वह जिस से कल्ल करने से कारिल पर किसास वाजिब होता है। आलए जारेहा वह आला है कि अभु जो जुदा कर दे जैसे तत्तार वगैरा। बन्धक को भी आलए जारेहा कहेंगे।

मसलूला :- जब नपसे कल्ल से कारिल पर किसास वाजिब न हो बलिक माल वाजिब हो तो गुसल दिया जायेगा मसलन लाही से मारा या शिकारी शिकार के लिए मार रहा था और तीर या गोदी किसी आदमी को लगा और मर गया या कोई शख्स नंदी तत्तार लिये सो गया और सोते में किसी आदमी पर वह तत्तार गिर पड़ी वह मर गया या किसी शहर या गाँव में या उनके करीब मक्तूल पड़ा मिला और उसका कारिल मक्तूल नहीं इन सब सूर्तो में गुसल देंगे और अगर मक्तूल शहर वगैरा में मिला और मक्तूल है कि चोरों ने कल्ल किया है चाहे हस्तियार से कल्ल किया हो या किसी और चीज से तो गुसल न दिया जायेगा अगर वह मक्तूल नहीं कि किसी चोर ने कल्ल किया। यूँही अगर जागल में मिला और मक्तूल नहीं कि किस ने कल्ल किया तो गुसल न देंगे यूँही अगर बाकी ने कल्ल किया तो गुसल न देंगे हस्तियार से कल्ल किया हो या किसी और चीज से। (रुख मुहरार बैजौ)

मसलूला :- अगर नपसे कल्ल से माल वाजिब न हुआ बलिक जूश्बु माल किसी अद्रेय खाँरुज (अलग बाल) से है यस्ती किसी और बजह से माल वाजिब हुआ मसलन कारिल व मक्तूल यस्ती कल्ल करने वाले और कल्ल किये हुए के औलिया में गुलह हो गई या बाप ने बेटे को मार डाला या किसी ऐसे को मारा कि उसका वारिस बेटा है मसलन अपनी औरत को मार डाला और औरत का वारिस बेटा है जो इसी शहर से है तो किसास का मालिक यही लड़का होगा मगर यूँही किसा का बाप कारिल है किसास साकित हो गया तो इन सूर्तो में गुसल न दिया जाये। (रुख मुहरार बैजौ)

मसलूला :- अगर कल्ल ब-तीरे जूश्न न हो बलिक किसास या हृदे ताजीय में कल्ल किया गया (कोई वगैरा लगने की सजा को हृदे ताजीय और मक्तूल का बदला मक्तूल को किसास कहते हैं) या दरिंदे ने मार डाला तो गुसल देंगे। (दुहें मुखार)

मसलूला :- कोई शख्स धायलु हुआ मगर इसके बाद दुनिया से फायदा हासिल किया मसलन खाया या पिया या सोया या इलाज किया अगर वह चोर बहुत कटिल हो या चेंमे में ठरा यस्ती वहीं जहाँ जूश्न हुआ या नमाज का एक वस्तू पूरा होता है मुजल ब-शाहत कि नमाज अदा करने पर कादिर हो या वहाँ से उठकर दूसरी जगह को घटा या लोग इसे जंग के मैदान से उता कर दूसरी जगह से गये खार जिन्दा पहुँच हो या रास्ते ही में इतिकाल हुआ या किसी दुनियाबी बात की वसीयत की या बैंक की या क्रुक खेड़ीया या बहुत सी बातें की तो इन सब सूर्तो में गुसल देंगे ब-शाहत कि यह उम्मीद अब्द खाम होने के बाद वाकई हो और अगर जंग ही के दरमियान में हों तो यह चोर शहादत को रोकने वाली नहीं तो गुसल न देंगे और वसीयत अगर आैसीत के मुक्तालिक हो या दो एक बात बोला अगर्ध लादें के बाद तो शहीद है गुसल न देंगे और अगर लादें में नहीं कल्ल किया गया बलिक जुलून मो उन चोरों में से अगर कोई पाई गई गुसल देंगे वरना नहीं। (दुहें मुखार, रुख मुहरार)

मसलूला :- जिसकी हबी काफिर या बागी या जोकू ने किसी आस्ते से कल्ल किया हो या उनके जानवरों ने उसे कुचल दिया अर्थ खुद यही उन के जानवर पर सवार था या खींचे लिया जाता था या उस जानवर ने अपने हाथ पौंछ इस पर मारे या दूंव से काटा या इसकी सवारी को उन लोगों ने भड़ाका दिया उससे गिर कर मर गया या उन्होंने इस पर आग कबूल या उनके यहाँ से
बहारे शहीद
या उन्होंने किसी लकड़ी में आग लगा दी जिस का एक किनारा इंधन था और इन सूरतों में जल कर गया या जंग के मैदान में तो आग हुआ मिला और उस पर ज़हरा का निशान है मसलन आँख, कान से खून निकला है या हलके से साफ़ खून निकला या उन लोगों ने शहीदे पनाह (फिले की बाँदरी) पर से उसे पेंक दिया या उसके ऊपर दीवार दा दी या पानी में दुबा दिया या पानी बंद था उन्होंने खोल कर उजागर बना दिया कि बूढ़ गया या गला घोट दिया गरज वह लोग जिस तरह भी मुसलमान को कटल करे या क्लू के सामने वन्हें घर शहीद है (अल्लामी, इसे हिस्सा)
मसलुआँ)
--- मुखर जंग (जंग के मैदान) में मुर्दा मिला और उस पर कल्ला का कोई निशान नहीं या उसके नाक या खाकाना पेशाब के मकाम से खून निकला है या हलके से जमा हुआ खून निकला या दुसरने के खोफ से मर गया तो गुस्त दिया जाये (इसे हिस्सा)
मसलुआँ)
--- अपनी जान या माल या किसी मुसलमान के बचाव में लड़ा और मारा गया वह शहीद है, तृसँह पत्थर या लकड़ी या किसी छीज़ से कटल किया गया हो। (अल्लामी)
मसलुआँ)
--- दो कस्तियों में मुसलमान थे दुसरा ने बहुत जल गये वह आग बढ़कर दूसरे कस्ती में लगी यह यह नहीं जाने तो इस दूसरे कस्ती वाते भी शहीद है (अल्लामी)
मसलुआँ)
--- मुरिक का घोड़ा छूट कर गया और उस पर कोई सवार नहीं उसने किसी ज्यालाह मुसलमान को कुछ दिया या मुसलमान ने कफिर पर तीर चलाया वह मुसलमान को लगा। या कफिर के घोड़े से मुसलमान का घोड़ा मड़ा उसने मुसलमान सवार को गिरा दिया या मुसलमान ने मुरिक का घोड़ा छूट कर गया और कफिरों ने गोकुल केंद्र के दाने बिछा थे फिर उस पर चले और मर गये इन सब चुरुकों में गुस्त दिया जाये (अल्लामी)
मसलुआँ)
--- लड़ाई में किसी मुसलमान का घोड़ा मड़ा या कफिरों का झंडा देखकर बिड़का मगर कफिरों ने उसे नहीं जड़का और उसने जबर को गिरा दिया वह मर गया या मुसलमान मुसलमानों को शिकस्त दी और एक मुसलमान की सवाराने दूसरे मुसलमान को खुल दिया खाल वह मुसलमान उस पर सवार हो या बाग पकड़ कर लिए जाता हो या पीछे से हीटकता हो या दुसरने पर हमला किया और घोड़े से घर कर मर गये इन सब सूरतों में गुस्त दिया जाये (अल्लामी)
मसलुआँ)
--- दोनों फरीक (महरहोश) आपने सामने हुए मगर मड़ाई की नीबुत नहीं आई और एक नशे ने मुर्दा मिला तो जब तक वह न मशहूर हो कि आलए जारीया से जल्द कल्ला किया गया, गुस्त दिया जाये (अल्लामी)
मसलुआँ)
--- शहीद के बदन पर जो चीज़ क्षति की तरह न ही उतार दी जाते मसलन पोस्तीन, जिरह टोपी खूद (हेलमेट की तरह जो जंग के वक्त सर पर लगाते है) हियरियर, रुई का कपड़ा और अगर कपड़े मसानन में कुछ कमी पड़े तो इज़ाफ़ा दिया जाये और अगर कमी है पूरा करने को कुछ नहीं तो पोस्तीन और रुई का कपड़ा न उतारें। शहीद के सब कपड़े उतार कर न चाहे कपड़े देना मकरस्ता है। (अल्लामी, कल मुट्ठर कोश्त्र)
मसलुआँ)
--- जोसे और मुर्दा को खुब बार लगाते है शहीद को भी लगायें नजासत लगी हो तो धो दालें (अल्लामी, कोश्त्र) शहीद की नमाजें जनाता पढ़ी जाये। (अल्लामी)
मसलुआँ)
--- दुसरे पर बार या जब (रहर) उस पर न पढ़ी बल्कि खुद इस पर पढ़ी और मर गया तो इन्द्रलाह (यहूदी अल्लाह के नजाती) शहीद है मगर गुस्त दें और नमाज पढ़े। (ओहर)
क़़ब्बा मुअज़ज़मा में नमाज़ पढ़ने का बयान

सही बुखारी और सही मुस्लिम में है अबुद्दल्लह इन्हें स्नाम रखियल्लाहु तखाला अन्हुं माहे हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तखाला अल्लाह वसल्लम और उस्समान इन्हें जैद, उस्समान इन्हें तलहा हजारी व बिलाल इन्हें रबाह रखियल्लाहु तखाला अन्हुं क़़ब्बा मुअज़ज़मा में दाखिल हुए और दरवाज़ा बटन कर लिया गया कुछ देर तक वहाँ ठहरे। जब बाहर तशरीफ़ लाये तो बिलाल रखियल्लाहु तखाला अन्हुं से फूला हज़ूर सल्लल्लाहु तखाला अल्लाह वसल्लम ने कथा कहा कहा एक सुनून बाई तरफ़ किया और दो दाहिनी तरफ़ और तीन पीछे फिर नामज़ पढ़ी और उस जमाने में बैलुल्लाह शरीफ़ के छह सुनून थे।

मस़ामा : क़ब्बा मुअज़ज़मा के अन्दर हर नमाज़ जाईज़ है फर्ज़ हो या नफ़्ल तन्हा पढ़े या जमाणत से अगर्दे इमाम का रखू और तरफ़ हो और मुक़द्दम का और तरफ़, मगर जबकि मुक़द्दम की पुस्त इमाम के सामने हो तो मुक़द्दम की नमाज़ न होगी और अगर मुक़द्दम का गुँह इमाम की करवा की तरफ़ हो तो बिला कराहत जाईज़। (अहंक, इस्मु मुहाम्मद वर्हूदुर)

मस़ामा : क़ब्बा मुअज़ज़मा की छत पर नमाज़ पढ़ी जब भी यही सूतत हैं मगर उसकी छत पर नमाज़ पढ़ना बलिक चढ़ना भी मकरह है। (तनदफुल अवसार) मरिज़दे हराम शरीफ़ में क़ब्बा मुअज़ज़मा के गिर्दे जमाणत की और मुक़द्दम क़ब्बा मुअज़ज़मा के चारों तरफ़ हों जब भी जाईज़ है अगर्दे मुक़द्दम ब-निसबत इमाम के क़ब्बे से करीब तर हों ब-शर्त कि यह मुक़द्दम जो ब-निसबत इमाम के करीब तर हों उँचे न हों जिस तरफ़ इमाम हो बलिक दूसरी तरफ़ हों और अगर उसी तरफ़ है जिस तरफ़ इमाम है और ब-निसबत इमाम के करीब तर है तो उसकी नमाज़ न हुई (अमाल खदू)

मस़ामा : इमाम क़ब्बे के अन्दर है और मुक़द्दम बाहर तो इक़त़िदाद सही है ख़बर इमाम तन्हा अन्दर हो या उसके साथ क़ब्बा मुक़द्दम भी हूं मगर दरवाज़ा खुला होना चाहिए कि इमाम के रखू के मुज़ादूद का हाल मदूर नहीं होता रहे और अगर दरवाज़ा बटन है मगर इमाम की आवाज़ आती है जब भी हज़ूर नहीं मगर जिस सूतत में इमाम तन्हा अन्दर हो कराहत है कि इमाम तन्हा बलंदी पर होगा और यह मकरह है। (इस्मु मुहाम्मद ख़ुल मुहार)

मस़ामा : इमाम बाहर हो और मुक़द्दम अन्दर जब भी नज़ज़ा सही है ब-शर्त कि मुक़द्दम की पुस्त इमाम के सामने न हो। (रखुत मुहतार)

मुहम्मद अस्सीनुल कादरी बरेलवी
हिज़ज़ी 1431
मोबाइल न. 9219132423